

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

We deliver values...
that fulfill your banking and
financial dreams



वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report
2022 - 23





विजन:

“ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।”

Vision:

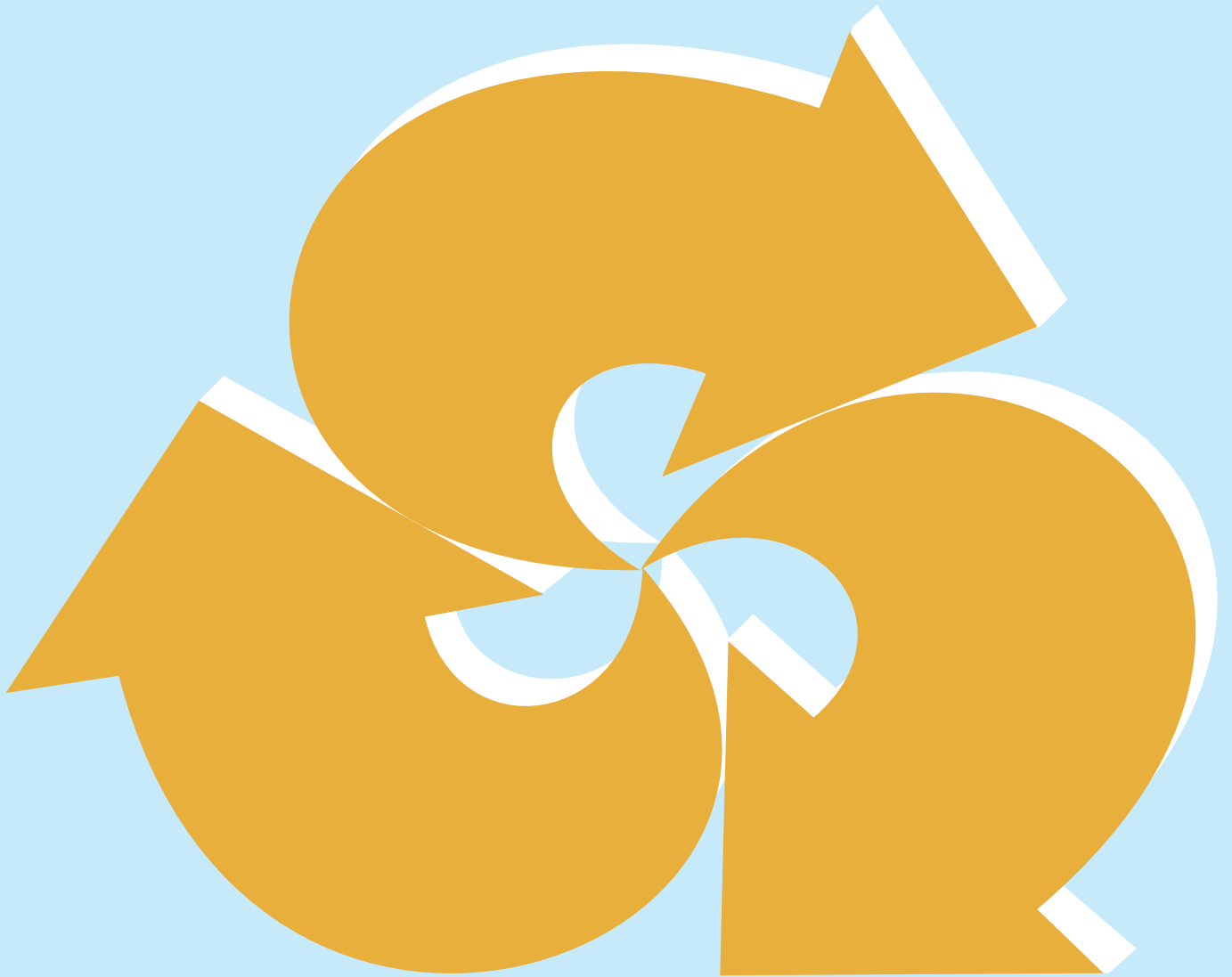
“Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth”

मिशन:

- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना

Mission:

- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri S L Jain
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक
Shri Imran Amin Siddiqui
Executive Director



श्री अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashwani Kumar
Executive Director



श्री महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक
Shri Mahesh Kumar Bajaj
Executive Director



श्री आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक
(03.05.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
Shri Ashutosh Choudhury
Executive Director
(Assumed the office on 03.05.2023)



डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Dr. Maruthi Prasad Tangirala
Government Nominee Director



डॉ. आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Dr. Aditya Gaiha
RBI Nominee Director



डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bharath Krishna Sankar
Shareholder Director



सुश्री पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक
Ms. Papia Sengupta
Shareholder Director



श्री बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Balmukund Sahay
Part-time Non-Official Director



श्री विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Vishvesh Kumar Goel
Part-time Non-Official Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी
CHIEF VIGILANCE OFFICER



श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव
Shri. Vishesh Kumar Srivastava

31.03.2023 को मुख्य महाप्रबंधकगण
CHIEF GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2023



श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar



श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar



श्री सुधाकर राव के एस
Shri Sudhakara Rao K S



श्री बिनय कुमार सिंह
Shri Binoy Kumar Singh



श्री सुजीत कुमार डे
Shri Sujit Kumar Dey



श्री रोहित ऋषि
Shri Rohit Rishi



सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V



श्री धनराज टी
Shri Dhanaraj T



श्री दीपक सारडा
Shri Deepak Sarda



सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath

31.03.2023 को महाप्रबंधकगण
GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2023



श्री वेंकटेशा पेरुमाल पी
Shri Venkatesa Perumal P



श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur



सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव
Ms. Dipti Shrivastava



श्री बिजय कुमार षड़ंगी
Shri Bijay Kumar Sarangi



श्री गणेशरामन ए
Shri Ganesaraman A



श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik



श्री अमरेन्द्र कुमार साही
Shri Amarendra Kumar Shahi



श्री सुजय मल्लिक
Shri Sujay Mallik



श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta



श्री सुरेश कुमार एस
Shri Suresh Kumar S



श्री सुख सागर प्रसाद रॉय
Shri Sukh Sagar Prasad Roy



श्री जी राजेश्वर रेड्डी
Shri G Rajeswara Reddy



सुश्री गायत्री एस
Ms. Gayathri S



श्री मनोज कुमार दास
Shri Manoj Kumar Das



श्री पंकज त्रिपाठी
Shri Pankaj Tripathi



श्री मुल्लपुडि बालाजी सुरेश कुमार
Shri Mullapudi Balaji
Suresh Kumar

31.03.2023 को महाप्रबंधकगण
GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2023



श्री वेंकटेशन एम
Shri Venkatesan M



श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta



श्री नरेंद्र कुमार शर्मा
Shri Narendra Kumar Sharma



श्री सुब्रमणियन पी
Shri Subramanian P



श्री हिमांशु कंसल
Shri Himanshu Kansal



श्री राजेश कुमार सिंह
Shri Rajesh Kumar Singh



श्री चंद्रशेखर वी
Shri Chandrasekaran V



श्री महेंद्र बाजपेयी
Shri Mahendra Bajpai



श्री अमित चौधरी
Shri Amit Chaudhari



श्री सुनील जैन
Shri Sunil Jain



श्री रामकुमार दास
Shri Ram Kumar Das

बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का संक्षिप्त इतिहास A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

वी. कृष्णस्वामी अय्यर
इंडियन बैंक के संस्थापक



V. Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

- बैंक को 5 मार्च, 1907 को 20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। - वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने अपने प्रतीक के हिस्से के रूप में 'बरगद' वृक्ष को अपनाया था जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि का द्योतक था।	1907	Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907. - In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree 'Banyan' as a part of its emblem denoting an all around progress, growth (far and wide) and an ever increasing prosperity.
बैंक की पूंजी ₹20 लाख से बढ़कर ₹60 लाख हो गई।	1921	Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹20 lakhs.
- बैंक ने रजत जयंती मनाई। - बैंक ने कोलंबो में पहली विदेशी शाखा खोली।	1932	Bank celebrated its Silver Jubilee. - Bank opened its first overseas operations in Colombo.
सिंगापुर शाखा खोली गई।	1941	Singapore branch was opened.
बैंक ने स्वर्ण जयंती मनाई।	1957	Bank celebrated its Golden Jubilee.

• बैंक ने हीरक जयंती मनाई।	1967	• Bank celebrated its Diamond Jubilee.
• एक केंद्रीय बिंदु बनाते हुए तीन चक्रदार तीर के रूप में बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली।	1978	• Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved.
• बैंक ने प्लेटिनम जुबली मनाई।	1982	• Bank celebrated its Platinum Jubilee
• 157 शाखाओं वाले बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को बैंक के साथ समामेलित किया गया।	1990	• Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank.
• महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया।	2006	• The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri A P J Ab dul Kalam on 4th September.
• फरवरी, 2007 में बैंक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया।	2007	• Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007.
• 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया।	2008	• Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant.
• इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु ग्राम बैंक का परिचालन शुरू हुआ। • भारत सरकार ने इंडियन बैंक में 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक के समामेलन की घोषणा की।	2019	• 'Tamil Nadu Grama Bank' commenced operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank. • Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank - a bank with 155 years legacy into Indian Bank.
• बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 को समामेलित इकाई के रूप में परिचालन शुरू किया। दोनों बैंकों के सीबीएस सिस्टम का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया।	2020	• Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1 st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.
• बैंक का वैश्विक कारोबार ₹10 लाख करोड़ हुआ।	2022	• Bank's Global Business surpassed ₹ 10 lakh Cr.

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	8
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	11
कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	33
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	76
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	105
सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	106
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	107
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	112
• मुख्य लेखांकन नीतियां	123
• लेखों पर टिप्पणियां	128
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	172
समेकित वित्तीय विवरण:	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	180
• मुख्य लेखांकन नीतियां	191
• लेखों पर टिप्पणियां	199
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	219
बेसल III प्रकटीकरण	225

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
254-260 अट्वे षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै - 600 014
दूरभाष सं.: 044 2813 4484/4698
ई-मेल: investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट: इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
दूरभाष सं.: 044 28460718
ई-मेल: investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार

जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार

एस ए आर सी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार

एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक
वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

Annual Report 2022-23

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	1
Directors' Report	227
Management Discussion and Analysis	230
Business Responsibility & Sustainability Report	255
Report on Corporate Governance	306
Auditors' Certificate on Corporate Governance	339
Compliance Certificate by CEO and CFO	340
Secretarial Audit Report	341
Financial Statements – Indian Bank	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	346
• Significant Accounting Policies	356
• Notes on Accounts	363
• Auditors' Report	411
Consolidated Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	420
• Significant Accounting Policies	430
• Notes on Accounts	440
• Auditors' Report	462
Basel – III Disclosures	469

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai – 600 014
Tel No. 044 2813 4484/4698
E-Mail: investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai – 600 002
Tel No. 044 28460718
E-Mail: investor@cameoindia.com

Auditors

PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants

G NATESAN & CO.
Chartered Accountants

S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants

KAILASH CHAND JAIN & CO.
Chartered Accountants

S SINGHAL & CO.
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

V. SURESH ASSOCIATES
Practising Company Secretaries

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2022-23 निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

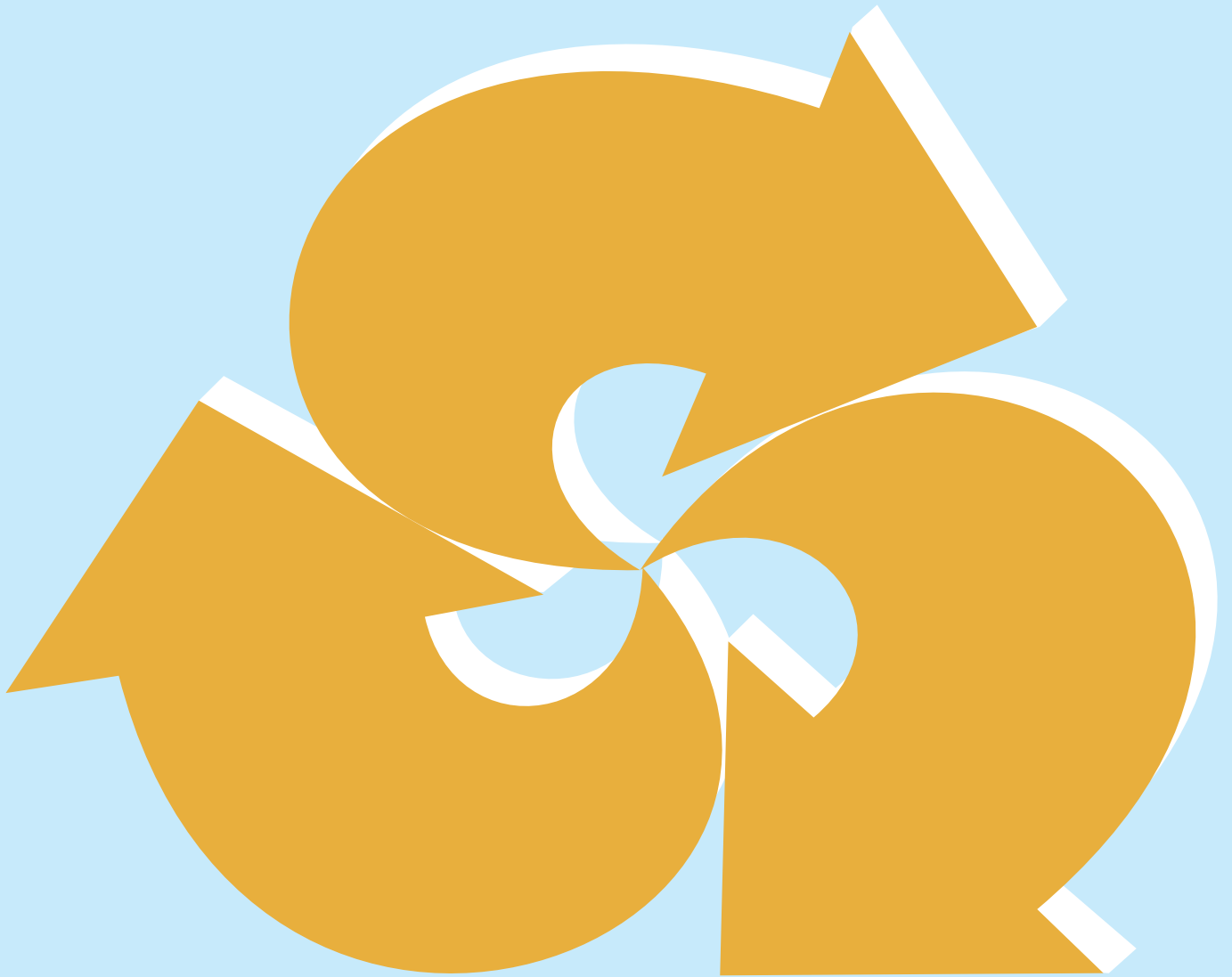
विवरण Particulars	31.03.19*	31.03.20*	31.03.21	31.03.22	31.03.23
कुल कारोबार Total Business	429972	466116	928388	1009243	1094752
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	242076	260226	538071	593618	621166
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	187896	205890	390317	415625	473586
निवेश (सकल) Investments (Gross)	66117	82622	181991	180235	189924
ब्याज आय Interest Income	19185	21405	39106	38856	44942
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1883	3312	5650**	6915	7143
कुल आय Total Income	21068	24717	44756**	45771	52085
ब्याज व्यय Interest Expenses	12167	13798	23440	22128	24717
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	4020	4421	10349	10926	12098
कुल व्यय Total Expenditure	16187	18219	33789	33054	36815
परिचालनगत लाभ Operating Profit	4881	6498	10967**	12717	15271
निवल लाभ Net Profit	322	753	3005	3945	5282
जमा लागत (%) Cost of Deposits (%)	5.28	5.34	4.44	3.97	4.09
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	8.45	8.46	7.45	7.21	7.76
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.96	2.87	2.81	2.93	3.37
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.12	0.26	0.50	0.63	0.77
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	480	609	1129	1245	1245
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	15813	18493	31528	36252	40620
निवल संपत्ति Net Worth	15785	18357	29812	33625	37431
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	7.11	6.87	9.85	8.47	5.95
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	3.75	3.13	3.37	2.27	0.90
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) Capital Adequacy Ratio (Basel III)	13.21	14.12	15.71	16.53	16.49
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	6.70	14.33	26.61	32.38	42.41
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	328.64	301.53	263.98	269.98	300.55
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	-	-	2.00	6.50	8.60
शाखाओं की संख्या No. of branches (Nos.)	2875	2890	6007	5735	5787
कर्मचारियों की संख्या No. of employees (Nos.)	19604	18758	41629	39803	40781
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	2174	2462	2217	2520	2661

*आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre- amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2020.

**जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है - वित्तीय विवरणों पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के आलोक में - प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण दिनांकित 30.08.21।

** Figures of earlier period have been regrouped wherever necessary to confirm the current year classification - In the light of RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated 30.08.21.





एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

S L Jain
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। वर्ष के दौरान बैंक के कारोबार में हुई वृद्धि और बैंक की उपलब्धियों एवं विभिन्न पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है। आपके बैंक का यह प्रदर्शन एक ऐसे आर्थिक दौर में आया है, जब दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक अप्रत्याशित मुद्रास्फीति और मौद्रिक सख्ती का सामना कर रही थी, जो आगे चलकर वैश्विक मंदी का कारण बना।

अब, प्रचलित वित्तीय इको-सिस्टम एवं वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था:

मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की असफलता, कठिन वित्तीय स्थितियों एवं निरंतर भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक आर्थिक गतिविधियां आघात-सह बनी हुई हैं। अब आपूर्ति-शृंखला के व्यवधान सामान्य हो रहे हैं तथा भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण ऊर्जा और खाद्य बाजारों में होने वाली अव्यवस्था भी समाप्त हो रही है। प्रायः केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में एक साथ उठाए गए कड़े कदमों के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं, जिससे मुद्रास्फीति अपने लक्षित स्तरों की ओर वापस लौट रही है।

Dear Shareholders,

I am pleased to present to you the performance highlights of your Bank for the financial year 2022-23. Business growth and the details of accomplishments and initiatives of the Bank are provided in the Annual Report for the year. The performance of your Bank came in an economic environment where the major economies around the world faced unprecedented inflation & monetary tightening, which led to global slowdown.

Now, let me begin with a short preview of the prevailing financial eco-system and the outlook for global and Indian economy.

Global Economy:

Global economic activity remains resilient amidst the persistence of inflation at elevated levels, debacle of banks in some advanced economies, tight financial conditions and continued geopolitical tensions. Now, the Supply-chain disruptions are normalising, the disorders to energy and food markets caused by the geo-political conflict are also receding. The synchronous tightening of monetary policy by most central banks have started bearing fruits, with inflation moving back toward its targeted levels.

हालांकि, बाह्य मांग में कमी, बैंकिंग संकट से उत्पन्न प्रभाव-विस्तार, अस्थिर पूंजी प्रवाह तथा कुछ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में आए ऋण संकट ने विकास की संभावनाओं पर दबाव डाला है, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह दौर थोड़ा सुस्त रहा। नतीजतन, आईएमएफ ने माह अप्रैल 2023 में अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक के माध्यम से वर्ष 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास को घटाकर 2.8% कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था:

कोविड-19, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण आदि जैसे कई आघातों के कारण, दुनिया भर में रिकॉर्ड मुद्रास्फीति देखी गई और इससे भारत को भी आयातित मुद्रास्फीति के व्यापक प्रभाव का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 23 के दौरान विभिन्न चरणों में नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की बढ़ोतरी की। पूरे वर्ष के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति उच्च बनी रही तथा वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान इसका संचयी प्रिंट 6.65% दर्ज की गई। हालांकि, अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 18 महीने के निचले स्तर वर्ष-दर-वर्ष 4.7% पर आ गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2023 के अपने एमपीसी बैठक में नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा।

विनिर्माण क्षेत्र एवं उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) वित्तीय वर्ष 23 में वर्ष-दर-वर्ष 5.14% तक गिर गया। वित्तीय वर्ष 22 के लिए, इसे 11.40% आंका गया था।

कैपेक्स पर सरकार के निरंतर दबाव, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में सुधार तथा गैर-खाद्य ऋण में तेजी से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को बल मिलता रहेगा। दूसरी ओर, भू-राजनीतिक तनावों की विपरीत परिस्थितियों, वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती तथा धीमी बाह्य मांग ने भारत के आर्थिक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 24 में सीपीआई चालित मुद्रास्फीति को 5.2% रहने तथा वास्तविक जीडीपी में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है।

बैंकिंग क्षेत्र

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र हमेशा से लचीला एवं पूर्ण रूप से पूंजीकृत रहा है तथा इस अर्थव्यवस्था में सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऋण की मांग देखी गई है। बैंकिंग क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों की सफलतापूर्वक पूर्ति की है।

बैंक का निष्पादन - वित्तीय वर्ष 23

इस पृष्ठभूमि में, मैं वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

However, weakened external demand, spill-overs from the banking crisis, volatile capital flows and debt distress in certain vulnerable economies weigh on growth prospects. Hence, the outlook for the global economy remained sluggish. Consequently, IMF through its Global Economic Outlook for the month of Apr'23 has revised the global economic growth downward to 2.8% for 2023.

Indian Economy:

Due to multiple shocks, e.g. COVID-19, Russia invasion of Ukraine etc., record inflation was observed across the globe and India also faced the cascading effect of imported inflations. To rein in the inflation, the RBI hiked the policy repo rate by 250 bps in different phases during the FY23. Throughout the year domestic inflation remained elevated, its cumulative print was recorded at 6.65% during FY23. However, India's retail inflation eased to an 18-months low at 4.7% YoY in Apr'23. In its Apr'23 MPC meet, the RBI kept the policy rate unchanged.

India's Industrial Production (IIP) growth fell to 5.14% YoY in FY23 due to subdued performance of manufacturing sector & consumer goods segment. For FY22, it was measured at 11.40%.

The Government's continued thrust on capex, improvement in capacity utilisation in manufacturing and pick-up in non-food credit may sustain the expansion in industrial activity. On the other hand, headwinds from geopolitical tensions, tightening global financial conditions and the slowing external demand pose downside risks to India's economic growth. The RBI projected real GDP to grow at 6.5% and CPI led inflation at 5.2% for FY24.

Banking Sector

The Indian Banking sector remained resilient & well capitalised and demand for credit from almost all the major sectors of the economy was seen. The banking sector successfully catered to the needs of the economy.

Bank's Performance - FY23

Against this background, I would like to present a synopsis of the Bank's performance during FY23.

कारोबार संबंधी आंकड़े:

- बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष 8% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹10.95 लाख करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया। यह सकल अग्रिमों में 14% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि एवं जमाओं में 5% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारण संभव हुआ। एसबी जमाओं में 7% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक की कासा जमाओं में 5% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होने से यह ₹2.61 लाख करोड़ (₹2,60,809 करोड़) रही। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी कुल जमाओं में कासा की हिस्सेदारी 42% रही।
- बैंक ने विविध क्षेत्रों में ऋण प्रदान किए हैं एवं इनमें 61% हिस्सेदारी रैम (रिटेल, एग्री एवं एमएसएमई) अग्रिमों की है। रैम अग्रिमों के हर क्षेत्र यथा खुदरा, कृषि व एमएसएमई में क्रमशः 13%, 16% व 7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान कॉर्पोरेट ऋण में 12% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि होने से यह ₹1,71,242 करोड़ रहा।
- आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्य 40% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 44.26% रहा। अनिवार्य लक्ष्य 18% के मुकाबले कृषि ऋण एएनबीसी का 19.27% रहा।
- 31 मार्च 2023 को एसएचजी की बकाया ऋण राशि 44% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹13,719 करोड़ तक पहुंच गई जिसमें 4.57 लाख एसएचजी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹9,524 करोड़ थी।

आय और लाभप्रदता:

- बैंक की निवल ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष 21% की वृद्धि हुई।
- बैंक की फीस आधारित आय 16% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹2,969 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 23 में राइट-ऑफ खातों में रिकवरी वर्ष-दर-वर्ष 33% बढ़कर ₹2,155 करोड़ हो गई।
- वित्तीय वर्ष 22 में ₹12,717 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में परिचालन लाभ 20% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹15,271 करोड़ हो गया।
- वित्तीय वर्ष 22 में ₹3,945 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में निवल लाभ 34% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹5,282 करोड़ हो गया।
- वित्तीय वर्ष 22 में 0.63% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 0.77% रहा।
- वित्तीय वर्ष 22 में 12.13% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में निवल मालियत पर प्रतिलाभ (आरओई) वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 14.73% रहा।

Business Figure:

- Bank achieved the gross business of ₹10.95 Lakh Cr, witnessing YoY growth of 8%. This was driven by 14% YoY growth in Gross advances and 5% YoY growth in deposits. The YoY growth in SB deposits was at 7%.
- Bank's CASA deposits increased by 5% YoY to ₹2.61 lakh Cr (₹2,60,809 Cr) in FY23. The CASA share to total deposits continued to remain around 42%, as in the previous year.
- Bank has a well-diversified credit book constituting 61% share of RAM (Retail, Agri & MSME) advances. The growth in the RAM advances has been observed in all the sectors i.e., Retail, Agriculture and MSME advances grew by 13%, 16% and 7% YoY respectively.
- The Corporate loan book grew by 12% YoY to ₹1,71,242 Cr in FY23.
- Priority Sector Advances stood at 44.26% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in FY23 as against the RBI's mandatory target of 40%. Agriculture Credit stood at 19.27% of ANBC as against the mandatory target of 18%.
- The outstanding loan amount to SHGs grew by 44% YoY to reach ₹13,719 Cr involving 4.57 lakh SHGs as on 31st Mar'23 as against ₹9,524 Cr in the previous year.

Earnings and Profitability:

- Net Interest Income of the Bank registered a growth of 21% YoY.
- Fee based income of the Bank grew by 16% YoY to ₹2,969 Cr. Recovery in written-off accounts improved by 33% YoY to ₹2,155 Cr in FY23.
- Operating Profit recorded a YoY growth of 20% to reach ₹15,271 Cr as compared to ₹12,717 Cr in the previous year.
- Net Profit of the Bank grew by 34% YoY to ₹5,282 Cr in FY23 as against ₹3,945 Cr in FY22.
- Return on Assets (RoA) improved to 0.77% in FY23 from 0.63% a year ago.
- Return on Average Net worth (RoE) increased to 14.73% in FY23 from 12.13% in FY22.

- वित्तीय वर्ष 23 के लिए आय-प्रति-शेयर (ईपीएस) एक साल पहले ₹32.38 से बढ़कर ₹42.41 हो गई।
- वित्तीय वर्ष 22 में 2.91% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23 में घरेलू निवल ब्याज मार्जिन 50 बीपीएस बढ़कर 3.41% रहा।
- पिछले वर्ष के 46.21% की तुलना में वित्तीय वर्ष 23 में आय पर लागत अनुपात 201 बीपीएस घटकर 44.20% हो गया।

आस्ति गुणवत्ता:

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) पिछले वित्तीय वर्ष के 8.47% के सापेक्ष 252 बीपीएस की गिरावट के साथ 5.95% तक घटकर वित्तीय वर्ष 23 में ₹28,180 करोड़ हो गई।
- निवल एनपीए भी वित्तीय वर्ष 22 में 2.27% के सापेक्ष 137 बीपीएस की गिरावट के साथ ₹4,044 करोड़ हो गई और यह 31 मार्च 2023 को 0.90% थी।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर, टीडब्ल्यूओ सहित) वित्तीय वर्ष 22 में 87.38% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में 93.82% हो गया।
- कुल वसूली पिछले वर्ष ₹7,115 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में ₹8,504 करोड़ हो गया।

मजबूत पूंजी संरचना:

बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2023 को 16.49% के स्तर पर थी, जिसमें टियर-I पूंजी 13.48% थी।

मार्च 31, 2023 तक बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 79.86% थी। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 23 के लिए ₹8.60 प्रति इक्विटी शेयर (86%) के लाभांश की सिफारिश की है।

बैंक नेटवर्क:

वर्तमान में, बैंक का भारत में एक व्यापक ग्राहक संपर्क-केंद्र है, जिसमें 5,787 घरेलू शाखाएं, 3 विदेशी शाखाएं, 1 आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू), 4,929 एटीएम और बीएनए और 10,750 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) शामिल हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- अगस्त 2022 में बैंक को फाइनेंसियल एक्सप्रेस, "अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 2020-21" प्राप्त हुआ।
- अप्रैल 2023 में बैंक, वैश्विक मंदी के बीच विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रांड श्रेणी में बीएफएसआई अवार्ड 2023 का विजेता बना।

- Earnings-per-Share (EPS) for FY23 improved to ₹42.41 from ₹32.38 a year ago.
- Domestic NIM of the Bank improved by 50 bps to 3.41% in FY23 as against 2.91% in FY22.
- Cost to income ratio reduced by 201 bps to 44.20% in FY23 as against 46.21% in the last year.

Asset Quality:

- Gross Non-Performing Assets (GNPA) reduced by 252 bps to 5.95% at ₹28,180 Cr in FY23 as against 8.47% in the previous financial year.
- Net NPA also declined by 137 bps to 0.90% at ₹4,044 Cr as on March 31st 2023 as against 2.27% in FY22.
- Provision Coverage Ratio (PCR, including TWO) improved to 93.82% in FY23 from 87.38% in FY22.
- Total recovery during FY23 increased to ₹8,504 Cr from ₹7,115 Cr a year ago.

Sound Capital Structure:

Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank computed as per Basel III guidelines stood at 16.49% in Mar'23, with Tier-I Capital at 13.48%.

The share of Government of India in the Bank was 79.86% as on 31st Mar'23.

The Board of Directors has recommended a dividend of ₹8.60 per equity share (86%) for FY23.

Bank's Footprint:

Currently, the Bank has an extensive customer touch-points across India, comprising 5,787 domestic branches, 3 overseas branches, 1 IFSC Banking Unit (IBU), 4,929 ATMs & BNAs and 10,750 Business Correspondents (BCs).

Awards & Recognition:

- Bank received the Financial Express, "Award for Best Public Sector Bank 2020-21" in Aug'22.
- Bank emerged as the winner in BFSI Award 2023 in Best Brand category for spurring growth amidst global slowdown by the Economic Times.

- मार्च 2023 में इंडियन बैंक को प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दुबई में यूई के माननीय मंत्री द्वारा "गोल्डन पीकोक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2023" प्रदान किया गया।
- सूचना के प्रसार में सर्वोत्तम प्रयास के लिए बैंक ने अप्रैल 2023 में "सीजीटीएमएसई अचीवमेंट अवार्ड वित्तीय वर्ष 2022-23" जीता।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए अटल पेंशन योजना नामांकन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- बैंक को नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए तमिलनाडु में एसएचजी-बैंक लिंकेज के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड प्राप्त हुआ।
- जनवरी 2023 में बैंक को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 14वें एसएफबीसीके बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड, 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु द्वितीय उत्कृष्ट बैंक के रूप में सम्मानित किया गया।
- मिनट डबल्यू3 अवार्ड्स के दौरान फरवरी 2023 में बैंक को कंपनी ऑफ द ईयर घोषित किया गया।

वित्तीय समावेशन पहल:

- मार्च 2023 तक बैंक के पास 205 लाख पीएमजेडीवाई खाते थे जिनमें बकाया शेष ₹9,342 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि में 23% की वृद्धि हुई है।
- बैंकिंग उद्योग के औसत ₹4,087 की तुलना में बैंक का प्रति पीएमजेडीवाई खाता औसत ₹4,557 रहा है। बैंक ने लगभग 56% खातों में रु-पे कार्ड भी जारी किए हैं।
- बैंक ने एपीवाई में प्रति शाखा 117 के उच्चतम औसत खाते के साथ 6.86 लाख नए नामांकन प्राप्त किए।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- डिजिटल बैंकिंग ने अधिक सुविधापरक, सुलभ और सुरक्षित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के क्रम में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पारंपरिक बैंकिंग में क्रांति ला दी है। वित्तीय वर्ष 23 की चौथी तिमाही के दौरान, बैंक का 85% लेनदेन विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही के दौरान 77% लेनदेन किया गया था।
- बैंक के मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता जो वित्तीय वर्ष 22 में 68 लाख थे, वित्तीय वर्ष 23 में बढ़कर 115 लाख हो गए, जबकि इस अवधि के दौरान मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में 72% की वृद्धि हुई है।
- यूपीआई उपयोगकर्ताओं की संख्या 27% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 128 लाख हो गई, जबकि यूपीआई लेनदेन वित्तीय वर्ष 23 में 109% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

- Bank received the "Golden Peacock National Training Award-2023" for excellence in training practices from Hon'ble Minister of UAE at Dubai.
- Bank bagged "CGTMSE Achievement Award FY23" for best efforts in information dissemination.
- Bank ranked at 2nd Position in ATAL Pension Yojana Enrolments for FY22
- Bank bagged the Best Performing Bank Award in Tamil Nadu for SHG-Bank Linkage Programme for FY21-22 from NABARD.
- Bank has been awarded as the 2nd Best Bank at National Level Award at 14th SFBCK Banking Excellence Awards, 2021-22 by the former President of India Shri Ramnath Kovind in Jan'23.
- Bank was adjudged the Company of the Year at Mint W3 awards 2023.

Financial Inclusion Initiatives:

- The Bank is having 205 lakh PMJDY accounts as in Mar'23 in which the outstanding balance stood at ₹9342 Cr. The balance in PMJDY accounts has grown by 23% over the previous year.
- Balance per PMJDY account of the bank stood at ₹4,557 in comparison to industry average of ₹4,087. Bank has also issued Ru-Pay cards to around 56% of the accounts.
- Bank garnered 6.86 lakh fresh enrolments with highest ever average account per branch of 117 in APY.

Leveraging Technology

- Digital Banking has revolutionised traditional banking by leveraging technology to offer more convenient, accessible and secure financial services. During Q4FY23, 85% of the Bank's transactions were carried out through various digital channels as against 77% during Q4FY22.
- Mobile banking users of the bank increased to 115 lakh in FY23 as against 68 lakh in FY22, while the transactions increased by 72% YoY during the period.

मानव संसाधन पहल:

- एक सकारात्मक कार्यालयी परिवेश को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमने अपने कर्मचारियों का सहयोग प्रदान करने के लिए कई एचआर पहलों को लागू किया है, जैसे जॉब फैमिली कॉन्सेप्ट को लागू करना, क्षमता निर्माण पहल आदि।
- बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्षेत्रों में तैनात 36,652 कर्मचारियों को सशक्त और कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है। 908 डिजिटल बैंकिंग चैंपियन को डिजिटल चैनलों पर अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- बैंक ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) शुरू की है ताकि हमारे अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन किया जा सके और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) के द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण रूप से समग्र विकास के लिए प्रेरित किया जा सके।
- हम स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों, तनाव प्रबंधन कार्यशालाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों और पहलों के द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता देते हैं। हमारे कर्मचारियों की सेवा करने के हमारे प्रयास में, बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श के लिए मैसर्स प्रैक्टो के साथ अपना टाई-अप जारी रखा है।

नई पहल:

- "प्रोजेक्ट-वेव" (वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियन्स) के तहत बैंक ने विभिन्न डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं।
- अब कोई भी ग्राहक कृषि स्वर्ण आभूषण ऋण, शिशु मुद्रा ऋण और वैयक्तिक ऋण के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकता है। ग्राहक एमएसएमई और केसीसी ऋण का नवीकरण भी कर सकते हैं, मीयादी जमा और बचत खाता डिजिटल रूप से खोल सकते हैं।
- बैंक ने कम लागत वाली जमाराशियों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में सम्मानित कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों को अनुकूलित सेवा सुनिश्चित करने के लिए देयता वर्टिकल स्थापित किए हैं।
- बैंक ने प्रोजेक्ट इंड लीप की शुरुआत की है, जो केंद्रीकरण, मानकीकरण, स्वचालन, कुशल प्रसंस्करण और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर आधारित एक बेहतर ऑपरेटिंग मॉडल है। परियोजना के तहत व्यवसाय वृद्धि के लिए पिन कोड स्तर पर सूक्ष्म बाजार रणनीति लागू की गई है। यह ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं और उभरते अवसरों को पूरा करने के लिए एक परिवर्तन प्रक्रिया है।

- Number of UPI users increased by 27% YoY to 128 lakh, while the UPI transactions surged by 109% YoY in FY 23.

HR Initiatives:

- As part of our commitment to foster a positive work environment, we have implemented several HR initiatives to support our staff, viz., implementation of job family concept, capacity building initiatives etc.
- Bank has conducted trainings for the 36,652 employees posted in different verticals during the year for empowering and skilling them. 908 Digital banking champions have been assigned the responsibility of on-boarding more and more customers on the digital channels.
- The Bank has launched Performance Management System (PMS) to gauge the performance of our officers and motivate them for focused overall growth by assigning Key Performance Indicator (KPIs).
- We also prioritize employee well-being by offering wellness programs and initiatives, including health and fitness activities, stress management workshops, and mental health support. In our endeavour to serve our employees, the Bank has continued its tie-up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for the serving and retired staff members.

New Initiatives:

- Under the umbrella of "Project-WAVE" (World of Advanced Virtual Experience) the Bank has launched various digital journeys.
- Now one can digitally apply for Agri jewel loan, Shishu Mudra loan & Personal loan. Customers can also renew MSME & KCC loans, open fixed deposits and savings account digitally.
- To garner low cost deposits, Bank has set-up liability verticals in major cities of India to ensure customized service to esteemed corporates and Government departments.
- Bank has introduced PROJECT IND LEAP, which is an improved operating model based on centralisation, standardisation, automation, efficient processing & economies of scale. Under the project, micro-market strategy has been implemented at pin code level for business growth. It is a transformation journey to address evolving customer expectations and emerging opportunities.

आगामी रणनीति:

इंडियन बैंक में, हम ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ औद्योगिक कार्य प्रणाली अपना रहे हैं। हम अपनी पेशकशों में नवाचार और प्रौद्योगिकी लाकर उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हम, अपने ग्राहकों की पसंद के चैनलों के माध्यम से उनकी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे।

आभार

मैं अपने शेयरधारकों को, बैंक के प्रति उनके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने जो सफलता अर्जित की है, वह कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण, हमारे ग्राहकों की निष्ठा और हमारे सम्माननीय शेयरधारकों के भरोसे और विश्वास का परिणाम है। हम बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करने एवं अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

मैं, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, हमारे सभी सम्माननीय शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को बैंक के सभी प्रयासों में निरंतर विश्वास रखने एवं उसे अपना समर्थन देने के लिए, आभार व्यक्त करता हूँ। हम आगे भी इसी प्रकार आपके समर्थन, सद्भावना और संरक्षण की कामना करते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

एस एल जैन

एमडी एवं सीईओ

Way Forward:

At, Indian Bank, we are adopting best in class industry practices to address evolving customer expectations. We are committed to deliver excellence in financial services by bringing innovation & technology in our offerings and will continue to be responsive to the needs of our customers through the channel of their choices.

Acknowledgement

I would like to thank our shareholders for their unwavering support and confidence in the Bank. The success we have achieved is a result of the hard work & dedication of the employees, the loyalty of our customers and the trust & confidence of our valued shareholders. We remain committed to delivering superior financial performance and creating value for our stakeholders.

I also wish to sincerely thank the Government of India, Reserve Bank of India, all our valuable shareholders and other stakeholders for their continued confidence and support to the Bank in all its endeavours. We would continue to look forward for your support, goodwill and patronage.

With best wishes,

Yours sincerely,

S L Jain

MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

सेवा में

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को बैंक के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

प्रमुख वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विवरणियाँ निम्नानुसार हैं

ए) संसाधन जुटाना और अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.22	31.03.23	वर्ष दर वर्ष (%)
देशी जमाएं	584661	608027	4.00
जिसमें से चालू	35969	35366	-1.68
बचत	211120	224873	6.51
कासा	247089	260239	5.32
कासा मिश्रण (%)	42.26	42.80	54 bps
विदेशी जमाएं	8957	13139	46.68
वैश्विक जमाएं	593618	621166	4.64
देशी अग्रिम (सकल)	395698	443921	12.19
विदेशी अग्रिम (सकल)	19927	29665	48.87
कुल अग्रिम (सकल)	415625	473586	13.95
कुल कारोबार	1009242	1094752	8.47
कुल आस्तियां	671668	710501	5.78

1. मार्च 2023 में वैश्विक जमा राशि में 4.64 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई और यह ₹ 6,21,166 करोड़ हो गया है।
2. घरेलू कासा 5.32 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,60,239 करोड़ हुआ। कासा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 23 के दौरान 38,98,084 करोड़ नए कासा खाते खोले गए हैं (जिसमें की बीएसबीडी बचत खाते शामिल नहीं हैं)।
3. बैंक की सकल अग्रिम (ग्लोबल) में 31 मार्च 2022 की रु. 4,15,625 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को 13.95 प्रतिशत वर्ष - दर - वर्ष की वृद्धि से रु. 4,73,586 करोड़ हो गई।
4. 31.03.2023 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम की राशि रूपए 1,52,992 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2023 में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 40.00 प्रतिशत अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 44.26 प्रतिशत रहा।

5. कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रूपए 66.607 करोड़ रहे और त्रैमासिक औसत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 19.27 प्रतिशत रहा।
6. वित्तीय वर्ष 23 के दौरान आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
7. 31 मार्च 2023 को सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः ₹ 28,180 करोड़ (5.95 प्रतिशत) और ₹ 4,043 करोड़ (0.90 प्रतिशत) था। जबकि 31 मार्च 2022 में यह क्रमशः ₹ 35,214 करोड़ (8.47 प्रतिशत) और ₹ 8,849 करोड़ (2.27 प्रतिशत) था।
8. वित्तीय वर्ष 23 के दौरान एनपीए की कुल वसूली (एयूसी खाते एवं एमओआई में वसूली सहित) पिछले वर्ष के ₹ 5,542 करोड़ की तुलना में ₹ 7,358 करोड़ रही।
9. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान डूबंत कर्ज में वसूली वित्तीय वर्ष 2022 के ₹ 1,612 करोड़ के सापेक्ष में 2,177 करोड़ रही।
10. वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 644 बीपीएस बढ़कर 93.82 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह 87.38 प्रतिशत था।
11. 31 मार्च, 2023 तक बैंक की 5,787 घरेलू शाखाओं, 3 विदेशी शाखाओं और 1 आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (गिफ्ट सिटी) का नेटवर्क है, जिससे कुल शाखा नेटवर्क 5,791 हो गया है।
12. कुल एटीएम एवं बीएनए की संख्या 4929 रही, जिसमें 591 ऑफसाइट एटीएम/बीएनए व 2 मोबाइल एटीएम शामिल हैं।
13. 31 मार्च, 2023 तक 2914 स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किए गए।

बी. आय एवं व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.22	31.03.23	वर्ष दर वर्ष (%)
अर्जित ब्याज	38856	44942	15.66
व्यय किया गया ब्याज	22128	24717	11.70
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	16728	20225	20.91
अन्य आय	6915	7143	3.30
जिसमें से - शुल्क आय	2555	2969	16.20
निवेश के विक्रय पर लाभ	1626	381	-76.57
डूबंत कर्ज की वसूली	1612	2177	35.05
परिचालन राजस्व (एनआईआई+ अन्य आय)	23643	27369	15.75
परिचालन व्यय	10926	12098	10.72

विवरण	31.03.22	31.03.23	वर्ष दर वर्ष (%)
जिसमें से - कर्मचारी व्यय	6695	7527	12.41
अन्य परिचालनगत व्यय	4231	4571	8.01
परिचालनगत लाभ	12717	15271	20.08
प्रावधान	8772	9989	13.87
जिसमें से - एनपीए के लिए प्रावधान (एनपीआई सहित)	8557	6921	-19.11
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	962	2295	139
कर के लिए प्रावधान	(741)	633	-
निवल लाभ	3945	5282	33.89

31 मार्च, 2023 तक

- बैंक की कुल आय में 13.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹ 52,085 करोड़ रही जिसमें ब्याज आय ₹ 44,942 करोड़ और अन्य आय ₹ 7,143 करोड़ थी।
- बैंक के कुल व्यय में 11.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 36,185 करोड़ रुपये रहा, जिसमें ब्याज व्यय 24,717 करोड़ रुपये और परिचालन व्यय 12,098 करोड़ रुपये था।
- बैंक के परिचालन लाभ और निवल लाभ में क्रमशः 20% और 34% की वृद्धि देखी गई और यह क्रमशः ₹ 15,271 करोड़ और ₹ 5,282 करोड़ रहा। (वित्त वर्ष 2022 के लिए यह क्रमशः ₹ 12,717 करोड़ और ₹ 3,945 करोड़ था)।

सी. मार्च, 2023 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं: (प्रतिशत में)

मापदंड	31.03.22	31.03.23
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	7.21	7.76
जमा लागत	3.97	4.09
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.63	0.77
इक्विटी पर प्रतिलाभ	12.13	14.73
निवल ब्याज मार्जिन	2.93	3.37
लागत-आय अनुपात	46.21	44.20
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (लाख में)	2252	2355
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	9.91	12.95

डी. निवल मालियत एवं सीआरएआर

- 31 मार्च, 2023 को बैंक की निवल मालियत ₹ 37431 करोड़ रही जबकि 31 मार्च, 2022 में यह ₹ 33625 करोड़ रही।

- बेसल III मानदंडों के अनुसार, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पूंजी 11.50% की नियामक आवश्यकता के सापेक्ष में 31 मार्च, 2023 को 16.49% रही, जबकि मार्च 31, 2022 में यह 16.53% थी। सीईटी-1 अनुपात 8.00% की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 12.89% रहा जबकि मार्च 31, 2022 में यह 12.53% थी। 31 मार्च 2023 को टीयर-1 पूंजी सीआरएआर 13.48% रहा।

(प्रतिशत में)

बेसल III	निम्न तारीख को	
	31.03.2022	31.03.2023
सीईटी - I	12.53	12.89
टीयर I - पूंजी	13.17	13.48
टीयर II - पूंजी	3.36	3.01
कुल	16.53	16.49

ई. भर्ती/प्रशिक्षण

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा/अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एफ. वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन:

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियुक्त/नामित किया गया है।

- श्री संजीव कौशिक 13.09.2022 तक बैंक के भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक थे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 14.09.2022 की अधिसूचना के तहत श्री संजीव कौशिक के स्थान पर भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में डॉ एम पी तंगिराला को नामित किया।
- श्री महेश कुमार बजाज को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, दिनांक 21.11.2022 की अधिसूचना द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

जी. निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय:

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2023 तक बैंक के लाभ का सटीक चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।

4. भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रेकॉर्ड को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
5. लेखों को मौजूदा स्थितियाँ के संज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है।

एच. आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड

वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड श्री संजीव कौशिक जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ी, के द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(एस. एल. जैन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- हाल के वर्षों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, अप्रत्याशित रूप में प्रकट हुआ। सामान की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और आपूर्ति में व्यवधान के कारण अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण, प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रखा है, जिसमें अब थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है।
- ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि कर मुद्रास्फीति को नीचे की ओर ले जाना और आर्थिक गतिविधि को धीमा करने का प्रयास, वित्तीय प्रणाली के कुछ हिस्सों में दबाव उत्पन्न कर चुके हैं जिससे वित्तीय स्थिरता की चिंता बढ़ गई है। मार्च, 23 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दो बैंकों की अप्रत्याशित विफलताओं और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बैंक के रूप में क्रेडिट सुइस के प्रति विश्वास में कमी ने वित्तीय बाजारों को गहरा आघात पहुंचाया है, बैंक जमाकर्ताओं और निवेशकों ने अपनी धारिताओं की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया है और संस्थानों और निवेशों को असुरक्षित मानते हुए इससे विमुख हो रहे हैं।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद ऊर्जा की कीमतों में हुई वृद्धि का मूल प्रभाव अब कम हो रहा है, जिससे मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है और अन्य वस्तुओं की कीमतों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य कीमतों में भी कमी आई है। चीनी अर्थव्यवस्था का फिर से खुलना और अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति का सामान्य होना, वैश्विक विकास के लिए अच्छा संकेत है।
- इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफ ने अप्रैल, 23 में जारी अपने "विश्व आर्थिक आउटलुक" में 2023 के लिए 2.8% और 2024 के लिए 3% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- विगत तिमाहियों में मंद वृद्धि के बावजूद, भारत को अभी भी 2023 में विकास के प्रमुख स्तम्भ में से एक होने की संभावना है, जिसका कारण मजबूत घरेलू मांग और सरकारी व्यय है।
- सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, विनिर्माण के क्षमता उपयोग में वृद्धि, दो अंकों की ऋण वृद्धि और सामान की कीमतों में कमी पर जोर दिए जाने से विनिर्माण और निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- अधिकांश घरेलू उच्च आवृत्ति संकेतकों ने वित्त वर्ष 23 में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) ने वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्माण और सेवाएं दोनों में निरंतर विस्तार की ओर इशारा किया है। हालांकि उच्च बेरोजगारी दर भारत के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है, जो अप्रैल'23 में 8.11% थी।
- सरकारी पहल से भारत को विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है। फिर भी, बाहरी चुनौतियाँ, जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक तंगी, ऐसे कारक हैं जो देश के विकास को प्रभावित कर सकते हैं।

- भारतीय रुपया कैलेंडर वर्ष 2022 में एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है और 2023 में भी ऐसा ही बना रहेगा। यह घरेलू वृहद आर्थिक तत्वों की ताकत और वैश्विक प्रभाव विस्तार में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है।
- हालांकि वित्त वर्ष 23 के लिए संचयी खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) 6.65% थी, जो कि आरबीआई के 6% के ऊपरी सहन सीमा के ठीक ऊपर थी, अप्रैल'23 में यह 18 महीने के निचले स्तर वर्ष-दर-वर्ष 4.7% पर आ गई, साथ ही कोर मुद्रास्फीति में भी कई महीनों तक कमी आई।
- उच्च मुद्रास्फीति तथा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी के प्रभाव भी भारत के आर्थिक कार्य निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% और वित्त वर्ष 24 के लिए 6.5% अनुमानित है।

केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 24

- वित्तीय वर्ष 24 तक भारत सरकार का बकाया आंतरिक और बाहरी ऋण तथा अन्य देनदारियां वित्तीय वर्ष 23 के ₹152.61 लाख करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष 11% बढ़कर ₹169.47 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है।
- उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपये और कुल खर्च 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर की प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- वित्तीय वर्ष 24 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधार ₹11.8 लाख करोड़ अनुमानित है। सकल बाजार उधार ₹15.4 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
- देश में करदाताओं की प्रयोज्य आय में सुधार के लिए केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 24 के प्रयासों से विवेकाधीन खर्च में वृद्धि के माध्यम से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट द्वारा प्रदान किए गए मजबूत पूंजीगत व्यय, परिव्यय में वृद्धि के साथ विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
- सरकार द्वारा 39,000 से अधिक अनुपालनों में कमी और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण किए जाने से भी देश में व्यापार करने में सुविधा होगी। वित्तीय बाजारों में मजबूत ऋण वृद्धि और लचीलेपन से एक ऐसा वातावरण बनने की उम्मीद है जो निवेश को बढ़ावा देगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा भी एकल खाते के लिए ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹9 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा सीमा में वृद्धि समाज के बुजुर्ग वर्गों के जीवन स्तर को उच्च करने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है।

- मार्च 25 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव अंततः बचत दर में सुधार करने में देश की मदद करेगा।
- केंद्रीय बजट से पता चलता है कि वित्त वर्ष 24 में पूंजी निवेश परिव्यय जीडीपी का 3.3% होगा। यह 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजी परिव्यय और नियोजित व्यय के लिए उच्च आबंटन से पूंजीगत उपकरण और निर्माण मशीनरी की मांग बढ़ सकती है।
- पीएम-आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर ₹79,000 करोड़ किया गया और इससे किफायती घरों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और आवास ऋण को गति मिल सकती है।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नया रूप दिया गया और घोषणा किया गया कि यह योजना ₹9,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। सरकार के इस कदम से लेनदारों का विश्वास बढ़ सकता है, जिससे उच्च ऋण संवितरण, अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण और धन की लागत कम हो सकती है।
- अब से, नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत पहले के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी है। कर में बुनियादी छूट की सीमा को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। कर व्यवस्था में परिवर्तन जनता के हाथों में अतिरिक्त प्रयोज्य आय प्रदान करेगा, जिससे उपभोग और आर्थिक विकास में सुधार होगा।
- बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि मध्यम अवधि के राजकोषीय स्थिरता के पालन का संकेत देते हुए, संभावित विकास में सुधार के लिए राजकोषीय आवेग को अधिकतम किया जाए। व्यय के तहत ग्रामीण, कल्याण, बुनियादी ढांचे, पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं) और ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान रहा है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 23 को आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 23 में श्रृंखलाबद्ध बढ़ोतरी के बाद नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। यह उम्मीद की जा सकती है कि ब्याज दरें मौजूदा स्तरों से काफी कम होने की संभावना है और बॉण्ड के क्षेत्र में इस वर्ष अच्छा निष्पादन होगा और कूपन दरों के ऊपर पूंजीगत लाभ उत्पन्न होंगे।
- वित्तीय कमजोरियों की उत्पत्ति को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए वृहत और सूक्ष्म विवेकपूर्ण उपाय अब केवल लक्षणों से निपटने के बजाय मूल कारण की पहचान करने पर अधिक ध्यान दे रहा है।

आरबीआई द्वारा हाल में की गई पहल

- आरबीआई ने निर्णय लिया है कि ऋण की चुकौती में देरी / चूक या उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तों के किसी भी अन्य गैर-अनुपालन के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से 'दंड शुल्क' के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो कि अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। यह शुल्कों के संरेखण में

अधिक एकरूपता, ग्राहकों की शिकायतों में कमी और बेहतर ऋण अनुशासन लाएगा।

- यूपीआई भुगतान भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए सार्वभौमिक भुगतान साधन बन गया है। आरबीआई ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान मर्चेट पेमेंट्स (पी2एम) के लिए यूपीआई एक्सेस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। शुरुआत में, यह सुविधा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले जी20 देशों के यात्रियों को दी गई है। यह कदम भारत में भुगतान प्रणाली को और मजबूत करेगा और दुनिया को इस इंटरफेस की क्षमता से अवगत करेगा।
- बैंकों को निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने 23% की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा के विस्तार को 31 मार्च 24 तक बढ़ाने का फैसला किया। बैंकों को अब बढ़ी हुई एचटीएम सीमा में 1 सितंबर 20 और 31 मार्च 24 के बीच अधिग्रहित प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। इससे बैंकिंग प्रणाली को मार्क-टू-मार्केट जोखिम को प्रभावित किए बिना बॉण्ड की भारी आपूर्ति को अवशोषित करने में मदद मिलेगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋणों में/से अंतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार करने की पहल की है। दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क बैंकों से ऋण द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। यह इस तरह के उत्पाद लागत को कम कर सकता है और भारतीय बाजारों के लिए अनूठे उत्पादों के नवाचारों को प्रोत्साहित कर सकता है।

3. बैंकिंग क्षेत्र

- 24 मार्च 2023 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा राशि वर्ष-दर-वर्ष 9.6% बढ़कर ₹180.43 लाख करोड़ हो गई।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण संविभाग में हाल की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो ऋण गतिविधियों में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस वृद्धि से कई कारकों को लाभ मिल सकता है, जिसमें आर्थिक वातावरण में सुधार, ऋणों के लिए उच्च उपभोक्ता मांग आदि शामिल हैं।
- गैर-खाद्य बैंक ऋण के तहत एक वर्ष पहले 9.7% के सापेक्ष मार्च 23 में 15.4% की वृद्धि दर्ज की। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण मार्च 23 में वर्ष-दर-वर्ष 15.4% बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यह 9.9% था। बैंक ऋण में इस वृद्धि ने एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का संकेत दिया जिसने आर्थिक विकास में सहयोग किया।
- उद्योग के लिए मार्च '22 में ऋण वर्ष-दर-वर्ष 7.5% के सापेक्ष मार्च '23 में वर्ष-दर-वर्ष 5.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। आकार-वार बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में एक वर्ष पहले के 2% की तुलना में 3% की वृद्धि हुई। मध्यम उद्योगों के लिए ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 54.4% के सापेक्ष 19.6% थी। मार्च 23 में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' के लिए बेहतर क्रेडिट ऑफ़सेट के कारण सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि एक वर्ष पहले के वर्ष-दर-वर्ष 8.7% से बढ़कर मार्च 23 मार्च में वर्ष-दर-वर्ष 19.8% हो गई।

- व्यक्तिगत ऋण में एक वर्ष पहले के वर्ष-दर-वर्ष 12.6% के सापेक्ष मार्च '23 में वर्ष-दर-वर्ष 20.6% की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से 'आवास ऋण' के कारण बढ़ी है।
- जब से आरबीआई ने 2020 में कोविड-19 संकट से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आपातकालीन उपाय किए, तब से बैंकिंग प्रणाली में तरलता मोटे तौर पर अधिशेष बनी हुई है, हालांकि 2022 और 2023 में अतिरिक्त नकदी की मात्रा काफी कम हो गई।
- भारत में बैंकिंग तरलता वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुचारु कामकाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरबीआई तरलता प्रणाली की बारीकी से निगरानी कर रहा है और बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता, विश्वास और विकास को बढ़ावा देने के लिए असंतुलन को दूर करने के लिए उचित उपाय किए हैं।

आगामी वर्ष

- विकट चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास में अग्रणी के रूप में उभर कर मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भारत की निरंतर सफलता की आशा करता है, जो इसके विकास अनुमानों के साथ देश की अटूट शक्ति और विकास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है।
- आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि पिछले तीन वर्षों में मुद्रास्फीति के दबाव, रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और कोविड-19 महामारी के लगातार प्रभाव जैसी काफी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
- ऐसा लगता है कि दुनिया महामारी की छाया से बाहर आ गई है और वास्तव में इसके साथ जीना सीख लिया है। हालांकि, भू-राजनीतिक संकट, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्विन्यास, वैश्विक मुद्रास्फीति और तंग मौद्रिक नीति की स्थिति विकास के दृष्टिकोण पर प्रभाव डाल सकती है।

4. व्यापार का विस्तृत अवलोकन

- वैश्विक कारोबार ने मार्च 22 के ₹10,09,243 करोड़ के सापेक्ष मार्च 23 को वर्ष-दर-वर्ष 8% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹10,94,752 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू कारोबार ने 7% की वृद्धि दर्ज की और यह मार्च 22 में ₹9,80,359 करोड़ के सापेक्ष ₹10,51,948 करोड़ तक पहुंच गया।
- वैश्विक जमाराशि में पिछले वर्ष के ₹593618 करोड़ के सापेक्ष मार्च 23 को वर्ष-दर-वर्ष 5% बढ़कर ₹621166 करोड़ हो गया।
- मार्च 22 के ₹247926 करोड़ के सापेक्ष कासा जमा राशि ₹260809 करोड़ थी, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 5% की वृद्धि दर्ज की गई।
- एक वर्ष पहले के ₹415625 करोड़ के सापेक्ष मार्च 23 को अग्रिम राशि 14% बढ़कर ₹473586 करोड़ हो गई। घरेलू ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि हुई और यह ₹443921 करोड़ रहा। (31 मार्च 2022 को ₹395698 करोड़)

- वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 76.24% रहा।

4(ए) जमाराशि:

वित्तीय वर्ष 23 में घरेलू जमा राशियों के तहत निष्पादन:

राशि करोड़ में

जमा	मार्च '22	मार्च '23	व-द-व (%)
चालू खाता	35969	35366	-1.68
बचत बैंक	211120	224873	6.51
कासा	247089	260239	5.32
कुल जमा में कासा %	42.26	42.80	+54 bps
सावधि जमा	337571	347788	3.03
घरेलू जमा	584661	608027	4.00

मार्च 23 को निष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

- बचत बैंक जमाराशियों में वृद्धि देखा गया और मार्च 2022 में ₹211120 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2023 को ₹224873 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 6.5% की वृद्धि हुई।
- कासा जमा में 5.32% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है और मार्च 2022 में ₹247089 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2023 को ₹260239 करोड़ रहा।
- सावधि जमा मार्च 2022 में ₹337571 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2023 को 3.03% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹347788 करोड़ हो गया।
- वित्त वर्ष 23 के दौरान, बैंक ने 37.44 लाख गैर-बीएसबीडी बचत बैंक खाते और 1.54 लाख नए चालू खाते खोले हैं।
- बैंक ने वेतनभोगियों के लिए मुफ्त व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी और अतिरिक्त सुविधाओं वाले नए उत्पाद अर्थात् इंड-सम्पूर्ण, इंड-गुरुदेव, इंड-सैलरी सुरक्षा लांच किए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने नए चालू खाता उत्पाद "इंड-सहकारी और आईबी रेरा" भी लांच किए हैं।
- विभिन्न संभाव्य केंद्रों पर बैंक ने सरकारी व्यापार कक्ष भी खोले हैं।
- विदेशी जमा में (वर्ष दर वर्ष) 47% की वृद्धि हुई जो कि मार्च 2022 के ₹8957 करोड़ के मुकाबले मार्च 2023 में ₹13138 करोड़ है।

4(बी) खुदरा ऋण:

- बैंक की खुदरा आस्तियां वर्ष दर वर्ष 13% बढ़ी और यह ₹91086 करोड़ पर रही।
- वित्तीय वर्ष 2023 में कुल ₹36221 करोड़ की राशि 833606 खातों को मंजूर की गई, जिनमें से ₹30952 करोड़ का संवितरण हुआ।

सह-ऋण के तहत रु. 898 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।

खुदरा अनुभाग में बैंक का उत्पादवार एक्सपोजर: (₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च'22	मार्च'23	वर्ष दर वर्ष वृद्धि %
गिरवी ऋण सहित गृह ऋण	53852	59840	11.12%
वाहन ऋण	4198	5377	28.08%
वैयक्तिक ऋण	5306	7769	46.42%
शिक्षा ऋण	4626	4623	-0.06%
ज्वेल लोन (गैर-प्राथमिक)	4787	5206	8.75%
एलएडी व अन्य	7665	8271	7.91%
कुल खुदरा ऋण	80433	91086	13.24%

की गई पहल:

- वाहन ऋण के वित्तियन के लिए होंडा मोटर्स एवं टोयोटा-किलोसकर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप किया गया।
- आईबी प्रोफेशनल -पेशेवरों के लिए वैयक्तिक ऋण योजनाएँ, रुपीक के साथ गोल्ड बैंक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड।
- रूपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई को लिंक किया गया।

4(सी) कृषि:

- 31 मार्च, 2023 को बैंक का कृषि ऋण 15.71% के वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹88100 करोड़ से ₹101937 करोड़ तक बढ़ गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

कृषि	31.03.2022	31.03.2023	वर्ष-दर-वर्ष %
फसल ऋण	69051	77894	12.80%
निवेश ऋण	9241	11980	29.63%
कृषि आधारित	3192	3610	13.09%
बुनियादी संरचना व अनुषंगी	6616	8453	27.76%
कुल कृषि	88100	101937	15.71%

कृषि ऋण संवितरण:

- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने कृषि में ग्राउंड लेवल क्रेडिट प्लो (जीएलसी) के तहत ₹78845 करोड़ का खेतीबाड़ी ऋण संवितरित किया।
- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने ₹40378 करोड़ की राशि 40.49 लाख छोटे/सीमांत किसानों में संवितरित की।

वित्तीय वर्ष 2023 में प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में भारतीय रिजर्व बैंक के अनिवार्य लक्ष्य के तहत निष्पादन

- 31.03.2023 को प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम ₹152992 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 40.00% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 46.26% रहा।

- 31.03.2023 को कृषि ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹66607 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 18.00% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 19.71% रहा।
- 31.03.2023 तक एसएफ/एमएफ को ₹36567 करोड़ का ऋण दिया गया और वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 9.50% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 10.82% रहा।
- 31.03.2023 तक कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण ₹54998 करोड़ रहा और वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 11.50% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 16.27% रहा।
- एमएसई को ऋण: 31.03.2023 तक कुटीर उद्योगों को प्रदत्त ऋण ₹34109 करोड़ रहा और वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 7.50% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 10.09% रहा।
- 31.03.2023 को गैर-सहकारी किसानों को प्रदत्त ऋण ₹54955 करोड़ रहा एवं वित्तीय वर्ष 2023 के अनिवार्य 13.78% के लक्ष्य की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का त्रैमासिक औसत प्रतिशत 16.26% रहा।

स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण प्रवाह:

- भारत में स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण के अति महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण देने से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों के विकसित होने का उत्कृष्ट अवसर मिलता है, जिससे रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और ग्रामीण जनसमूहों की आय होती है।
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की अवधारणा ने गरीबों को निर्बाध ऋण प्रदान करना सुनिश्चित किया है तथा इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। बैंक ने सक्रियता से एसएचजी बैंक सहबद्धता का प्रचार किया है।
- मार्च 2023 को एसएचजी का बकाया ऋण ₹13719 करोड़ रहा, जिससे 4.57 लाख एसएचजी कवर किए गए। वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ने 2.42 लाख एसएचजी को ₹11744 करोड़ संवितरित किए।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए निर्धारित रु.8945 करोड़ और ₹10167 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए, बैंक का संवितरण और बकाया क्रमशः ₹9956 करोड़ और ₹12867 करोड़ रहा।
- बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे उभरते क्षेत्रों में एसएचजी पर जोर दिया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 9 विशेष एसएचजी जनसम्पर्क अभियान आयोजित किए और ₹2735 करोड़ संवितरित किए।
- वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ने एसएचजी ऋणों में अत्युत्तम प्रदर्शन किया है और अब बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के पोर्टफोलियो में विस्तार की योजना बनाई है।

माइक्रोसेट शाखाएं:

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 6 नई माइक्रोसेट शाखाएं खोली हैं। 31.03.2023 तक, एसएचजी के अंतर्गत ऋण के लिए उपलब्ध 50

माइक्रोसेट शाखाओं, विशेषीकृत शाखाओं में, बैंक के बकाया कुल एसएचजी पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा है।

- ये शाखाएं ऋण एवं ऋण संबंधी सेवाएं जैसे प्रशिक्षण, लेखा-जोखा/बही आदि देकर 'सर्व सेवा केंद्र' का कार्य करती हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 31767 एसएचजी को ₹2544 करोड़ की राशि माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से प्रदान की गई। इन माइक्रोसेट शाखाओं में कुल बकाया अग्रिम ₹2717 करोड़ रहा, जिसने मार्च 2023 तक 48156 एसएचजी को कवर किया।

एसएचजी उन्मुख शाखाएं:

- वित्तीय वर्ष 2024 में एसएचजी केंद्रित ऋण के लिए बैंक ने ऐसे 57 एसएचजी उन्मुख शाखाओं की पहचान की है, जिनका एसएचजी व्यापार ₹25 करोड़ से अधिक है।
- संयुक्त देयता समूह: बैंक ऐसे कृषक-वर्गों को जिनके पास भूमि का सही रिकार्ड/खुद की भूमि नहीं है, उन्हें ऋण सहायता प्रदान करने के मकसद से संयुक्त देयता समूह के जरिए वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है। जेएलजी को बकाया ऋण ₹506 करोड़ रहा, जिसने 31.03.2023 तक 26955 जेएलजी को कवर किया।

कमजोर वर्गीय अग्रिम:

कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित अनिवार्य लक्ष्यों को बैंक लगातार पार करता आया है, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्राम और कुटीर-उद्योग, अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- मार्च 2023 के अंत तक कमजोर वर्ग को बकाया ऋण ₹54998 करोड़ रहा जोकि निर्धारित मानदंड 11.50% के मुकाबले त्रैमासिक औसत एनबीसी का 16.27% है।
- एससी/एसटी व अल्पसंख्यक ऋण अभियानों का आयोजन: एससी/एसटी व अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए तिमाही आधार पर विशेष अभियान आयोजित किए गए।
- 31.03.2023 को एससी/एसटी लाभार्थियों का बकाया ऋण ₹6496 करोड़ रहा।
- मार्च 2023 तक अल्पसंख्यकों को अग्रिम की बकाया स्थिति ₹23374 करोड़ (कुल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों का 15.28%) रहा।

4(डी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

- 31 मार्च 2023 को बैंक के एमएसएमई ऋण ने वर्ष-दर-वर्ष 7.40% की वृद्धि दर्ज की है, जोकि ₹74167 करोड़ के मुकाबले ₹79656 करोड़ है।
- सूक्ष्म उद्यमों के अनिवार्य 7.50% के ऋण-लक्ष्य की तुलना में एनबीसी 9.88% रहा।
- बैंक ने अपने लक्ष्य 10% के मुकाबले सूक्ष्म उद्यमों में 17% की वृद्धि दर्ज की है।
- एमएसएमई की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने 4 नए उत्पाद लांच किए हैं, जैसे एमएसएमई संपत्ति के एवज में ऋण, फार्मा सुदृढ़ीकरण, सखी और वाणिज्यिक वाहन वित्त-पोषण।

- हरित वित्त-पोषण पहल - एनटीपीसी के बायोमास पैलेट निर्माताओं/अपूर्तिकर्ताओं के लिए विशेष उत्पाद।
- केरल में एमएसएमई द्वारा चलनिधि चुनौतियों का सामना किए जाने से निपटने के लिए बैंक ने केरल बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम लांच की है। इस योजना के तहत, केरल राज्य के मान्यता प्राप्त एजेंसियों के ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं।
- बैंक विभिन्न सेगमेंट को कवर करते हुए एमएसएमई डिजिटल ऋण-यात्रा की ओर अग्रसर है:
- ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मुद्रा ऋण (शिशु) प्राप्त, और एमएसएमई ऋणों का नवीकरण, किया जा सकता है।
- बैंक द्वारा टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) में सुधार करने और ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 77 एमएसएमई प्रोसेसिंग केंद्र बनाए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, फ्रेश एमएसएमई कैमवास करने के लिए विभिन्न अभियान आयोजित किए गए। इसमें ₹14078 करोड़ की मंजूरी दी गई और ₹9225 करोड़ का संवितरण किया गया।

एमएसएमई क्लस्टर:

- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 31 नए क्लस्टर अनुमोदित किए गए। 31.03.2023 तक ₹3925 करोड़ के एमएसएमई कारोबार के साथ 48 अंचलों में कुल 90 क्लस्टर अनुमोदित किए गए तथा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.48% की वृद्धि दर्ज की गई।

पीएम स्वनिधि योजना - फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण:

- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2.99 लाख फुटपाथ विक्रेताओं को ₹362 करोड़ की मंजूरी दी गई।

मुद्रा योजना:

- पीएम बैंक ने मुद्रा ऋण के तहत ₹6570 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए, वित्तीय वर्ष 2023 में ₹7172 करोड़ मंजूर किए और आबंटित लक्ष्य का 109% प्राप्त किया।

स्टैंड अप इंडिया योजना:

- बैंक ने एससी/एसटी/महिला ऋणियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए कुल 10084 ऋण (लक्ष्य 11384 के मुकाबले 89% हासिल किया) मंजूर किए, जिसकी ऋण सहायता राशि ₹2303 करोड़ है।

एमएसएमई प्रेरणा

- 'एमएसएमई प्रेरणा' एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक कारोबार परामर्शी कार्यक्रम है, जिसकी पहुँच 7 भाषाओं और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में है।
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, यह कार्यक्रम राजस्थान में लांच किया गया। इसके 41 कार्यक्रमों में 1513 उद्यमियों को कवर किया गया, जिनमें से 560 महिलाएं थीं।

स्टार्ट-अप वित्तपोषण

- इंड रिप्रिंग बोर्ड के तहत स्टार्टअप कंपनियों की विशेष जरूरतों के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करने और उन्हें एक विशिष्ट ऋण

उत्पाद प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में 3 नामी शैक्षिक संस्थानों (एसआरएम विश्वविद्यालय - अमरावती, आई आई टी -कानपुर और आई आई टी भुवनेश्वर) के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

- अब तक, नामी/विख्यात संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम आदि) के विभिन्न स्टार्टअप विकासकों के साथ 11 समझौता ज्ञापन किए जा चुके हैं।

4(ई) कॉर्पोरेट ऋण

- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण ₹171242 करोड़ (मार्च 23) रहा, जोकि बैंक के समग्र ऋण का 39% है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कॉर्पोरेट ऋण वर्ष-दर-वर्ष 12% और मानक कॉर्पोरेट ऋण 18% बढ़ा है।
- कॉर्पोरेट ऋण के दो स्तम्भ हैं अर्थात् बड़े कॉर्पोरेट और मध्यम कॉर्पोरेट अधिक कारोबार संभाव्य केंद्रों पर मौजूद 9 बड़े कॉर्पोरेट स्तम्भ और 25 मध्यम कॉर्पोरेट स्तम्भ, कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

4(एफ) विदेशी ऋण

- बैंक की सिंगापोर, कोलंबो, जाफना में तीन विदेशी शाखाएं हैं और गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) है। 31 मार्च, 2023 तक विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का बकाया सकल अग्रिम ₹29665 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष ₹19927 करोड़ के मुकाबले वर्ष-दर-वर्ष 48% की वृद्धि दर्ज की गई।

4(जी) विदेशी मुद्रा कारोबार

- व्यापारी विदेशी विनिमय कारोबार में बैंक का कुल कारोबार (टर्न-ओवर) वित्तीय वर्ष 2023 में कुल ₹94995 करोड़ रहा जोकि वित्तीय वर्ष 2022 में ₹60667 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार का कुल कारोबार ₹4153468 करोड़ रहा जोकि वित्तीय वर्ष 2022 में ₹2602961 करोड़ था।
- ग्राहकों की विदेशी मुद्रा विनिमय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने प्रमुख स्थानों/कारोबार केंद्रों को कवर करते हुए, कुल 247 शाखाओं की पहचान की है। ये शाखाएं चेन्नै और मुंबई में स्थित दो एफएक्ससीपीसी में से एक से सीधे जुड़ी हुई हैं। एफएक्ससीपीसी, बैंक के सभी तरह के विदेशी विनिमय की प्रोसेसिंग के लिए एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र हैं। बैंक के पास दुनिया भर में संपर्की व्यवस्था है।

विप्रेषण

- सिंगापुर की एंटरप्राइज रेमिटेन्स स्कीम भारत में ग्राहकों के खातों में रुपये में विदेशी विप्रेषण के बराबर राशि जमा की पेशकश करती है।
- दुनियाभर में सामान्य स्विफ्ट आधारित निधि अंतरण के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के एमटीएसएस योजना के तहत बैंक सहित वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रैन्स्फर और रिया मनी ट्रैन्स्फर द्वारा अन्य आवक विप्रेषण सुविधा की पेशकश की जाती है।

- विनिमय गृहों अर्थात् यूएई विनिमय केंद्र डब्ल्यूएलएल -कुवैत, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्यूएलएल-कतर, जीसीसी एक्सचेंज -दुबई, विनिमय के लिए अल दर- कतर और मेसर्स अल राजी बैंक, सऊदी अरब, भारतीय रिजर्व बैंक की रुपये आहरण व्यवस्था योजना के तहत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण व्यवस्था उपलब्ध है।

4(एच) वित्तीय समावेशन

प्रधान मंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई:

बीएसबीडी के तहत पीएमजेडीवाई खाते खोले जाने में हुई प्रगति शाखाएं, बीसी चैनल और टीएबी बैंकिंग मोड, मूल बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) श्रेणी के तहत पीएमजेडीवाई खाते खोलने में योगदान करते हैं।

- बैंक ने स्टैंडअलोन आधार पर 204.77 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं जिनमें 31.03.2023 को ₹9342.26 करोड़ बकाया है (10.65 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)।
- प्रति पीएमजेडीवाई खाते में शेष राशि ₹4557 है जो 31.03.2023 को उद्योग औसत ₹4087 से अधिक है।
- सक्रिय पीएमजेडीवाई खाते कुल पीएमजेडीवाई खातों का 84% है जो उद्योग औसत 81% से अधिक है।
- पीएमजेडीवाई के तहत नए खातों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.39 गुना अधिक थी। 31.03.2023 तक, पीएमजेडीवाई खातों की संख्या में बैंक की बाजार शेयर में 10 आधार पॉइंट (बीपीएस) की वृद्धि हुई है और यह 4.21% है, जबकि बकाया राशि के मामले में यह 4.70% (13 बीपीएस की वृद्धि) है।
- 10750 कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट बैंक के कुल बैंकिंग डिलीवरी आउटलेट्स (शाखा+बीसी+एटीएम) का लगभग 54% कवर करते हैं। 24 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कवरेज है।

सूक्ष्म बीमा योजना:

जेबीवाई और एसबीवाई में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि:

योजना का नाम	मार्च'22	मार्च'23	वर्ष-दर-वर्ष
पीएमजेबीवाई (लाख में)	30.24	43.74	44.64%
पीएमएसबीवाई (लाख में)	80.14	101.71	26.92%

- जेबीवाई और एसबीवाई की सूक्ष्म बीमा योजनाओं में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नए अभिवृद्धि क्रमशः 3.70 गुणा (13.36 लाख) और 3 गुणा (21.63 लाख) वृद्धि हुई।
- पीएमजेबीवाई नामांकन की संख्या में बैंक की बाजार शेयर में 35 बीपीएस की वृद्धि हुई है और यह 2.74% है, जबकि पीएमएसबीवाई नामांकन में यह 17 बीपीएस की वृद्धि हुई है और 31.03.2023 को 3.01% है।

माइक्रो पेंशन योजना:

एपीवाई में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि:

योजना का नाम	मार्च'22	मार्च'23
एपीवाई	24.96	31.83

- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सूक्ष्म पेंशन योजना एपीवाई में, बैंक ने पिछले वर्ष के 96 की तुलना में 117 के उच्चतम औसत खाता प्रति शाखा (एएबीपी) के साथ 6.86 लाख नए नामांकन जोड़े हैं।

4(अई) बैंक एश्योरेंस और म्यूचुअल फंड

- बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के माध्यम से 136 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जबकि वित्त वर्ष 2022 में 85 करोड़ रुपये की आय हुई थी।
- कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने 7 बीमा साझेदारों के साथ साझेदारी समझौता किया है (जिनमें से 3 जीवन के अंतर्गत, 3 गैर जीवन के अंतर्गत एवं 1 स्वास्थ्य के अंतर्गत है) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

वर्तिकल	साझेदार
जीवन बीमा	भारतीय जीवन बीमा निगम
	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
	आदित्य बिरला सन लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
गैर जीवन बीमा	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी)
	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
	यूनिवर्सल सोमो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
स्वास्थ्य बीमा*	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

*निवा बूपा के अलावा, बैंक मेसर्स यूनाइटेड इंडिया, मेसर्स यूनिवर्सल सोमो और मेसर्स चोलामंडलम के स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का भी वितरण करता है।

क्रेडिट जीवन बीमा और ऋण कवर

साझेदार	पोर्टफोलियो
कोटक महिंद्रा लाइफ	गृह ऋण और शिक्षा ऋण
टाटा एआईए (बंद होने की तिथि से) केवल पूर्व के ऋणों हेतु दावा निपटान	गृह ऋण
पीएनबी मेटलाइफ	शिक्षा ऋण
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	गृह ऋण और जमानती ऋण
एलआईसी गृह जीवन और जीवन विद्या (बंद होने की तिथि से) केवल पूर्व के ऋणों हेतु दावा निपटान	गृह ऋण और शिक्षा ऋण

म्यूचुअल फंड वितरण

बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरण के लिए बैंक ने मेसर्स फिसडम के साथ टाइ-अप किया है।

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान पहल

- इंडोएसिस में 2 पहिया, 4 पहिया और स्वास्थ्य बीमा के लिए बीमा डिजिटल यात्रा शुरू की गई।
- वित्तीय वर्ष के दौरान जीवन, सामान्य, स्वास्थ्य और धन उत्पादों के लिए साप्ताहिक आधार पर समर्पित लॉगिन दिन से ₹136.35 करोड़ की आय अर्जित की, जो 60.39% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है।
- मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडोएसिस में डिजिटल डीमैट और ट्रेडिंग सेवाएं शुरू की गईं।
- बैंक द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियानों को चैनल पार्टनर के बूस्टर अभियानों द्वारा समर्थित किया गया था।
- बैंक बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है।
- कारोबार में रूपांतरण की अधिक प्रवृत्ति के साथ लीड्स के लिए डेटा एनालिटिक्स मॉडल का लाभ उठाना - एनएसीएच अधिदेशों का डेटाबेस, ईसीएस अधिदेश, बीमा के लिए समाशोधन डंप, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग व्यवसाय।

4(जे) सरकारी जमा योजना

सुकन्या समृद्धि योजना:

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान 45365 नये खाते खोले गए, अब उसकी कुल संख्या 137763 है। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान संचित राशि रुपये 190.51 करोड़ थी तथा कुल संचित राशि रुपये 863.37 करोड़ थी।

लोक भविष्य निधि

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान पीपीएफ के अधीन 26943 नये खातों से संचित राशि में रुपये 1024.50 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 539583 खातों से पीपीएफ खाते में शेष रुपये 8090.52 करोड़ रही।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

वित्तीय वर्ष 23 के लिए एससीएसएस खातों के तहत कुल संचित 29324 नए खातों से ₹1581.47 करोड़ है और एससीएसएस के तहत 31.03.2023 को संचयी कुल शेष 151680 खातों में ₹7612.13 करोड़ है।

5. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

31.03.2023 को बैंक का शाखा नेटवर्क 5787 शाखाओं रहा, जिसमें 1964 ग्रामीण, 1517 अर्ध शहरी, 1165 शहरी और 1141 महानगर शाखाएँ शामिल थीं। इसके अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ हैं, सिंगापुर, कोलंबो, जाफना में है और एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने 87 ग्राहक इंटरफ़ेस शाखाओं द्वारा अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है जिसमें 3 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ, एसएचजी के लिए 7 माइक्रोसेट शाखाएँ और 3 पूल एसेट शाखाएँ शामिल हैं। वर्ष के दौरान खोली गई 87 शाखाओं में से 20 बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में,

3 लेफ्ट विंग जिलों में और 1 उत्तर-पूर्वी राज्य असम में थीं। इसके अलावा, बैंकिंग आउटलेट्स के समेकन की दिशा में, वर्ष के दौरान 32 शाखाओं को रेशनलाइज किया गया।

6. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

तेज, सहज और व्यक्तिगत डिजिटल यात्राओं के रूप में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने प्रोजेक्ट वेव (वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपेरियंस) के तहत अप्रैल 2022 में अपना पहला डिजिटल उत्पाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) शुरू किया है।



वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने 25 डिजिटल यात्राएँ शुरू की हैं - स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के साथ-साथ ब्रांच असिस्टेड। इस दौरान ₹2060 करोड़ की आस्तियाँ एवं ₹3570 करोड़ की देयताओं के साथ बैंक ने 5600 करोड़ रुपये से अधिक का डिजिटल बिजनेस अर्जित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने रैम सेक्टर में अधिकाधिक डिजिटल यात्रा करने की योजना बनाई है।



- बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से बैंकिंग करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल अनुभवों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक सभी चैनलों (मोबाइल बैंकिंग/टैब बैंकिंग/कियोस्क/इंटरनेट बैंकिंग आदि) में सहज और समान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल बैंकिंग ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।
- बैंक, कार्मिक इंगेजमेंट सेशन के माध्यम से आंतरिक ऑउटरीच बनाने के अलावा विभिन्न चैनलों के माध्यमों से भी नई डिजिटल पेशकशों को अपनाने के लिए ग्राहकों तक पहुंच बना रहा है। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहक-आधार में वर्ष-दर-वर्ष 69% की वृद्धि दर्ज की गई।

7. ऋण निगरानी

- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ, वित्तीय वर्ष 22 में ₹9807 करोड़ की तुलना में ₹6642 करोड़ की फ्रेश स्लिपेज में कमी आई।
- स्लिपेज अनुपात वित्तीय वर्ष 22 में 2.78% से 103 बीपीएस कम होकर 1.75% हो गया।
- बही में ₹6500 करोड़ की कमी। संतोषजनक प्रदर्शन के कारण पुनर्गठन पोर्टफोलियो का 15% पुनर्गठन के दायरे से बाहर हो गया है।
- पुनर्चना बहियों में ₹6500 की कमी के संतोषजनक प्रदर्शन के कारण पुनर्चना पोर्टफोलियो का 15% पुनर्चना के दायरे से बाहर हो गया है।
- डेटा गुणवत्ता में उच्चतम सुधार के लिए ट्रांसयूनियन सीबीएल द्वारा सम्मानित किया गया।

- बैंक ने दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच के लिए सभी शाखाओं में दस्तावेज ई-सत्यापन और अभिलेख (डीईवीए) लागू किया है।
- डॉक्यूमेंट एसेट मैनेजमेंट सेंटर्स (डीएमसी) में एसआई/एनएसआईए अधिदेश प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- रियल टाइम की निगरानी पर आधारित प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कॉल सेंटर की क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है।
- बैंक ने ₹10 लाख और उससे अधिक के जोखिम सहित ईडब्ल्यूएस मॉड्यूल का कवरेज बढ़ाया है।
- बैंक ने बेहतर निगरानी के लिए स्टाफ ऐप, अतिदेय निगरानी प्रणाली पोर्टल, कॉल सेंटर और ईडब्ल्यूएस पोर्टल को एकीकृत किया है।

8. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सकल एनपीए मार्च 23 को 5.95 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 22 को यह 8.47 प्रतिशत था और निवल एनपीए अनुपात जो मार्च 22 के 2.27 प्रतिशत था, वह सुधर कर मार्च 23 को 0.90 प्रतिशत रहा।
- 31 मार्च 23 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, जो 31 मार्च, 22 को 87.38 प्रतिशत था, सुधर कर 93.82 प्रतिशत हुआ है।
- बैंक ने एनसीएलटी में भर्ती खातों से वित्तीय वर्ष 23 के दौरान 1029 करोड़ रुपये की वसूली की है।
- 1019 संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से सरफेसी अधिनियम के तहत ₹740 करोड़ की वसूली की गई।
- बैंक ने सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन भी किया एवं ₹339 करोड़ की निपटान राशि के साथ 33411 खातों का निपटान किया गया।
- अशोध्य ऋण बट्टे खाते (एयूसी) में डाले गए खातों में वर्ष के दौरान ₹2156 करोड़ की राशि वसूल की गई।

9. जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम:

प्राथमिक स्तर पर जोखिम की पहचान व विश्लेषण के लिए और विवेकी सीमाओं के स्थापन व निगरानी के साथ साथ बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय किए जाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद हैं। यह ऋण जोखिम प्रबंधन रुपरेखा द्वारा किया जाता है, जो ऋण जोखिम के ट्रैक, प्रबंधन व ससमय पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाता है। क्रेडिट जोखिम फ्रेमवर्क में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और ऋण नीति शामिल हैं।

ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क

बैंक ने ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क को अपनाया है, जिसमें ऋण प्रस्तावों का ऋण जोखिम मूल्यांकन और उसका कम जोखिम/मध्यम जोखिम/उच्च जोखिम/नो-गो के रूप में जोखिम वर्गीकरण शामिल है जिसका आधार सात व्यापक मानदंड यथा उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/उद्योग, प्रतिभूति कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और अनुपालन की स्थिति के साथ-साथ व्यक्तिपरक जोखिम मापदंडों में अंतर्निहित जोखिम कारकों के विश्लेषण पर मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है।

बैंक की आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) समय-समय पर बैंक की आस्ति और देनदारियों की समीक्षा करती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) स्थापित किया है ताकि परिचालनात्मक जोखिम, जोखिम के प्रभावी नियंत्रण, जोखिम के मूल्यांकन और मात्रा का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनात्मक जोखिम को उचित गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है और दिन-प्रतिदिन की प्रबंधन प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है और विभिन्न जोखिम कम करने वाली रणनीतियों को अपनाया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम धारणाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए रूपरेखा तैयार की है। रिस्क और कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट का उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है।

रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट (आरसीएसए) एक प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके द्वारा परिचालन जोखिम, जोखिम के मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों से जुड़े परिचालन जोखिम की घटनाओं की पहचान की जाती है। नियंत्रण अंतराल की पहचान के लिए मौजूदा प्रणालियों में निहित जोखिमों पर मौजूदा नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया जाता है। आरसीएसए के निष्कर्षों के आधार पर, सहन सीमाओं के भीतर परिचालन जोखिम प्रोफाइल सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण अंतराल को भरने के लिए उपयुक्त जोखिम शमन रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं।

प्रमुख जोखिम संकेतक अनियमितताओं की संख्या, शामिल राशि और सहन स्तर के संदर्भ में स्वीकार्य स्तरों से परे पहुंचने वाले परिचालन जोखिमों की निगरानी और कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत हैं।

व्यापार इकाइयों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों का समर्थन और प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जोन और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय में जोखिम अधिकारियों को नामित किया गया है।

बेसल III पूंजी विनियम:

बेसल III कैपिटल रेगुलेशन 1 अप्रैल, 2013 से भारत में प्रभावी हो गया है और 1 अक्टूबर, 2021 से पूरी तरह से लागू हो गया। बैंक की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी 12.89%, अतिरिक्त टियर 1 0.59% और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.49% है।

जरूरत पड़ने पर बैंक के पास सभी रूपों में पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त साधन हैं।

बेसल III पूंजी नियमों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरण के एक उन्नत सेट की भी आवश्यकता होती है जो बैंक की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर प्रकाशित होते हैं। बैंक लीवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) का भी खुलासा कर रहा है।

पूंजी संरक्षण की दिशा में निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बैंक द्वारा एक समग्र पूंजी संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन

1. कर्मचारियों की स्थिति

दिनांक 31.03.2023 को बैंक में जन-बल की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ग	कुल	ओबीसी	एससी	एसटी	पुरुष	महिला
अधिकारी	25069	7210	4912	2021	18015	7054
लिपिक	12779	3954	2705	681	8132	4647
सब स्टाफ	2584	601	1210	153	2246	338
फुल टाइम स्वीपर*	280	31	214	14	215	65
कुल*	40712	11796	9041	2869	28608	12104

(*पार्ट टाइम स्वीपर को छोड़कर, घरेलू)

2. भर्ती अभियान

- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक ने 3160 कर्मचारियों (पीओ - 376, विशिष्ट अधिकारियों - 433, क्लर्क - 2142, उप-कर्मचारी - 209) को शामिल किया है।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिकों (ईएक्सएस) के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/ईएक्सएस के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी और ओबीसी के लिए महाप्रबंधक के पद पर एक मुख्य संपर्क अधिकारी है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/

अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिकों की शिकायतों (यदि कोई हो) का निवारण करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिकों कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय: मानव संसाधन विभाग में एक अलग समर्पित सेल काम कर रहा है।

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लिपिक संवर्ग से बढ़ाकर जेएमजी स्केल-1 अधिकारी तक के लिए कर दिया गया है।
- 4. वर्ष के दौरान मानव संसाधन पहल:**
 - बैंक में सीजीएम पद का सृजन:** पिछले वित्त वर्ष में बैंक के 10 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार को देखते हुए बैंक में नया सीजीएम (स्केल VIII) पद सृजित किया गया है।
 - एचआरएमएस पोर्टल (एचआर कनेक्ट) के दूसरे चरण का प्रारंभ:** नया एचआरएमएस पोर्टल, चरण II जनवरी 2023 में पूरी तरह से कागज रहित और स्वचालित समाधान की दिशा में एक पहल के रूप में लॉन्च किया गया।
 - न्यू एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस):** निष्पादन संचालित संस्कृति को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, बैंक ने पारदर्शी और सिस्टम संचालित प्रदर्शन प्रबंधन और मजबूत कर्मचारी अनुभव पर केंद्रित 10 टूल लॉन्च किए हैं।
 - स्वास्थ्य देखभाल:** मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श के लिए मैसर्स प्रैक्टो के साथ गठजोड़ से 41130: सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को नामांकित किया गया है।

11. मानव संसाधन विकास

आंतरिक प्रशिक्षण:

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण का विवरण।

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	डिजिटल प्रशिक्षण	ई-पाठशाला के माध्यम से प्रदत्त प्रशिक्षण	63	15302
2.	आंतरिक प्रशिक्षण	घर से ऑनलाइन प्रशिक्षण	217	12814
3.		कार्यस्थल से ऑनलाइन प्रशिक्षण	291	9860
4.		वेबीनार के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण	451	16827
5.		भौतिक प्रशिक्षण	570	17616
कुल			1592	57117

बाह्य प्रशिक्षण:

वि. वर्ष-23 की अवधि के दौरान, 2166 कार्यपालक/अधिकारियों ने सीएबी, आईडीआरबीटी, सीएफएआरएएल, एनआईबीएम, एफआईडीआई, आईएससीए, ओ एवं ए, एससीआई जैसे बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/वेबिनार में भाग लिया।

प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं :

इंडियन बैंक मैनेजमेंट एकेडमी फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस (इमेज) को 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2023' से सम्मानित किया गया है। इमेज को इस पुरस्कार के लिए इसकी विभिन्न नवीन प्रशिक्षण पहलों जैसे स्मार्ट लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल प्रशिक्षण, नए युग की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वोत्तम प्रशिक्षण मूल्यांकन और बैंक की प्रभाव विश्लेषण पहल के लिए चुना गया था।

- 6209 कर्मचारियों को कवर करते हुए डिजिटल उत्पादों और डिजिटल परिवर्तन और प्रबंधन परिवर्तन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (कक्षा प्रशिक्षण) सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप पीएसबी के लिए समान ढांचे के आधार पर इमेज में आयोजित किया गया है। स्केल IV और V के 251 अधिकारी, जिन्होंने बैंक में 14-21 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को तीन सप्ताह की अवधि के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- एमएसएमई वित्त (ओडीओपी/क्लस्टर सहित) पर अग्रिम कार्यक्रम में 2254 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- मार्च 2023 के दौरान ऑर्गनाइजेशन एंड अल्टरनेटिव्स लिमिटेड के माध्यम से स्केल V और VI के 122 अधिकारियों के लिए नेतृत्व और टीमों पर कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- मैसर्स एगॉन जेन्डर के माध्यम से आठ कार्यपालकों ने निदेशक विकास कार्यक्रम में भाग लिया।
- मार्च 2023 के दौरान बीओबी अकादमी के माध्यम से इफ्रा प्रोजेक्ट लेंडिंग/रिटेल इफ्रा लेंडिंग पर 96 अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो के सहयोग से आईआईएम बेंगलूर द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में आठ अधिकारी (जीएम और डीजीएम) भाग ले चुके हैं।
- क्रिसिल के सहयोग से उद्योग आउटलुक पर कैप्सूल कार्यक्रम सड़क और निर्माण, इथेनॉल परियोजनाओं, धातु और धातु उत्पादों और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण क्षेत्रों को कवर करने वाले 431 अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था।

12. ग्राहक सेवा

ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के लिए, बैंक समय-समय पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करता रहा है।

शिकायत निवारण के तरीके:

- टोल फ्री नंबर 18004250000 के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन 24x7 उपलब्ध है।
- ग्राहक ई-मेल आईडी यथा: customercomplaints@indianbank.co.in के माध्यम से

- शाखाओं/अंचलों/सीओ के माध्यम से प्राप्त ग्राहकों की सभी अनसुलझी शिकायतें ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीजीआरएस) में पंजीकृत हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005

- कॉर्पोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग के तहत आरटीआई सेल आवेदनों (पहली और दूसरी अपील) को संभाल रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दिया गया है।

13. डिजिटल यात्रा

- 31.03.23 को बैंक के पास देश भर में 3160 एटीएम, 1769 बीएनए, 2914 पासबुक कियोस्क का डिजिटल नेटवर्क है
- डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन में 13% की वृद्धि हुई है

ई-बैंकिंग

- ग्राहकों के लेन-देन की बेहतर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई में ईएफआरएमएस (एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन) शुरू किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग में आयकर रिफंड के लिए खातों का ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) लागू किया गया है। जिन ग्राहकों के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है और गैर-व्यक्तिगत पैन वाले ग्राहक आयकर वेबसाइट पर अपने खाते को सत्यापित और मान्य कर सकते हैं।
- नेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वास्तविक समय मूल्य तुलना के साथ खरीदारी का अनुभव कर सकते हैं।
- मोबाइल बैंकिंग ऐप 'इंडोएसिस' और नेट बैंकिंग में निम्नलिखित सुविधाएं सक्षम हैं।

इंडोएसिस	इंटरनेट बैंकिंग
फॉर्म 15जी/एच जमा करना, केसीसी का नवीनीकरण	केसीसी खातों का नवीनीकरण
प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल)	एक वर्ष की अवधि के लिए खाते का विवरण डाउनलोड करने का विकल्प
डेबिट कार्ड विवरण (ऑनलाइन अंतरण एवं यूपीआई पंजीकरण हेतु) और क्रेडिट कार्ड विवरण देखें और प्रबंधित करें।	सावधि जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) प्राप्त करने की सुविधा
सावधि जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) प्राप्त करने की सुविधा	प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आईएमपीएस की सुविधा	ईपीएफओ में खातों के लिए नाम सत्यापन
ई-मेल के माध्यम से ओटीपी	शिशु मुद्रा ऋण अनुदान की सुविधा
यूनिवर्सल सोम्पो इश्योरेंस कंपनी से मोटर/स्वास्थ्य बीमा की खरीद	संयुक्त नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सावधि जमा खाता (ई-टीडीए) खोलना
फास्टैग रिचार्ज की सुविधा	24/7 सावधि जमा खोलना
मोबाइल नं. आधारित पंजीकरण विकल्प	कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा बिना लाभार्थी बनाए धन का विप्रेषण (25000 रु. तक की राशि के लिए)
ई-केवाईसी करने की सुविधा	पंजीकरण हेतु ग्रीन पिन

अन्य डिजिटल सुविधाएं:

- यूपीआई लाइट लॉन्च करने के लिए विशिष्ट सूची में से एक बैंक – उपयोगकर्ता निकट ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेनदेन करने में सक्षम होंगे।
- यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड के लिंकेज की सुविधा के लिए विशिष्ट बैंकों में से एक है। ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त तरीके प्रदान किए।
- बीबीपीएस बीओयू (बिलर ऑपरेटिंग यूनिट) को लाइव किया गया।
- टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने के समय इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और एटीएम/डेबिट कार्ड के अनुरोध के तत्काल पंजीकरण की सुविधा सक्षम की गई है।
- यूपीआई प्लेटफॉर्म में सीमा पार प्रेषण- यूपीआई के साथ PayNow (सिंगापोर फास्ट पेमेंट सिस्टम) लिंकेज यूपीआई के माध्यम से भारत और सिंगापोर के बीच धन के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- यूपीआई सक्षम के माध्यम से क्रेडिट लेनदेन की पुष्टि के लिए एसएमएस
- व्हाट्सएप बैंकिंग सूचना संबंध सेवाओं के साथ शुरू की गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी स्थानों में क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम करने वाली यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय क्यूआर सुविधा शुरू की गई है।

एटीएम एवं बीएनए

- फाइल टोकनाइजेशन पर कार्ड और एसआई आवर्ती अधिदेश वीजा के लिए लाइव किए गए हैं।
- दिल्ली, लखनऊ और कारैकाल में तीन डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की गई – माननीय प्रधान मंत्री द्वारा डिजिटल रूप से लॉन्च की गई।
- आईबी रुपी की (स्मार्ट पेमेंट कीचैन) – संपर्क रहित भुगतान डिवाइस (जैसे डेबिट कार्ड) ग्राहक के बैंक खाते से जुड़ा हुआ है।
- सक्षम बीएनए के माध्यम से सावधि ऋण की चुकौती – ग्राहक शाखा में आए बिना बैंक के बीएनए के माध्यम से सावधि ऋण खाते में 24 x 7 नकद जमा कर सकते हैं।
- इंडोएसिस मोबाइल ऐप के माध्यम से एटीएम/बीएनए में कार्ड रहित नकद निकासी- ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना प्रतिदिन रु. 5000 तक नकद निकाल सकते हैं- फिशिंग हमले और कार्ड की क्लोनिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एटीएम लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी एटीएम/बीएनए में टीएलएस 1.2 का कार्यान्वयन किया गया है।
- "गवर्नमेंट ऑफ तामिलनाडु मूवलूर राममिरथम अम्मैयर पुथुमई पेन थिड्रम" की पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति माह ₹1000 मुहैया कराने हेतु सह-ब्रांडेड रुपये क्रेडिट कार्ड जारी करना।

व्यापार अधिग्रहण

- आईबी कलेक्ट सेवा 12 एचएनआई ग्राहकों को एवं वी कलेक्ट सेवाएं 3 एचएनआई ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई
- पीजी एग्रीगेटर (एमस्वाइप/कैशफ्री) के साथ यूपीआई स्वीच इंटीग्रेशन पूरा हुआ।
- एमयूपी चालान संग्रहण के लिए अतिरिक्त विकल्प के तौर पर यूपीआई भुगतान की शुरुआत।

- हरियाणा राज्य सरकार के सहयोग से सभी लंबरदार अब ई-रुपी वाउचर का उपयोग कर मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। ई-रुपी वाउचर जारी करना और भुनाना सक्रिय कर दिया गया है।
- व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर से प्राप्त भुगतान की जानकारी हेतु साउंड बॉक्स लांच किया गया है ताकि अविलंब ऑडियो सूचना प्राप्त हो।
- तामिलनाडु कृषि विभाग को 880 प्वाइंट ऑफ सेल मशीन की आपूर्ति प्रस्तावित।
- पीजी एग्रीगेटर (सीईएससीओएम/ वनपे / केएसआरटीसी) के साथ यूपीआई स्वीच इंटीग्रेशन।
- बैंक के नए ग्राहकों का सावधि जमा खाता खोलते समय खाते को यूपीआई से जोड़ना।
- इन-हाउस पोर्टल के माध्यम से शाखाओं द्वारा पीओएस टर्मिनल्स के लिए आवेदन
- राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सभी विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को स्कूटी प्रदान करने एवं कर्नाटक राज्य सरकार (बीआरएडीसीओ) द्वारा किसानों के लिए कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु ई-रुपी वाउचर का प्रयोग। ई-रुपी वाउचर जारी करना और मोचन सक्रिय करना।
- तामिलनाडु ग्राम पंचायत कार्यालयों को उनके सॉफ्टवेयर के साथ विधिवत एकीकृत किए गए 1000 पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की आपूर्ति की गई।
- चमुंडेश्वरी इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीईएससीओएम) बिलिंग प्रणाली के लिए डायनेमिक यूपीआई क्यूआर एकीकृत सक्षम किया गया - उपभोक्ता के भुगतान के लिए क्यूआर कोड द्वारा बिजली बिल उत्पन्न की गई।

फास्टैग

- बीबीपीएस और यूपीआई के जरिए फास्टैग रिचार्ज करने की सुविधा।

पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ



ई-रुपी वाउचर के जरिए हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का शुभारंभ



हिंदू रिलीजियस एंड चेरिटेबल इंडोमेन्ट्स डिपार्टमेंट, इंडियन बैंक के साथ ऑनलाइन संग्रह के लिए समझौता ज्ञापन आदान-प्रदान करते हुए।



“गवर्नमेंट ऑफ तामिलनाडु मूवलूर राममिरथम अम्मैयर पुथुमई पेन थिडुम” की पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति माह ₹1000 मुहैया कराने हेतु सह-ब्रांडेड रुपये क्रेडिट कार्ड जारी करना।



रुपे ऑन-द-गो आईबी रुपी की का शुभारंभ



दिल्ली, लखनऊ और कराईकल में इंडियन बैंक के तीन डिजीटल बैंकिंग इकाई का शुभारंभ।

14. सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक अपने सूचना सुरक्षा प्रेक्टिस के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईसीएमएस ISO 27001:2013 स्टैंडर्ड) से प्रमाणित है।
- बैंक साइबर सुरक्षा खतरों के विरुद्ध अपनी जानकारी की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए चौबीस घंटे सुरक्षा निगरानी करता है।
- बैंक में एक पूर्णकालिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) है जिनका मुख्य दायित्व सूचना आस्तियों की सुरक्षा के लिए स्थापित सुरक्षा प्रणालियों का विश्लेषण करना, निगरानी रखना और नियंत्रित करना है।
- बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा व सूचना सुरक्षा को प्रचलन में रखा गया है, जिन्हें समर्पित टीमों के द्वारा देखा जाता है और उनके कार्यों की समीक्षा लेखापरीक्षा के द्वारा की जाती है।
- बैंक अपने कर्मचारियों को साइबर खतरों से पूर्णतः अवगत रखने हेतु समय-समय पर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करता रहता है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि कार्मिक संपूर्ण रूप से जागरूक है और अपने द्वारा संभाली जा रही सूचनाओं को किसी भी स्थिति से सुरक्षित रखने हेतु पूर्णतः सक्रिय है।
- बैंक, ग्राहकों को किसी भी तरह का नवीनतम साइबर खतरा होने की स्थिति में संदेश एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संदेश प्रदर्शित कर, उनके बैंकिंग खातों को सुरक्षित रखने हेतु समय-समय पर सतर्क करते रहता है।
- बैंक ने किसी भी तरह के साइबर खतरों से निपटने एवं कम करने के उद्देश्य से घटना प्रबंधन विशेषज्ञ नियुक्त किया है।
- बैंक, भारतीय वित्तीय सेवाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न विनियामक एवं निगरानी एजेंसियों द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों/ परामर्शों का अनुपालन करता है और उचित कदम उठाता है।

15. परिसर

- हरित पहल का एक हिस्सा होने के नाते बिक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि को किए जाने वाले भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे- प्रत्यक्ष क्रेडिट /

एनइएफटी/ आरटीजीएस से किया जाता है। (केवल असाधारण परिस्थितियों में चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।)

- चेन्नै स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय स्वयं हरित इमारत है (हरित इमारत का दर्जा प्राप्त)।
- बैंक ने इमेज प्रेक्षागृह में 93 किलो वॉट पावर का सौर्य ऊर्जा प्लांट, प्रधान कार्यालय/ क्रेस्ट बिल्डिंग/कॉर्पोरेट कार्यालय में 106 किलो वॉट पावर का सौर्य ऊर्जा प्लांट एवं चेन्नै शहर के 11 शाखाओं में 115 किलो वॉट पावर का सौर्य ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है।
- नई शाखाओं को एलईडी लैंप लगाकर रोशन किया जा रहा है। शाखाओं में मौजूद लैंप लाइट्स को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।
- शाखाओं एवं कार्यालयों का समय-समय पर ऊर्जा निरीक्षण किया जाता रहा है।

16. आंतरिक नियंत्रण एवं निरीक्षण

- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में सभी शाखाएँ एवं व्यावसायिक इकाईयाँ शामिल हैं।
- विशिष्ट वर्टिकल एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के चयनित विभागों के अतिरिक्त कुल 1000 शाखाएँ जिनके पास कुल 71.67% घरेलु अग्रिम हैं उनका समवर्ती लेखापरीक्षा पूर्ण हो गया है।
- सभी शाखाओं में आय क्षरण की पहचान के लिए का अर्द्धवार्षिक आधार पर राजस्व लेखापरीक्षा हुई थी।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 78 अंचल कार्यालयों, 14 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के 34 विभागों में प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा के दौरान एक बाहरी लेखापरीक्षा प्रतिष्ठान द्वारा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एप्लीकेशन, नेटवर्क, सुरक्षा उपकरण और प्रक्रिया एवं जन सहित समामेलन पश्चात आईटी अवसंरचना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, भेद्यता मूल्यांकन और घुसपैठ परीक्षण किया गया।
- शाखाओं को 31 प्रकार के अलर्ट देने के लिए ऑफसाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया गया है।
- निरीक्षण अधिकारियों के कौशल विकास के उद्देश्य से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

- विभिन्न चैनलों के माध्यम से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए ग्राहकों को जागरूक किया गया और साथ ही साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, साझा किया गया है।
- सभी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (यूईबीटी) की निगरानी हेतु साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं निगरानी पोर्टल शुरू किया गया है।
- धोखाधड़ी की शिनाख्त करने एवं उसे रोकने हेतु एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया गया है और इसे बैंक में लेनदेन के सभी माध्यम से जोड़ा गया है।

- सभी स्टाफ सदस्यों के मध्य धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-पाठशाला पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन:

बैंक में एक बेहतर परिभाषित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी (आंतकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना) नीति है और यह धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बैंक के केवाईसी मानदंड, एएमएल मानक, सीएफटी उपाय के कार्यान्वयन का आधार है।

- बैंक ने एक एएमएल एप्लिकेशन अपनाया है जो एफआईयू-आईएनडी द्वारा सुझाए गए 94 रेड फ्लैग संकेतक (आरएफआई) के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) के नजरिए से ग्राहकों के लेनदेन की निगरानी करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन दुनिया भर में नियामकों द्वारा प्रकाशित प्रमुख स्वीकृत सूचियों के खिलाफ ग्राहक के नाम की जाँच करने में सक्षम बनाता है और संदिग्ध प्रकृति के लेनदेन की जाँच के लिए स्वचालित एएमएल अलर्ट की सुविधा प्रदान करता है।
- बैंक के प्रमुख (ओएफएसी, यूएपीए, यूएनएससीआर, एआई- कैदा) के साथ ऑनबोर्डिंग / पुनः केवाईसी प्रक्रिया के दौरान स्वचालित ग्राहक नाम प्रदर्शन के लिए एएमएल एप्लिकेशन के साथ-साथ सीबीएस के साथ विश्व अनुपालन डेटा फीड को शामिल करके ग्राहक सम्यक तत्परता (सीडीडी) प्रक्रिया को बढ़ाया है।
- एफआईयू-आईएनडी/आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुसार ग्राहक जोखिम वर्गीकरण प्रक्रिया को इसकी स्थिर प्रकृति से हाइब्रिड प्रकृति में बदला गया है।
- सीबीएस, टैब बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इंडोएसिस एवं बैंक की बेबसाइट उन सुविधाओं को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से केवल घोषणा के आधार पर विशेष रूप से उन प्रत्येक ग्राहकों के लिए पुनः केवाईसी अनुरोध प्राप्त किया जा सकता है, जिनके केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं है।

17. अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति को बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है जो बैंक के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी करता है।

18. सतर्कता

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उत्तरदायी है। यह सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है। सतर्कता विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होते हैं। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई/सीवीसी/सरकार, सीबीआई जैसे बाहरी एजेंसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ, नोडल अधिकारी होते हैं। सतर्कता विभाग निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित कर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है-

- सुरक्षात्मक सतर्कता पहल
- बैंक के प्रशासन में प्रणालीगत सुधार हेतु सुझाव देना
- संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों के साथ मिलकर सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों के संचालन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी करना
- वित्तीय वर्ष के लिए चयनित शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण करना और
- क्षेत्र सतर्कता यूनिटों/अंचल कार्यालयों के माध्यम से सतर्कता संबंधी मामलों के अधिकता और धोखाधड़ी वाली शिकायतों की जांच का संचालन करना।

वर्ष के दौरान सुरक्षात्मक सतर्कता पहल:

क्षेत्र सतर्कता यूनिट में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों हेतु गहन सतर्कता उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 9 से 10 जनवरी, 2023 तक आयोजित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022:

उक्त थीम के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू), दिनांक 31.10.2022 (सोमवार) से 06.11.2022 (रविवार) तक मनाया गया।

“भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत”

“Corruption free India for a developed Nation”.

इस वर्ष के थीम - ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत’ को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा इस सप्ताह के दौरान जागरूकता संबंधी गतिविधियों की श्रृंखला का आयोजन किया गया।

- 4 नवम्बर, 2022 को यू-ट्यूब चैनल पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ वेबिनार आयोजित किया गया।
- जनता में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन-जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 5 नवम्बर, 2022 को बैंक ने देशव्यापी उत्सव के रूप में वीएडब्ल्यू-2022 थीम पर स्लोगन वाले प्लेकार्ड और बैनर के साथ ‘मानव-श्रृंखला’ बनाकर कार्यक्रम का आयोजन किया।
- बैंक के समस्त स्टाफ सदस्यों के लिए ‘सतर्कता निवारक उपकरण’ विषय पर 6 दिनों (31.10.2022 से 05.11.2022 तक) का देशभर में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- प्रमुख तमिल दैनिक ‘द हिंदू तमिल थिसाई’ के सहयोग से थीम आधारित ‘ऑनलाइन क्विज व पेंटिंग’ का आयोजन किया गया।

19. सुरक्षा

- सुरक्षा से संबंधित उच्च क्षमता वाले डीवीआर/ एनवीआर आधारित अत्याधुनिक सीसीटीवी, विद्युत चालित सुरक्षा अलार्म एवं अग्नि सूचक यंत्र समस्त शाखाओं में मौजूद हैं।
- संवेदनशील स्थल जैसे सर्वर रूम, डीआर साइट्स में स्वचालित (मॉड्यूलर) क्लीन एजेंट आधारित अग्निशामक/गैस आधारित अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं और शाखाएँ/एटीएम, आग बुझाने के पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों से लैस हैं।
- कैश वैनो में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं।

- देश भर में बैंकों के स्वामित्व वाले एटीएम में केंद्रीकृत निगरानी के साथ 24 x 7 विधुतचालक निगरानी (ई-निगरानी) परिचालित है।
- बेहतर सुरक्षा उपाय के साथ 1000 शाखाओं में बैंक के इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी के माध्यम से शाखाओं की दूरस्थ निगरानी की जाती है।

20. विपणन

सोशल मीडिया पर ब्रांड बिल्डिंग गतिविधियां

सोशल मीडिया पर बैंक के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तथा लिंकडइन चैनलों का प्रबंधन किया गया और इन सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उत्पाद का प्रचार और सूचना प्रसार किया गया। बैंक के क्षेत्र स्तर की गतिविधियों, स्मरणीय दिवसों, अवसरों और बैंक की उपलब्धियों से संबंधित विशिष्ट सामग्री विकसित की गई और उसे सोशल मीडिया चैनलों पर प्रचारित किया गया। इस पर आकर्षक जीआईएफ और वीडियो भी पोस्ट किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हमारे फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है।

डिजिटल साइनेज

बैंक के उत्पादों, सुरक्षा यक्तियों और विभिन्न ग्राहक-केंद्रित विकासों के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक ने देश भर के चुनिंदा शाखाओं/कार्यालयों में 1949 डिजिटल साइनेज इकाइयां स्थापित और कॉन्फिगर की हैं। यह इकाइयां, इन शाखाओं के बैंक कर्मचारियों को लाभान्वित करने के साथ-साथ आंतरिक संचार की मुख्य विशेषताओं एवं विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करती हैं। डिजिटल साइनेज का यह लाभ ही है कि बैंक की अद्यतन जानकारी इसके माध्यम से तत्काल प्रसारित हो जाती है।

एआई-चैटबॉट

'आद्या' वेब आधारित चैटबॉट है। यह चौबीसों घंटे बैंक के उपलब्ध सामग्री के विषय में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप सूचना देने वाला एक ऐसा ग्राहक इंटरफेस है, जिसे बैंक की वेबसाइट के साथ ही मोबाइल के अनुकूल बनाकर हमारे इंडोएक्सिस मोबाइल बैंकिंग ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राहक के सामान्य संवाद की भाषा (वर्तमान में अंग्रेजी) में बैंकिंग-प्रश्नों को समझने के लिए, एक उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एल्गोरिदम पर, यह चैटबॉट बनाया गया है। इसमें निर्देशित मैनू फंक्शनलिटी के जरिए खाते की शेष राशि देखने, ऋण हेतु आवेदन करने, बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की गई है।

कार्यक्रम प्रबंधन

सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 कप

इंडियन बैंक ने दिव्यांगों के लिए लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट - 'सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 कप' के दूसरे सीजन के लिए डिफरेंटली एबलड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीसीआई) को सहयोग दिया है। सप्ताह भर चलने वाली इस टूर्नामेंट का आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस आयोजन में देश भर से आए हुए दिव्यांग क्रिकेटर्स की बीस टीमों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली का शैक्षणिक दौरा

बैंक की सीएसआर गतिविधियों के तहत, 5 आकांक्षी जिलों - तमिलनाडु के 2

जिलों (विरुद्धनगर और रामनाथपुरम) तथा आंध्र प्रदेश के 3 जिलों (विशाखापत्तनम, वाईएसआर कडप्पा और विजयनगरम) के सरकारी स्कूलों के 68 मेधावी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए दिल्ली में एक शैक्षणिक दौरे की व्यवस्था की गई थी।

इस दौरा कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, दिल्ली में इंडियन बैंक के अधिकारियों द्वारा छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया।

21. कॉर्पोरेट संप्रेषण

बाहरी संप्रेषण

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ग्राहकों तक पहुँच बनाने के लिए उत्पाद के बारे में विज्ञापन, सरकारी योजनाओं तथा साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुरक्षा पर ग्राहक केन्द्रित जगरूकता, बैंक की उपलब्धियों और समाज हितकारी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के लिए बैंक द्वारा विभिन्न विज्ञापन दिए गए एवं प्रचार-प्रसार के लिए अनेक पहल किए गए।
- बैंक ने डिजिटल प्रक्रिया के शुभारंभ, वित्तीय परिणामों की घोषणा, क्रेडिट ऑउटररी अभियान, प्रदर्शनी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से जैसे दिल्ली, लखनऊ एवं कोरैकल में समर्पित डिजिटल बैंकिंग यूनिट के लांच, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा, आदि सहित विभिन्न अवसरों पर प्रेस वार्ता, बैठकों एवं शीर्ष प्रबंधन के साथ भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से विशेष साक्षात्कारों का आयोजन किया है।
- बैंक की विविध गतिविधियों और आजादी का अमृत महोत्सव (अकाम) पर एंकर माह की गतिविधियों को विभिन्न प्रिंट मीडिया जैसे ईटी नाउ, सीएनबीसी टीवी 18 ग्रुप, न्यूज 7, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस लाइन, द इकोनॉमी टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडिया एक्सप्रेस, डेली थॉंथी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दिनामनी इत्यादि में विभिन्न अवसरों पर प्रमुखता से कवर किया गया।
- अकाम एंकर माह के दौरान, बैंक ने दक्षिण भारतीय भाषा के अग्रणी अखबार, टेलीविजन चैनल एवं एफएम रेडियो में 'आजादी का अमृत महोत्सव' थीम पर आधारित विज्ञापन जारी किया।

आंतरिक संप्रेषण

- बैंक के विभिन्न आयोजनों जैसे सीएसआर कार्यक्रम, संसदीय समिति का दौरा आदि की जानकारी सम्प्रेषण के आंतरिक चैनलों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रसारित किया गया।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे महिला दिवस, मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए रचनात्मक सहयोग के लिए प्रदर्शन भी लगाए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

- बैंक की सीएसआर संबंधी पहल बैंकिंग से इतर और पर्यावरण एवं प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के अतिरिक्त समुदायों के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने, शिक्षा और साक्षरता का समर्थन करने की दिशा में काम करती है।
- एक सशक्त और जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में बैंक ने भारत के लोगों की सेवा

करने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ समाज के हित में अनेक कार्य किए हैं और अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए भी कई कार्य किए हैं जो निम्नवत हैं:

- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
- समावेशी विकास
- हरित पहल और पर्यावरणीय स्थिरता
- वित्तीय साक्षरता एवं व्यावसायिक कौशल में वृद्धि
- स्वास्थ्य एवं कल्याण

सीएसआर हाईलाइट्स

बैंक ने देश भर में समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न कार्य किया है।



तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 5 आकांक्षी जिलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए दिल्ली में शिक्षा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में शंकर आई फाउंडेशन इंडिया के माध्यम से 1000 मोतियाबिंद सर्जरी प्रायोजित की गई।



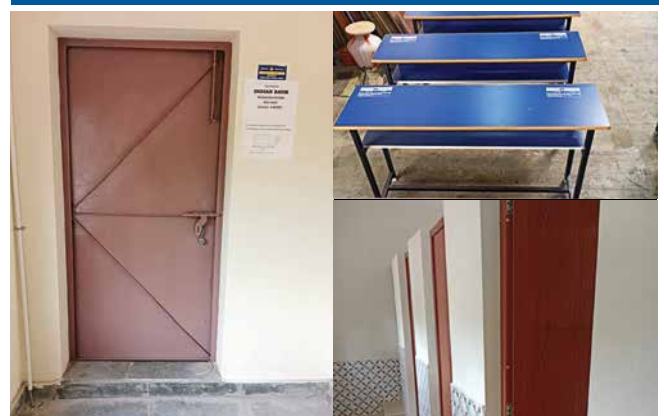
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2023 में 'माघ मेला' के दौरान 'पिंक शौचालय' प्रायोजित की गई।



श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में, आनंदम लर्निंग सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, चेन्नै को बेस्पोक फर्नीचर प्रदान किया गया।



इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को 190 ट्रॉली स्ट्रेचर प्रदान किया गया।



नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी), वल्लियूर में छात्रों के लिए शौचालयों के निर्माण के अलावा डेस्क और बेंच प्रदान किया गया।



कांचीपुरम में कचड़ा संग्रह के लिए निगम को बैटरी संचालित वाहन प्रदान किया गया।



नगर निगम, त्रिची के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए 3000 'रेन कोट' का वितरण किया गया।



भागीरथी आर्य कन्या इंटर कॉलेज, मेरठ की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक और जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल और स्कूल बैग प्रदान किया गया।



श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट, करनाल के लिए ई-रिक्शा प्रदान किया गया।



रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयंबतूर को महिंद्रा बोलेरो वाहन प्रदान किया गया।



सेलम नगर निगम के कर्मचारियों को स्वच्छता उपकरण का वितरण किया गया।



असम में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में सहयोग राशि प्रदान किया गया।



उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, वाराणसी और सीतापुर जिलों में हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई।



उदयम चैरिटेबल सोसाइटी, कोझिकोड को बहुउद्देश्यीय वाहन प्रदान किया गया।



चेन्नै में समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों के लिए अन्न सेवा अभियान (खाद्य वितरण गतिविधि)।



भुवनेश्वर में हरित पहल के तहत पौधारोपण प्रायोजित की गई।



जीवन आशा अस्पताल, नोएडा के माध्यम से कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया।

22. खेल

गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बैंक के खिलाड़ियों का प्रदर्शन



- बैंक की एथलीट सुश्री निशा और सुश्री गिरिधरिनी ने क्रमशः हरियाणा राज्य के लिए 4 × 400 मीटर और तमिलनाडु राज्य के लिए 4 × 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता। (दोनों एथलीट हाल ही में नियुक्त हुए हैं।)



- बैंक के बॉस्केटबॉल खिलाड़ी सर्वश्री पी. बलधेश्वर, मुहुन बेक हफीज (अंतर्राष्ट्रीय), आर. अरविंद कुमार (हाल ही में नियुक्ति/अंतर्राष्ट्रीय), ए सूर्या, आर. हरिहरन, जिनीव बेनी ने 5 × 5 (5 बाय 5) के तमिलनाडु (पुरुष) नियमित प्रतियोगिता में स्वर्णपदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बैंक के बॉस्केटबॉल खिलाड़ी श्री मुकुंद चारी ने 3×3 (3 बाय 3) प्रतियोगिता के पहले संस्करण में रजत पदक जीता।

- श्री प्रशांत सिंह रावत ने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। (हाल ही में नियुक्त/अंतर्राष्ट्रीय)
- सर्वश्री अक्षय कुमार और विनोदन ने राष्ट्रीय खेलों में तमिलनाडु हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।
- बैंक की वॉलीबॉल टीम के सदस्य सर्वश्री योगनाथन, मोहन कुमार, मुधु श्रीनिवास ने तमिलनाडु वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता।



उपरोक्त खिलाड़ी/पदक विजेता, जिन्होंने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2022 को चैन्ने में खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित एक भव्य समारोह में स्वर्ण पदक विजेता को नकद रु.2.50 लाख, रजत पदक विजेता (टीम इवेंट) को रु.1.50 लाख एवं एथलीट रजत पदक विजेता को रु.2.00 लाख का पुरस्कार व्यक्तिशः प्रदान किया गया।



एथलीट

द्वितीय यू-23 राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में, सुश्री गिरिधरिनी ने 24.80 सेकेण्ड में 200 मीटर इवेंट जीती और 100 मीटर इवेंट 11.89 सेकेण्ड में पूरी की एवं इवेंट के विजेता से केवल .26 सेकेण्ड पीछे रह गई। कुल मिलाकर उन्होंने उन सभी इवेंटों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने भाग लिया।



क्रिकेट



आदित्य गढ़वाल



करण शिंदे

श्री किरदंत करण शिंदे और श्री आदित्य गढ़वाल, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, उन्होंने 12 नवम्बर, 2022 और 2 दिसम्बर, 2022 के बीच आयोजित विजय हजारे अंतर्राज्य क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में क्रमशः आंध्र प्रदेश और राजस्थान

राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2022-23 सत्र हेतु रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता में क्रमशः आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

पैराशूटिंग



सुश्री पूजा अग्रवाल ने 15 से 26 अगस्त 2022 के बीच चांगवोन, दक्षिण कोरिया 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में आयोजित मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच-1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता।

23. राजभाषा कक्ष

- बैंक में दिनांक 14.09.2022 से 29.09.2022 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।
- बैंक द्वारा 'बैंकों में वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जोखिम प्रबंधन' विषय पर अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा बैंक के अंचल कार्यालयों एवं शाखाओं को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए।



माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता एवं श्री एस एल जैन, एमडी एंड सीईओ की उपस्थिति में दिनांक 10.05.2022 को नाराकास की 71वां अर्द्धवार्षिक बैठक संपन्न हुआ।

- 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में बैंक द्वारा 'राष्ट्रीय चेतना के दीप स्तम्भ' पुस्तक का प्रकाशन किया गया।



दिनांक 29.09.2022 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर श्री एस एल जैन, एमडी एंड सीईओ द्वारा "इंड छवि" राजभाषा पत्रिका का विमोचन किया गया।

24. पुरस्कार और प्रशस्तियाँ:

स्वयं सहायता समूह:

- तमिलनाडु सरकार द्वारा एसएचजी ऋण देने में बैंक को लगातार 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया।
- अपने बैंक को नाबार्ड से वित्तीय वर्ष 22 हेतु एसएचजी- बैंक लिंकड कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त हुआ।



- बैंक को वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक द्वारा एसएचजी सदस्यों को जल, सफाई एवं स्वच्छता गतिविधियों हेतु लिए गए पहल के लिए Sa-dhan and Water.Org से जल एवं स्वच्छता वित्तपोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इंडियन बैंक को नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 हेतु एसएचजी-बैंक लिंकड कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एमएसएमई:

- सीजीटीएमएसई द्वारा सम्मानित - "बैंक को सूचना प्रसार 2022-23 में सर्वोत्तम प्रयास के लिए पुरस्कार"



- नई दिल्ली में आयोजित एसोचैम के 9वें एसोचैम उत्कृष्टता पुरस्कारों में "उत्कृष्ट एमएसएमई बैंक-पीएसबी श्रेणी" से सम्मानित
 - 23 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित सीआईएमएसएमई - एम एसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में उप विजेता से सम्मानित . इनोवेटिव बैंक श्रेणी के तहत
 - फिक्की-सीएमएसएमई ने इंडियन बैंक को 'एमएसएमई सेवारत हेतु उत्कृष्ट बैंक' से सम्मानित किया।
 - बैंक को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा एमएसएमई सेवारत हेतु उत्कृष्ट बैंक अवार्ड के अंतर्गत "सह-विजेता" के रूप में सम्मानित किया गया।
- पीएमईजीपी तमिलनाडु राज्य स्तर-विव 2021-22 हेतु उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन बैंक

वित्तीय समावेशन:

- बैंक ने विव 22 हेतु अटल पेंशन योजना नामांकन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।



- बैंकों के एमडी एंड सीईओ हेतु लीडरशीप पिनेकल अभियान (2 जनवरी से 14 फरवरी, 2023) और बैंकों के ईडी हेतु इन सर्किल ऑफ एक्सीलेंस

अभियान (1 अक्टूबर-14 नवम्बर, 2022) - बैंक समस्त पीएसबी में प्रथम स्थान हासिल किया और पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा उत्कृष्टता का अनुकरणीय पुरस्कार हेतु उत्तीर्ण किया।

- बैंक पीएफआरडीए द्वारा आबंटित एपीवाई लक्ष्य का 146% हासिल किया और विव 2022-23 हेतु अब तक के सबसे ज्यादा प्रत्येक शाखा की औसत खाता 117 के साथ "वार्षिक एपीवाई अवार्ड ऑफ पार एक्सलेंस" हेतु उत्तीर्ण किया।

मानव संसाधन विकास:

- इंडियन बैंक प्रबंधन विकास एवं उत्कर्ष अकादमी (इमेज) को 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2023' से नवाजा गया। एमडी एंड सीईओ एवं जीएम/एचआरएम को माननीय मंत्री एवं कैबिनेट सदस्य ए यूई द्वारा दुबई में अवार्ड प्राप्त हुआ।



25. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी) का मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु), सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) और पुदुवई भारतियार ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पुदुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी) में है।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के (आरआरबी) के संबंध में, शाखा नेटवर्क 917 (मार्च 2022) से 18 बढ़कर 917 शाखाएं (मार्च 2023) हो गया है। तीन आरआरबी का कुल कारोबार यथास्थिति मार्च 2022 में ₹54121 करोड़ के सापेक्ष यथास्थिति मार्च 2023 में ₹64727 करोड़ था।
- समस्त तीन लाभ अर्जित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) है।

यथास्थिति 31.03.2023 कारोबार की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरआरबी का नाम	शाखाओं की संख्या	जमा राशि	अग्रिम	कारोबार	शुद्ध लाभ	शुद्ध एनपीए %	सीआरएआर %
1	तमिलनाडु ग्राम बैंक	655	19938	20479	40417	418	0	13.61
2	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	234	11937	10122	22059	264	0	15.76
3	पुदुवई भारतियार ग्रामीण बैंक	46	1138	1113	2251	15	0	10.55
कुल		935	33013	31714	64727	697	..	..

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों आरआरबी पीएमजेडीवाई के तहत 1210 एसएसए गांवों को कवर कर रहे हैं और इस योजना के तहत 12.98 लाख खाते खोले गए हैं। आरआरबी ने पीएमएसबीवाई के तहत 11.49 लाख लाभार्थियों और पीएमजेजेबीवाई के तहत 5.58 लाख लाभार्थियों और एपीवाई योजना के तहत 2.39 लाख लाभार्थियों को कवर किया है।



कारोबार उत्तरदायित्व
एवं
स्थिरता रिपोर्ट
2022-23

खंड ए : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण:

1. सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): लागू नहीं
2. सूचीबद्ध संस्था का नाम: इंडियन बैंक
3. निगमन का वर्ष: 1907, राष्ट्रीयकरण की तिथि: 19 जुलाई 1969
4. पंजीकृत कार्यालय का पता: 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001
5. कॉर्पोरेट पता: 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रॉयपेट्टा, चेन्नै - 600 014
6. ईमेल: ibinvestorrelations@indianbank.co.in, investors@indianbank.co.in
7. दूरभाष: 044-28134484
8. वेबसाइट: www.indianbank.in
9. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष: 2022-23
10. स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर सूचीबद्ध हैं: बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
11. प्रदत्त पूंजी: ₹. 1245.44 करोड़
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता):
श्री सुजीत कुमार डे
मुख्य महाप्रबन्धक - आरएमडी / सीआरओ
दूरभाष सं. 044-28134566
ईमेल आईडी cro@indianbank.co.in
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है) किए गए हैं।
पूरे भारत में इंडियन बैंक के सभी कार्यालयों और शाखाओं सहित स्टैंडअलोन आधार पर।

II. उत्पाद और सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90 प्रतिशत हिस्सा):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का प्रतिशत
1	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं	बैंक कॉर्पोरेट, एमएसएमई को कई बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं जैसे जमा, ऋण उत्पाद, बीमा सेवाएं, डेरिवेटिव सेवाएं प्रदान करता है। बैंक विदेशी विनिमय मुद्रा उत्पाद, कृषि और ग्रामीण बैंकिंग उत्पाद भी प्रदान करता है। बैंक खुदरा ऋण और म्युचुअल फंड में भी है।	100

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90 प्रतिशत हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का प्रतिशत योगदान
1	बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं	64191	100

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित है:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	6155*	6155
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	3 #	3

* इसमें पूरे भारत में स्थित 5788 शाखाएं, 367 कार्यालय और प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं।

इसके अलावा बैंक की एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) गांधी नगर, गुजरात में है।

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	34 (राज्य और केंद्रशासित प्रदेश)
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	2

बी. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

संस्था निर्यात में नियोजित नहीं है

सी. ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त विवरण

इंडियन बैंक खुदरा उपभोक्ताओं, लघु और मध्यम प्रकार के व्यवसायों, बड़े कॉर्पोरेट, कृषि और ग्रामीण ग्राहकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों सहित ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए, विविध श्रेणी के वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

खुदरा ग्राहकों के लिए, इंडियन बैंक बचत खाते, चालू खाते, मीयादी जमा, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसे उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत करता है।

लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) मुद्रा ऋण, सीजीटीएमएसई और स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इंडियन बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इंडियन बैंक लार्ज कॉर्पोरेट्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है जिसमें कार्यशील पूंजी ऋण, मीयादी ऋण, परियोजना वित्त आदि शामिल हैं।

इंडियन बैंक के लिए कृषि और ग्रामीण ग्राहक भी एक महत्वपूर्ण ग्राहक खंड हैं। बैंक इन ग्राहकों को फसल ऋण, ट्रैक्टर ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि सहित विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, इंडियन बैंक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित सरकारी संगठनों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

समान्यतः इंडियन बैंक विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है और उनकी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत के विवरण:

ए. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित):

क्रम	ब्यौरा	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	41699	29425	70.56	12274	29.44
2.	स्थायी के अलावा (ई)	17	8	47.05	9	52.94
3.	कुल कर्मचारी (डी+ई)	41716	29433	70.55	12283	29.45
श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	कुल श्रमिक (एफ+जी)					

बी. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्रम	व्यौरा	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	1113	865	77.72	248	22.28
2.	स्थायी के अलावा (ई)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी+ई)	1113	865	77.72	248	22.28
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (एफ + जी)					

19. महिलाओं की भागीदारी/शामिल/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	10	1	10
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक *	4	0	0

* प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(गण) को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है।

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर*

	वित्त वर्ष 23			वित्त वर्ष 22			वित्त वर्ष 21		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	1.01%	1.03%	1.02%	0.81%	0.96%	0.85%	0.44%	0.45%	0.45%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

V. होलिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित)

21. (ए) होलिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम विवरण प्रदान करें

क्रम सं	होलिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	क्या होलिंग/ अनुषंगी/ एसोसिएट/संयुक्त उद्यम है? इंगित करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा आयोजित शेयरों का प्रतिशत	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1	इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	64.84	नहीं
2	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	अनुषंगी	51	नहीं
3	तमिलनाडु ग्राम बैंक	सहयोगी	35	नहीं
4	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35	नहीं
5	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	सहयोगी	35	नहीं
6	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस बैंक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	28.52	नहीं
7	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	38.265	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. I. क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)? नहीं
यद्यपि बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान 1831.77 लाख रुपए खर्च किए हैं। विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	सीएसआर गतिविधि	राशि (₹ लाख में)
1	समावेशी विकास	212.81
2	वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि	1390.15
3	हरित पहल और पर्यावरण स्थिरता कार्बन फुट-प्रिंट को कम करना	49.51
4	लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण	6.45
5	स्वास्थ्य और कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताएं	172.04
6	कोविड-राहत	0.71
	दान	0.1
कुल		1831.77

- II. टर्नओवर (रुपये में): रुपये 52085.27 करोड़
III. नेट वर्थ (रुपये में): रुपये 37431.30 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 23			वित्त वर्ष 22		
	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	-	-	-	-	-	-	-
निवेशकगण (शेयरधारक के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हां https://indianBank.in/investors-services-ib/#!	146	0	-	77	1	वित्त वर्ष 22-23 में हल किया गया
कर्मचारी एवं श्रमिक	हां https://indianBank.in/wp-content/uploads/2022/08/Reserve-Bank-Integrated-Ombudsman-Scheme-2021.pdf	10449	346	-	4387	20	-
ग्राहक	हां https://indianBank.in/departments/customer-centric-services/#!	99298	838	-	254183	1588	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों का संकेत दें, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, इसके वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ जोखिम को अनुकूलित या कम करने के लिए दृष्टिकोण निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करें।

जबकि बैंक आने वाले समय में ईएसजी मुद्दों का अधिक महत्वपूर्ण सामग्री मूल्यांकन करेगा, बैंक ने कुछ प्रासंगिक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है जिनका विवरण यहां दिया गया है।

क्र. सं.	चिन्हित मामले	इंगित करें कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
1	गोपनीयता और डेटा सुरक्षा	अवसर और जोखिम	जोखिम डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के साथ-साथ डिजिटलीकरण की निरंतर प्रगति ने डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मामले में उत्पन्न भेद्यता को काफी बढ़ा दिया है। अवसर: साइबर खतरों को कम करने के लिए एक मजबूत सूचना सुरक्षा तंत्र बनाया जाना आवश्यक है और सभी हितधारकों के गोपनीय डेटा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित कर सकता है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देकर, हम न केवल अपने उद्यम और ग्राहकों को सुरक्षित करते हैं बल्कि डिजिटल क्षेत्र में प्रगति और विस्तार की संभावनाएं भी उत्पन्न करते हैं।	संगठन द्वारा साइबर सुरक्षा जोखिमों को शामिल करते हुए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन और शमन नीति तैयार किया गया है, और साइबर हमलों, खतरों और कमजोरियों से बैंक के डेटा की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से इसकी निगरानी और मूल्यांकन करता है।	सकारात्मक: सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्वचालन, बेहतर जनसंपर्क और हितधारकों की विश्वसनीयता, बेहतर डेटा प्रबंधन और संवर्धित विश्वास। नकारात्मक: गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का उल्लंघन
2	जलवायु परिवर्तन एवं प्रशासन	अवसर और जोखिम	जोखिम: जलवायु परिवर्तन की घटना ने व्यवसायों की प्रतिष्ठा के लिए जोखिमों को बढ़ा दिया है। अभिशासन प्रक्रियाओं के संबंध में शेरधारक सक्रियता में वृद्धि हुई है। स्वाभाविक उतार-चढ़ाव ने समाज पर अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है जो एनपीए में वृद्धि और बैंक की संपत्ति को नुकसान/क्षति के माध्यम से बैंक की संपत्ति (ऋण और अचल संपत्ति) पर प्रभाव डालेगा। अवसर: व्यवहार्य दीर्घकालिक समाधान चुनना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट पर प्रकाश डालता है, लागत बचत के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करता है। शिक्षा को बढ़ावा देने और भोजन और राशन जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के प्रति अपना समर्थन देना।	ईएसजी से संबंधित कारकों पर निगरानी और जांच बैंक की बीआरएसआर समिति द्वारा की जाएगी - हमने जलवायु जोखिम पर ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए व्यापक आधार पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। हमने अपने कारोबारी फसलों, पूंजी प्रबंधन और सीएसआर गतिविधियों में जलवायु जोखिम को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। - बैंक ने इस ओर उचित ध्यान दिया है और वह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संबंध में की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ तत्पर है।	नकारात्मक: भौतिक और नियामक जोखिम। सकारात्मक: उन्नत जोखिम प्रबंधन, ब्रांड छवि, ऊर्जा और पानी की बचत में सुधार। हम निवेश के रूप में जलवायु जोखिम को कम करने में अपना योगदान देते हैं, क्योंकि हम व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं।

3	सामुदायिक और सामाजिक प्रभाव	अवसर	बैंक अपनी स्थापना के बाद से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मूल्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कमजोर, वंचित और सीमांत हितधारकों की पहचान करना और उनका सहयोग करना इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अपनी विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से, बैंक उन परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करने का प्रयास करता है जो समाज के इन वंचित और सीमांत वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, बैंक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साझेदारी करता है ताकि शिक्षा को बढ़ावा देने और भोजन और राशन जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के प्रति अपना सहयोग बढ़ाया जा सके।	लागू नहीं	सकारात्मक: हम वंचित और कमजोर लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित हैं, और सीएसआर पहल का समर्थन इस प्रयास का एक प्रमुख पहलू है। ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, हमारा उद्देश्य सकारात्मक प्रभाव पैदा करना और समाज की बेहतरी में योगदान देना है।
4	मानव पूंजी	अवसर और जोखिम	अवसर: बैंक उत्थान की दिशा में लगातार कार्य कर रही और बैंक की विकास रणनीति में कर्मचारियों की भूमिका पर बल देती है। मानव पूंजी को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि यह बैंक के समग्र विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जोखिम: बैंक को अपने कर्मचारियों पर ध्यान देना होगा और उन्हें बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प बनाना होगा, क्योंकि उद्योग में तेजी से वृद्धि और विकास हो रहा है। बाजार में अन्य सभी संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बैंक को अपने कार्यबल को बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा।	हमारे बैंक की संस्कृति उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सभी के लिए समान अवसर पर आधारित है। हम उन कर्मचारियों को वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करने में विश्वास करते हैं जो लगातार उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें अपने करियर में समय से पहले आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। बैंक मानव संसाधन विकास के लिए कई प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है जैसे- ई लर्निंग (स्व-अर्जन मंच ई-पाठशाला), शारीरिक प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण, कैप्सूल कार्यक्रम और वेबिनार आदि।	सकारात्मक: विभिन्न मानव संसाधन प्रस्तावों के माध्यम से प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखने से उत्पादकता बढ़ती है। नकारात्मक: उच्च संघर्षण की संभावना वेतन मुद्रास्फीति और निरंतरता में नुकसान की ओर ले जाती है।
5	वित्तीय साक्षरता	अवसर	भारत उस स्थान पर है जहां लोगों को यह जानना अनिवार्य हो गया है कि पुराने तरीके या उपकरण भविष्य में आने वाली मुद्रास्फीति और कर देनदारियों के लिए जोखिम हो सकते हैं। वित्तीय साक्षरता दीर्घकाल तक बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और रहेगा।	बैंक वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता को अत्यधिक महत्व देता है, और इसके लिए नीतियां बनायी गई हैं: - बैंक ने अपनी सीएसआर नीति के तहत वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। - बैंक ने सामाजिक सरोकारों और अवसरों के लिए वित्तीय सेवाओं को शामिल किया है, जिसके तहत उसने वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले हैं, जिसके माध्यम से बैंक वित्तीय साक्षरता और परामर्श सत्र प्रदान करता है। - बैंक के 42 केंद्रों पर एफएलसी हैं और पूरे भारत में 59 सीएफएल हैं, जिनमें वित्तीय समावेशन के तहत बैंक की पहल के हिस्से के रूप में प्रवासी श्रमिकों और झुग्गीवासियों के लाभ के लिए चेन्नै, दिल्ली क्षेत्र और मुंबई में शहरी वित्तीय साक्षरता केंद्र शामिल हैं।	सकारात्मक - बैंक सामाजिक हितों के लिए काम करता है और जमीनी हकीकत के बारे में सीखता है क्योंकि यह बड़ी जनसंख्या से जुड़ी हुई है। - वित्तीय साक्षरता प्रदान करके वंचित वर्गों की मदद करना। - हर एक के लिए बेहतर संपत्ति निर्माण में मदद करना।

6	फिनटेक वैल्यू पार्टनरशिप	अवसर	फिनटेक नए जमाने के तकनीकी जानकारी ग्राहक तक पहुंचने और लागत प्रभावी और कुशल तरीके से प्रत्येक नागरिक तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है।	हालांकि गतिविधि में अंतर्निहित जोखिम है, बैंक ने इसे प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त और उचित जोखिम कम करने वाले (परिचालन और कानूनी) उपाय किए हैं।	यह देश भर के ग्राहकों के अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक को लागत प्रभावी, सुरक्षित और कुशल तरीके से मदद करेगा।
7	हरित एवं सतत वित्त पोषण	अवसर	जलवायु जोखिम को कम करने के तरीकों पर दुनिया भर में हरित ऊर्जा के स्रोतों को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसने बदले में हरित ऑटोमोबाइल, हरित विनिर्माण आदि के क्षेत्रों में कई आविष्कार किए हैं। हरित ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र ने बैंकों को वित्तपोषण का अवसर प्रदान किया है।	हरित ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण में इसके विकास के वर्तमान चरण, बाजार द्वारा अपनाए जाने, वैधानिक नियमों आदि के कारण अंतर्निहित जोखिम है। बैंक ने पर्याप्त और उपयुक्त जोखिम कम करने वाले उपाय किए हैं। इसके अलावा बैंक इस क्षेत्र में विकास की लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी विकसित स्थिति को अपनाने के लिए तैयार है।	ऊर्जा के हरित और दीर्घकालिक स्रोतों और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तपोषण एक दीर्घकालिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है और यह नए क्षेत्रों की ओर हमें अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। हम मानते हैं कि एक बैंक के रूप इस क्षेत्र में स्थायी रूप में योगदान कर सकते हैं।

खंड बी : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
बी. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	उन्हें इंटरनेट में उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि वे आंतरिक दस्तावेज होते हैं, इसलिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में क्रियान्वित किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियों में आपके मूल्य शृंखला भागीदारों को शामिल किया गया है? (हां/नहीं)	----लागू नहीं ----								
4. क्या आपकी संस्था द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणीकरण/ लेबल/मानक (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम अपनाए गए हैं और प्रत्येक सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5. संस्था द्वारा परिभाषित समयसीमा के साथ विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त सिद्धांतों के संबंध में इकाई द्वारा कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था का निष्पादन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण	----लागू नहीं ----								

सिद्धांत	नीति
सिद्धांत 1: व्यवसाय को ईमानदारी के साथ-साथ नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और खुद को अभिशासित करना चाहिए	अनुपालन नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, नैतिकता से संबंधित नीति, उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान, ग्राहकों के लिए बैंक प्रतिबद्धता कोड, संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति, आरटीआई, सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण घटना या सूचना के निर्धारण के लिए नीति, फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस कोड, लाभांश वितरण नीति, बैंक की सर्वोत्तम प्रविधि कोड, बैंकिंग लोकपाल योजना
सिद्धांत 2: व्यवसाय के तहत वस्तु और सेवाएं इस तरह प्रदान करनी चाहिए जो दीर्घकालिक और सुरक्षित हो	ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव जांच नीति, समूह ग्रेच्युटी नीति, डेरिवेटिव्स नीति, एएलएम नीति

सिद्धांत 3: व्यवसाय के तहत अपने कर्मचारियों सहित उनसे जुड़े सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए	कर्मचारी अनुकूल मानव संसाधन पहल, वृद्धि और विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियां, समान अवसर नीति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां, कर्मचारी लाभ, शिकायत निवारण नीति, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की सुरक्षा और रोकथाम, व्हिसल ब्लोअर नीति
सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए	लाभांश वितरण नीति, सीएसआर पहल, ग्राहक शिकायत निवारण नीति और सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को मुआवजा, उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान, एएलएम नीति, जमा/दावारहित जमा नीति
सिद्धांत 5: व्यवसाय के तहत मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	सीएसआर पहल, बैंक की सभी मानव संसाधन नीतियां, कर्मचारी लाभ, शिकायत निवारण तंत्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, व्हिसल ब्लोअर नीति
सिद्धांत 6: व्यवसाय के तहत पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए	सीएसआर पहल, हरित पहल
सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे व्यवसायों द्वारा ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव जांच नीति, समूह ग्रेच्युटी नीति, डेरिवेटिव्स नीति, फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस कोड, लाभांश वितरण नीति, एसएमई के लिए ऋण पुनर्चना प्रविधि, एसबीए एवं एससीए की नियुक्ति नीति
सिद्धांत 8: व्यवसाय के तहत समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए	सीएसआर पहल, एमएसएमई से संबंधित योजनाएं, उपेक्षित और कमजोर लोगों के लिए ऋण सुविधाएं, वृद्धि और विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संबंधित नीतियां, कर्मचारी लाभ, शिकायत निवारण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, व्हिसल ब्लोअर नीति, समान अवसर नीति, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नीति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी), इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी)
सिद्धांत 9: व्यवसाय के तहत अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति, सोशल मीडिया के लिए नीति, बैंक के ग्राहकों के अधिकार, बीसीएसबीआई, बैंक का सर्वोत्तम अभ्यास कोड, जमा नीति, चेक अनादर निपटान, बैंक की आचार संहिता, साइबर सुरक्षा नीति, बैंकिंग लोकपाल योजना

7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक द्वारा कथन

100 से अधिक वर्षों की सेवा ने हमें सिखाया है कि एक सतत तरीके से वृद्धि और विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बैंक वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का पालन करने के लिए समर्पित है, जो इसके मूल सिद्धांतों में एकीकृत हैं। कर्मचारी हित, समावेशी विकास, नैतिकता और पारदर्शिता हमारे मूल मूल्य में समाविष्ट हैं और प्रभावी शासन के मानक, स्थायी आचरण को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक मूल्य के निर्माण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम समझते हैं कि धारणीयता दीर्घकालिक सफलता का एक प्रमुख चालक है। अतः हम उन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और शासन के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं। हम विभिन्न रणनीतियों की पहल को कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और हमारी श्रमशक्ति की विविधता और समावेशन को बढ़ाना। हम अपने शेयरधारकों के साथ उनकी सोच को समझने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम कर रहे हैं।

8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक श्री सुजीत कुमार डे मुख्य महाप्रबंधक - आरएमडी/सीआरओ टेलीफोन नंबर: 044-28134566 ई-मेल आईडी: cro@indianbank.co.in
9. क्या संस्था के पास धारणीयता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	संगठन के भीतर प्रत्येक समिति अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों और विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के विशिष्ट लक्ष्यों के सेट पर विचार करके धारणीयता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। वे इन मुद्दों को सावधानी से इस तरह से निपटाते हैं जो संगठन में धारणीयता के लिए एक व्यापक और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए उनके जनादेश और अनुरूप दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं।

10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण

समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों का निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हमारा बैंक त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणन और परीक्षण कर रहा है, गैर-अनुपालन जोखिम सूचकांक का उपयोग करके अनुपालन जोखिम का आकलन करता है और एसीबी को त्रैमासिक अनुपालन जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट करता है जबकि अनुपालन की वार्षिक समीक्षा बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है।								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन किया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

सलाहकार/परामर्शदाता नीतियों और अनुपालन का आकलन करते हैं। मैसर्स डेलोइट ने वित्तीय वर्ष 23 में यह कार्य पूरा किया है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था सिद्धांतों को अपने कारोबार के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

खंड सी: सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: व्यवसाय को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव	व्यक्तियों की कुल संख्या (ए)	प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों की संख्या (बी)	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का:
निदेशक मंडल	3	एगॉन जेहेंडर द्वारा आयोजित निदेशक विकास कार्यक्रम, आईआईबीएफ द्वारा आयोजित जलवायु जोखिम और धारणीयता वित्त पर बैंकिंग कॉन्क्लेव और आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित बोर्ड के सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा ने उपरोक्त विषयों को कवर किया	10	10	100%
मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक*	3	एगॉन जेहेंडर द्वारा आयोजित निदेशक विकास कार्यक्रम, आईआईबीएफ द्वारा आयोजित जलवायु जोखिम और धारणीयता वित्त पर बैंकिंग कॉन्क्लेव और आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित बोर्ड के सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा ने उपरोक्त विषयों को कवर किया	4	4	100%
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	264	नोट देखें	25073	24694	98.49%
श्रमिक	लागू नहीं				

* प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक (कों) को मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक माना गया है।

नोट :

- नेतृत्व विकास कार्यक्रम, निवारक सतर्कता का कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण, सीआरओ पर पुनर्धर्या कार्यक्रम, मुख्य अनुपालन अधिकारी के लिए अनुपालन पूरे होने के लाभों पर संगोष्ठी, जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम, परिवर्तन जोखिम और उपयुक्त वित्त, आईटी और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम, डिजिटल बैंकिंग शीर्ष पर सम्मेलन।
- धारणीय कारोबार के लिए आचार नीति और ईमानदारी से संबंधित मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आचार नीति चुनौतियों का समाधान, कारोबार भागीदार के रूप में ग्राहक, निवारक सतर्कता पर कार्यक्रम। अनुपालन रिवाज, अनुशासन और सतर्कता प्रबंधन, आईटी और साइबर सुरक्षा, साइबर कानून और वित्तीय अपराध आदि पर भी विशिष्ट कार्यक्रम।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पुरस्कार/चक्रवृद्धि शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: संस्था भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी के विनियमन 30 में (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 में निर्दिष्ट है और जैसा कि संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थान के नाम	राशि (भारतीय रु. में)	मामले का सक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
दंड /जुर्माना	महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं के निर्धारण और प्रकटीकरण पर बैंक की नीति के अनुसार बैंक पर लगाया गया दंड/जुर्माना/निपटान/कंपाउंडिंग शुल्क भौतिक नहीं है। हालांकि बैंक गुणात्मक आधार पर ऐसी घटनाओं का स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को प्रकटीकरण करता है।				
निपटान	शून्य				
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य				
गैर-मौद्रिक					
गैर-मौद्रिक	शून्य				
कैद /सज़ा					

3. ऊपर दिए गए प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
शून्य	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तखोरी विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को अपने विचारों के समर्थन में कारणों के साथ उचित प्राधिकारी को खाते में धोखाधड़ी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत, आंतरिक जांच के माध्यम से संवीक्षा कर सकता है। व्हिसल ब्लोअर के तहत ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं: 1.पारदर्शिता की रिवाज को बढ़ावा देना, 2.सार्वजनिक सेवाओं के मानक निर्धारित करना, 3.नियमों और विनियमों का अनुपालन। पॉलिसी को इंडियन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है और इसके लिए लिंक इस प्रकार है - <https://indianBank.in/wp-content/uploads/2020/08/Whistle-Blower-Policy-1.pdf>.

भारत सरकार के पास अधिकांश शेयर वाला सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक होने के नाते, बैंक भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आता है। बैंक ने निम्नलिखित को भी लागू किया है :

- ‘इंडियन बैंक का सिटीजन्स चार्टर’ बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- सिटीजन्स चार्टर के साथ (आचार) संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन-देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करती है
- ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की एक स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की।
- बीसीएसबीआई ने ‘ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता - जनवरी 2018’ में तथा ‘सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता-अगस्त 2015’ में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुपालन हेतु बैंकिंग कार्य-प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है।
- बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है।
- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अभिग्रहीत करने हेतु रखा गया है। संहिता की पूर्ण www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/भ्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्तखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

विवरण	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या		

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई/जुर्माने/दंड से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

----लागू नहीं ---

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर वैल्यू चेन पार्टनर के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

कवर किए गए पार्टनर के अंतर्गत आने वाले जागरूकता विषयों/ सिद्धांतों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत वैल्यू चेन कार्यक्रमों का प्रतिशत (ऐसे पार्टनर के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा)
शून्य	

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हित संबंधी विवाद से बचने / प्रबंध करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू 'आचार संहिता' तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है और यह बैंक की वेबसाइट **www.indianbank.in** पर उपलब्ध है। बोर्ड के सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (अर्थात् महाप्रबंधक) ने सेबी के विनियम 26 (3) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

सामान्यतः बैंकिंग व्यवसाय के अलावा, बैंक ने अपने प्रवर्तक/निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिसमें किसी भी तरह का हित संबंधी विवाद की संभावना हो।

सिद्धांत 2: व्यवसाय इस तरह से सामान व सेवाएं प्रदान करे जो सुदृढ़ व सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

- संस्था द्वारा किए गए कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेशों के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी			----लागू नहीं----
कैपेक्स	26.96 करोड़	26.44 करोड़	बेहतर एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल ऐप इंडोएसिस के सुधार के माध्यम से ग्राहक अनुभव में वृद्धि हुई है। डिजिटल लेंडिंग की दिशा में भी बैंक विविध जर्नियों को कार्यान्वित कर रहा है।

बैंक की व्यावसायिक प्रकृति उपर्युक्त विवरण की प्रासंगिकता को मुख्य रूप से आईटी पूंजीगत व्यय तक सीमित करती है। चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक व्यापक रूप से अपनाए गए हैं, परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है, और कागज-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता काफी कम हो गई है।

- ए. क्या संस्था के पास सुदृढ़ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां नहीं)

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

नहीं, वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के कारण परिचालन सामग्री की खरीद की बात आती है तो बैंक का ध्यान मुख्य रूप से कागज पर होता है। हालाँकि, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग डिवाइस और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय, बैंक ऊर्जा दक्षता मानकों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करता है। बैंक के लिए उत्पादों को भारत सरकार जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

- (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य कचरे के लिए, जीवनकाल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

आईटी से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए बैंक की खरीद नीति -2022-25 में - आईटी संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शामिल है, जिसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है-

‘सभी हार्डवेयर घटक जो उपयोग से बाहर हो गए हैं या उपयोग से बाहर किए जा रहे हैं, उन्हें अधिमानतः बाय-बैक व्यवस्था के माध्यम से निपटाया जाएगा। यदि बाय-बैक व्यवस्था संभव या व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं को सरकार द्वारा अधिकृत ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं को स्कैप के रूप में बेचा जाएगा।’

‘कॉर्पोरेट कार्यालय या संबंधित अंचल कार्यालयों में आईटी विभाग संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित ई-अपशिष्ट रिसाइकलरों से उचित बोलियाँ आमंत्रित कर इन वस्तुओं का निपटान कर सकता है और बैंक की मौजूदा पॉलिसी के अनुसार उच्चतम बोलीदाता (एच-1) को निपटान करेगा।’

बैंक ने रॉयपेड्डा में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में उत्पादों और कचरे के लिए एक रीसाइक्लिंग व्यवस्था शुरू की है। इसके अलावा, रॉयपेड्डा में कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें प्रति दिन 17000 लीटर सीवेज संसाधित करने की क्षमता है। बैंक में कागज का कचरा सरकार के अधिकृत विक्रेताओं को दिया जाता है जिसे बाद में पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है।

- क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां / नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

----लागू नहीं----

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है ? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें ?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	योगदान किए गए कुल टर्नओवर का :	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए परिणाम (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें ।
----लागू नहीं----					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताएं और/या जोखिम हैं, जिसे जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम द्वारा पहचान किया गया है तो उसका तथा उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का संक्षेप में वर्णन करें ।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
----लागू नहीं ---		

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत ।

इनपुट सामग्री सूचित करें	पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
----लागू नहीं ---		

4. निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उत्पादों के जीवनकाल के अंत में पुनः दावा की गई उत्पादों और पैकेजिंग में से, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की मात्रा (मीट्रिक टन में)

	वित्तीय वर्ष 23			वित्तीय वर्ष 22		
	पुनः उपयोग किए गए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटारा किए गए	पुनः उपयोग किए गए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटारा किए गए
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	----लागू नहीं ---					
ई - कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
कागज़						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी सूचित करें	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बचे गए कुल उत्पादों के % के रूप
----लागू नहीं ---	

सिद्धांत 3: व्यवसाय में सभी कर्मचारियों के कल्याण/हितों को बढ़ावा दिया जाए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण

वर्ग	बीमा के अंतर्गत कवर किए कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	29425	29425	100	29425	100	0	0	1667*	5.66	0	0
महिला	12274	12274	100	12274	100	898*	7.31	0	0	1275*	10.38
कुल	41699	41699	100	41699	100	898	7.31	1667	5.66	1275	3.05
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त											
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*वर्ष के दौरान उक्त सुविधा का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या। बैंक, अगले वर्ष के आरंभ से सभी शाखाओं से गतिविधि आधारित डेटा एकत्रित करने का प्रयास करेगा।

बैंक की नीति के अनुसार सभी पात्र स्थायी कर्मचारी मातृत्व / पितृत्व लाभ, डे केयर सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(बी) श्रमिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण: लागू नहीं

वर्ग	बीमा के अंतर्गत कवर किए कर्मचारियों का%										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	%(बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थाई कामगार											
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वि. व. 2023 वर्तमान वित्तीय वर्ष		वि. व. 2022 विगत वित्तीय वर्ष	
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में बीमा के अंतर्गत कवर कर्मचारियों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में बीमा के अंतर्गत कवर कर्मचारियों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	26.50	हाँ	30.74	हाँ
उपदान	100	हाँ	100	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (एनपीएस)	73.50	हाँ	69.26	हाँ

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं ? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

बैंक ने अधिकांश शाखाओं/कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों का आना-जाना सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय किए हैं। आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए रैंप स्थापित किए गए हैं, और अधिकांश कार्यालयों में लिफ्ट और अन्य बुनियादी ढाँचे हैं। बैंक के कुछ स्थान अर्थात् शाखाएं / कार्यालय विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्हीलचेयर सहित विश्राम कक्ष भी प्रदान करते हैं।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार की समान अवसर नीति है ? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

- बैंक ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और इसके तहत स्थापित विनियमों के अनुपालन में समान अवसर नीति लागू की है। नीति एक ढाँचे के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य अधिनियम और उसके विनियमों के अनुसार विकलांगता से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके कार्यस्थल में विकलांग लोगों के सशक्तिकरण का समर्थन करना है।
- इंडियन बैंक एक समावेशी कार्य संस्कृति और भेदभाव मुक्त वातावरण के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास करता है। बैंक विविधता को महत्व देता है और जाति, लिंग, धर्म, अक्षमता, उम्र, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति, देखभाल की जिम्मेदारियों, वैवाहिक या नागरिक भागीदारी स्थिति, या लागू कानूनों के तहत संरक्षित किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति जैसे घटकों के आधार पर किसी के साथ कोई अंतर या भेदभाव नहीं करता है।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। कॉका: मासंप्र में अजा/अजजा कल्याण कक्ष/आरक्षण कक्ष अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतें/प्रतिवेदन (यदि कोई हो) का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है।

5. मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ लेने के पश्चात स्थायी कर्मचारियों व श्रमिकों की काम पर वापसी व प्रतिधारण दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो उस व्यवस्था का संक्षेप में विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो व्यवस्था का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिक के अतिरिक्त	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारी के अतिरिक्त	लागू नहीं

- कर्मचारी अपने एचआरएमएस लॉगइन के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऐसी सभी शिकायतें जहां समाधान या तो नकारात्मक या आंशिक है, आवश्यक कार्रवाई के लिए बैंक के आंतरिक लोकपाल को भेजा जाता है।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

लिंग	वि. व. 23			वि.व. 22		
	संबंधित वर्ग (ए) में कुल कर्मचारी / श्रमिक	संबंधित वर्ग में कर्मचारी / श्रमिक जोकि एसोसिएशन / (नों) / यूनियन (बी) में हैं	% (बी / ए)	संबंधित वर्ग (ए) में कुल कर्मचारी / श्रमिक	संबंधित वर्ग में कर्मचारी/श्रमिक जोकि एसोसिएशन / (नों) / यूनियन (बी) में हैं	% (बी / ए)
कुल स्थाई कर्मचारी	41699	38786	93.01	40751	36893	90.53
महिला	12274	11726	95.54	11784	11053	93.80
पुरुष	29425	27060	91.96	28967	25840	89.20
कुल स्थाई श्रमिक	-----लागू नहीं-----					
महिला						
पुरुष						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण

वर्ग	वि.व.23					वि.व. .22				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर उपाय		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर उपाय		कौशल उन्नयन पर	
		सं (बी)	% (बी /ए)	सं (सी)	%(सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/डी)	सं.(एफ)	%(एफ/ डी)
कर्मचारी										
महिला	18023	994	5.52	17890	99.26	17563	759	4.32	15258	86.88
पुरुष	7054	355	5.03	6772	96.00	6678	145	2.17	5580	83.56
कुल	25077	1349	5.38	24662	98.35	24241	904	3.73	20838	85.96
श्रमिक										
महिला	-----लागू नहीं-----									
पुरुष										
कुल										

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करिअर विकास संबंधी समीक्षा का विवरण :

वर्ग	वि.व.23			वि.व. .22		
	कुल (ए)	सं (बी)	%(बी/ए)	कुल (सी)	सं (डी)	%(डी/सी)
कर्मचारी						
महिला	18023	18023	100	17563	17563	100
पुरुष	7054	7054	100	6678	6678	100
कुल	25077	25077	100	24241	24241	100
श्रमिक						
महिला	-----लागू नहीं-----					
पुरुष						
कुल						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या बैंक द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली के कवरेज क्षेत्र क्या है ?

बैंक के परिचालनों की अंतर्निहित प्रकृति बैंक के कर्मचारियों के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा नहीं करती है। बैंक अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के महत्व को समझता है और बैंक द्वारा एक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति निरूपित की गई है जिसमें आवधिक संवाद और सावधानी सूचना, सुरक्षा जागरूकता सत्र और अग्नि सुरक्षा एवं बहिर्गमन प्रक्रियाओं संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। बैंक के पास अपनी अग्नि सुरक्षा नियमावली, सुरक्षा नियमावली, सुविधा एवं प्रशासन नियमावली और कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति है। कर्मिकों की भलाई के लिए आवधिक जाँच के साथ-साथ प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा और निजी सुरक्षा हेतु नियमित ड्रिल और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। समस्त अंचलों में बैंक की शाखाओं में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और बहिर्गमन ड्रिल आयोजित किए गए।

शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ, बैंक अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और सेहत को भी प्राथमिकता देता है। बैंक द्वारा अपने सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स प्रैक्टो के साथ हेल्थ केयर टाई-अप किया गया है। सभी कर्मचारियों को महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा के संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष के दौरान, बैंक के किसी भी कर्मचारी को कार्यस्थल पर किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। कोविड-19 महामारी ने व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौतियाँ पेश की और बैंक द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। इन उपायों के संबंध में अधिक विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

बी. बैंक द्वारा कार्य से संबंधित जोखिम की पहचान करने और नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए किन प्रक्रियाविधियों का उपयोग किया जाता है?

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप यह नीति प्रत्यक्षतः प्रयोज्य नहीं है। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बैंक द्वारा कार्यालय परिसर में निवारक उपाय किए गए। इन जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती गई, यथा- सभी कार्यालय परिसरों को सैनेटाइज़ करना, स्थिति का दैनिक अपडेट जारी करना, सामान्य क्षेत्रों में आवाजाही को प्रतिबंधित करना और बड़ी संख्या में एकत्रित होने से बचना। बैंक द्वारा सभी सरकारी निर्देशों का भी पालन किया गया, कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को यात्रा संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया गया।

सी. क्या आपके पास कर्मचारियों के लिए ऐसी कार्यविधि है जिसके माध्यम से उनके द्वारा काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट की जा सके और ऐसे जोखिमों से स्वयं को बचाया जा सके। (हाँ /नहीं)

---- लागू नहीं ----

डी. क्या बैंक के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए गैर-पेशेवर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ /नहीं)

हाँ, बैंक के कर्मचारियों की गैर-पेशेवर चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की एक मेडिकल नीति है। कर्मचारियों को इन नीतियों के बारे में शिक्षित किया जाता है। सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स प्रैक्टो के साथ स्वास्थ्य सेवा समझौता किया गया है।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण दें :

सुरक्षा घटनाएं /संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष - 23	वित्तीय वर्ष - 22
लॉस्ट टाइम इंज्यूरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख - व्यक्ति द्वारा किए गए काम के घंटे)	कर्मचारी	---- लागू नहीं ----	
	श्रमिक		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य संबंधी आघात	कर्मचारी		
	श्रमिक		
मौतों की संख्या	कर्मचारी		
	श्रमिक		
उच्च परिणाम वाले कार्य संबंधी आघात अथवा अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	---- लागू नहीं ----	
	श्रमिक		

12. सुरक्षित एवं निरामय कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति के कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े जोखिम सीमित हैं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा एक नीति लागू की गई है। अग्नि सुरक्षा और बहिर्गमन प्रक्रियाओं सहित सुरक्षा उपायों के संबंध में नियमित आंतरिक संवाद और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। बैंक अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यरत है। सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले एक वर्ष में बैंक का कोई भी कर्मचारी इयूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों और अपने परिसर के आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें कार्यालय परिसर की नियमित सफाई, नियमित संवाद, सामान्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित आवाजाही और बड़ी सभाओं से बचना शामिल था। बैंक द्वारा सभी सरकारी निर्देशों का भी पालन किया गया, कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को यात्रा संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी किया गया।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 23			वित्तीय वर्ष 22		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	अभ्युक्तियाँ
कामकाजी परिस्थिति	शून्य					
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

14. वार्षिक मूल्यांकन :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया है (बैंक या सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा परिपाटी	100% आंतरिक रूप से किया गया। किसी तीसरे पक्ष का मूल्यांकन नहीं
कामकाजी परिस्थिति	

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और महत्वपूर्ण जोखिमों/स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परिपाटियों और कामकाजी परिस्थिति के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए की गई अथवा प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

वित्त वर्ष 23 के दौरान सुरक्षा संबंधी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इसके साथ ही, हमारे सभी एटीएम की ई-निगरानी की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्षों में, इस ई-निगरानी व्यवस्था में उन्नत एआई और आईओटी सुविधाओं को शामिल करने की हमारी योजना है। ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सुचारु रूप से चल रही है।

नेतृत्व संकेतक

- क्या बैंक (ए) कर्मचारियों(हाँ/नहीं) (बी) श्रमिकों(हाँ/नहीं) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है।
हाँ, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, क्षतिपूर्ति की जाती है, क्योंकि, सभी स्थायी कर्मचारी समूह जीवन बीमा पॉलिसी द्वारा बीमित हैं। पात्रता के आधार पर मृत कर्मचारी के जीवनसाथी अथवा आश्रित को भी बैंक द्वारा नियोजन का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक यथाप्रयोज्य भविष्य निधि, ग्रेज्युटी, अधिवर्षिता आदि लाभों के निपटारे को प्राथमिकता देता है।
- मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशि की कटौती किया जाना और जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें।
इन गतिविधियों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैंक द्वारा आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा कराई जाती है। इसके अलावा, बैंक मूल्य श्रृंखला में अपने भागीदारों से उम्मीद करता है कि उनके द्वारा व्यावसायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के साथ-साथ जवाबदेही और पारदर्शिता के मूल्यों का अनुपालन किया जाएगा।
- उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या उपलब्ध कराएं, जिन्हें उच्च परिणामी कार्य संबंधी आघात/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न - 11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास कर समुचित नियोजन किया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को समुचित नियोजन प्रदान किया गया है।

प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास कर समुचित नियोजन किया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को समुचित नियोजन प्रदान किया गया है।	
वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
कर्मचारी	शून्य		
कामगार			

4. सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप निर्बाध नियोजनीयता और सेवा के अंतिम चरण के प्रबंधन को सहज बनाने हेतु क्या बैंक द्वारा संक्रमण काल सहायता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? (हाँ/नहीं)

हाँ, बैंक में प्रशिक्षण एक अग्रसक्रिय, सुनियोजित और सतत प्रक्रिया है और मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य निरंतर परिवर्तनशील व्यावसायिक परिदृश्य में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों की दक्षताओं का सृजन और उन्नयन है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा परिपाटी	वर्तमान में बैंक द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।
कामकाजी परिस्थिति	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के आकलन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परिपाटी तथा कामकाजी परिस्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के निवारण हेतु कृत अथवा प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

----- लागू नहीं -----

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी हितधारकों, विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. बैंक के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हितधारकों की पहचान कारोबार पर उनके प्रभाव की सीमा के साथ ही साथ, हितधारकों पर कारोबार के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। वरिष्ठ प्रबंधन के केंद्रित समूह चर्चा के माध्यम से प्रारंभिक पहचान की गई थी। श्रेणियों के आधार पर प्रभाव का आकलन किया गया था। महत्वपूर्ण श्रेणियों में ग्राहक, कर्मचारी, व्यावसायिक सहयोगी तथा मध्यवर्ती संस्थाएं शामिल हैं।

2. बैंक हेतु महत्वपूर्ण रूप में चिन्हित हितधारक समूहों का विवरण उपलब्ध कराएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ विचार-विनिमय की बारंबारता का विवरण दें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत के रूप में चिन्हित है (हाँ/नहीं)	संवाद के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	विचार विनिमय की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे विचार-विनिमय के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों सहित विचार-विनिमय का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
सरकार एवं विनियामक निकाय	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत बैठकें, कॉल, वीडियो कॉल, पत्र	यथा अपेक्षित	नीतिगत विनियमों और संशोधनों, निरीक्षणों और अनुमोदनों संबंधी विचार-विमर्श
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम सभा, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय और निवेशक बैठकें/सम्मेलन	यथा अपेक्षित	सुचिन्तित निर्णय हेतु आंकड़ों का आदान-प्रदान। बैंक की वित्तीय स्थिति संबंधी चर्चा एवं अंतर्दृष्टि साझा करना
ग्राहक	नहीं	एसएमएस, ईमेल, पैम्फलेट, विज्ञापन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ओओएच विज्ञापन, साक्षात/ऑनलाइन बैठक एवं वेबिनार	यथा अपेक्षित	1. बेहतर ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार के लिए 2. अधिकतम ग्राहकों को व्यवसाय से जोड़ना। 3. मौजूदा ग्राहकों की मौजूदा अपेक्षाओं/आवश्यकताओं को समझना 4. बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना। 5. बैंक के उत्पादों के शुभारंभ, महत्वपूर्ण घटनाओं, उत्पादों के प्रचार संबंधी जानकारी प्रदान करना।
कर्मचारी	नहीं	विभिन्न आयोजनों, सोशल मीडिया, वर्चुअल मीटिंग्स, एसएमएस, ईमेल, कॉल, आंतरिक हेल्पडेस्क, कर्मचारी जुड़ाव पहल, कर्मचारी सुझाव पोर्टल, पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से सीधा संपर्क	नियमित अंतराल	प्रचारोन्मुख एवं जागरूकता केन्द्रित संदर्शों के माध्यम से बैंक की गतिविधियों यथा- नए उत्पादों/प्रक्रिया की पेशकश/व्यावसायिक एवं प्रचार अभियान/महत्वपूर्ण उपलब्धियों आदि के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराना। प्रचार और संचार के माध्यम से कर्मचारियों को बैंक में विकास के बारे में सूचित करना जैसे कि प्रतिबद्धता के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना।
व्यावसायिक साझेदार	नहीं	बैठकें, ई-मेल, पत्र, एसएमएस, कॉल, अन्य भौतिक एवं डिजिटल चैनल	बार-बार अथवा यथा अपेक्षित	बैंक के साथ सुचारु सहयोग हेतु सूचनाओं का आदान-प्रदान।
वेंडर	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत, वर्चुअल बैठकें, कॉल	आवश्यकता आधारित	बैंक की आवश्यकताओं और समय पर आपूर्ति संबंधी चर्चा हेतु।

भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक क्रय नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं संबंधी सभी प्रकार की खरीद के लिए बैंक द्वारा अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के स्वामित्व वाले एमएसई और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को लाभ और प्राथमिकता दे रहा है। हमारी क्रय नीति में भी इन्हीं दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए हितधारकों और बोर्ड के बीच की प्रक्रियाओं का विवरण दें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया गया है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को किस प्रकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से उन कार्यों के प्रयोजनार्थ किया गया था, जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जो केवल शेयरों के हस्तांतरण, लाभांश की अप्राप्ति, वार्षिक रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि, इसमें किसी अन्य शिकायत, जो बैंक के किसी शेयरधारक अथवा निवेशक द्वारा बैंक के विरुद्ध किया गया हो, पर कार्रवाई किया जाना भी शामिल है। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के कार्य:

अन्य बातों के साथ-साथ समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंक के शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों का हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नया / डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किया जाना, आम सभा आदि शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपभोग हेतु किए गए उपायों की समीक्षा।
- पंजीयक एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा दी जा रही विविध सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अंगीकृत सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावाकृत लाभांश वारंट की मात्रा को कम करने तथा बैंक के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट, वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु किए गए विभिन्न उपायों एवं पहलों की समीक्षा।

2. क्या पर्यावरणीय, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का संरक्षण करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे दृष्टान्तों का विवरण उपलब्ध कराएं कि किस प्रकार हितधारकों से इन विषयों पर प्राप्त परामर्शों को बैंक की नीतियों और क्रियाकलापों में शामिल किया गया था।

बैंक स्वयं को सभी हितधारकों का न्यासी मानता है और नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ कॉर्पोरेट कार्यनीतियों, अग्रसक्रिय व्यावसायिक योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी संपत्ति के सृजन और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। बैंक के कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत, शासन मानकों के अनुरूप निरूपित उच्च स्तर की प्रकटीकरण नीतियों के साथ लाभप्रद व्यवसाय वृद्धि हेतु दृढ़तापूर्वक कार्य करने की नीति पर आधारित हैं। बैंक प्रौद्योगिकी और संचार के साधनों के प्रादुर्भाव और प्रगति के साथ समाज को होने वाले लाभ को स्वीकार करता है और अपने हितधारकों को उनके हित की घटनाओं से अवगत रखने की आवश्यकता को भी मान्यता देता है। बैंक के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात्/ एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिणाम चेन्नै स्थित एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिंदी) और क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान त्रैमासिक/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), दीनामणि (तमिल) आदि प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

3. कमजोर वर्ग/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं के निवारण के लिए कृत कार्यवाई और उनके साथ विचार-विनिमय के दृष्टान्तों का विवरण उपलब्ध कराएं।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और समाज के सीमांत वर्गों को ऋण प्रदान किए जाने हेतु कतिपय दिशानिर्देश और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इंडियन बैंक द्वारा वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की गई है, जिनमें छोटे और सीमांत किसान, काश्तकार और पट्टेदार किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि आभूषण ऋण, स्वयं सहायता समूह ऋण, संयुक्त देयता समूह ऋण, मुद्रा ऋण आदि जैसी विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

- इंडियन बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों को पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बचत बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्हें खाता खोलने के समय पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के तहत बीमा सुविधा युक्त रुपये कार्ड निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, योजना के तहत पात्र ग्राहकों को पीएम जेजेबीवाई (जीवन बीमा) और पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा) और एपीवाई पेंशन सुविधा के तहत कवर किया जाता है।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्ग के बेरोजगार युवाओं को बैंक द्वारा अपने इंड-सेटी (इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्रों) और सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और परामर्श भी दिया जाता है। 'इंडियन बैंक ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट' (आईबीटीआरडी) के तत्वावधान में इन गतिविधियों का संचालन किया जाता है।
- इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के तत्वावधान में बैंक द्वारा पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) के माध्यम से ग्राहकों को 15 डोरस्टेप बुनियादी बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। बैंक ग्राहकों को प्रतिदिन डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं देने के लिए बीसी चैनल की तैनाती की गई है।
- बीसी चैनल ने विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी, बाढ़ की स्थिति आदि जैसी आपदा की परिस्थितियों के दौरान ग्राहकों के घर तक सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- बैंक द्वारा बीसी को पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई की जीवन और दुर्घटना योजनाओं के तहत मुफ्त बीमा कवरेज भी दिया गया। बैंक द्वारा उनके कोविड टीकाकरण, सैनटाइजेशन सामग्री व फेस मास्क के खर्च की प्रतिपूर्ति भी की गई।
- बैंक द्वारा तमिलनाडु राज्य में बीसी नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) राशि का संवितरण किया जा रहा है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति - पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
- समय-समय पर विशाखा दिशानिर्देशों संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- महिला कर्मचारियों के लिए महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सिद्धांत 5: व्यवसाय द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- नीचे दिए गए प्रारूप में उन कर्मचारियों और श्रमिकों का विवरण उपलब्ध कराएं, जिन्हें बैंक के मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (ओं) संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष - 23			वित्तीय वर्ष - 22		
	(ए) कुल	(बी) (कर्मचारियों की संख्या)	% (बी/ए)	(सी) कुल	(डी) (कर्मचारियों की संख्या)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	25077	24380	97.22	24241	22949	94.67
स्थायी के अलावा						
कुल	25077	24380	97.22	24241	22949	94.67
श्रमिक						
स्थायी	-----लागू नहीं-----					
स्थायी के अलावा						
कुल						

नोट : सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानव अधिकारों के मुद्दों और नीतियों संबंधी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

- कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रदत्त न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्न प्रारूप में:

	वित्तीय वर्ष - 23					वित्तीय वर्ष - 22				
वर्ग	(ए) कुल	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक		(डी) कुल	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		(बी) कर्मचारियों की संख्या	% (बी/ए)	(सी) कर्मचारियों की संख्या	% (सी/ए)		(ई) कर्मचारियों की संख्या	% (ई/डी)	(एफ) कर्मचारियों की संख्या	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
महिला	12274		0	12274	100	11784		0	11784	100
पुरुष	29425		0	29425	100	28967		0	28967	100
कुल	41699		0	41699	100	40751		0	40751	100
श्रमिक										
पुरुष	-----लागू नहीं-----									
महिला										
कुल										

- पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण, निम्न प्रारूप में:

	महिला		पुरुष	
	संख्या	संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	0	0	4	₹ 258888.00 प्रति माह
*प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0	0	4	₹ 258888.00 प्रति माह
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	12274	₹ 76087.98	29425	₹ 83995.76 प्रति माह

* एमडी और सीईओ और कार्यपालक निदेशक(कों) को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है।

4. क्या व्यवसाय के कारण अथवा फलस्वरूप उत्पन्न मानवाधिकार संबंधी प्रभावों अथवा मुद्दों के निवारण हेतु उत्तरदायी बैंक का कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) कार्यरत है? (हाँ/नहीं)

हाँ, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों की देखरेख और समाधान के लिए विभिन्न समितियाँ हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अनुरूप लैंगिक उत्पीड़न के लिए बैंक की जीरो टोलरेंस की नीति है। बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति, समावेशी विकास और समान विकास से संबंधित नीतियाँ हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और इसके विनियमों के अनुपालन में बैंक द्वारा समान अवसर नीति लागू की गई है। यह एक नीतिगत ढाँचे के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य अधिनियम और उसके विनियमों के अनुसार दिव्यांगता संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके कार्यस्थल में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन बनाना है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में भी बैंक की एक नीति है। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऐसी सभी शिकायतों को जिनमें समाधान या तो नकारात्मक अथवा आंशिक है, समुचित कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल को भेजा जाता है।

5 मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण संबंधी आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

- मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बैंक के आधारभूत और मूलभूत मूल्यों में से एक माना जाता है। बैंक निष्पक्ष और नैतिक व्यवसाय एवं नियोजन परिपाटी का पालन सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकारों का समर्थन, संरक्षण और उन्नयन करने हेतु प्रयासरत है। मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित परिवाद और शिकायतों से निपटने के लिए समितियाँ और नीतियाँ बनाई गई हैं और इनका विवरण बैंक के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है। बाल श्रम, दास-प्रथा, बेगारी, शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक शोषण अथवा मौखिक दुर्व्यवहार के सभी रूपों के प्रति बैंक की जीरो टोलरेंस की नीति है और इसे प्रतिबंधित किया गया है। बैंक की नीति एक सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी माहौल बनाने को प्राथमिकता देती है जो क्षतिपूर्ति, लाभ और परिवाद निवारण तंत्र सहित पूरे कर्मचारी जीवन चक्र में विविधता, समान अवसर और उचित परिपाटियों को बढ़ावा देती है। यह नीति सभी कर्मचारियों, व्यावसायिक भागीदारों और प्रासंगिक पक्षकारों पर भी लागू होती है और यह बैंक की आचार और नैतिकता संहिता के पूरक के रूप में कार्य करती है, जो विविध पेशेवर और नैतिक मामलों में स्वीकार्य कर्मचारी व्यवहार के लिए मानक निर्धारित करती है।
- बैंक द्वारा नैतिकता, अखंडता, जवाबदेही और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने और शेरधारकों, जमाकर्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी निरूपित की गई है। यह नीति कर्मचारियों को बैंक की व्हिसल ब्लोअर समिति के पास जाकर बैंक के कार्यों द्वारा की गई अनियमितताओं, कदाचारों और अन्य दुराचारों के मुद्दों को उठाने हेतु सक्षम बनाती है। यह तंत्र आंतरिक और बाह्य दोनों हितधारकों से प्रतिकार के भय के बिना, किसी भी मुद्दे या घटना की गोपनीय रिपोर्टिंग की अनुमति देता है।
- कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच प्रभावी संवाद को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक द्वारा एच-रिस्पांस नामक एक कर्मचारी पोर्टल बनाया गया है, जो कर्मचारियों को अपनी शिकायतों या मामलों को गोपनीय और सुरक्षित तरीके से प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- बैंक महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसके लिए लैंगिक उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) संबंधी एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। यह समिति जागरूकता, प्रशिक्षण और निवारण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए प्रदत्त प्राधिकार के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। इसके द्वारा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी कर्मचारियों के लिए बैंक में एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष - 23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष - 22 वर्तमान वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत तक लंबित निपटान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत तक लंबित निपटान	टिप्पणी
लैंगिक उत्पीड़न	1	0	0	0	0	0
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य					
बाल श्रम						
बेगारी / अनैच्छिक श्रम						
वेतन						
अन्य मानवाधिकार मुद्दे						

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

- बैंक सभी कर्मचारियों हेतु एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और बैंक में एक सुदृढ़ लैंगिक उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) नीति है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को पीओएसएच मॉड्यूल और नीति संबंधी अनिवार्य वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति बदले की कार्रवाई के भय के बिना अपनी चिंता और शिकायतें जाहिर कर सकता है।
- बैंक उन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो व्हिसल ब्लोअर नीति या शिकायत निवारण नीति के तहत प्रकटीकरण करते हैं अथवा अपनी आवाज उठाते हैं। वैसे कर्मचारी जो अपनी पहचान का खुलासा करते हैं और किसी जानकारी को यह मानते हुए कि यह काफी हद तक सच है और किसी व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ की मांग के बिना नेकनीयती से साझा करते हैं, उन्हें भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, बैंक इस नीति के तहत नेकनीयती से प्रकटीकरण करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के प्रतिशोध का सख्ती से निषेध करता है। किसी की ओर से बदले की ऐसी किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाता है।
- बैंक का मानना है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। अतएव, ऐसे मामलों में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक उत्पीड़न की सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उन पर सामयिक एवं प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाए। बैंक एक ऐसा सुरक्षित और सहायक कामकाजी माहौल बनाने का भी प्रयास करता है जो उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हो।

8. क्या मानव अधिकारों की अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक करार और संविदाओं का हिस्सा है? (हाँ/ नहीं)

हां, मानवाधिकारों का सम्मान बैंक की प्रतिबद्धता बैंक के व्यावसायिक दर्शन का एक अभिन्न अंग है और यह बैंक के व्यावसायिक करारों और संविदाओं सहित परिचालन के सभी पहलुओं में परिलक्षित होता है।

9. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन (बैंक या सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) किया गया था
लैंगिक उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल श्रम	----लागू नहीं----
बेगारी अैनच्छिक / श्रम	
वेतन	
अन्य मानवाधिकार सम्बद्ध मुद्दे	100%

10. उपर्युक्त प्रश्न - 9 के मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

----लागू नहीं----

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार परिवाद/शिकायतों के निवारण के परिणामस्वरूप संशोधित/लागू की गई व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

बैंक अपनी व्यवसाय प्रक्रिया का परिचालन इस रूप में करता है कि अपने सभी संव्यवहार में, मानवाधिकार विवरण में यथाकथित, आधारभूत मानवाधिकारों का पालन किया जाता है। बैंक अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

2. मानवाधिकार समुचित-सावधानी संबंधी किसी आयोजन से संबंधित कार्यक्षेत्र और कवरेज का विवरण।

उपर्युक्त प्रश्न 1 में यथा उल्लिखित।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभगम्य है?

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि बैंक के कार्यस्थल दिव्यांगजन की सुविधा के लिए रैंप और व्हीलचेयर के अनुकूल लिफ्ट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। बैंक के 70% कार्यालय दिव्यांगजन के लिए सहजतापूर्वक सुलभगम्य हैं। बैंक मानवाधिकारों को कायम रखने, एक समावेशी और सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने और अपने कर्मचारियों के लिए नैतिक व्यवसायिक परिपाटियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन संबंधी विवरण

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन किया गया था
लैंगिक उत्पीड़न	बैंक का विश्वास है कि उसके मूल्य श्रृंखला भागीदार/सहयोगी उनके द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नैतिकता और सिद्धांतों के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बेगारी अैनच्छिक / श्रम	
वेतन	
अन्य मानवाधिकार सम्बद्ध मुद्दे	

5. उपर्युक्त प्रश्न - 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/मुद्दों का निवारण करने के लिए कृत कार्यवाई अथवा प्रक्रियाधीन सुधारात्मक कार्यों का विवरण प्रदान करें।

-----लागू नहीं-----

सिद्धांत 6: व्यवसाय को, पर्यावरण के सम्मान, संरक्षा के साथ साथ उसे पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल उर्जा उपभोग का विवरण (जूल या गुणकों में) तथा उर्जा मात्रा

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष -23	वित्तीय वर्ष -22
विद्युत का कुल उपभोग (ए) (केडब्ल्यूएच)	158.8 लाख केडब्ल्यूएच	145.2 लाख केडब्ल्यूएच
ईंधन का कुल उपभोग (बी) लीटर	1,336,093	928,433
अन्य स्रोतों से उर्जा का उपभोग (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
उर्जा का कुल उपभोग (ए+बी+सी) (किलोजुल्स)	617,144.77	554,409.62
टर्नओवर के प्रति रुपया उर्जा घनत्व (उर्जा का कुल उपभोग/रुपए में टर्नओवर)		
(किलोजुल/रु)	1.18	1.21
उर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है (गीगाजूल/एफटीई)	14.81	13.60

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) - नहीं

यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

2. भारत सरकार की प्रदर्शन, प्राप्ति और व्यापार योजना (पैट) के अंतर्गत क्या संस्थान ने नामित ग्राहक के रूप में निश्चित की गई कोई साईट/सुविधा है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो प्रकटन करें कि क्या पैट योजना के तहत नियत लक्ष्य प्राप्त किए गए? लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की स्थिति में किए गए सुधारात्मक प्रयासों का उल्लेख करें, यदि कोई है।

-----लागू नहीं-----

3. निम्नांकित प्रारूप में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण दें:

क्योंकि इंडियन बैंक एक वित्तीय संस्थान है, जल का उपयोग केवल मनुष्योपभोग के लिए सीमित है। कार्यालय परिसर में जल के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मठ उपायों को कार्यान्वित किया गया है। अपने कार्यालयों और शाखाओं से घरेलू कचरा (मल) के जल निकासों में निर्वहन की रोकथाम के लिए बैंक प्रतिबद्ध है और इसलिए प्रतिदिन मलजल शोधन की 17000 लीटर की क्षमता के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय, रॉयपेड़ा में मलजल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है।

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष -23	वित्तीय वर्ष -22
स्रोतों से जल निकासी (किलोजुल)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य	22,666	22,305
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)*	22,666	22,305
जल उपयोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	22,666	22,305
टर्नओवर के प्रति रुपया जल की मात्रा (जल का उपभोग/टर्नओवर) (लीटर/ रु.)		
जल मात्रा (वैकल्पिक) संस्थान द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		

* बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय द्वारा जल निकासी।

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) – नहीं
यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

4. क्या संस्थान ने शून्य तरल निर्वहन के लिए क्रियाविधि को कार्यान्वित कर दिया है ? यदि हाँ तो इसके आवृत्त क्षेत्र और कार्यान्वयन के विवरण दें

-----लागू नहीं -----

5. कृपया निम्नांकित प्रारूप में संस्थान द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी के अलावा) का विवरण दें

पैरामीटर	कृपया ईकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष -23	वित्तीय वर्ष -22
एनओ एक्स	बैंक का ध्यान वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर केन्द्रित है, इसलिए वायु से कोई उत्सर्जन जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित नहीं हैं उन्हें बैंक द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है		
एसओ एक्स			
कणिका तत्व (पीएम)			
अनवरत जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) – नहीं

यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

6. निम्नांकित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण दें (कार्यक्षेत्र 1 और कार्यक्षेत्र 2 उत्सर्जन) एवं इनकी मात्रा:

पैरामीटर	ईकाई, एमटी सीओ ₂ ई	वित्तीय वर्ष -23	वित्तीय वर्ष -22
कुल कार्यक्षेत्र 1 उत्सर्जन	टन सीओ ₂ ई	3198.20	2261.44
GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विच्छेद, यदि उपलब्ध है तो)	(टन में)	(CO ₂ : 3075.21, CH ₄ equivalent CO ₂ : 3.13, N ₂ O equivalent CO ₂ : 16.19, Fugitive: 103.68*)	(CO ₂ : 2144.53, CH ₄ equivalent CO ₂ : 2.18, N ₂ O equivalent CO ₂ : 11.06, Fugitive: 103.68*)
कुल कार्यक्षेत्र 2 उत्सर्जन GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विच्छेद यदि उपलब्ध है तो)	(टन में सीओ ₂)	125461.83	114701.73
(टर्नओवर के प्रति रुपया कार्यक्षेत्र 1 और कार्यक्षेत्र 2 उत्सर्जन)	ग्राम/रु.	0.25	0.26
कार्यक्षेत्र 1 और 2 उत्सर्जन मात्रा (वैकल्पिक) दृ संस्थान द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	टन सीओ ₂ ई/एफटीई	3.09	2.87

* फ्युजिटिव उत्सर्जन की गणना केवल कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस के लिए की जाती है।

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) – नहीं
यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

7. क्या संस्थान के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए कोई परियोजना है? यदि हाँ, तब विवरण दें।

हाँ।

परिसर: बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में सौर उर्जा और एलईडी लाइटों की पुनःस्थापना ग्रीन पहल के भाग के रूप में, सभी विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है जैसे, सीधी जमा/नेफ्ट/आरटीजीएस (किसी विशेष परिस्थिति में भुगतान चेक के द्वारा किया जाता है)

ग्रीन पहल :

- सौर उर्जा और एलईडी लाइट
- सौर उर्जा का कॉर्पोरेट कार्यालय में उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग स्टेटस) के अंतर्गत है उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते बैंक ने हरित भारत बनाने के लिए अन्य संस्थाओं से हाथ मिलाया है।
- उर्जा उपभोग के वार्षिक समग्र व्यय में लगभग 4 से 5% कमी लाने के लिए जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव है बैंक की स्वामित्व वाली इमारतों में सौर उर्जा संयंत्र स्थापन नेटवर्क को विस्तार देना
- आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में एलईडी बल्ब के उपयोग से प्रकाश व्यवस्था में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना
- नई शाखाओं में सिर्फ एल ई डी लाइटों से प्रकाश व्यवस्था
- एक चरणबद्ध तरीके से विद्यमान शाखाओं में लाइट/प्रकाश व्यवस्था को बदला जाना. वर्तमान में 4975 शाखाओं और 202 प्रशासनिक कार्यालयों में एलईडी प्रकाश व्यवस्था स्थापित कर दी गई है।

अन्य ग्रीन पहल :

- शाखाओं और कार्यालयों का आवधिक आधार पर उर्जा संपरीक्षण करना
- शाखाओं और कार्यालयों में स्थापित वातानुकूलकों के ऑटो कट ऑफ टाइमर का प्रावधान करना, हार्मोनिक फिल्टर के स्थापन और स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग ने विद्युत उपभोग को काफी कम कर दिया है।

8. निम्नांकित प्रारूप में संस्थान द्वारा अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित विवरण दें

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष -23	वित्तीय वर्ष -22
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	लागू नहीं	लागू नहीं
ई-अपशिष्ट (बी)	980 इकाई (नीचे दिए विवरण के अनुसार)	244 इकाई (नीचे दिए विवरण के अनुसार)
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्माण व तोड़ फोड़ अपशिष्ट (डी)	लागू नहीं	लागू नहीं
बैटरी अपशिष्ट (इकाईओं को संख्या) (ई)	3120 बैटरी (नीचे दिए विवरण के अनुसार)	1903 बैटरी (नीचे दिए विवरण के अनुसार)
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई है तो निर्दिष्ट करें (जी)	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अन्य गैर खतरनाक अपशिष्ट (एच) यदि कोई है तो निर्दिष्ट करें (संघटन का विच्छेद जैसे क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)		
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्नवीनीकरण, पुनः उपयोग और अन्य संग्रहण कार्य के माध्यम से वापस पाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
i) पुनर्नवीनीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) पुनःउपयोग	लागू नहीं	लागू नहीं
iii) अन्य संग्रहण कार्य	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निस्तारण पद्धति की प्रकृति द्वारा निस्तारित कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
i) जलाकर	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) भूमि भराव	लागू नहीं	लागू नहीं
iii) अन्य निस्तारण कार्य	*	*
कुल		

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) - नहीं

यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

*उत्पन्न अपशिष्ट अधिकांश रूप से अप्रचलित कम्प्यूटर हार्डवेयर और बैटरी अपशिष्ट है। अधिकांश समय पर इन्हें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वापस खरीद लिया जाता है। यदि वापसी खरीद व्यवस्था संभव नहीं है तो, तो ऐसी इकाइयों को कबाड़ के रूप में सरकार द्वारा अधिकृत ई-वेस्ट पुनर्नवीनीकर्ताओं को बेचा जा रहा है।

01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान ई-अपशिष्ट निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है:

1) विक्रय आदेश: **CO/ITD/526/SO/2021-22** दिनांकित **16.06.2021**

हार्डवेयर विवरण	डीआर लखनऊ (ई-एबी)	डीआर हैदराबाद	डीसी/एनडीआर चेन्नै	डीआर मुंबई	अंतिम
फायरवॉल	0	5	0	0	5
एच एस एम	0	1	0	0	1
एनटीपी	0	1	0	0	1
केवीएम	0	2	0	0	2
चासी	0	2	0	0	2
निप्स	0	4	0	0	4
राऊटर	0	8	0	0	8
मोनитор	0	12	0	0	12
सर्वर	0	66	0	0	66
स्टोरेज	0	29	0	0	29
स्विच	0	20	0	0	20
टेप ड्राइव	0	14	0	0	14
टेप लाइब्रेरी	0	4	0	0	4
रैक	0	17	0	0	17
कुल	0	185	0	0	185

2) विक्रय आदेश: **CO/ITD/424/R1/2021-22** दिनांकित **07.06.2021**

हार्डवेयर विवरण	डीआर लखनऊ (ई-एबी)	डीआर हैदराबाद	डीसी/एनडीआर चेन्नै	डीआर मुंबई	अंतिम
सर्वर	0	0	0	4	4
स्टोरेज	0	0	0	1	1
स्विच	0	0	0	2	2
टेप ड्राइव	0	0	0	2	2
कुल	0	0	0	9	9

01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान ई-अपशिष्ट निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है।

1) विक्रय आदेश: **CO/ITD/643/SO/2022-23** दिनांकित **03.06.2022**

हार्डवेयर विवरण	डीआर लखनऊ (ई-एबी)	डीआर हैदराबाद	डीसी/एनडीआर चेन्नै	डीआर मुंबई	अंतिम
फायरवॉल	2	0	0	0	2
एच एस एम	3	0	0	2	5
आइपीएस	4	0	0	3	7
केवीएम	5	0	1	4	10
भार संतुलक	2	0	0	0	2
मॉडेम	2	0	0	0	2
चासी	0	0	3	0	3
निप्स	0	0	2	0	2
राऊटर	10	0	0	8	18

सैन स्विच	4	0	0	0	4
मोनитор	0	0	7	0	7
सर्वर	58	0	93	50	201
स्टोरेज	7	0	44	5	56
स्विच	16	0	16	30	62
टेप ड्राइव	4	0	4	1	9
टेप लाइब्रेरी	2	0	1	4	7
पीसी	0	0	1	12	13
अन्य	0	0	4	16	20
डीवीडी राइटर	0	0	3	0	3
रैक	28	0	1	13	42
कुल	147	0	180	148	475

2) विक्रय आदेश: CO/ITD/1699/PO1/2022-23 दिनांकित 18.10.2022

हार्डवेयर विवरण	एनडीआर	सर्विस शाखा चेन्नै	सर्विस शाखा दिल्ली	सर्विस शाखा मुंबई	डी आर मुंबई	अंतिम
एच एस एम	0	0	1	0	0	1
केविएम	0	0	1	0	15	16
मोनитор	0	1	0	0	2	3
सर्वर	1	8	7	6	28	50
स्टोरेज	0	3	1	1	7	12
स्विच	0	3	3	3	3	12
टेप ड्राइव	0	0	0	0	9	9
टेप लाइब्रेरी	0	1	1	0	2	4
डेट ड्राइव	0	0	0	0	12	12
पीसी	0	0	0	0	12	12
अन्य	0	0	0	0	16	16
रैक	0	0	1	1	11	13
कुल	1	16	15	11	117	160

अंचल कार्यालयों के अंतर्गत विक्रय किए गए कम्प्यूटरों का विवरण निम्नांकित है:

हार्डवेयर विवरण	उपकरणों की संख्या (2022-23)	उपकरणों की संख्या (2021-22)
यूपीएस	27	6
एटीएमब	7	4
बीएनए	9	5
सीआरटी मोनिटर	137	0
प्रिंटर	81	21
पास बुक कियोस्क	1	0
पीसी	71	9
स्कैनर	0	5
सर्वर	0	0
बैटरियां	345	50
कुल	3120	1903

9. आपके संस्थान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंध पद्धतियों का सक्षिप्त विवरण दें। खतरनाक और विषाक्त रसायनों का उत्पाद और प्रक्रियाओं में उपयोग को कम करने के लिए आपके बैंक में अपनाई गई रणनीतियों का तथा ऐसे अपशिष्टों का प्रबंध करने की पद्धतियों का विवरण दें

बैंक के उत्पाद और सेवाएं मुख्यतः वित्तीय और बैंकिंग प्रचालन की हैं। प्रक्रिया में प्रयुक्त संसाधनों में मुख्यतः विद्युत, भूमि उपयोग तथा कागज अपशिष्ट शामिल हैं। बैंक किसी भी ऐसी पद्धति में लिप्त नहीं है जिसका परिणाम खतरनाक और विषाक्त अपशिष्ट में होता है। बैंक के पास अपशिष्ट प्रबंध पर केंद्रित बहुत सारी नीतियाँ हैं तथा बैंक ने कुछ ग्रीन पहलें भी की हैं। बैंक का कागज अपशिष्ट सरकार द्वारा अधिकृत वेडर को दिया गया है जो बाद में लुदी कारखाने को भेजा जाता है। आईटी संबंधित सामान और सेवाओं की खरीद के लिए बैंक की खरीद नीति 2022-25 में आईटी आस्तियों के निस्तारण की नीति निम्न है जिसे अपनाया गया है।

उपयोग से हटाए गए या हटाए जा रहे सभी हार्डवेयर उपकरण का निस्तारण अधिमानतः वापसी खरीद व्यवस्था माध्यम से ही किया जाएगा। यदि वापसी खरीद संभव नहीं है तो ऐसे वस्तुओं को कबाड़ के रूप में सरकार द्वारा अधिकृत ई-अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरणकर्ताओं को बेचा जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में आईटी विभाग या संबंधित अंचल कार्यालय संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत ई-अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरणकर्ताओं को उपयुक्त बोली के द्वारा ऐसी वस्तुओं को निस्तारित कर सकता है तथा बैंक की प्रचलित नीति के अनुसार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को निस्तारित किया जाएगा। विक्षेत्रण के पश्चात ई-अपशिष्ट नीति का पालन करके भण्डारण माध्यम को समय समय पर नष्ट किया जाएगा तथा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

10. यदि संस्था का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल भंडार, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/के आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालय का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हों।
बैंक का कोई भी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं है। बैंक समस्त जरूरी पर्यावरण मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।			

11. चालू वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और सक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल(प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं है तो ऐसे समस्त गैर-अनुपालन की जानकारी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध करें।

क्र. सं.	कानून/विनियम/ दिशानिर्देश जिसका अनुपालन नहीं किया गया, विनिर्दिष्ट करें।	गैर-अनुपालन संबंधी विवरण उपलब्ध करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या अदालतों द्वारा कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
बैंक अपने परिचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक पर्यावरणीय विनियमों का पालन करता है।				

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय एवं गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल उर्जा (जूल्स या गुणकों में) का ब्रेक-अप निम्न प्रारूप में उपलब्ध करें:

मापदंड	वित्त वर्ष - 23	वित्त वर्ष - 22
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत किलोवाट (ए)	227.94	230.42
कुल ईंधन खपत (बी)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से उर्जा की खपत (सी)	-	-
नवीकरण स्रोतों से खपत हुई कुल उर्जा (ए+बी+सी)	227.94	230.42
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत किलोवाट (डी)	571701.13	522669.79
कुल ईंधन खपत (ई)	45215.68	31509.39
अन्य स्रोतों के माध्यम से उर्जा की खपत (एफ)		
गैर-नवीकरण स्रोतों से खपत हुई कुल उर्जा (डी+ई+एफ)	616916.8	554179.19

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) - नहीं

यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

2. छोड़े गए जल संबंधी निम्न विवरण उपलब्ध करें:

मापदंड	वित्त वर्ष - 23	वित्त वर्ष - 22
गंतव्य और उपचार के स्तर से पानी का निर्वहन (किलोलीटर)		
i) सतही जल के लिए	चूंकि इंडियन बैंक एक वित्तीय संस्था है, जल का उपयोग केवल मानव उपभोग तक ही सीमित है। कार्यालय परिसर में जिम्मेदारी के साथ जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी उपाय लागू किए गए हैं। बैंक, अपने कार्यालयों और शाखाओं से जलाशयों में घरेलू कचड़े (सीवेज) छोड़ने को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए कॉर्पोरेट कार्यालय, रायपेड में प्रतिदिन 17000 लीटर क्षमता वाला सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है।	
- उपचार नहीं		
- उपचार के साथ-कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
ii) भूजल के लिए		
- उपचार नहीं		
- उपचार के साथ-कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
iii) समुद्री जल के लिए		
- उपचार नहीं		
- उपचार के साथ-कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
iv) अन्य - पक्ष के लिए प्रेषित		
- उपचार नहीं		
- उपचार के साथ-कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
v) अन्य		
- उपचार नहीं		
- पक्ष के साथ-कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
छोड़े गए कुल पानी (किलोलीटर)		

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) - नहीं

यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में) :

जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करे:

- (i) क्षेत्र का नाम
- (ii) परिचालन की प्रकृति
- (iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

-----लागू नहीं-----

मापदंड	वित्त वर्ष - 23	वित्त वर्ष - 22
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
i) सतही जल		
ii) भूजल		
iii) अन्य पक्ष जल		
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल तीव्रता प्रति /रुपया टर्नओवर (जल खपत/टर्नओवर)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है।		
गंतव्य और उपचार के स्तर से पानी का निर्वहन (किलोलीटर)		
(i) सतही जल के लिए		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें।		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें।		
(iii) भूजल के लिए		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें।		
(iv) अन्य - पक्ष के लिए प्रेषित		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें।		
(v) अन्य - पक्ष के लिए प्रेषित		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें।		
छोड़े गए कुल पानी (किलोलीटर)		

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण उपलब्ध करें:

-----लागू नहीं-----

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष - 23	वित्तीय वर्ष - 22
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	CO ₂ समतुल्य के मीट्रिक टन		
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रु टर्नओवर			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है।			

नोट: यदि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/अन्वेषण किया गया है तो दर्शाए? (हाँ/नहीं) - नहीं
यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम

5. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, प्रश्न 10 के आवश्यक संकेतकों के सापेक्ष, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव और रोकथाम एवं उपचारात्मक उपायों सहित विवरण उपलब्ध करें।

-----लागू नहीं-----

6. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी या सॉल्यूशन का उपयोग कर संसाधन क्षमता बढ़ाई गई है या उत्सर्जन/बहिष्कार निर्वहन/अपशिष्ट प्रभाव को कम किया है, तो कृपया इसके विवरण के साथ-साथ इस तरह की पहल-जन्य परिणाम निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध करें। उत्सर्जन/बहिष्कार निर्वहन/अपशिष्ट प्रभाव को कम किया है, तो कृपया इसके विवरण के साथ-साथ इस तरह की पहल-जन्य परिणाम निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध करें।

क्र.सं.	पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई, सारांश के साथ उपलब्ध करें)	पहल का परिणाम
	बैंक लगातार नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी या सॉल्यूशन का उपयोग करते हुए संसाधन दक्षता बढ़ा रहा है, या उत्सर्जन/बहिष्कार निर्वहन/अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम कर रहा है। इस संबंध में बैंक द्वारा की गई कुछ पहल निम्नवत है:		
1.	हरित पहल के हिस्से के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि को समस्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा किया जाता है।		
2.	बैंक ने सौर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर हरित ऊर्जा पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते इंडियन बैंक ने हरित भारत बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है।		
3.	शाखाओं एवं कार्यालयों हेतु समय-समय पर एनर्जी ऑडिट आयोजित करना।		
4.	शाखाओं और कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनरों के ऑटो कट ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टर की स्थापना और स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में कमी आई है।		
5.	वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड एडॉप्शन: बैंक ने हार्डवेयर संसाधन का अधिकतम उपयोग किया और वर्चुअलाइजेशन को अपनाया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने हार्डवेयर संसाधनों को कम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाया। हार्डवेयर संसाधनों में कमी हुई। इस कारण भविष्य में ई-कचरा कम होगा।		

7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों /वेब लिंक में विवरण दें।

आपदा के किसी भी मामले को संभालने और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी नीति (2022-23 तक अद्यतन) है। व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बैंक डाटा सेंटर, डीआर साइट और नियर डीआर साइट भी है।

उद्देश्य:- यह नीति वित्तीय उत्पादों की बढ़ती जटिलता और प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल और इसके उन्नत परिष्करण की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। हाल के दिनों में परिचालन जोखिम में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। परिचालन जोखिम, भुगतान प्रणाली इत्यादि चैनलों के संसर्ग में, व्यवस्थित रूप ले सकता है और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास कम कर सकता है। व्यवसाय प्रक्रिया के बदलते स्वरूप और नए खतरे के परिदृश्य में व्यवहार्य व्यवसाय निरंतर योजना (बीसीपी) के रखरखाव की आवश्यकता है।

प्रयोज्य:- यह नीति समूचे बैंक में प्रयोज्य है जिसमें भारत एवं श्रीलंका में स्थित समस्त कार्यालय/शाखाएं शामिल हैं।

व्यवसाय निरंतर योजना संबोधित करता है: बीसीपी अवधि से निरपेक्ष सभी प्रकार की आपदाओं को संबोधित करता है और जोखिम प्रबंधन उपाय जो पॉलिसी में डिजाइन हैं। व्यवसाय निरंतरता योजना मुख्य रूप से आगजनी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरों और युद्ध, दंगा, महामारी रोग और अन्य मानव निर्मित व्यवधान जो व्यवसाय को बाधित करते हैं, को सम्मिलित करते हुए खतरों से निपटने हेतु बनाए गए हैं। व्यवसाय निरंतरता योजना की कार्यवाही से अपेक्षित है कि वह इन बाधाओं से नियोजित और व्यवस्थित तरीके से निपटें।

8. संस्था के मूल्य शृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी दुष्प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

-----लागू नहीं-----

9. मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से जो पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किए गए थे।

-----लागू नहीं-----

सिद्धांत 7: कारोबार से जब सार्वजनिक और नियामक नीति प्रभावित हो, तो उसे जिम्मेदारी के साथ और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

बैंक 4 उद्योग मंडलों/संघों का सदस्य है।

- बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिसका आपका संस्थान सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का स्तर (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)	राष्ट्रीय
3	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)	राष्ट्रीय
4	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

प्राधिकरण का नाम	मामले का सक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण.

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाए गए तरीके	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां / नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
लागू नहीं					

सिद्धांत 8: कारोबार से समावेशी विकास और साम्यिक विकास को समर्थन मिलना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू विधियों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किए जा रहे हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएफ)	आर एवं आर द्वारा कवर किए गए पीएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (आईएनआर में)
शून्य						

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

समाधान/निवारण के लिए ग्राहकों/समुदाय से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित और तुरंत समाधान/निवारण के लिए बैंक के पास सीजीआरएस प्रणाली है। इसके अलावा शाखा, ई-मेल, पत्र, वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, कॉल सेंटर और सोशल मीडिया जैसी शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए कई चैनल हैं। उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य तरीके से प्राप्त सभी शिकायतों और 24 घंटे के भीतर हल नहीं होने वाली शिकायतों को डेटा प्रबंधन और शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए सीजीआरएस में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इन शिकायतों को संबंधित शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दी गई समय सीमा अर्थात् 21 दिनों के भीतर निपटारा जाएगा। अस्वीकृत/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों को उनके निर्णय के लिए आंतरिक लोकपाल के पास रखा जाता है। ग्राहक को बैंक द्वारा निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है। यदि कोई ग्राहक समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अंचल कार्यालय/एफजीएम कार्यालय/सीओ: ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ को शिकायत कर सकता/सकती है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट का इनपुट):

	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त किया जाता है	मौजूदा आईटी खरीद नीति के अनुसार सीमांत/कमजोर समूहों (एमएसई) से खरीद का प्रतिशत 25% है	
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त किया गया		

*बैंक मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर निर्भर करता है, जिसे जेम (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अन्य सामान जैसे उपकरण, फर्नीचर, कागज आदि एसएमई से प्राप्त किए जाते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव के आकलन में चिन्हित किए गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित किए गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	विशाखपट्टनम जिला	63770.00
2	बिहार	गया जिला	65192.00
3	बिहार	मुजफ्फरपुर जिला	47586.00
4	छत्तीसगढ़	रायपुर जिला	30500.00
5	झारखंड	दुमका जिला	3927670.00
6	झारखंड	गोडा जिला	2538960.00
7	झारखंड	हजारीबाग जिला	2881449.00
8	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर जिला	2820550.00
9	उत्तर प्रदेश	बहराइच जिले	3696133.00
10	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट जिला	5406676.00
11	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र जिला	4280740.00
12	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती जिला	2589269.00
13	तमिलनाडु	रामनाथपुरम और विरुधुनगर जिला	2,500,000.00
14	आंध्र प्रदेश	विशाखपट्टनम, वाई एस आर कडप्पा और विजयनगरम जिला	
कुल			30848495.00

3. (ए) क्या आपके पास एक अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हाँ

(बी) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

एमएसई उद्यमी से - अजा/अजजा के वर्ग वाली महिलाएं

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?

मौजूदा आईटी खरीद नीति के अनुसार सीमांत/कमजोर समूहों (एमएसई) से अधिमान्य खरीद का प्रतिशत 25% है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपके बैंक (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।

-----लागू नहीं-----

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण दें, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

-----लागू नहीं-----

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों से लाभार्थियों का %
बैंक 6 गतिविधियों के तहत सीएसआर गतिविधियों का समर्थन करता है - समावेशी विकास, वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि, हरित पहल और पर्यावरणीय स्थिरता कार्बन फुट-प्रिंट को कम करना, लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और कल्याण और कोविड-19 राहत- इन गतिविधियों से कई लाभान्वित हुए हैं।			

सिद्धांत 9: कारोबार को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

ग्राहकों के अनुभव पर नीति में शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक निवारण ढांचा शामिल है। हम शाखा, ई-मेल, पत्र, वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, कॉल सेंटर और सोशल मीडिया जैसे शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए कई चैनलों को उपलब्ध कराया है। उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य तरीके से प्राप्त सभी शिकायतों और 24 घंटे के भीतर हल नहीं होने वाली शिकायतों को डेटा प्रबंधन और शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए सीजीआरएस में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। शिकायत के पंजीकरण पर, ग्राहक को एक पावती भेजी जाती है कि शिकायत की जांच की जा रही है और यह आश्वासन दिया जाता है कि निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। इन शिकायतों को संबंधित शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दी गई समय सीमा अर्थात् 21 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। अस्वीकृत/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों को उनके निर्णय के लिए आंतरिक लोकपाल के पास रखा जाता है। ग्राहकों को बैंक द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है। यदि कोई ग्राहक समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अंचल कार्यालय/एफजीएम कार्यालय/सीओ: ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ को शिकायत कर सकता/सकती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	हमारे उत्पादों और सेवाओं पर लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 23		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 22		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का लंबित संकल्प उपस्थिति		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का लंबित संकल्प उपस्थिति	
डाटा प्राइवसी	6	0		—	—	—
विज्ञापन से संबंधित	2	0		—	—	—
साइबर सुरक्षा	0	0		—	—	—
आवश्यक सेवाओं का वितरण	0	0		—	—	—
प्रतिबंधात्मक व्यापार संव्यवहार	0	0		—	—	—
अनुचित व्यापार संव्यवहार	0	0		—	—	—
अन्य	0	0		—	—	—

4. सुरक्षा मामलों के कारण उत्पाद रिकॉल से संबंधित मामलों का विवरण:

	संख्या	रिकॉल के कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	शून्य	ऐसा कोई मामला नहीं
स्वेच्छेतर रिकॉल	शून्य	ऐसा कोई मामला नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध है, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, बैंक के पास साइबर सुरक्षा नीति 2022-23 और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया है जो एक आंतरिक दस्तावेज होने के नाते इंटरनेट में उपलब्ध है। साइबर एसओसी सेटअप बैंक में उपलब्ध है। 'साइबर सुरक्षा नीति' का समग्र उद्देश्य इंडियन बैंक को साइबर खतरों से निपटने के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना और साइबर घटनाओं/हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव का पता लगाना, प्रतिक्रिया देना, पुनर्प्राप्त करना और उस पर नियंत्रण करना है।

- बैंक की सूचना प्रणाली और सुरक्षा प्रक्रियाओं को ISO 27001:2013 मानक के साथ प्रमाणित किया गया है। बैंक ने पहले ही साइबर सुरक्षा स्थापित कर ली है।

- ऑपरेशन सेंटर (C-SOC) जिसमें विभिन्न प्रमुख सुरक्षा समाधान शामिल हैं और C-SOC की 24*7 निगरानी की जाती है। बैंक के पास मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) के अधीन एक समर्पित टीम है जो सुरक्षा कार्यों की 24/7 निगरानी करती है।
- आईटी विभाग के तहत एक समर्पित टीम भी बनाई गई है जो विभिन्न साइबर सुरक्षा समाधानों के कार्यान्वयन की देखभाल करती है। समाधान सक्रिय तरीके से डेटा, नेटवर्क और सर्वर की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- कर्मचारियों को हाल के साइबर हमले की रणनीतियों और ऐसी घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूक करने के लिए साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
- नवीनतम साइबर खतरों पर ग्राहकों को एसएमएस भेजकर ग्राहक जागरूकता को मजबूत किया गया है। सोशल मीडिया पर भी जागरूकता संदेश प्रकाशित किए जाते हैं।
- बैंक ने 'फॉरेंसिक विशेषज्ञों' को भी सूचीबद्ध किया है, ताकि किसी भी साइबर सुरक्षा घटना के कारण फॉरेंसिक जांच की जा सके।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परामर्शों को उच्च प्राथमिकता दे रहा है और इसे सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।
- आरबीआई द्वारा आयोजित विनियामक लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणियां।

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई से संबंधित मामलों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेबलिंग प्रदान करें)।

संस्था के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सूची नीचे दी गई है:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म	
फेसबुक	www.facebook.com/MyIndianBank
ट्विटर	www.twitter.com/MyIndianBank
इंस्टाग्राम	www.instagram.com/MyIndianBank
लिंक्डइन	www.linkedin.com/indianBank
यूट्यूब	www.youtube.com/@IndianBankOfficial

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम:
उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।
- वेबसाइट पर जानकारी का नियमित अद्यतन।
 - ग्राहक को नियमित आधार पर ईमेल, एसएमएस और सूचनाएं भेजी जाती हैं।
 - हमारे विभिन्न ग्राहक संचार चैनलों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नियमित संचार जैसे सुरक्षित बैंकिंग टिप्स और नियामकों और सरकारी निकायों से संबंधित संचार ग्राहकों को समय-समय पर रचनात्मक संपादिक के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने पर किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र:
आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने पर किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में जानकारी निम्नलिखित तरीकों से प्रदान की जाती है:
- इंडओएसिस पर सूचनाएं
 - इंटरनेट बैंकिंग चैनल
 - ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं
 - बैंक की वेबसाइट

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद पर जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के संबंध में उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया था? (हां/नहीं)

हां, संस्था स्थानीय कानूनों के तहत अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है।

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

शून्य

- ए. डेटा उल्लंघनों और इम्पैक्ट की घटनाओं की संख्या

-----लागू नहीं-----

- बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

-----लागू नहीं-----

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन धारणा:

कॉर्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टैकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्यों, सिद्धान्तों, नीतियों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित किया एवं उन्हें कार्यरूप दिया जाता है।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टैकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी स्टैकधारकों का न्यायी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभकर संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मण्डल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार निदेशक, शेयरधारक निदेशक (जिसके 2 मामले हमारे बैंक में भी हैं) के इतर, को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2 बोर्ड की समितियाँ:

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो कि बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश कारगर मॉनिटरिंग और नियंत्रण हेतु बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेंस प्रदान करती हैं:

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- आईटी रणनीति समिति (आईटी समिति)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- निदेशकों की समिति (सतर्कता) (सीओडी/विज)
- विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) (एससीएमएलवीएफ)
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- स्टैकधारक संपर्क समिति (एसआरसी)
- एचआर समिति (एचआर समिति)
- वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति (सीएमआर)
- अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति (बीएसीडीसी)
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूयूडी)
- गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबीसी)
- ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति (बीसीपीई)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट रणनीति व योजना, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5 31.03.2023 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों/ संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
1	श्री एस. एल. जैन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.09.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 10. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड में नामित निदेशक/ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	695
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	01.03.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति	1. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड 2. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं लिमिटेड 3. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड 4. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	695
3	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति	शून्य	शून्य

4.	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. स्टेकधारक संपर्क समिति 8. शेयर अंतरण समिति 9. एचआर समिति 10. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड	1290
5	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	सरकार नामित निदेशक	14.09.2022	1. जोखिम प्रबंधन समिति 2. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 4. आईटी रणनीति समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 7. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति	1. जनरल इन्श्युरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2. नाबार्ड	शून्य
6	डॉ. आदित्य गेहा	आरबीआई नामित निदेशक	08.03.2022	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता)	शून्य	शून्य
7	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	1. ग्राहक सेवा समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 4. स्टेकधारक संपर्क समिति(अध्यक्ष) 5. शेयर अंतरण समिति 6. एचआर समिति 7. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति(अध्यक्ष) 8. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 9. नामांकन एवं परिश्रमिक समिति	शून्य	शून्य

8	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी रणनीति समिति(अध्यक्ष) 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अध्यक्ष)	वी जी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रा. लि.	शून्य
9	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	21.12.2021	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) 2. एचआर समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. शेयर अंतरण समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति (अध्यक्ष) 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 8. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति	1. टीवीएस ऑटोमोबाइल प्रा. लि. 2. अपराजिता टोटल सोल्यूशन प्रा. लि. 3. एडसिक्स ब्रेनलैब प्रा. लि. 4. दासा कन्सल्टिंग प्रा.लि. 5. अपराजिता कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रा. लि. 6. अपराजिता पार्टनरिंग प्राग्रेज प्रा. लि. 7. ऑरोवैल हेल्थ सिस्टम प्रा. लि. 8. मैजिकल लाइफस्किल्स प्रा. लि. 9. पुनर्जीवन फाउंडेशन फॉर एल्डरली केयर एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन	300
10	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	29.10.2021	1. प्रबंधन समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 3. आईटी रणनीति समिति 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 9. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति	1. द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि. 2. आंध्रा पेपर लि.	200

नोट :

- बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
- निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

- (iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी निदेशक मंडल है और सूचीबद्ध संस्था की औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग संरचना इसके अनुरूप ही है।
- (iv) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- (v) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने के मामले नहीं हैं।
- (vi) श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।
- (vii) श्री अश्वनी कुमार कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।
- (viii) श्री महेश कुमार बजाज कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।

2.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पदभार ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नलिखित हैं:

2.6.1 डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक :

डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से पीजीडीएम हासिल करने के बाद वे सिविल सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार में राजस्व इन्श्युरेंस, वित्तीय सलाह, सतर्कता, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग वित्त के क्षेत्रों में और दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई में वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण में दो कार्यकालों में, पहले निदेशक के रूप में और फिर सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह बीएसएनएल में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक रहे हैं और आईआरडीएआई में अपने कार्यकाल के दौरान बीमा सूचना ब्यूरो और बीमा व जोखिम प्रबंधन संस्थान के बोर्ड में थे। उन्होंने फिर से दो चरणों में संघ लोक सेवा आयोग में भी कार्य किया। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कानून की डिग्री, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एम.फिल और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी डिग्रीधारक हैं, जहां उनकी थीसिस भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियामक शासन की संस्थागत पहलुओं पर थी। वह वर्तमान में अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग हैं।

2.6.2 श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक :

श्री महेश कुमार बजाज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एप्लाइड मैथमेटिक्स में स्नातकोत्तर (M.Sc.) हैं और वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। जून, 1993 में इंडियन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की एवं उन्हें भारत व सिंगापुर में विविध क्षेत्रों में 29 वर्ष से भी अधिक का बैंकिंग अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट, ट्रांजेक्शन, खुदरा, ग्रामीण, राजकोष एवं फोरेक्स, एनपीए प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डिवीजन, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एवं बैंक की लार्ज क्रेडिट शाखाओं का नेतृत्व भी किया है। इंडियन बैंक की सिंगापुर शाखा के सीईओ के तौर पर उन्होंने कई नए कदम उठाए, जिसमें प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए बीपीआर समिति का गठन, अनुपालन की मदों का सुदृढ़ीकरण, एचआर एवं आईटी संबंधी उत्कृष्ट प्रयास करना प्रमुख है। एकीकरण प्रबंधन कार्यालय के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में सफल समामेलन में मुख्य भूमिका निभाई।

महाप्रबंधक की भूमिका में उन्होंने इंडियन बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, डिजिटलइजेशन, एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मार्केटिंग एवं कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन विभागों का नेतृत्व किया। वे बैंक के डिजिटल एवं परिचालन मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट - प्रोजेक्ट वेव (WAVE - World of Advanced Virtual Experience) एवं प्रोजेक्ट लीप (LEAP - Leadership through Efficiency, Agility and Process Transformation) का भी नेतृत्व कर रहे थे। एक प्रबल जिज्ञासु की भांति उन्होंने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS), आईआईएम (अहमदाबाद व बेंगलुरु), आईआईएफटी (Indian Institute for Foreign Trade) दिल्ली एवं काफराल (CAFRAL) सहित सिंगापुर व भारत में कई प्रमुख संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं में भाग लिया है। उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान द्वारा संचालित कॉर्पोरेट गवर्नंस प्रोग्राम के अलावा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो (वर्तमान में एफएसआईबी) द्वारा आयोजित आईआईएम बेंगलुरु के लीडरशिप डेवेलपमेंट प्रोग्राम को भी पूर्ण किया।

श्री महेश कुमार बजाज, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फोर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं रिलायंस एआरसी लिमिटेड के बोर्ड में भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर रहे हैं। वर्तमान में वे मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड एवं इसकी विभिन्न समितियों में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

2.7 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	वर्ग	कार्य समापन की तिथि	कारण
1.	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	01.04.2022	सेवानिवृत्ति
2.	श्री संजीव कौशिक	भारत सरकार नामित निदेशक	14.09.2022	भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ. सं. 6/2/2022-बी.ओ. पब दिनांकित 14.09.2022

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक का वर्ग	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता
1	श्री एस. एल. जैन	एम डी एवं सीईओ	कार्यपालक	एम.कॉम, सीए, सीएस, सीएआईआईबी	सीए, सीएस एवं बैंकिंग
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी, बी टेक, सीएआईआईबी	बैंकिंग
3	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एम.कॉम, सीए	सीएस बैंकिंग
4	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.एस.सी, एप्लाइड मैथमेटिक्स में एम.एस.सी, बी.एड., सीएआईआईबी, आईआईएम बंगलुरु से लीडरशिप प्रोग्राम, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान द्वारा संचालित कॉर्पोरेट अफेयर्स कार्यक्रम	बैंकिंग
5	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी भारत सरकार नामित निदेशक	बी.ई., पी.जी.डी.एम., एलएलबी, एम.फिल., पीएचडी	लोक प्रशासन
6	डॉ. आदित्य गेहा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी भारत सरकार नामित निदेशक	बीई (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स), एम. एससी (भौतिकी), एल.एल.बी., एम. एससी (निवेश प्रबंधन), सीएआईआईबी, पीएचडी (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र, बैंकिंग विनियम एवं पर्यवेक्षण
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम., एम.कॉम, कॉमर्स में पीएचडी, एफसीए, एसीएमए	व्यवसाय प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्त और मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
8	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक	बी.एससी, सीएआईआईबी, सीएएफए	सीएफए, बैंकिंग
9	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक	बी. कॉम, सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्श्योरेंस, टैक्सेशन एवं फाईनेंस
10	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक	एम. कॉम.	कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग

3.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड/समिति की बैठक के विवरण:

उन बैठकों का विवरण जिनमें वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लिया गया (01.04.2022-31.03.2023)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	सी ओ डी (सतर्कता)	एस आर सी	आई टी कंप्यूटर	एस सी एम एल बी एफ	सी एस सी	मा संसाधन समिति	एस टी सी	सी ए सी	सी एफ एम आर	बी ए सी डी सी	आर सी एन सी बी	एन आर सी	आर सी डबल्यूडी	बी सी पी ई
1	श्री एस. एल. जैन	16	28	-	7	4	-	7	4	4	5	-	28	5	-	1	-	4	-
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	16	27	14	7	4	1	7	4	4	5	1	28	5	-	-	-	-	-
3	श्री अश्वनी कुमार	15	28	14	7	4	1	6	4	4	5	1	28	5	-	-	-	-	-
4	श्री महेश कुमार बजाज*	7	11	6	3	2	-	4	2	2	2	1	12	3	-	-	-	-	-
5	श्री संजीव कौशिक**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला***	7	-	-	2	2	-	4	2	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2
7	डॉ. आदित्य गेहा	13	24	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	16	-	15	-	-	-	7	4	-	5	1	-	-	-	-	1	4	2
9	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	16	26	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	1	4	2
10	श्री विश्वेश कुमार गोयल	16	-	15	7	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-
11	श्री बालमुकुंद सहाय	16	-	15	7	-	1	-	4	4	5	1	-	-	-	-	1	-	-

*दिनांक 21.11.2022 से कार्यपालक निदेशक

**दिनांक 13.09.2022 तक भारत सरकार नामिती निदेशक

***दिनांक 14.09.2022 तक भारत सरकार नामिती निदेशक

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की न्यूनतम 15 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इसके विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11.05.2022	9	8
2.	26.05.2022	9	8
3.	27.06.2022	9	8
4.	18.07.2022	9	7
5.	30.07.2022	9	7
6.	21.09.2022	9	9
7.	03.11.2022	9	9
8.	18.11.2022	9	8
9.	19.11.2022	9	8
10.	20.12.2022	10	10
11.	12.01.2023	10	9
12.	18.01.2023	10	9
13.	25.01.2023	10	10
14.	24.02.2023	10	9
15.	23.03.2023	10	10

4. बोर्ड की समितियाँ

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए बोर्ड अधिकारों का प्रयोग करती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त);
- ऋण समझौता, बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
- दान और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री एस. एल. जैन	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. आदित्य गेहा, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 28 बैठकें हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	21.04.2022	5	5
2.	07.05.2022	5	4
3.	21.05.2022	5	4
4.	27.05.2022	5	5
5.	07.06.2022	5	5
6.	13.06.2022	5	5
7.	24.06.2022	5	5
8.	12.07.2022	5	4
9.	21.07.2022	5	5
10.	01.08.2022	5	5
11.	17.08.2022	5	5
12.	01.09.2022	5	5
13.	09.09.2022	5	5
14.	20.09.2022	5	5

15.	28.09.2022	5	5
16.	20.10.2022	5	5
17.	04.11.2022	5	5
18.	25.11.2022	5	5
19.	08.12.2022	5	5
20.	22.12.2022	6	6
21.	27.12.2022	6	6
22.	10.01.2023	6	6
23.	24.01.2023	6	6
24.	06.02.2023	6	6
25.	20.02.2023	6	6
26.	03.03.2023	6	5
27.	13.03.2023	6	6
28.	24.03.2023	6	5

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी)

लेखापरीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंक के समग्र लेखा - परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में बकाया, धोखाधड़ी एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
- खातों, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की सामान्य पुनरीक्षा
- प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखापरीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप में क्वालिफिकेशन
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा
- आंतरिक लेखापरीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. आदित्य गेहा, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक
2. श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक
3. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 15 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11.05.2022	4	4
2.	26.05.2022	4	4
3.	22.06.2022	4	3
4.	18.07.2022	4	4
5.	30.07.2022	4	3
6.	26.08.2022	4	4
7.	21.09.2022	4	4
8.	03.11.2022	4	4
9.	29.11.2022	4	4
10.	13.12.2022	4	4
11.	25.01.2023	4	4
12.	17.02.2023	4	4
13.	24.02.2023	4	4
14.	23.03.2023	4	4
15.	28.03.2023	4	4

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता रहा है। जोखिम प्रबंधन समिति की कार्यविधि/उत्तरदायित्व निम्नवत हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- बाजार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति को संतुष्ट करती हैं।
- ट्रिगरर्स अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम प्रबंधक/प्रबंधकों सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संगठन निम्नवत था :

1.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. एल. जैन, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
5.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
6.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

- (1) श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक
- (2) श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक
- (3) सुश्री हिमाद्री भट्टाचार्य, डोमेन विशेषज्ञ (विशेष अतिथि)

4.3.2 बैठकों का विवरण:

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में 7 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	25.05.2022	6	5
2.	27.06.2022	6	5
3.	13.09.2022	6	5
4.	20.12.2022	6	5
5.	16.02.2023	6	5
6.	20.03.2023	6	6
7.	23.03.2023	6	6

4.4 निदेशकों की सतर्कता समिति (सीओडी) :

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.4.1 सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) के सदस्य निम्नवत थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आदित्य गेहा, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सीओडी) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	26.05.2022	5	3
2	21.09.2022	5	4
3	12.12.2022	6	6
4	23.03.2023	6	6

4.5 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति :

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड स्टेकधारक संपर्क समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.5.2 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति की कार्यविधि :

समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न शामिल हैं:

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक समिति की 1 बैठक का आयोजन हुआ जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	स्टेकधारकों संपर्क समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	14.09.2022	3	3

4.6 आईटी रणनीति समिति :

आईटी रणनीति समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.6.1 आईटी रणनीति समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को आईटी रणनीति समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
8.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

समिति की बैठकों में आईटीआरबीटी के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ एवं आईटी कंसल्टेंट विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

4.6.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 7 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	25.05.2022	7	6
2.	18.07.2022	7	5
3.	20.09.2022	7	6
4.	29.11.2022	8	7
5.	13.12.2022	8	8
6.	12.01.2023	8	7
7.	20.03.2023	8	8

4.7. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) :

1 (एक) करोड़ रुपए व अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी, 2004 को किया गया था है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.7.1 विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) की 4 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.05.2022	6	5
2	20.09.2022	6	5
3	13.12.2022	7	7
4	09.03.2023	7	7

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.8.2. बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	22.06.2022	4	4
2.	14.09.2022	4	4
3.	29.11.2022	5	5
4.	16.02.2023	5	5

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
4.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई।:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	23.06.2022	4	4

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

इस समिति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए दिनांक 27.11.2019 को गठित किया गया था। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2023 को यथास्थिति कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना निम्नवत है :

1.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण:

01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान समिति की दो (2) बैठकें संपन्न हुई जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	13.12.2022	3	3
2	17.02.2023	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2ए के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति की संरचना

दिनांक 31.03.2023 को यथास्थिति बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

1.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
5.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	09.03.2023	5	5

4.12. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 की बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह अनुमोदन बॉडी है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रुपरेखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बड़ा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है। इस समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की संरचना:

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)
- महाप्रबंधक (मिडकॉर्प/एमएसएमई)
- महाप्रबंधक (वित्त/लेखा)
- महाप्रबंधक (व्यय एवं ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतकर्ता)
- महाप्रबंधक (सीआरओ) एवं सीसीओ भी उपस्थित रहते हैं।

चूंकि ऋण एवं व्यय प्रस्तावों को भिन्न महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष संभाल रहे हैं। अतः संबंधित महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष अपने प्रस्तावों से संबंधित समिति के सदस्य होंगे।

4.12.2. बैठक का विवरण :

01.02.2022 से 31.03.2023 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 28 बैठकें संपन्न हुई, विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	16.04.2022	3	3
2.	28.04.2022	3	3
3.	19.05.2022	3	3
4.	04.06.2022	3	3
5.	15.06.2022	3	3
6.	28.06.2022	3	3
7.	14.07.2022	3	3
8.	29.07.2022	3	3
9.	16.08.2022	3	3
10.	01.09.2022	3	3
11.	10.09.2022	3	3
12.	19.09.2022	3	3
13.	26.09.2022	3	3
14.	28.09.2022	3	3
15.	14.10.2022	3	3
16.	10.11.2022	3	3
17.	25.11.2022	4	4
18.	09.12.2022	4	4
19.	28.12.2022	4	4
20.	29.12.2022	4	4
21.	10.01.2023	4	4
22.	21.01.2023	4	4

23.	13.02.2023	4	4
24.	21.02.2023	4	4
25.	03.03.2023	4	4
26.	09.03.2023	4	4
27.	28.03.2023	4	4
28.	31.03.2023	4	4

4.13 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं को गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने वाली गैर-सहयोगी उधारकर्ता अनुवीक्षण समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने/पुष्टि करने के लिए गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का गठन दिनांक 23.01.2015 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.13.1 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2023 को यथास्थिति गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.13.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2022 से 31.03.2023 अवधि के दौरान समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गयी:

	बैठक की तिथि	आरसीएनसीबी में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	23.06.2022	3	3

4.14 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति:

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपील समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2023 को बोर्ड की चयन समिति के सदस्य नियमानुसार थे:

1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
4.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2022 से 31.03.2023 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी:

4.15 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 एचआर समिति की संरचना :

यथास्थिति 31.03.2023 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

एचआर समिति की बैठक में श्री कमलेश आर पटेल, एचआर विशेषज्ञ को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	27.06.2022	6	6
2.	20.09.2022	6	5
3.	03.11.2022	6	6
4.	23.01.2023	7	7
5.	16.02.2023	7	7

4.16 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 30.03.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.16.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2023 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	25.05.2022	3	3
2.	23.06.2022	3	3
3.	20.09.2022	3	3
4.	09.03.2023	3	3

4.17 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति:

दिनांक 18.12.2012 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.17.1 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2023 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस. एल. जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	26.05.2022	6	5
2.	13.09.2022	6	5
3.	12.12.2022	7	7
4.	17.02.2023	7	7
5.	23.03.2023	7	7

5. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	मूल वेतन (₹.)	मंहगाई भत्ता (₹.)	बकाया (₹.)	वैयक्तिक वेतन (₹.)	एचआरए (₹.)	पीएफ में बैंक का योगदान (₹.)	प्रोत्साहन/अन्य भत्ता (₹.)	कुल (₹.)
1	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	2520600.00	951666.00	0.00	0.00	0.00	252060.00	350000.00	4074326.00
2	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	2227366.13	843204.13	0.00	32550.00	1232507.30	220260.00	167000.00	4722887.56
3	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	2201700.00	831183.00	0.00	0.00	0.00	220170.00	400000.00	3653053.00
4	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	766133.33	291130.67	0.00	0.00	0.00	76613.33	0.00	1133877.33

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु रु. 40,000 और समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु रु. 20,000, बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹10000 तथा समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹5000 का भुगतान (₹15 लाख प्रतिवर्ष के अधीन) किया जा रहा है जोकि 18.01.2019 से प्रभावी हैं। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों और सरकार तथा आरबीआई द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

6. फेमिलियराइजेशन कार्यक्रम:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://indianbank.in/investors-services-ib> पर उपलब्ध है।

7. आम बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 07 अगस्त 2020, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	यथास्थिति 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। सोलहवीं वार्षिक आम बैठक बुधवार,
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	बुधवार, 22 जून, 2022	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। 3. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से (विशेष संकल्प द्वारा पारित) रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

7.2 उपरोक्त चौदहवीं एवं पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। 22 जून, 2022 को आयोजित सोलहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से ₹4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

7.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्टल बालट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.3 दिनांक 22.06.2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

श्री एस एल जैन	एमडी और सीईओ
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक
श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक
डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक
सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक
श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

8. व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्कता तंत्र:

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है व्हिसल ब्लोअर पालिसी जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

9. अन्य प्रकटीकरण:

- (क) बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।
- (ख) बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।
- (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।
- (घ) बैंक ने भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।
- (ङ) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों भौतिक अनुषंगी कंपनियां नहीं हैं। दो अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ASREC (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।
- (च) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- (छ) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र संलग्न है व इस रिपोर्ट का भाग है।
- (ज) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- (झ) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि 446.47 लाख है।
- (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- (ट) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां – लागू नहीं।

(ठ) विवेकाधीन आवश्यकताएं:

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, यथा संशोधित, की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकाधीन आवश्यकताओं के अंगीकरण से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चों पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का सक्षिप्त विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं एवं यह स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई व बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
सी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकती है।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध अभिमत है
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

10. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएं प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) तथा चैनल स्थित क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), दिनामणि (तमिल) आदि एवं हिंदू तमिल तिसाई (तमिल) में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों हेतु बनाए गए प्रेजेन्टेशन, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध हैं।

11. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

11.1 17वीं वार्षिक आम सभा का विवरण :

दिन और दिनांक	सोमवार, 19 जून, 2023
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जाएगी, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय - 254-260, अव्वै शण्मुगम सालै, रायपेट्टु, चेन्नै - 600 014 को वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने का स्थान माना जाएगा।

11.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर (अनंतिम):

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2023	-	जुलाई-अगस्त 2023
30 सितम्बर, 2023	-	अक्तूबर-नवम्बर 2023
31 दिसम्बर, 2023	-	जनवरी-फरवरी 2024
31 मार्च, 2024	-	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा : अप्रैल-मई 2024

11.3 लाभांश भुगतान हेतु अभिलिखित दिनांक एवं लाभांश भुगतान की दिनांक :

अभिलिखित दिनांक : 12.06.2023, लाभांश भुगतान दिनांक : 14.07.2023

11.4 वार्षिक आम बैठक हेतु वार्षिक बुक क्लोजर की दिनांक एवं लाभांश भुगतान :

बुक-क्लोजर : 13.06.2023 से 19.06.2023 तक (दोनों दिन शामिल हैं)

11.5 लाभांश :

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी 8.60 रुपए के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 86 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

11.6 लिस्टिंग:

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टाक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी- ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	INDIANB	01.03.2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

वित्त वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

11.7 अनुपालन अधिकारी :

श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक और कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

11.8 बाजार मूल्य आंकड़े :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि.(एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन का विवरण निम्नवत रहा

माह	एनएसई			बीएसई			कुल परिमाण (नं. लाखों में)
	उच्च	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	
अप्रैल 2022	175.50	153.45	341.12	175.40	153.55	27.67	368.79
मई 2022	173.00	137.05	381.74	172.80	137.20	28.32	410.06
जून 2022	171.55	140.00	229.24	171.50	140.00	17.64	246.88
जुलाई 2022	182.00	146.65	386.54	181.70	146.70	20.79	407.33
अगस्त 2022	196.90	166.00	398.53	196.80	171.40	19.34	417.87
सितंबर 2022	207.45	183.70	372.88	211.00	183.75	29.44	402.32
अक्टूबर 2022	256.40	188.35	459.13	256.00	188.55	30.35	489.48
नवंबर 2022	280.85	241.00	524.69	280.60	240.90	24.74	549.43
दिसंबर 2022	306.00	255.50	784.04	306.00	255.45	46.49	830.53
जनवरी 2023	305.95	277.50	342.51	306.20	276.75	19.40	361.91
फरवरी 2023	310.00	252.20	208.38	310.00	253.35	14.39	222.77
मार्च 2023	294.50	254.00	348.84	296.15	254.30	18.54	367.38

11.9 इन्डेक्स (निफ्टी-50 एवं एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹)	निफ्टी-50 (अंतिम)	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
अप्रैल 2022	163.50	17102.55	57060.87
मई 2022	169.45	16584.55	55566.41
जून 2022	149.85	15780.25	53018.94
जुलाई 2022	176.50	17158.25	57570.25
अगस्त 2022	194.25	17759.30	59537.07
सितंबर 2022	196.85	17094.35	57426.92
अक्टूबर 2022	253.90	18102.20	60746.59
नवंबर 2022	266.90	18758.35	63099.65
दिसंबर 2022	285.35	18105.30	60840.74
जनवरी 2023	304.75	17662.15	59549.90
फरवरी 2023	257.10	17303.95	58962.12
मार्च 2023	288.55	17359.75	58991.52

11.10 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै-600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

11.11 शेयर अंतरण प्रणाली :

- सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) यथासंशोधित के अनुसार, शेयर/प्रतिभूतियों के अंतरण या स्थानान्तरण के अनुरोधों पर बैंक के आरटीए/बैंक द्वारा तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि शेयर/प्रतिभूतियों को डिमैटिरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।
- जिन निवेशकों के पास भौतिक रूप में शेयर उपलब्ध हैं एवं वे शेयरों का अंतरण करने के इच्छुक हैं तो वे शेयर के डिमैटिरियलाइज्ड होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

11.12 31.03.2023 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1 - 500	303702	94.7437	21604454	1.7347
501 - 1000	9996	3.1183	7592222	0.6096
1001 - 2000	4154	1.2958	5962566	0.4788
2001 - 3000	994	0.3100	2498099	0.2006
3001 - 4000	430	0.1341	1523088	0.1230
4001 - 5000	324	0.1010	1516372	0.1218
5001 - 10000	399	0.1244	2841838	0.2282
10001 एवं उससे अधिक	552	0.1722	1201902500	96.5042
कुल	320551	100.00	1245441139	100.00

11.13 शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE562A01011 है।

31.03.2023 को यथास्थिति बैंक के 1243974142 इक्विटी शेयर, डिमैटिरियलाइज्ड हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.88 प्रतिशत है।

31.03.2023 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारण		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
भौतिक रूप		42225	13.17	1466997	0.12
डिमेटरियलाइज्ड	एनएसडीएल	156953	48.96	22,31,66,202	17.92
	सीडीएसएल	121373	37.86	1,02,08,07,940	81.96
कुल		320551	100.00	1245441139	100.00

31.03.2022 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 994549600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 79.86 प्रतिशत है।

11.14 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

11.15 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

ओवरसिज उपस्थिति के कारण बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिमों के एक्सपोजर की संभावना है। यद्यपि बैंक का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कम महत्व का है एवं मुद्रा अंतराल विवेकपूर्ण परिधि में ही है। बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया विदेशी मुद्रा स्पोर्ट और वायदा अनुबंधों और व्यापार के लिए धारित का पुनर्मूल्यांकन एफईडीआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पोर्ट और फॉरवर्ड दरों पर और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है। अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संदर्भ में बैंक ने अपनी देयताओं का आकलन उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर किया है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे ही उपलब्ध करवाया गया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं जहां कहीं भी उधारकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं, इन सभी के आधार पर बैंक ने आरबीआई निदेशों आरबीआई/2022-23/131:डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2022 के द्वारा तत्पश्चात स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को अपने घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में देयताएं कुल 15.10 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.88 करोड़ रुपए) बताईं। संपूर्ण अनुमानित राशि के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

11.16 लाभांश वितरण नीति :

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट <https://indianbank.in/investors-services-ib/> पर उपलब्ध है

12. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैडेट (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई: इंडियन बैंक) पी सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002 टेलीफोन : 044-28460718 ई-मेल: investor@cameoindia.com	कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवाएं कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै रॉयपेड्डा, चेन्नै - 600014 टेलीफोन : 044-28134484/4698 ई-मेल : investors@indianbank.co.in

12.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2023 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

	यथास्थिति 01.04.2022 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त	2022-23 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2023 को लंबित
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	1	146	147	0

13 डीमेट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमेट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01.04.2022 को शेयरधारकों एवं उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के अंत में अर्थात् 31.03.2023 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमेट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

14 शेयरधारिता संरचना (31.03.2023 को यथास्थिति) :

शेयरधारक श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) - प्रमोटर	1	994549600	प्रतिशत
म्युचुअल फंड	18	99409742	79.86
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	186	51906759	7.98
वैकल्पिक निवेश निधियां	7	3168219	4.17
बीमा कंपनियां	9	41290345	0.25
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	2	248	3.32
निवासी व्यक्ति	281016	40707670	0.00
निगमित निकाय	955	2962722	3.27
निदेशक एवं उनके संबंधी	5	3180	0.24
कर्मचारी	24975	8546586	0.00
विलयिंग सदस्य	25	23295	0.68
हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	3070	1130903	0.00
अनिवासी भारतीय	3157	1641892	0.09
विदेशी नागरिक	1	1700	0.13
न्यास	18	90395	0.00
केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं)/ भारत के राष्ट्रपति नॉन प्रमोटर	1	4021	0.01
अदावी शेयर डीमेट उचंत खाता	2	3862	0.00
कुल	313448	1245441139	100.00

*सामान्य पीएन के आधार पर समेकित

15. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान :

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करवाता है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

16. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, कोई भी पैसा जो अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान/दावा नहीं किया जाता है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को हस्तांतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2014-15 तक बैंक की अदत्त और दावा न की गई लाभांश राशि को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना वैध दावा उनके बैंक विवरण के साथ, एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से उसे/उसे अवैतनिक लाभांश वारंट की आय के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई - 600 002 को प्रेषित करें।

अदत्त लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध कराया गया है।

17. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पॉलिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

18. 31.03.2023 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बॉण्ड/ऋण लिखतों का विवरण और बकाया :

31.03.2023 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बकाया बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	आईएसआईएन	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.2023 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बॉण्ड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08057	1048	केयर एए /स्थिर क्रिसिल एए /स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रुबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज III	INE562A08065	560			
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज IV	INE562A08073	392			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेच ए	INE562A08024	290	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर		
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेचबी	INE562A08032	110			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेच सी	INE562A08040	600			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज I	INE428A08028	500	क्रिसिल एएए/स्थिर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर केयर एएए/स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर रेटिंग्स लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बल्लाई एस्टेट मुंबई – 400 001

बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज II	INE428A08044	1000	क्रिसिल एएए/स्थिर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर केयर एएए/स्थिर	क्रिसिल रेटिम्स लिमिटेड ब्रिकवर्क रेटिम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर रेटिम्स लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रुबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई -400 028
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयर एएए/स्थिर आईएनडीआर एए+ /स्थिर	इंडिया रेटिम्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एवं केयर रेटिम्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज IV	INE428A08101	1500	केयर एएए/स्थिर आईएनडीआर एए+ /स्थिर	इंडिया रेटिम्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिम्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज V	INE562A08081	2000	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर	केयर रेटिम्स लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिम्स लिमिटेड	
कुल		9000			

अन्य क्रेडिट रेटिंग:

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने अपने सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट प्रोग्राम के लिए भी क्रेडिट रेटिंग एवं एस एंड पी ग्लोबल रेटिम्स से रेटिंग प्राप्त की है।

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	इंस्ट्रुमेंट / रेटिंग का प्रकार	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.2023 का यथास्थिति उत्तम रेटिंग
1	क्रिसिल रेटिम्स लिमिटेड	सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट्स	35,000	क्रिसिल ए1+
2	एस एंड पी ग्लोबल रेटिम्स	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	बीबीबी- /स्थिर/ए-3

19. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य आचार संहिता तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

20. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(एस. एल. जैन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 08.05.2023

स्थान : चेन्नै

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् मुख्य महाप्रबंधकगण/ महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकृति दी है। उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

(एस एल जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 08.05.2023
स्थान : चेन्नै

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी से आई) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन बैंक, के कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टैकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 003990S/S200018

पी देवी
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 223137)

यूडीआईएन सं.: 23223137BGYLQC3694

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 002424S

वी मार्गसहायम
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 020555)

यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZR2976

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N

चेतन ठक्कर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMBE4121

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 112318डब्ल्यू

संदीप के जैन

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGU6528

कृते एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 001526सी

मुकेश कुमार खंडेलवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 074661)

यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJH9518

दिनांक : 08.05.2023

स्थान : चेन्नै

सीईओ एवं सीएफओ द्वारा प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसार)

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2022-23 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
- (i) इन विवरणों में तात्त्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने

लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को दे दी है।

- (डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:
- (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है; और
- (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(सुनील जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एस एल जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मु. का. अ.

दिनांक: 08 मई 2023
स्थान: चेन्नै

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्नै

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक (इसके पश्चात बैंक कहा जाएगा)** द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दिए गए व्याख्या और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम द्वारा कोविड-19 (COVID-19) महामारी के फैलाव के कारण दी गई छूटों पर विचार करके, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** (''बैंक'') द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत्त की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक)
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; **(लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:
 - (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

- (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;
- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 और 2018 में यथा संशोधित **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- (एफ) कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; **(लागू नहीं)**
- (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू हैं, वह निम्नानुसार हैं:

- (vi) बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970
 - (vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- मेरे द्वारा निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की जांच भी की गई है:
- (i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक **(लागू नहीं)**
 - (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टि लेनदेन इत्यादि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बंधकों) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध संस्था ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है।

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं। दिनांक 31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्धपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली अस्तित्व में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: एफ002969ई000261183

दिनांक : 05.05.2023
स्थान : चेन्नै

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्नै

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन जांच के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और समुचितता की जांच नहीं की है।
4. जहां कभी भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नंबर 2969
सी.पी.सं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 667 / 2020
यूडीआईएन: एफ002969ई000261183

दिनांक: 05.05.2023
स्थान: चेन्नै

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र

{सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में}

इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600 001
के सदस्यगण

हमने इंडियन बैंक के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिनका पंजीकृत कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) है, जो बैंक द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन हेतु, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 5 पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन के अनुसार तथा बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक सं.	निदेशक का नाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री एस.एल. जैन	01.09.2021
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	10.03.2021
3	श्री अश्वनी कुमार	21.10.2021
4	श्री महेश कुमार बजाज	21.11.2022
5	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	14.09.2022
6	डॉ. आदित्य गेहा	08.03.2022
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	07.02.2021
8	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	29.10.2021
9	श्री बालमुकुंद सहाय	21.12.2021
10	श्री विश्वेश कुमार गोयल	21.12.2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक में कार्य संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नंबर 2969
सी.पी.सं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 667/2020
यूडीआईएन: एफ002969ई000261183

तिथि : 05.05.2023

स्थान : चेन्नै



स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2023 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 को (लेखापरीक्षित)
पूँजी व देयताएं			
पूँजी	1	1245 44 11	1245 44 11
आरक्षितियां और अधिशेष	2	46727 31 46	42463 36 31
जमाएं	3	621165 75 65	593617 81 37
उधार	4	22073 03 09	17208 97 47
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	19289 18 81	17132 46 25
कुल		710500 73 12	671668 05 51
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष	6	32692 63 01	58554 60 97
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि	7	17439 94 87	21361 44 19
निवेश	8	185988 25 25	174558 58 80
अग्रिम	9	449296 73 37	389186 06 32
अचल आस्तियां	10	7459 04 04	7683 71 16
अन्य आस्तियां	11	17624 12 58	20323 64 07
कुल		710500 73 12	671668 05 51
आकस्मिक देयताएं	12	381303 03 27	355947 25 18
वसूली के लिए बिल	-	16082 16 20	14144 89 14

एस एल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 003990S/S200018
पी देवी
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 223137)
यूडीआईएन सं.: 23223137BGYPY1043

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 002424S
वी मार्गसहायम
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 020555)
यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZN3645

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMB4391

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318डब्ल्यू
संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)
यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGG1225

कृते एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526सी
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 074661)
यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJD3312

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 08.05.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा

(₹)

हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2023 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 को (लेखापरीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	44942 21 29	38856 22 07
अन्य आय	14	7143 06 26	6915 44 97
कुल		52085 27 55	45771 67 04
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	24716 75 04	22128 27 05
परिचालनगत व्यय	16	12097 90 28	10926 50 28
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	9988 92 02	8772 07 65
कुल		46803 57 34	41826 84 98
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)		5281 70 21	3944 82 06
अग्रानीत लाभ / हानि (-)		129 77 18	100 16 28
घटाए: अन्य समायोजन		0	-23 21 49
कुल		5411 47 39	4021 76 85
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षितियां		1320 43 00	986 21 00
पूँजी आरक्षितियां		0	147 90 00
आईटी अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		191 73 00	108 35 00
राजस्व आरक्षितियां		2655 00 00	1800 00 00
स्टाफ कल्याण निधि		40 00 00	40 00 00
इक्विटी लाभांश		1071 07 94	809 53 67
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है		133 23 45	129 77 18
कुल		5411 47 39	4021 76 85
प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (आधारभूत और कम मिश्रित)		42.41	32.38

एस एल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 003990S/S200018
पी देवी
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 223137)
यूडीआईएन सं.: 23223137BGYPY1043

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 002424S
वी मार्गसहायम
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 020555)
यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZN3645

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMBD4391

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318डब्ल्यू
संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)
यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGQ1225

कृते एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526सी
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 074661)
यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJD3312

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 08.05.2023

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10/- रुपए के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	994 54 96
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 25,08,91,539 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 25,08,91,539 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	250 89 15	250 89 15
कुल	1245 44 11	1245 44 11

अनुसूची 2 - आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. सांवाधक आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	9635 96 51	8649 75 51
बी) अवधि के दौरान जोड़	1320 43 00	986 21 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल I	10956 39 51	9635 96 51
II. पूंजीगत आरक्षितियां		
ए) पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व		
ए) अधिशेष	6211 02 26	5754 96 63
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	599 48 14
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	104 12 40	143 42 51
कुल (ए)	6106 89 86	6211 02 26
बी) अन्य		
ए) अधिशेष	1060 90 74	913 00 74
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	147 90 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (बी)	1060 90 74	1060 90 74
कुल II (ए+ बी)	7167 80 60	7271 93 00
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अधिशेष	2391 54 44	857 61 90
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	1533 92 54
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल III	2391 54 44	2391 54 44
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
ए) राजस्व आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	15067 74 45	13124 31 94
बी) अवधि के दौरान जोड़	2655 00 00	1800 00 00
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अंतरित	104 12 40	143 42 51
डी) वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (ए)	17826 86 85	15067 74 45
(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	2283 87 00	2175 52 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	191 73 00	108 35 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (बी)	2475 60 00	2283 87 00

(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii) ए के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
ए) अथशेष	58 20 00	58 20 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (सी)	58 20 00	58 20 00
डी) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियां		
ए) अथशेष	1031 90 00	1031 90 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (डी)	1031 90 00	1031 90 00
ई) निवेश आरक्षितियां		
ए) अथशेष	186 37 77	186 37 77
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (ई)	186 37 77	186 37 77
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियां		
ए) अथशेष	397 23 78	421 92 88
बी) अवधि के दौरान जोड़	93 32 88	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	24 69 10
कुल (एफ)	490 56 66	397 23 78
जी) आईआरएस आरक्षितियां		
ए) अथशेष	1 90 63	1 90 63
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (जी)	1 90 63	1 90 63
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	22071 41 91	19027 23 63
V समामेलन आरक्षितियां		
ए) अथशेष	4006 91 55	4006 91 55
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल V	4006 91 55	4006 91 55
VI लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	129 77 18	100 16 28
बी) अवधि के दौरान जोड़	5281 70 21	3944 82 06
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	5278 23 94	3915 21 16
कुल VI	133 23 45	129 77 18
कुल (I + II + III + IV + V + VI)	46727 31 46	42463 36 31

अनुसूची 3 - जमाएँ

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ए. I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	138 92 81	125 59 56
ii. अन्य से	35718 10 13	36592 97 46
कुल	35857 02 94	36718 57 02
II. बचत बैंक जमाराशियां	224952 40 93	211207 62 07
III. सावधि जमाराशियां		
i. बैंकों से	9516 08 89	6067 87 21
ii. अन्य से	350840 22 89	339623 75 07
कुल	360356 31 78	345691 62 28
कुल (I+II+III)	621165 75 65	593617 81 37
बी. I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं	608027 42 90	584660 65 57
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	13138 32 75	8957 15 80
कुल (I+II)	621165 75 65	593617 81 37

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में उधार		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
ii. अन्य बैंक	2 04	5 12
iii. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	20147 58 04	15349 67 62
कुल	20147 60 08	15349 72 74
II. भारत के बाहर उधार	1925 43 01	1859 24 73
कुल (I+II)	22073 03 09	17208 97 47
ऊपर की मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	0	0
*एटी-1 में शामिल पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 2000 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 7000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 7000 00 00) को शामिल किया गया है।		
** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदें को शामिल करते हुए है।		

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
i. देय बिल	1841 95 09	1585 16 73
ii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
iii. उपचित ब्याज	1479 65 56	994 13 70
iv. अन्य (प्रावधान सहित)*	15967 58 16	14553 15 82
कुल (I+II+III+IV)	19289 18 81	17132 46 25
*रु. 608 94 827 (पिछले वर्ष रु. 378 88 304) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित		

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. उपलब्ध नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	1242 48 09	1962 39 75
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	31450 14 92	56592 21 22
(i) चालू खाते में	26670 14 92	22092 01 16
(ii) अन्य जमा खातों में	4780 00 00	34500 20 06
कुल (I+II)	32692 63 01	58554 60 97

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में अधिशेष		
ए. चालू खाते में	18 12 72	6 17 63
बी. अन्य जमा खातों में	1573 64 58	1386 15 22
कुल (i)	1591 77 30	1392 32 85
ii) माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि (बैंकों के साथ)	5007 03 77	0
कुल (ii)	5007 03 77	0
कुल (I+II)	6598 81 07	1392 32 85
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	693 48 58	503 97 97
ii) अन्य जमा खातों में	10144 91 36	19453 09 25
iii) माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	2 73 86	12 04 12
कुल (i+ii+iii)	10841 13 80	19969 11 34
कुल योग (I+II)	17439 94 87	21361 44 19

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	187882 07 93	178434 87 83
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	3805 10 31	3656 54 63
घटाएं: प्रतिभूति रसीद पर प्रावधान	0	1922 31 20
निवल निवेश	184076 97 62	172856 02 00
i. सरकारी प्रतिभूतियां	166464 65 49	158313 99 79
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
iii. शेयर	874 56 64	1198 42 29
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	14451 10 95	12515 35 19
v. अनुषंगियां और/या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ)	221 00 21	216 16 81
vi. अन्य (जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फण्ड्स)	2065 64 33	612 07 92
कुल:	184076 97 62	172856 02 00
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2041 97 09	1800 52 30
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	130 69 46	97 95 50
निवल निवेश	1911 27 63	1702 56 80
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	1911 05 40	1702 00 91
ii. अन्य निवेश		
ए. शेयर	22 23	55 89
बी. कर्ज प्रतिभूतिया	0	0
कुल	1911 27 63	1702 56 80
निवल कुल योग (I+II)	185988 25 25	174558 58 80

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ए. i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2434 93 18	3430 05 82
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	210191 80 73	207613 07 81
iii) मीयादी ऋण	236669 99 46	178142 92 69
कुल (ए)	449296 73 37	389186 06 32
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण बही के सापेक्ष अग्रिम शामिल हैं)	373959 11 14	322961 60 18
ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	39004 97 03	39614 40 28
iii) अरक्षित	36332 65 20	26610 05 86
कुल (बी)	449296 73 37	389186 06 32
सी I. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र [#]	170017 91 83	163407 15 71
ii. सार्वजनिक क्षेत्र	68741 14 14	67147 92 02
iii. बैंक	0	0
iv. अन्य	181258 29 13	139011 84 53
कुल (सी I)	420017 35 10	369566 92 26
सी II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य राशियाँ	19922 99 21	11105 63 45
ii) अन्य से प्राप्य राशियाँ		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल	1046 79 87	2541 53 44
ख) सामूहिक ऋण	5113 58 79	4650 75 16
ग) अन्य	3196 00 40	1321 22 01
कुल (सी II)	29279 38 27	19619 14 06
कुल योग (सी I+ सी II)	449296 73 37	389186 06 32

[#]आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	7453 87 98	6857 35 52
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	6 74 45	601 20 96
पूर्ण योग	7460 62 43	7458 56 48
अवधि के दौरान कटौतियां	0	4 68 50
पूर्ण योग	7460 62 43	7453 87 98
अद्यतन मूल्य हास	1490 17 86	1412 80 63
कुल	5970 44 57	6041 07 35
II. पट्टे पर दी गई आस्तियां		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	530 52 79	530 52 79
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	0	0
पूर्ण योग	530 52 79	530 52 79
अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
पूर्ण योग	530 52 79	530 52 79
अद्यतन मूल्य हास	60 84 44	22 17 67
कुल	469 68 35	508 35 12
III. निर्माणाधीन भवन	1 21 00	96 80
IV. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर	4865 53 29	4628 15 73
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	317 60 42	314 04 79
पूर्ण योग	5183 13 71	4942 20 52
अवधि के दौरान कटौतियां	95 19 86	76 67 23
पूर्ण योग	5087 93 85	4865 53 29
अब तक मूल्य हास	4072 82 66	3734 94 36
कुल	1015 11 19	1130 58 93
V. पूंजीगत कार्य प्रवर्तमान	2 58 93	2 72 96
कुल (I + II + III + IV + V)	7459 04 04	7683 71 16

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	112 20 27	270 52 77
II. उपचित ब्याज	3414 28 57	2968 68 66
III. अग्रिम प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	5254 40 17	6407 56 89
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	10 87 76	27 06 55
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर-बैंककारी आस्तियां	51 38 26	51 38 26
VI. अन्य*	8780 97 55	10598 40 94
कुल	17624 12 58	20323 64 07
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	848 24 89	1062 15 12

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2091 81 01	2159 16 36
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	388 96 17	462 77 26
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	328152 69 50	306197 71 07
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी*		
क. भारत में	28971 51 28	24385 92 92
ख. भारत के बाहर	193 48 98	317 79 31
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठंकन और अन्य बाध्यताएं	9758 18 18	10837 91 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	11746 38 15	11585 96 56
कुल	381303 03 27	355947 25 18

*आकस्मिक देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि	31941 15 06	26927 56 15
II. निवेशों पर आय	11647 16 82	10964 82 37
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	877 53 68	851 34 00
IV. अन्य	476 35 73	112 49 55
कुल	44942 21 29	38856 22 07

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	958 45 65	806 11 09
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	552 10 16	1748 06 22
घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि	171 17 92	122 30 84
निवल	380 92 24	1625 75 38
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0	89
घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	86 98 98	343 24 98
निवल	-86 98 98	-343 24 09
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	1 95 64	7 40 31
घटाएँ: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि*	1 82 19	2 18 28
निवल	13 45	5 22 03
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	1008 60 47	689 98 73
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	44 79 76	28 15 18
VII. विविध आय	4837 13 67	4103 46 65
कुल	7143 06 26	6915 44 97

*यह राशि सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है।

अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	23184 25 68	20935 55 65
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	616 17 43	248 46 35
III. अन्य	916 31 93	944 25 05
कुल	24716 75 04	22128 27 05

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	7527 22 77	6695 70 68
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	620 98 45	613 74 14
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	98 74 82	84 60 78
IV. विज्ञापन और प्रचार	27 72 03	21 71 34
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	528 81 10	597 49 99
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1 10 69	44 31
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)	52 16 17	47 37 52
VIII. विधि प्रभार	19 29 48	17 38 61
IX. डाक, तार और टेलीफोन	95 83 34	109 86 46
X. मरम्मत और अनुरक्षण	192 49 78	243 87 09
XI. बीमा	813 51 24	742 35 00
XII. अन्य व्यय	2120 00 41	1751 94 36
कुल	12097 90 28	10926 50 28

अनुसूची -17 मुख्य लेखांकन नीतियाँ (स्टैंडअलोन)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रही प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि हेतु आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियाँ, पृष्ठंकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

3.2 गैर- समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

- आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को विनिमय उतार-चढ़ाव निधि (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचटीएम प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचएफटी प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, एफएस प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

4.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

ए) एचटीएम प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थायी प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनितों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) एएफएस प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ-हानि लेख में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) एचएफटी प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेख में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) एएफएस एवं एचएफटी प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत किया गया है:

- प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर/वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
- राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई/एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।
- कोट होने पर इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पून्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।
- अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।
- जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की यूनिटों में 23.08.2006 के बाद किये गये निवेश, 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में

वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

ix) विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

4.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में की गयी है:

- प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीआई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीआई माना जाएगा जब गारंटी लागू किए जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि 'डीमड एडवांस' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन रखा जाता है।
- एनपीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए, यदि उद्धृत किया गया है, और जहां इक्विटी को उद्धृत नहीं किया गया है तो इसका मूल्यांकन रु 1/- पर किया जाना चाहिए।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेन, तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जबकि लाभ, यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेख में की जाती है।

4.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम/ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 निवेश की कीमत का निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण:

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेन-देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती हैं। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

- (ए) भारतीय रिजर्व बैंक में निहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में निहित नकद और शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष' की मद (ii) 'अन्य खातों में' की उप-मद (II) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।
- (बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में निहित शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (ii) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
- (सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:
 - i. ए(ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण'
 - ii. बी(i) 'मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित'
 - iii. सी (i), (iii) बैंक (iv) अन्य (जैसा भी मामला हो)

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

- (ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी की गई प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।
- (बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- i. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- ii. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

- ए) अवमानक:
 - i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
 - ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)
- बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:
 - i. सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
 - ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत
- सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:
 - i. सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
 - ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत
- डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित/पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित/बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7 अचल आस्तियां/मूल्यहास

- 7.1 अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।
- 7.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती हैं।
- 7.3 भारत में इमारतों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों/उपयोग की गयी समय-सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/उपयोग की समय-सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय-सीमा निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां/लॉकर/दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर: 10 वर्ष मोबाइल फोन: 1 वर्ष

- 7.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से/संपत्ति के उपयोग की गयी समय-सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

- 7.5 रुपए 5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

- 7.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एसएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

- 7.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

- 7.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

- 7.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

- 7.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8 राजस्व अभिज्ञान

- 8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

- 8.2 गैर-निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

- 8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9 क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10 निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम:

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को/से अंतरण

- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा/और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखों में प्रभावित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभावित किया जाता है।

iv) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:

13.1 आकस्मिक देयताएं: संभावित या वर्तमान बाध्यताओं की ओर ले जाने वाली पिछली घटनाओं को निम्नलिखित उदाहरणों में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी जाती है:

- (ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है
- (बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है
- (सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
- (डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

13.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सके।

- (बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।
- (सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- i. गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- ii. गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 'आस्तियों का अनर्जक होना' के अनुरूप पहचाना जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखों में प्रभावित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर:

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों/विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक यह 'वर्चुअल निश्चितता' न मिल जाए कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही के सापेक्ष है पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध है।

अनुसूची 18-स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबद्ध लेखों पर टिप्पणियाँ (2022-23)

1. विनियामक पूँजी

ए. विनियामक पूँजी के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1)	42984.44	38725.15
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	1980.00	1980.00
iii)	टियर 1 पूँजी (i+ii)	44964.44	40705.15
iv)	टियर 2 पूँजी	10027.45	10394.93
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	54991.89	51100.08
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	333582.35	308937.61
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप सीईटी 1)	12.89%	12.53%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 1 पूँजी)	13.48%	13.17%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 2 पूँजी)	3.01%	3.36%
x)	जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप कुल पूँजी)	16.49%	16.53%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.86%	5.64%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	79.86%	79.86%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूँजी की राशि	..	116.07
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-ईक्विटी टियर 1 पूँजी की राशि,	..	..
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि	..	..

बी. आहरण द्वारा प्रारक्षित निधि में गिरावट

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	आहरण की गई राशि		प्रयोजन
	2022-23	2021-22	
रिजर्व का पुनर्मूल्यन	104.12	143.42	परिसर पर पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास

*वर्ष 2022-23 के लिए लेखा मानक-10 के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व आरक्षित खाते में जमा किया गया।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. आस्ति और देनदारियों की कतिपय वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	5090.71	19284.00	15425.73	17509.97	20559.77	31590.48	26470.38	54290.15	85289.61	58942.93	286712.02	621165.76
अग्रिम	3564.38	7744.04	6801.47	13098.89	21752.13	14476.72	28868.56	51263.41	165377.84	65002.38	71346.92	449296.73
निवेश*	27120.47	15097.45	11187.68	14865.67	4560.47	6805.07	11003.99	17610.43	27437.53	12169.66	37801.56	185659.98
उधार	282.05	0.00	665.89	0.72	674.19	693.06	2120.21	4815.20	10992.68	1829.03	0.00	22073.03
विदेशी मुद्रा आस्तियां	76.07	3096.87	5341.93	4616.08	4362.47	6439.10	2523.43	421.66	3805.41	747.06	124.63	31554.71
विदेशी मुद्रा देयताएं	311.50	2015.99	1002.27	2660.78	1555.25	1867.19	1429.61	952.88	2688.21	1599.05	699.84	16782.57

*₹ 328.27 करोड़ की सूचीबद्ध ईक्विटी के 50 प्रतिशत को छोड़कर

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पैरामीटर	तिमाही 1: 2022-23		तिमाही 2: 2022-23		तिमाही 3: 2022-23		तिमाही 4: 2022-23	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		156047.51		146020.36		138226.55		146614.58
नकदी का बाह्य प्रवाह									
2	खुदरा जमा और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं जिसमें से:	269059.30	19978.95	269191.18	20057.33	266891.05	19947.90	268706.57	20054.12
(i)	स्थिर जमाएं	138539.66	6926.98	137235.67	6861.78	134824.16	6741.21	136330.71	6816.54
(ii)	अल्प स्थिर जमाएं	130519.63	13051.96	131955.50	13195.55	132066.89	13206.69	132375.86	13237.59
3	असुरक्षित थोक फंडिंग जिसमें से	186434.69	87221.74	171370.97	86264.28	175714.10	91351.64	186268.78	95326.80
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	185471.90	86258.95	169927.21	84820.53	174279.42	89916.96	186268.78	95326.80
(iii)	अरक्षित ऋण	962.79	962.79	1443.75	1443.75	1434.68	1434.68	0.00	0.00
4	सुरक्षित थोक फंडिंग		0.00		0.00		0.00		
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं	64458.37	39041.25	60477.04	39473.03	63981.03	40907.92	58961.65	37897.80
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	36234.11	36234.11	36912.03	36912.03	37918.41	37918.41	35508.43	35508.43
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	28224.27	2807.14	23565.01	2561.00	26062.62	2989.51	23453.22	2389.37
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व	1721.40	1721.40	2318.04	2318.04	3659.77	3659.77	3147.73	3147.73
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	41440.03	1243.24	41132.70	1234.08	42865.26	1286.06	114606.09	4831.50
8	कुल नकद बहिर्वाह		149206.57		149346.76		157153.28		161257.94
नकदी का अंतर्वाह									
9	सुरक्षित उधार (यथा प्रतिवर्ती रेपो)	16051.75	0.00	8292.03	0.00	817.68	0.00	692.37	0.00
10	पूर्णनिष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह	29835.42	17004.72	28993.10	17107.66	30773.24	18448.49	28899.95	17455.23
11	अन्य नकदी प्रवाह	51658.10	48003.51	53470.42	49314.56	58207.55	52635.00	48085.60	44435.10

12	कुल नकद अंतर्वाह	97545.28	65008.23	90755.55	66422.22	89798.47	71083.49	77677.92	61890.33
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		156047.51		146020.30		138226.55		146614.58
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		84198.34		82924.72		86069.96		99368.21
15	चलनिधि कवरेज अनुपात		185.33%		176.09%		160.60%		147.55%

नोट: औसत भारित और गैर-भारित राशियों की गणना संबंधित तिमाही के लिए दैनिक टिप्पणियों के आधार पर साधारण औसत को समाहित करते हुए की जाती है।

गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों (अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए) के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है, सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।

संबंधित मार्जिन (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्वाह और बहिर्वाह दर (अंतर्वाह और बहिर्वाह नकदी के लिए) के प्रयोग के बाद भारित मूल्यों की गणना की जाती है।

समायोजित मूल्यों की गणना (i) मार्जिन एवं अंतर्वाह और बहिर्वाह दरें और (ii) लागू अन्य कैप्स (अर्थात एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप एवं अंतर्वाह पर कैप) दोनों के प्रयोग के बाद की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि एलसीआर में अधिकतम तनावग्रस्त आस्तियों को बनाए रखने की 30 दिनों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के तरल संसाधन हैं, बैंक के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दैनिक आधार पर एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। एलसीआर को आकलन करने की पद्धति आरबीआई द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इस एलसीआर की गणना उच्च गुणवत्ता की तरल अप्रभावित आस्तियों (एचक्यूएलए) की मात्रा को तीस कैलेंडर दिनों की अवधि में अनुमानित शुद्ध बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है। शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों (जमाएं जैसे खुदरा, लघु कारोबारी ग्राहक (जमाएं ₹7.50 करोड़ तक), असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार) साथ ही साथ अनाहति स्वीकार्य राशियों और तीस दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों के अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से प्रतिलुलित डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजर में उपयोग करके की जाती है।

बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान औसत एचक्यूएलए ₹146614.58 करोड़ (मार्जिन के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षाओं से अधिक हैं एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सीमा से अधिक अपेक्षा की और एलसीआर (एफएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा अनुमत है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष राशि लेवल 1 एचक्यूएलए का हिस्सा है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 147.55% था।

बैंक की तरलता की जरूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बैंक के एलसीआर के मुख्य चालक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। भारित नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से असुरक्षित थोक फंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें कुल भारित नकदी बहिर्वाह का योगदान 59.11% था। लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं सहित खुदरा जमाएं कुल भारित नकदी बहिर्वाह का 12.44% था। अन्य आकस्मिक फंडिंग दायित्वों में मुख्य रूप से बैंक गारंटी (बीजी) और बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी किए गए ऋण पत्र (एलसी) शामिल हैं।

यथास्थिति 31.03.2023 को बैंक का कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। 31.03.2023 तक शीर्ष 20 बड़े घरेलू जमाकर्ताओं का योगदान कुल जमाओं का 6.83% है। महत्वपूर्ण घरेलू उत्पाद/लिखतों में बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा शामिल हैं, जो बैंक की कुल जमाओं का क्रमशः 36.21%, 5.77% और 58.01% है, जिसका फंडिंग व्यापक है एवं बैंक के लिए जोखिम केंद्रित नहीं है।

सी. निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

(₹ करोड़ में)

		30.06.2022				30.09.2022					
		अवशिष्ट परियोजना द्वारा गैर-भारत मूल्य				अवशिष्ट द्वारा गैर-भारत मूल्य					
		अपरिष्कृत*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारत मूल्य				भारत मूल्य	
एसएफ मद											
1	पूँजी: (2+3)	43983.03	0.00	0.00	8080.00	52063.03	44012.63	0.00	0.00	8080.00	52092.63
2	नियामक पूँजी	43983.03	0.00	0.00	8080.00	52063.03	44012.63	0.00	0.00	8080.00	52092.63
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमाएं और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं: (5+6)	182229.54	71643.05	67501.89	57135.85	355309.85	185560.16	67253.01	130890.59	0.00	355463.35
5	स्थिर जमाएं	117994.87	27128.45	33615.90	22321.99	192124.25	119026.59	25474.51	58098.31	0.00	192469.44
6	अल्प स्थिर जमाएं	64234.68	44514.60	33885.99	34813.86	163185.60	66533.57	41778.50	72792.28	0.00	162993.91
7	थोक फंडिंग: (8+9)	55737.85	102053.22	33057.93	14848.91	110273.41	55517.71	101146.47	48449.36	0.00	88831.70
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक फंडिंग	55737.85	102053.22	33057.93	14848.91	110273.41	55517.71	101146.47	48449.36	0.00	88831.70
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	2050.66	9992.66	3513.37	13765.85	14599.24	3319.80	12438.24	3450.15	14787.34	15588.60
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		441.55	6.60	0.00			505.34	7.62	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	2050.66	9551.10	3506.78	13765.85	14599.24	3319.80	11932.90	3442.53	14787.34	15588.60
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					532245.53					511976.30
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता लिक्विड आस्तियां (एक्व्यूएल)					7767.59					7715.82
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	1981.05	154325.47	59292.68	236082.16	298853.93	1547.49	160465.19	55468.73	248676.64	309002.75
17	लेवल 1 एक्व्यूएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एक्व्यूएल द्वारा सुरक्षित निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	47197.36	7792.69	40715.02	51690.97	0.00	53174.95	4194.27	46473.01	56546.38

		30.06.2022					30.09.2022				
		अवशिष्ट परियकता द्वारा गैर-भारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट द्वारा गैर-भारित मूल्य			भारित मूल्य	
		अपरिष्कृत**	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष		अपरिष्कृत**	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक		≥ 1 वर्ष
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संग्राम, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से:	0.00	104743.87	49791.39	140249.19	198707.72	0.00	106564.08	48374.07	145328.97	202575.56
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	5002.77	507.77	12608.67	9059.60	0.00	3100.10	731.41	13773.20	8802.36
21	आवासीय निष्पादित बंधक, जिसमें से:	0.00	12.92	19.34	31426.99	22787.96	0.00	6.29	21.25	31428.07	23224.11
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	6.57	8.89	25783.91	14528.40	0.00	3.66	9.78	25851.30	14528.01
23	प्रतिभूतियां जो चूक के अंतर्गत नहीं हैं एवं एक्च्यूएल में नहीं आती हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्रिटी	1981.05	2371.31	1689.27	23690.96	25667.28	1547.49	719.88	2879.14	25446.58	26656.70
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	7610.29	111.52	57.90	22275.11	29926.72	7535.79	195.50	95.44	25766.32	33219.01
25	कारोबार की मौलिक वस्तुएं/स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी के चूक फंड में अंशदान	0.00	0.00	0.00	853.97	725.87	0.00	0.00	0.00	2493.59	2119.55
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	111.52	57.90	0.08	169.51	0.00	195.50	95.44	0.22	291.15
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	7610.29	0.00	0.00	21421.06	29031.34	7535.79	0.00	0.00	23272.51	30808.30
30	ऑफ-बैलेंस शीट मद					2261.50					2202.34
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					338809.74					352139.92
32	शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (%)					157.09%					145.39%



(₹ करोड़ में)

	31.12.2022				31.03.2023					
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारत मूल्य				अवशिष्ट द्वारा गैर-भारत मूल्य					
	अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारत मूल्य	अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	भारत मूल्य	
एसएसएफ मद										
1	पूंजी: (2+3)	44180.21	0.00	400.00	7380.00	51960.21	48019.10	900.00	7480.00	56399.10
2	नियामक पूंजी	44180.21	0.00	400.00	7380.00	51960.21	48019.10	900.00	7480.00	56399.10
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमाएं और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं: (5+6)	185654.83	65134.17	133978.36	0.00	356465.84	189974.09	61456.17	140697.34	363318.70
5	स्थिर जमाएं	120088.57	24701.68	58714.25	0.00	193329.28	123665.48	24327.88	60083.78	197673.28
6	अल्प स्थिर जमाएं	65566.26	40432.49	75264.11	0.00	163136.57	66308.61	37128.29	80613.56	165645.42
7	शोक फंडिंग: (8+9)	55557.87	109347.76	47399.72	0.00	88464.05	70835.35	100706.51	57454.86	98098.97
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य शोक फंडिंग	55557.87	109347.76	47399.72	0.00	88464.05	70835.35	100706.51	57454.86	98098.97
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	4659.59	8830.56	3667.93	16076.41	16690.37	1221.61	8565.23	6090.77	20826.75
11	एनएसएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	4659.59	8830.56	3667.93	16076.41	16690.37	1221.61	8565.23	6090.77	20826.75
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					513580.47				538643.53
आरएसएफ मद										
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता लिक्विड आस्तियां (एचक्यूएएल)					8129.00				8206.86
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	0.00	763.36	0.00	0.00	381.68	0.00	706.02	0.00	353.01
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	1477.13	146121.52	59211.40	260577.57	319284.26	1448.05	156733.40	65901.63	336784.25
17	लेवल 1 एचक्यूएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यूएल द्वारा सुरक्षित निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	36814.29	4125.17	53128.53	60713.26	0.00	37961.61	55604.06	65445.44

		31.12.2022					31.03.2023			
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारति मूल्य				भारति मूल्य	अवशिष्ट द्वारा गैर-भारति मूल्य			
		अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष		अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष
										भारति मूल्य
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से:	0.00	107355.65	53425.26	148364.98	207203.64	0.00	113556.76	56379.20	2154606.25
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	3840.29	290.90	16225.42	10178.31	0.00	4995.43	531.16	11270.92
21	आवासीय निष्पादित बंधक, जिसमें से:	0.00	12.50	13.53	33057.25	24266.35	0.00	15.42	13.87	25177.35
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	3.65	9.79	27228.35	15165.57	0.00	3.68	9.48	15766.74
23	प्रतिभूतियां जो चूक के अंतर्गत नहीं है एवं एक्ज्यूएलए में नहीं आती है, साथ ही साथ एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी	1477.13	1939.08	1647.43	26026.82	27101.02	1448.05	5199.61	1214.28	30927.57
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	7484.28	3528.43	738.64	24583.63	36046.32	7462.59	151.78	21.20	26941.70
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00			0.00
26	डेरेसेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी के चूक फंड में अंशदान		0.00	0.00	1924.38	1635.72	0.00	0.00	0.00	1626.19
27	एनएसएफआर डेरेसेटिव आस्तियां		3526.76	738.64	28.25	4293.65	0.00	82.54	1.89	105.32
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरेसेटिव देयताएं		1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	69.24	19.31	88.70
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	7484.28	0.00	0.00	22631.00	30115.28	7462.59	0.00	0.00	25121.48
30	ऑफ-बैलेंस शीट मद					2428.23				2555.74
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					366269.49				374841.55
32	शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (%)					140.22%				143.70%
* नो मैच्युरिटी टाइम ब्रेकेट में स्पीडेट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एक्ज्यूएलए इक्विटी और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है।										

* नो मैच्योरिटी टाईम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एक्ज्यूएलर इक्यिटी और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है।

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की लंबी अवधि की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसएफआर 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ)

एसएफ को पूंजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके एनएसएफआर द्वारा मानी गई समय सीमा (अर्थात 1 वर्ष तक) पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। एसएफ की राशि को किसी संस्थान के वित्तपोषण स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के वित्तपोषकों की अपनी निधि वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है।

आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)

आरएसएफ तरलता विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके ऑफ-बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर के आधार पर आवश्यक स्थिर निधि है। आरएसएफ की गणना निर्दिष्ट घटक की बकाया राशि को निर्धारित और संबद्ध आरएसएफ फैक्टर से गुणा करके की जाती है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ-बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफाइल बनाए रखें। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक निधि पर अति-निर्भरता को सीमित करता है, ऑफ-बैलेंस शीट की सभी मदों में वित्तपोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण स्थिरता को बढ़ावा देता है।

दिनांक 31.12.2022 को बैंक का एनएसएफआर 140.22% और 31.03.2023 को 143.70% था। एनएसएफआर 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। दिनांक 31.03.2023 तक, उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ) ₹538643.53 करोड़ और आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) ₹374841.55 करोड़ था।

बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना भी करता है और बैंक की तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।

3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो के घटक (यथास्थिति 31.03.2023 को)

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुबंधी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	अनुबंधी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश		
परिपक्वता के लिए धारित													
	140573.58	0.00	0.00	1271.77	252.10	235.31	142332.76	276.64	0.00	0.07	276.71	142609.47	
	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
	140573.58	0.00	0.00	1271.77	221.00	235.31	142301.66	276.64	0.00	0.07	276.71	142578.37	
विक्रय के लिए उपलब्ध													
	25989.93	0.00	2031.44	14665.34	0.00	2770.64	45457.34	1634.41	0.00	130.84	1765.25	47222.59	
	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
	25901.05	0.00	872.49	13179.34	0.00	1730.47	41683.34	1634.41	0.00	0.15	1634.56	43317.90	
व्यापार के लिए धारित													
	-9.98*	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-9.98	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97	
कुल निवेश													
	166553.53	0.00	2033.52	15937.11	252.10	3105.82	187882.08	1911.05	0.00	130.91	2041.96	189924.04	
	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
	166464.65	0.00	874.57	14451.11	221.00	2065.64	184076.98	1911.05	0.00	0.22	1911.27	185988.25	

*लघु बिक्री शामिल है

यथास्थिति 31.03.2022 को

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुबंधी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	अनुबंधी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	
परिष्कृतता के लिए धारित												
	134412.04	0.00	0.00	1645.95	252.10	152.72	136462.81	550.59	0.00	0.08	550.67	137013.48
	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
	134412.04	0.00	0.00	1645.95	216.17	152.72	136426.88	550.59	0.00	0.08	550.67	136977.55
विक्रय के लिए उपलब्ध												
	24018.10	0.00	2306.13	11867.77	0.00	3738.79	41930.79	1151.42	0.00	98.44	1249.86	43180.65
	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43**	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89
	23867.47	0.00	1191.63	10869.41	0.00	459.36	36387.86	1151.42	0.00	0.48	1151.90	37539.76
व्यापार के लिए धारित												
	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
कुल निवेश	158464.63	0.00	2312.92	13513.72	252.10	3891.51	178434.88	1702.01	0.00	98.52	1800.53	180235.41
	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43**	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89
	158314.00	0.00	1198.42	12515.35	216.17	612.08	172856.02	1702.01	0.00	0.56	1702.57	174558.59

नोट: 'डिबेंचर और बॉण्ड' के स्थान पर 'अन्य' के तहत दिखाए गए एसआर का मूल्य और मूल्यह्रास के प्रावधान के तहत दिखाए गए प्रावधान और एनपीआई को चालू वर्ष की रिपोर्टिंग के अनुसार होना चाहिए। ** इसमें 1922.31 करोड़ रुपये के पुंथक प्रावधान शामिल हैं।

बी. मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
i) निवेश मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचालन	5676.82	5454.38
ए) अथ शेष	1473.84	792.51
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3214.87	570.06
ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना	3935.79	5676.82
डी) अंतिम शेष	1031.90	1031.90
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षितियों का संचालन	-	-
ए) अथ शेष	1031.90	1031.90
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	-	-
ग) घटाएं: झाड़ाउन	-	-
डी) अंतिम शेष	1031.90	1031.90
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.47%	2.83%

*निवल मूल्यहास (निवल मूल्य वृद्धि को नहीं माना गया है) को घटाने के बाद मूल्य निहित है अर्थात् तुलन पत्र में निवल राशि दर्शाई गई है।

सी. एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

- एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण 37.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 263.51 करोड़ रुपये) की हानि को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है।
- प्रतिभूतियों का स्थानांतरण:
 - वर्ष की शुरुआत में, बैंक ने निम्नलिखित को स्थानांतरित किया:
 - 26342.47 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में 2.05 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान और गैर-एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियां नहीं रखे गए हैं एवं
 - एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में 9851.93 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए एसएलआर प्रतिभूतियां, जिसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य के बही मूल्य को कम करने के लिए मूल्यहास के खिलाफ रखे गए प्रावधान का समायोजन किया गया है।
 - एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में, यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹143.25 करोड़ (पिछले वर्ष 184.00 करोड़ रुपये) का परिशोधन किया गया है और इसे 'निवेश पर आय' से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

डी. गैर एसएलआर निवेश संविभाग

(i) गैर-निष्पादित निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
ए)	अथशेष	1979.98	1793.21
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	1023.98	513.53
सी)	उक्त अवधि के दौरान घटौती	182.04	326.77
डी)	अंतिम शेष	2821.92	1979.98
ई)	धारित कुल प्रावधान	1810.18	907.65

(ii) गैर-एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंटन की सीमा		'निवेश स्तर से निम्न वर्ग' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'दर निर्धारण नहीं की गई' प्रतिभूतियों की मात्रा		सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
ए)	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	22873.36	22460.95	20196.01	20645.70	0.00	175.00	394.99	0.36	18321.99	18068.71
बी)	वित्तीय संस्थाएं	7118.71	5537.00	2845.59	3110.26	134.99	149.99	20.00	0.00	20.00	57.03
सी)	बैंक	2981.48	1806.55	1413.87	1358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
डी)	निजी कॉर्पोरेट	5247.29	5714.71	5044.58	7414.80	164.35	260.64	329.77	258.51	414.65	432.06
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63	132.63
एफ)	अन्य	2865.18	2044.76	495.91	256.31	0.00	0.00	474.98	0.00	0.00	260.43
जी)	मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	3846.92	3603.87	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
	कुल	37450.60	34171.60	30207.46	32997.44	299.34	585.63	1219.74	258.87	18889.27	18967.79

ई. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	32715.73	9749.74	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	55014.83	6035.82	5007.04
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. धातित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	2022-23					2021-22						
	मानक	गैर निष्पादित				कुल	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम		कुल मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए												
अथशेष	3804.10.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75	351861.61	7369.96	24657.89	6427.50	38455.35	390316.96
जोड़: वर्ष के दौरान जोड़					7042.73	7042.73					10164.66	10164.66
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					14077.46	14077.46					13405.76	13405.76
अंतिम शेष	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.52	473586.50	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75
सकल एनपीए में कमी के कारण:												
i) उन्नयन												
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर और अन्य को विनिमय अंतर के रूप में शामिल करें)					1145.72	1145.72					1574.23	1574.23
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते में डालना												
iv) इनके अलावा अन्य राइट-ऑफ (iii) उपरोक्त					4547.31	4547.31					3484.96	3484.96
V) कोविड अधिस्थान निस्त रिवर्सल					7188.98	7188.98					7057.06	7057.06
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)					1052.37	1052.37					1289.51	1289.51
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	143.07	143.07					0.00	
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान												
घटाएं: अतिरिक्त उल्टे प्रावधान/बड़े खातों में डाले गए ऋण					25690.59	29479.42	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.50	28399.82
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	6342.14	6342.14					8142.52	8142.52
निवल एनपीए					8528.82	8528.82					8024.43	8024.43
अथशेष		3539.47	5178.62	130.56	23503.91	29558.65	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42
जोड़: वर्ष के दौरान नए जोड़					8848.64			5539.85	6731.28	0.00	12271.13	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					700.59						2022.14	
अंतिम शेष		2723.44	1319.64	0.00	5506.16			3539.47	5178.62	130.56	8848.64	

	2022-23				कुल	2021-22				कुल	
	मानक	नैर निष्पादित				मानक	नैर निष्पादित				
		उप मानक	संदिग्ध	नुकसान			कुल अनर्जक अग्रिम	उप मानक	संदिग्ध		नुकसान
	कुल मानक अग्रिम										
अस्थायी प्रावधान											
अशेष					70.76						70.76
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान					0.00						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि					0.00						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष					70.76						70.76
तकनीकी बड़े खाते में डालना और उस पर की गई वसूली											
तकनीकी / प्रुडेंशियल बड़े खाते में डाले गए खातों का अशेष											
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते में डालना					34919.68						30170.05
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली					7346.91						7061.85
अंतिम शेष					5048.92						2312.22
					37217.67						34919.68

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2023	31.03.2022
सकल अग्रिम के सापेक्ष सकल एनपीए	5.95	8.47
निवल अग्रिम के सापेक्ष निवल एनपीए	0.90	2.27
एयूसी के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	93.82	87.38
एयूसी के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	85.65	74.87

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

अनु क्रमांक	क्षेत्र	31.03.2023			31.03.2022		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	101000.43	8654.40	8.57%	87065.57	8759.40	10.06%
बी)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत पात्र उद्यमी को अग्रिम	28673.35	4313.43	15.04%	26752.74	4694.10	17.55%
सी)	सेवाएं	50982.45	6468.38	12.69%	47795.22	5974.44	12.50%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	10162.22	1145.25	11.27%	22022.67	1972.32	8.96%
	उप-योग (i)	190818.45	20581.47	10.79%	183636.20	21400.26	11.65%
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	936.14	271.50	29.00%	1068.53	150.64	14.10%
बी)	उद्योग	108343.12	4457.57	4.11%	84098.33	7999.90	9.51%
सी)	सेवाएं	92520.00	846.26	0.91%	88801.51	4082.68	4.60%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	80967.79	2022.72	2.50%	58020.18	1580.77	2.72%
	उप-कुल (ii)	282767.50	7598.05	2.69%	231988.55	13813.99	5.95%
	कुल (i+ii)	473586.50	28179.52	5.95%	415624.75	35214.25	8.47%

सी. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
कुल संपत्ति	31620.97	21674.74
कुल एनपीए	1267.06	1271.24
कुल राजस्व	1041.69	307.69

डी. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19 /2013 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/ 21.04.048 /2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव - संशोधित रूपरेखा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित हुए कर्ज की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (बी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि (सी)	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (डी)	31.03.2022 तक पहले से ही (डी) में से प्रावधान (इ)
15003.10	13625.38	13625.38	1095.29	1095.29*

*31.03.2022 को एनपीए खाते के गैर-निधि बकाया पर 590.02 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित।

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ तनावग्रस्त मानक खातों में 363.61 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर

हमारे बैंक में विचलन, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.सं. 45/21/4/018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है इसलिए वित्त वर्ष 2022 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र नंबर डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2022.23 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. डिफाल्ट वर्ग में न रखे गए ऋणों के अधिग्रहण का विवरण:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अधिग्रहण का तरीका	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	1322.84	3826.71	2900.86
भारत औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.75 वर्ष	4.75 वर्ष	3.47
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25 वर्ष	0.32 वर्ष	0.36
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	5%-10%	10%	10%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	लागू नहीं	150.80%	61%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	एएए: 0.00 एए: 38.02 करोड़ रुपये ए: 1284.82 करोड़ रुपये	एएए: 466.78 करोड़ रुपये एए: 3142.94 करोड़ रुपये ए: 216.99 करोड़ रुपये	एएए(+/-): 60.35 करोड़ रुपये एए(+/-): 2073.31 करोड़ रुपये ए(+/-): 767.20 करोड़ रुपये

31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान हस्तांतरित/प्राप्त किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अधिग्रहण का तरीका	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	414.86	2230.60	1566.25
भारत औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.75 वर्ष	11.47 वर्ष	4.50
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25	0.51	0.49
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	5%-10%	10%	10%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	लागू नहीं	110%	114%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	एएए: 0.00 एए: 111.00 करोड़ रुपये ए: 303.86 करोड़ रुपये	एएए: 399.27 करोड़ रुपये एए: 1721.30 करोड़ रुपये ए+ 110.03 करोड़ रुपये	एएए(+/ -): 1327.10 करोड़ रुपये एए (+/ -): 239.15 करोड़ रुपये

ii. डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किये गये ऋणों का विवरण: शून्य

iii. दबावग्रस्त ऋण हस्तांतरण का विवरण:

(खातों की संख्या को छोड़कर रुपये करोड़ में)

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए खाते) का विवरण			
विवरण	एआरसी को	स्थानान्तरित करने वालों के लिए अनुमत	अन्य स्थानान्तरित करने वालों के लिए
खातों की संख्या	10	3	शून्य
हस्तांतरित कुल मूलधन बकाया ऋण	837.48	11.68	
हस्तांतरित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	0.00	0.00	
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	38.13	0.00	
कुल विचार	439.42	5.70	
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	---	---	

बैंक ने तनाव ऋण की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के 391.95 करोड़ रुपये की राशि को वापस कर दिया है।

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण: शून्य

v. 31.03.2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग	राशि
आरआर 1+ (150% से अधिक)	0.00
आरआर 1 (100% से अधिक 150% तक)	49.90
आरआर 2 (75% से अधिक 100% तक)	137.40
आरआर 3 (50% से अधिक 75% तक)	42.20
आरआर 4 (25% से अधिक 50% तक)	66.49
आरआर 5 (25% तक)	112.79
रेटिंग रहित एसआर	562.92
कुल	971.70*

*बैंक के पास 100 प्रतिशत का प्रावधान है।

जी. प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	971.70	3210.97*
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	971.70	3210.97

*इसमें अलग किए गए 1922.31 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है

विवरण	विगत 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों में जारी एसआर	8 वर्षों से भी पहले जारी एसआर
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं का बही मूल्य	45.22	476.45	450.03
ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	45.22	476.45	450.03
(ii) अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
(ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i)+(ii)	45.22	476.45	450.03

एच. धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	429	211
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	493.31	2036.71
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	442.76	1780.77
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि।	0	0

*वसूली पर विचार करने के बाद धोखाधड़ी के मामलों के सापेक्ष बैंक द्वारा 442.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आई. एमएसएमई प्रकटीकरण

‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्संरचना’ पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020, और डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के आधार पर योजना के तहत एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	31.03.2023 को बकाया (रुपए करोड़ में)
72229	4886.74

जे. कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2022-23/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2022-23 दिनांक 5 मई, 2021 उधारदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों को मानक वर्ग में वर्गीकृत करते हुए इनके संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत विशेष विंडो को विस्तारित किया गया था। कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत की स्थिति (₹) 31/09/2022 तक	(₹) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया	(₹) छमाही के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	(₹) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत की स्थिति 31/03/2023 तक
1	व्यक्तिगत ऋण	7122	316	0	742	6064
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति*	4086	515	0	968	2603
	जिसमें से एमएसएमई	3045	475	0	923	1647
3	अन्य	4852	285	0	1957	2610
	कुल (1+2+3)	16060	1116	0	3667	11277

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

के. कोविड उपाय:

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह से होंगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान बैंक के लिए फोकस क्षेत्र बना रहेगा।

5. एक्सपोजर

ए) रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ग	31.03.2023	31.03.2022
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।**	56613.08 7788.72	42042.63 19141.34
बी) वाणिज्यिक अचल संपत्ति – वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी; **	15753.98	8351.70
सी) वाणिज्यिक अचल संपत्ति – बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश		
i) आवासीय	शून्य	शून्य
ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
i) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधिक एक्सपोजर	28188.11	24353.80
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	100555.17	74748.13

**एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं।

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) प्रत्यक्ष निवेश ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसका आधारभूत निधि मात्र कापरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	1929.42	2140.16
ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण;	11.68	29.17
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	490.01	317.75
vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कापरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन;	शून्य	शून्य
x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर।	249.50	171.03
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	2680.61	2658.11

सी. जोखिम संवर्गवार देश संबंधी एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम रेटिंग	जोखिम श्रेणी**	31.03.2023 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2023 तक धारित प्रावधान	31.03.2022 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
ए1	नगण्य	17062.00	6.82	16,236.81	7.51
ए2	न्यून	6176.81	--	7,738.52	--
बी1	मध्यम से कम	96.93	--	19.73	--
बी2	मध्यम	100.76	--	117.11	--
सी1	मध्यम से ज्यादा	19.08	--	995.18	--
सी2	ज्यादा	482.94	--	0.63	--
डी	बहुत ज्यादा	0.00	--	--	--
	कुल	23938.51	6.82	25,107.98	7.51

** दिनांक 31.03.2023 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

देश का जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने 31.03.2023 तक, विभिन्न देशों में अपने निवल वित्तपोषित एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में इस तरह का एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% की शर्त के भीतर है।

सिंगापुर के संबंध में, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा 'नगण्य' जोखिम श्रेणी (ए1) के तहत वर्गीकृत किया गया है, रु.6.82 करोड़ ('नगण्य' जोखिम श्रेणी के लिए पिछले वर्ष रु.7.51) का प्रावधान उपलब्ध है।

डी. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
—	—	शून्य	—	—

ई. बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट:

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है। 31.03.2023 को बकाया राशि शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट शून्य है और 31.03.2023 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को दिए गए उत्तरदायित्व पत्र के मद्देनजर, बैंक एफसीएनआर (बी) संसाधनों से यूएसडी 43.00 एमआईओ (भारतीय मुद्रा में 353.33 करोड़ के बराबर) तक की जमा राशि को शाखा की न्यूनतम शुद्ध समायोजित पूंजी निधि आवश्यकता बनाए रखने के लिए सिंगापुर शाखा के पास जमा करना जारी रखता है।

हमने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के पक्ष में श्रीलंकाई शाखाओं के लिए एलओयू जारी किया है। हमें जारी एलओयू के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

बैंक ने आईएफएससी, एसईजेड गिफ्ट सिटी, गुजरात के पक्ष में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए आईएफएससीए की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार एलओसी जारी किया है। बैंक को जारी एलओसी के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है। यह फरवरी 2022 के महीने में जारी किया गया है।

एफ. असुरक्षित अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	36332.65	26610.06
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

जी. फैक्टरिंग एक्सपोजर: शून्य

एच. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर

क्र सं	विवरण	2022-23	2021-22
1	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	904.64	901.85
2	शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	904.64	901.85
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.14%	0.16%
4	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

आई. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई है। जहां कोई स्वाभाविक बचाव नहीं है, आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को फॉरवर्ड कवर का सुझाव दिया जाता है। फॉरवर्ड कवर, विनिमय जोखिम पर अनहेज्ड जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करेगा। सुविधाओं को मंजूरी देते समय, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी मुद्राओं में सभी एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जिसमें लेटर ऑफ़ कम्पफर्ट / लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग शामिल हैं) फॉरवर्ड कवर द्वारा कवर किया गया है। फॉरवर्ड कवर की छूट पर विचार करने का अनुरोध, यदि कोई हो, पर केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, अनहेज्ड एक्सपोजर को केचर कर लिया जाता है और क्रेडिट प्रस्तावों में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के 15 जनवरी 2014 के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रु 15.10 करोड़ का प्रावधान और रु 19.47 करोड़ की पूंजी उनके घटकों को अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रदान की है।

6. जमा राशियाँ, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए की मात्रा

ए) जमा की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि (केवल घरेलू)	42446.97	39721.71
बैंक की कुल जमा राशियों के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत	6.83%	6.69%

बी) अग्रिमों की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	55946.01	51586.08
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	11.81%	12.41%

सी) एक्सपोजर की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	75085.66	68900.08
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	11.26%	11.86%

डी) एनपीए की मात्रा

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष बीस खातों में कुल एक्सपोजर	3558.02	6587.36
कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	12.63%	18.71%

7. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

ए) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों के बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
i) स्वैप समझौतों का आनुमानिक सिद्धांत	0.00	0.00
ii) यदि समझौते के तहत साझेदार, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	0.00	0.00
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	0.00	0.00
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की मात्रा	0.00	0.00
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य	0.00	0.00

नोट: क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी सहित स्वैप की प्रकृति और शर्तें और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी खुलासा किया जाएगा।

बी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार)	800.00	0.00
ii)	31 मार्च 2023 को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार)	800.00	0.00
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	0.00	0.00
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार)	0.00	0.00

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ-साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र की दिनांक पर अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं:

- करेंसी फ्यूचर्स

31.03.2023 को करेंसी फ्यूचर्स में बकाया स्थिति रु. शून्य है और पिछले वर्ष रु. शून्य थी।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
ए)	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
बी)	बाजार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
सी)	ऋण जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)				
	i) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
ई)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	i) प्रतिरक्षा पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार पर	0.00	0.00	0.00	0.00

व) क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप: शून्य

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/रैंकरोड में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की बुक के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	बैलेंस शीट की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्क्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण में वृद्धि, लिक्विडिटी सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से उल्लेख करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) चुकौती प्राप्त (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8	अतीत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
10	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. एसपीवी प्रायोजित ऑफ बैलेंस शीट (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

10. डिपॉजिटर एजुकेशन एण्ड अवेरनेस फंड (डीईए फंड) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
01.04.2022 की स्थिति के अनुसार डीईएफ को अंतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	2221.49	1973.27
जोड़ें: वर्ष 2022-23 के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि	344.72	265.92
घटाए: वर्ष 2022-23 के दौरान दावों के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	55.55	17.70
31.03.2023 तक डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष, (1+2-3)	2510.66	2221.49

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर सक्षम जानकारी

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1588	11834
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	99298	254183
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	100048	264429
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	2131	531
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	838	1588
	बैंकिंग लोकपाल से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या		
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	6752	7204
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	6598	6254
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	238	460
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या।	0	3
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

* बैंकिंग लोकपाल के पूर्व कार्यालय

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(5) में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022-23					
एटीएम डेबिट कार्ड	884	51055	-62.77%	411	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	291	11342	-75.86%	71	0

खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	21	3623	3.36%	35	0
ऋण और अग्रिम	18	2484	-23.75%	23	0
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	8	1123	-1.14%	2	0
अन्य	366	29671	-52.10%	296	0
कुल	1588	99298	-60.93%	838	0
2021-22					
एटीएम डेबिट कार्ड	4815	137138	- 2 %	884	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	6150	46991	- 62 %	291	0
ऋण और अग्रिम	113	3505	+ 118 %	21	0
खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	63	3258	- 20 %	18	0
क्रेडिट कार्ड्स	0	1340	+ 224 %	8	0
अन्य	693	61951	+ 22 %	366	0
कुल	11834	254183	- 21 %	1588	0

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

12.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान आरबीआई ने 0.73 करोड़ रुपये (257 मामले) का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 0.20 करोड़ रुपये (118 उदाहरण) गंदे नोटों के प्रेषण में विसंगतियों से संबंधित हैं, 0.33 करोड़ रुपये (69 मामले) ई-कुबेर में देरी से रिपोर्ट करने के कारण हैं और 0.20 करोड़ रुपये (70 मामले) आरबीआई के निरीक्षण में देखी गई अनियमितताओं के कारण हैं।

12.2 भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान, सरकार ने सरकारी खातों में प्रेषण में देरी से संबंधित 0.11 करोड़ (11 मामले) का जुर्माना लगाया

13. नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3):

मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2023	31.03.2022
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	5282	3945
के लिए समायोजन:		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	6516	8447
निवेश के लिए प्रावधान	492	454
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2295	962
कर के लिए प्रावधान	633	(741)
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	140	(6)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2023	31.03.2022
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	529	598
पूंजी लिखत पर ब्याज	734	750
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	0	(5)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	(7)	(1)
आयकर का भुगतान	0	0
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	16613	14401
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(11922)	1525
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(66718)	(34967)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	2700	5056
	(75940)	(28387)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	27548	55547
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूंजीगत लिखत के अलावा)	4864	(6925)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(1028)	(5903)
	31384	42718
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	(27943)	28732
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	7	1
अचल आस्तियों की खरीद	(324)	(318)
अचल आस्तियों की बिक्री	20	18
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(297)	(299)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(810)	(249)
टियर 2 बांडों का मोचन	0	(600)
पूंजी लिखत पर ब्याज	(734)	(782)
अवधि के दौरान जारी इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	0	1650
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(1543)	18
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	(29783)	28452
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1962	1658
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	22092	25887
(बी) अन्य जमा खातों में	34500	8900
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	6	95
(बी) अन्य जमा खातों में	1386	2046
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	0	0
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	504	1578
(बी) अन्य जमा खातों में	19453	11271
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	12	29
	79916	51464

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1242	1962
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	26670	22092
(बी) अन्य जमा खातों में	4780	34500
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	18	6
(बी) अन्य जमा खातों में	1574	1386
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	5007	0
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	693	504
(बी) अन्य जमा खातों में	10145	19453
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	3	12
	50133	79916
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	(29783)	28452

14. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एस 15)

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभावित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ₹ 0.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.14 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने ₹ 288.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 255.18 करोड़) का अंशदान दिया है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है:

मूल बीमांकक अनुमान (भारत औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2023	31/03/2022
बट्टे की दर - जी - सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.48% - 15 वर्ष जी - सेक पेपर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.27 - 15 वर्ष जी - सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.69% पेंशन के लिए और 7.83% उपदान के लिए	7.62% पेंशन के लिए और 7.67% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (2012-14) अल्टीमेट	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
ब्याज लागत	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
वर्तमान सेवा लागत	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
विगत सेवा लागत - पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - न पहचानी गई / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1689.97	1741.31	63.18	30.26	187.82	77.35
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
अंशदान	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
प्रदत्त लाभ	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1240.84	1144.57	135.24	142.83	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1689.97	-1741.31	-63.18	-30.26	-187.82	-77.35
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75

*पारिवारिक पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्तमान सेवा लागत	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
ब्याज लागत	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1227.56	-1132.00	-134.35	-136.42	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गई है	1676.69	1728.74	62.29	23.85	187.82	77.35
इस वर्ष में पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	1859.91	1894.78	128.87	66.83	458.92	312.19

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
निवल देयता का आरंभिक शेष	-653.10	-357.87	19.07	49.04	-1004.75	-977.42
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1859.91	-1894.78	-128.87	-66.83	-458.92	-312.19
प्रदत्त अंशदान	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
अंतिम निवल देयता	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (I) पिछले वर्ष 2018-23 - पेंशन	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66
योजना आस्तियां	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26
अधिशेष (घाटा)	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	10.93	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (II) पिछले वर्ष 2018-23 - उपदान	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90
योजना आस्तियां	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29
अधिशेष (घाटा)	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	22.12	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (III) पिछले वर्ष 2018-23 - छुट्टी भुनाई	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2022-23		2021-22	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	29.29%	23.35%	32.38%	23.42%
उच्च गुणवत्तावाले कॉर्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	15.64%	12.88%	13.42%	12.21%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	54.48%	63.53%	53.98%	64.11%
इफ्टी और म्युचुअल फंड	0.53%	0.20%	0.16%	0.22%
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 73.65 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 48.43 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेख में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान/(अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2023	31/03/2022
1.	चिकित्सा अवकाश	2.54	1.84
2.	आकस्मिक छुट्टी	-0.03	0.09
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	71.14	46.50
कुल		73.65	48.43

नोट: शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एस-10)

15.1 बैंक के परिसर में भूमि और भवन शामिल हैं, जो पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। 31.03.2023 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व का समापन शेष (राजस्व रिजर्व में हस्तांतरित राशि का निवल) 6106.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6211.02 करोड़ रुपये) है।

एएस-10 के अनुसार आस्ति, जिसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' में समायोजित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के लिए व्यय के तहत ₹110.87 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹147.27 करोड़) मूल्यहास हेतु प्रभारित किया गया तथा, और ₹104.12 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹143.42 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया।

15.2 परिसर में 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू ₹ 65.98 करोड़ (विगत वर्ष - ₹66.74 करोड़), निवल मूल्यहास 0.76 करोड़ रुपये (विगत वर्ष ₹1.46 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

* ₹1.61 करोड़ की लागत की हैदराबाद में संपत्ति, जहाँ यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की लागत की सम्पत्ति है, जहाँ डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

16. पट्टे (एएस 19)

- पट्टे/किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।
- बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।
- परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 399.08 करोड़ हैं। (विगत वर्ष - रुपए 417.00 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में संयंत्र एवं उपस्कर और भूमि शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

17. ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

आईबीटीआरडी को ग्रामीण विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक द्वारा 22.09.2008 में स्थापित किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को 01.04.2020 से इंडियन बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया है और आईबीटीआरडी और इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एबीआरडीटी) के समामेलन की प्रक्रिया प्रगति पर है और एबीआरडीटी की सभी संपत्तियां और देयताएं आईबीटीआरडी को हस्तांतरित की जाएंगी। ट्रस्ट का फोकस क्षेत्र जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करना रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशानुसार, हमारे बैंक ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (इंडसेटी) के नाम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना की है।

ट्रस्ट पैन-इंडिया द्वारा प्रायोजित इंडसेटी, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	अग्रणी जिलों में	गैर-अग्रणी जिलों में	कुल
इंडसेटी	30	5	35
एफएलसी	36	6	42
सीएफएल	76	15	91

आईबीटीआरडी के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकगण द्वारा स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट के खाते की लेखाओं का लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय और व्यय खाता*

(रु करोड़ में)

व्यय		आय	
इंडसेटी के लिए परिचालन व्यय	14.94	सीएसआर के लिए बैंक द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति	12.00
एफएलसी के लिए खर्च	0.73	विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति	5.51
सीएफएल के लिए खर्च	0.60	खाता बंद होने के कारण एफएलसी शेष राशि का क्रेडिट वापस	0.01
एमसी	0.02		
लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.06		
व्यय से अधिक आय	1.17		
कुल	17.52		17.52

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम प्राप्ति और भुगतान खाता*

प्राप्ति		भुगतान	
प्रारंभिक जमाशेष	0.71	इंडसेटी के लिए पूंजीगत व्यय	1.36
बैंक से सीएसआर अंशदान	12.00	इंडसेटी, एफएलसी और सीएफएल को प्रतिपूर्ति	16.27
प्रत्यक्ष आय	5.51	एमसी	0.02
प्राप्त ब्याज	0.08	लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.06
		अंतिम जमा शेष	0.59
कुल	18.30		18.30

* ट्रस्ट के फाइनल ऑडिट पर आंकड़े परिवर्तन के अधीन हैं

नोट: 31.03.2023 तक, इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एबीआरडीटी) खाते में 2.45 करोड़ रुपये की क्रेडिट शेष राशि है।

18. विधि

आकस्मिक देनदारियों में एक खाता मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल है, कंसोर्टियम बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल 1602.44 करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने कंसोर्टियम बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंक के विरुद्ध कुल 406.47 करोड़ रुपये का दावा किया गया। मुकदमा में, बचाव के लिए सशर्त छुट्टी 400 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। हमारे बैंक के 100 करोड़ रुपये के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के पास किया गया था। सारांश मुकदमा बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध इस दावे के लिए, 31.03.2023 को सुरक्षा-मार्जिन धन के रूप में रखे गए 84.06 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए बैंक के पास 'अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान' के तहत प्रावधान के रूप में 15.94 करोड़ रुपये की राशि है और 'आकस्मिक निधि-बैंक' के खिलाफ किए गए दावे के तहत प्रावधान के रूप में 15.32 करोड़ रुपये की राशि है। कुल प्रावधान 31.26 करोड़ रुपये है।

19. लेखा मानक - 17 'खंड परिणाम'

1. खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :-

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*

– अन्य बैंकिंग व्यवसाय

* इसके अलावा, 7 अप्रैल 2022 के आरबीआई सर्कुलर डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 के अनुसार रिटेल बैंकिंग खंड को डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष-

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

- (i) डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई सर्कुलर के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू कर दिया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के संचालन से संबंधित है।
- (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय-

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

i. देशी परिचालन - भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफ शोर बैंकिंग इकाइयाँ

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्त्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्त्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

भाग ए कारोबार खंड	देशी		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	13781.49	13767.26	18 223.54	16082.40	19474.98	15415.12	0.00	लागू नहीं	19474.98	15415.12	605.26	506.89	52085.27	45771.67
परिणाम	5673.24	6355.67	4468.80	3079.29	4702.20	2938.78	(0.25)		4702.45	2938.78	426.38	343.16	15270.62	12716.90
अनाबंटित व्यय													9356.21	9512.67
परिचालनगत लाभ													5914.41	3204.23
अन्य गैर आबंटनीय आय													0.00	0.00
आयकर													632.71	(740.59)
अपवाद स्वरूप मदें													0.00	0.00
निवल लाभ													5281.70	3944.82
अन्य जानकारी													0.00	0.00
खर्चीय आस्तियां	218813.92	240001.83	232908.23	215377.81	249089.62	206008.16	0.93	लागू नहीं	249088.69	206008.16	0.00	0.00	700811.77	618347.78
अनाबंटित आस्तियां													9688.96	10280.25
कुल आस्तियां													710500.73	671668.05
खर्चीय देयताएं	204039.68	224383.64	217182.35	201362.03	232271.18	192602.11	1.18	लागू नहीं	232270.00	192602.11	0.00	0.00	653493.21	618347.78
अनाबंटित देयताएं													9034.77	9611.47
पूर्वी, आरक्षितियाँ और अधिशेष													47972.75	43708.80
कुल देयताएं													710500.73	671 668.05

भाग बी - भौगोलिक खण्ड		देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व		51 043.58	45 463.98	1 041.69	307.69	52 085.27	45 771.67
आस्तियां		6 78 879.76	6 49 993.31	31 620.97	21 674.74	7 10 500.73	6 71 668.05

खंड राजस्व और व्यय को खंड संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है, जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18):

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

1. अनुषंगियां:

क्र सं	अनुषंगी कंपनी का नाम	संस्थापन का देश	संस्थापन की तिथि	स्वामित्व का अनुपात	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए)	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	11/08/1989	64.84%	ब्रह्मय्या एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	26/08/2022
बी)	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	भारत	28/01/1991	51.00%	एन सी राजगोपाल एंड कंपनी	30/08/2022

2. सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	शेयरधारिता पैटर्न
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुडुवई भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	देश/निवास	सम्बन्ध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसरेक (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
श्री एस एल जैन	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021	
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	
श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	

5. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	300
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 135.84 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रुपये 172.37 लाख)

विवरण	2022-23	2021-22
सुश्री पद्मजा चुन्डूरु, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.08.2021)	--	₹ 40.30 लाख
श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.09.2021 से 31.03.2023)	₹ 40.74 लाख	₹ 20.27 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	--	₹ 32.76 लाख
श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 30.06.2021)	--	₹ 30.19 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2023)	₹ 36.53 लाख	₹ 30.00 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.10.2021 से 31.03.2023)	₹ 47.23 लाख*	₹ 18.85 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (21.11.2022 से 31.03.2023)	₹ 11.34 लाख	--

*मकान किराया भत्ता रुपये 12.32 लाख सहित

संबंधित पक्षकारों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मद / संबंधित पक्षकार	स्वामी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	संयुक्त उद्यम	कुल
सेवाएं प्रदान किया जाना	15.28	2.17	15.28
सेवाएं प्राप्त किया जाना	2.17	15.28	2.17

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार 'राज्य-नियंत्रित उद्यम' से संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, लेनदेन बैंकर-ग्राहक संबंध का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी के रिश्तेदार शामिल हैं।

21. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	5281.70	3944.82
इक्विटी शेयरों की संख्या	1245441139	1245441139
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1245441139	1218410075
प्रति शेयर मूल अर्जन	42.41	32.38
कम की गई आय प्रति शेयर आय	42.41	32.38
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

22. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22):

- ए) **वर्तमान कर:** चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालनों के लिए आयकर का प्रावधान 1178.64 करोड़ रुपये है, जिसमें चालू वर्ष में किए गए पूर्व वर्षों से संबंधित विदेशी शाखाओं पर कर का प्रावधान 8.34 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में रुपये 15.74 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर:** बैंक का निवल डीटीए 4434.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 3872.91 करोड़ रुपये) है, जो 'अन्य आस्ति' के तहत शामिल है। डीटीए और डीटीएल के मुख्य संघटक निम्न प्रकार करोड़ रुपये) है, जो 'अन्य आस्ति' के तहत शामिल है। डीटीए और डीटीएल के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	275.43	219.35
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	122.57	99.08
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.06
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3856.25
5	पुनर्संचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1094.72	588.06
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	102.79	87.26
	कुल-डीटीए	5459.96	4850.06
	आस्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.40	44.40
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	613.74	565.49
	कुल - डीटीएल	1025.40	977.15
	निवल डीटीए/(डीटीएल)	4434.56	3872.91

सी) वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आयकर)	632.71	-740.59

दिनांक 31.03.2023 को भुगतान की गई विवादित आयकर मांग 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष 3953.36 करोड़) थी। इसे दिनांक 31.03.2023 तक विवादित कर मामलों से संबंधित 8846.59 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 9187.03 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है सिवाय विदेशी शाखाओं से संबंधित आय के मामले में पहले की अवधि के लिए 8.34 करोड़ रुपये की राशि जिसके लिए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान प्रदान किया है।

23. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसआरआईसी (इंडिया) लि.	भारत		38.26%	37.50

एएस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	437.90	391.69
जमा	0.00	0.00
उधार	19.38	8.54
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1271.32	1174.50
कुल	1728.60	1574.73
आस्तियाँ		
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.10	0.05
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	54.81	30.40
निवेश	1337.92	1146.12
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियाँ	18.07	11.37
अन्य आस्तियाँ	317.70	386.79
कुल	1728.60	1574.73
पूंजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	46.76	48.05
आय		
अर्जित ब्याज	5.99	6.04
अन्य आय	695.48	478.41
कुल	701.47	484.45
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.81	2.36
परिचालन व्यय	620.43	420.65
प्रावधान और आकस्मिकताएं	25.46	17.63
कुल	645.90	440.64
लाभ	53.77	43.81

24. आस्तियों की हानि (एएस-28):

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 'संपत्ति की हानि' लागू होता है।

25. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2021 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान वापसी/ समायोजित	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष
अस्वीकृत ऋण के लिए बैंक के विरुद्ध दावे के लिए प्रावधानों का संचलन	215.91	4.22	2.45	217.68

26. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹	6.52	6.21
ii) गैर-ब्याज आय वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में ²	1.04	1.11
iii) जमा की लागत	4.09	3.97
iv) शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.37	2.93
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.22	2.03
vi) संपत्ति पर वापसी ³	0.77	0.63
vii) व्यापार (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी ⁴ (₹ करोड़ में)	26.61	25.20
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.13	0.10

¹ वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संघित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

² निवल ब्याज आय/औसत कमाई वाली संपत्ति। निवल ब्याज आय ब्याज आय ब्याज व्यय

³ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संघित हानियों को छोड़कर कुल संपत्ति, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।

⁴ प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा।

बी) बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर ₹.136.35 करोड़ तक का कमीशन आदि अर्जित किया है (पिछले वर्ष ₹.85.01 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय की प्रकृति	2022-23	2021-22
1	जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए	100.37	56.22
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	29.42	26.42
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	6.56	2.37
	कुल	136.35	85.01

सी) विपणन और वितरण

बैंक अन्य संस्थाओं (बैंक एश्यूरेन्स कारोबार के तहत उत्पादों के अलावा) के किसी भी उत्पाद का विपणन और/या वितरण नहीं करता है। इसलिए, बैंक ने उक्त गतिविधियों से कोई शुल्क/पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीएसएलसी श्रेणी	खरीद की स्थिति		बिक्री की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	पीएसएलसी कृषि	0	0.00	28404	7101.00
2	पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	0	0.00	111612	27903.00
3	पीएसएलसी सामान्य	0	0.00	14684	3671.00
4	पीएसएलसी सूक्ष्म	0	0.00	0	0.00
	कुल	0	0	154700	38675.00

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	2022-23	2021-22
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	405.16	110.51
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	6516.22	8446.60
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	632.71	-740.59
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		
1. मानक अग्रिम	2294.78	961.57
2. पुनर्रचित अग्रिम	90.75	3.78
3. अन्य	49.30	-9.79
कुल	9988.92	8772.08

एफ) वेतन संशोधन (01 नवंबर, 2022 से देय) पर द्विदलीय समझौते का लंबित निपटान, वेतन संशोधन के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान 251.80 करोड़ रुपये की तदर्थ राशि प्रदान की गई है।

जी) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस)

- भारतीय रिजर्व बैंक के अपने पत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11.02.2016 के निर्देशों के अनुसार, बैंक, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इंड-एस का अनुपालन करेंगे।
- आरबीआई ने बैंकों को 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड-एस के अनुसार 01.04.2016 के रूप में संक्रमण तिथि के साथ प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार करने की सलाह दी और इसे तैयार किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड-एस वित्तीय प्रोफार्मा भी आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था।
- तत्पश्चात आरबीआई ने सलाह दी कि बैंक 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसका विधिवत पालन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष से 2021-22 के बाद, आरबीआई ने सलाह दी कि इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक कर दी जाए। उसी का अनुपालन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को समय-समय पर इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया है।
- आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इंड एस वित्तीय प्रोफार्मा प्रस्तुत करना जारी रखा गया है और बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

एच) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	732.47	683.68
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

आई) विविध आय में शामिल मद जो कुल आय के 1% से अधिक है

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रसंस्करण शुल्क	693.04	574.42
अशोध्य ऋणों से वसूली	2177.18	1611.69
पीएसएलसी आय	@ @	570.63

९९ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएसएलसी आय कुल आय का 1% से अधिक हो गई।

टिप्पणी:

- i) अनुसूची 16-परिचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'अन्य व्यय' उपशीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- ii) अनुसूची 5(IV)-अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य (प्रावधानों सहित) या अनुसूची 11(IV)-अन्य संपत्ति- 'अन्य' के तहत कोई भी मद कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

जे) लेखा समाधान एवं समायोजन

- कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2023 तक पूरा किया जा चुका है। तत्पश्चात शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 31.03.2022 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालांकि, बैंक अंतर शाखा खाते में 228.01 करोड़ रुपये की सकल डेबिट शेष राशि पर 100% प्रावधान बनाए हुए है, जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए 5.35 करोड़ रुपये के नए प्रावधान शामिल हैं।
- देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
- कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक द्वारा 8.60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर यानी प्रदत्त पूंजी का 86% का लाभांश प्रस्तावित है।
- बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया देय नहीं है, जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित है तथा वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान के संबंध में स्वीकृत देयता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 का तुलन-पत्र, इसी वर्ष की समाप्ति पर लाभ और हानि लेखे के विवरण व नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार व निम्नलिखित की तारीख पर समाप्त वर्ष के विवरणों को समाहित की हुई अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है :

- हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और उसके विभाग, राजकोष शाखा और 20 भारतीय शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई :
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 1772 भारतीय शाखाओं (जीआईएफटी सिटी शाखा सहित) की लेखापरीक्षा की गई और
- संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 3 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखों, नकदी प्रवाह में ऐसी 4,362 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थीं। वे शाखाएँ जिनका लेखा-परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक का 21.99 प्रतिशत अग्रिम, 52.03 प्रतिशत जमाएँ, 15.40 प्रतिशत ब्याज आय एवं 44.79 प्रतिशत ब्याज व्यय है।

2. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, बैंक के लिए आवश्यक तरीके से एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रदान करते हैं एवं :

क) तुलन पत्र, टिप्पणियों सहित, 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों का वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का वास्तविक शेष और

ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाओं जो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

4. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य, वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (नोट नं. 4 देखें) बैंक का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 63.24% है, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ('आरबीआई') दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिन्हित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन-देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की: - आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। - एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। - अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।

2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान - निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। - निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.18 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। - पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने शामिल हैं। - हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; - उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिछले 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/परिणाम व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है।

6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और बैंक में नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवाश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

7. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य, वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों, से पूर्णतः मुक्त है पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, जो वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को समाहित रूप से प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अभिशासकों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल उन 1775 शाखाएं (जिनमें से 178 प्रसंस्करण केंद्र हैं) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 को ₹2,45,986.51 करोड़ की कुल संपत्ति एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹14,994.16 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। ये शाखाएं और प्रसंस्करण केंद्र 31 मार्च 2023 को 41.46% अग्रिम, 46.57% जमा और 57.25% अनर्जक आस्ति और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.79% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो हमारी राय पूरी तरह से ऐसी शाखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

9. 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने दिनांक 11.05.2022 की रिपोर्ट में ऐसे वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।
11. उपरोक्त 7 से 9 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया;
 - (बी) बैंक के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और
 - (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
12. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - (बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - (सी) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), बैंक पर लागू नहीं है।
 - (डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - (ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।
13. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,
 - (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई है जहां तक यह उन बाहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रिटर्न्स को हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है।
 - (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित स्टैंडअलोन तुलन पत्र, स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखे और स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त रिटर्न्स जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
 - (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 1,772 शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है; और
 - (डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 003990S/S200018

पी देवी

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 223137)

यूडीआईएन सं.: 23223137BGYLQA7492

कृते जी नटेसन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 002424S

वी मार्गसहायम

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 020555)

यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZP9058

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 006085N

चेतन ठक्कर

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMBA4340

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 112318W

संदीप के जैन

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGS4467

कृते एस सिंघल एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 001526C

मुकेश कुमार खंडेलवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 074661)

यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJF3602

रिपोर्ट की तिथि: 8 मई, 2023

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

अनुलग्नक “ए” स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(समति की हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत पैराग्राफ 12(e) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (‘आरबीआई’) के पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020(संशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (‘आरबीआई द्वारा सूचित’)

हमने, 31 मार्च, 2023 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित, व लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (‘मार्गदर्शन नोट’) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू ‘आईसीएआई’ द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएस) पर मानकों के अनुपालन में लेखा परीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्ति और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वात्म जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया था।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जोकि 1772 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया। बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ और आरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 003990S/S200018

पी देवी
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 223137)

यूडीआईएन सं.: 23223137BGYLQA7492

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 002424S

वी मार्गसहायम
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 020555)

यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZP9058

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N

चेतन ठक्कर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMBA4340

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318W
संदीप के जैन
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGS4467

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526C
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 074661)

यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJF3602

रिपोर्ट की तिथि: 8 मई, 2023

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

समेकित तुलन पत्र लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 तक (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1245.44	1245.44
आरक्षितियां और अधिशेष	2	48261.38	43706.49
अल्पांश ब्याज	2 ए	26.19	24.98
जमाएं	3	621123.23	593570.88
उधार	4	22092.42	17217.52
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	20585.34	18331.12
कुल		713334.00	674096.43
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	32692.73	58554.66
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	17524.10	21413.56
निवेश	8	188366.28	176501.61
अग्रिम	9	449293.95	389186.07
अचल आस्तियां	10	7480.67	7698.91
अन्य आस्तियां	11	17976.27	20741.62
कुल		713334.00	674096.43
आकस्मिक देयताएं	12	381370.21	356020.02
वसूली के लिए बिल	-	16082.16	14144.89

एस.एल. जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 003990एस/एस200018

पी. देवी
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 223137)

यूडीआईएन सं.: 23223137BGYPZ9651

कृते जी नटेशन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 002424एस

वी मार्गसहायम
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 020555)

यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZO2165

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMAZ2710

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 112318डब्ल्यू

संदीप के जैन

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGR5630

कृते एस सिंगल एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 001526सी

मुकेश कुमार खंडेलवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 074661)

यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJE6824

दिनांक : 08.05.2023

स्थान : चेन्नै

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय:			
अर्जित ब्याज	13	44985.16	38888.44
अन्य आय	14	7804.50	7379.71
कुल		52789.66	46268.15
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	24717.29	22129.25
परिचालनगत व्यय	16	12724.76	11353.54
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	10017.13	8791.47
कुल		47459.18	42274.26
III. समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		5330.48	3993.89
सहयोगियों में आय का अंश		243.04	150.30
अवधि के लिए अल्पांश ब्याज सहित समेकित लाभ/(हानि)		5573.52	4144.19
घटाएं: अल्पांश संख्यक ब्याज		1.21	2.38
अवधि हेतु समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि)		5572.31	4141.81
अग्रानीत लाभ/(हानि)		1071.77	845.15
घटाएं: अन्य समायोजन		0.00	-23.19
कुल		6644.08	4963.77
IV. पूँजी निम्न को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित		1320.43	986.21
पूँजी रिजर्व		0.00	147.90
आईटी एक्ट की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व		191.73	108.35
राजस्व रिजर्व		2655.00	1800.00
स्टाफ कल्याण निधि		40.00	40.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश		1071.08	809.54
समेकित तुलनपत्र में अग्रानीत शेष		1365.84	1071.77
कुल		6644.08	4963.77
प्रति शेयर आय रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		44.74	33.99

एस.एल. जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस/एस200018

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 006085एन

पी. देवी
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 223137)
यूडीआईएन सं.: 23223137BGYPZ9651

वी मार्गसहायम
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 020555)
यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZO2165

चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMAZ2710

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318डब्ल्यू
संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526सी
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 074661)

दिनांक : 08.05.2023

स्थान : चेन्नै

यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGR5630

यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJE6824

अनुसूची 1 – पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i) प्राधिकृत पूँजी प्रत्येक 10/- रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
(ii) जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 25,08,91,539 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 25,08,91,539 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55 250.89	994.55 250.89
कुल	1245.44	1245.44

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां व अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. सांविधिक आरक्षित ए) अधिशेष बी) अवधि के दौरान जोड़ सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	9635.96 1320.43 0.00	8649.75 986.21 0.00
कुल I	10956.39	9635.96
II. आरक्षित पूँजी ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित ए) अधिशेष बी) अवधि के दौरान जोड़ सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	6211.02 0.00 104.12	5754.97 599.47 143.42
कुल (ए)	6106.90	6211.02
बी) अन्य ए) अधिशेष बी) अवधि के दौरान जोड़ सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	1110.69 0.33 0.00	962.79 147.90 0.00
कुल (बी)	1111.02	1110.69
कुल II (ए+बी)	7217.92	7321.71
III. शेयर प्रीमियम ए) अधिशेष बी) अवधि के दौरान जोड़ सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	2391.55 0.00 0.00	857.62 1533.93 0.00
कुल III	2391.55	2391.55
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ ए) राजस्व आरक्षितियाँ ए) अधिशेष बी) अवधि के दौरान जोड़ सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अंतरित डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	15313.26 2655.00 104.12 0.00	13369.84 1800.00 143.42 0.00
कुल (ए)	18072.38	15313.26

बी) आयकर अधिनियम 36(1) (Viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	2289.70	2181.35
बी) अवधि के दौरान जोड़	191.73	108.35
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	2481.43	2289.70
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	58.20	58.20
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (सी)	58.20	58.20
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व		
ए) अथशेष	1031.90	1031.90
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (डी)	1031.90	1031.90
ई) निवेश रिजर्व		
ए) अथशेष	186.38	186.38
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (ई)	186.38	186.38
एफ) विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व		
ए) अथशेष	397.24	421.93
बी) अवधि के दौरान जोड़	93.33	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	24.69
कुल (एफ)	490.57	397.24
जी) आईआरएस रिजर्व		
ए) अथशेष	1.91	1.91
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (जी)	1.91	1.91
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	22322.77	19278.59
V. समामेलन रिजर्व		
ए) अथशेष	4006.91	4006.91
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल V	4006.91	4006.91
VI. लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	1071.77	845.15
बी) अवधि के दौरान जोड़	5572.31	4141.81
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	5278.24	3915.19
कुल VI	1365.84	1071.77
कुल (I+II+III+IV+V+VI)	48261.38	43706.49

अनुसूची 2ए – अल्पांश ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 तक (लेखापरीक्षित)
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्पांश ब्याज	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव	22.92	21.71
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश ब्याज	26.19	24.98

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 तक (लेखापरीक्षित)
(ए) I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	138.93	125.60
ii. अन्य से	35713.22	36587.17
कुल	35852.15	36712.77
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	224952.41	211207.62
III. सावधि जमाराशियाँ		
i. बैंकों से	9478.44	6067.87
ii. अन्य से	350840.23	339582.62
कुल	360318.67	345650.49
कुल (I+II+III)	621123.23	593570.88
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं	607984.90	584613.72
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाएं	13138.33	8957.16
कुल बी (I+II)	621123.23	593570.88

अनुसूची 4 – उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंक	3.83	7.07
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियों*	20155.81	15351.20
कुल	20159.64	15358.27
II. भारत के बाहर उधार**	1932.78	1859.25
कुल (I+II)	22092.42	17217.52
ऊपर उक्त में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	0.00	0.00

*एटी-1 पूँजी – स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2000 करोड़) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 7000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7000 करोड़) को शामिल करते हुए।

**नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए।

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. देय बिल	1841.95	1585.17
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	0.00
III. उपचित ब्याज	1479.71	994.22
IV. अन्य (प्रावधान सहित)*	17263.68	15751.73
कुल (I+II)	20585.34	18331.12

*₹.6089.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.3788.83 करोड़) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी व शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1242.58	1962.45
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष:	31450.15	56592.21
(i) चालू खातों में	26670.15	22092.01
(ii) अन्य जमा खातों में	4780.00	34500.20
कुल (I+II)	32692.73	58554.66

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	70.37	30.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1605.55	1413.81
कुल (i)	1675.92	1444.45
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों में)	5007.04	0.00
कुल (ii)	5007.04	0.00
कुल I (i+ii)	6682.96	1444.45
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	693.49	503.98
(ii) अन्य जमा खातों में	10144.91	19453.09
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2.74	12.04
कुल II (i+ii+iii)	10841.14	19969.11
कुल योग (I+II)	17524.10	21413.56

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	190251.41	180407.76
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	3796.41	5608.72
निवल निवेश	186455.00	174799.04
i. सरकारी प्रतिभूतियां	166948.40	158781.58
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	99.62	7.25
iii. शेयर	896.72	1214.57
iv. डिबेंचर और बाँड	14839.78	12812.72
v सहयोगी संस्थाओं में निवेश	1259.73	1011.85
vi अन्य (जमा प्रमाणपत्र, कमर्शियल पेपर, म्युच्युअल फंड इत्यादि)	2410.75	971.07
कुल	186455.00	174799.04
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2041.97	1800.52
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	130.69	97.95
निवल निवेश	1911.28	1702.57
i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1911.06	1702.01
ii. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
iii. अन्य निवेश		
ए) शेयर	0.22	0.56
बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
कुल	1911.28	1702.57
कुल योग (I+II)	188366.28	176501.61

अनुसूची-9 अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ए. (i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल	2434.93	3430.06
(ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	210189.03	207613.08
(iii) सावधि ऋण	236669.99	178142.93
कुल (ए)	449293.95	389186.07
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण बही के सापेक्ष अग्रिम शामिल हैं)	373959.11	322961.60
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	39004.97	39614.40
(iii) गैर-जमानती	36329.87	26610.07
कुल (बी)	449293.95	389186.07
सी. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र*	170017.92	163407.16
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	68741.14	67147.92
(iii) बैंक	0.00	0.00
(iv) अन्य	181255.51	139011.85
कुल (सी. I)	420014.57	369566.93

सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	19922.99	11105.63
(ii) अन्य से देय		
(ए) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	1046.80	2541.53
(बी) सामूहिक ऋण	5113.59	4650.75
(सी) अन्य	3196.00	1321.23
कुल (सी. I)	29279.38	19619.14
कुल योग (सी. I + सी. II)	449293.95	389186.07

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	7463.14	6866.57
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	7.55	601.26
अवधि के दौरान घटाव	0.00	4.69
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1493.33	1415.80
कुल	5977.36	6047.34
II. निर्माणाधीन परिसर	1.21	0.97
III. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर/फिक्सचर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	4894.59	4666.96
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	322.82	316.70
अवधि के दौरान घटाव	96.91	89.07
उक्त तारीख तक मूल्यहास	4097.15	3757.47
कुल	1023.35	1137.12
IV. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	549.38	552.10
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	0.00	0.00
अवधि के दौरान घटाव	0.00	2.53
उक्त तारीख तक मूल्यहास	79.70	41.22
कुल	469.68	508.35
V. पूंजी निर्माणाधीन कार्य	9.07	5.13
कुल: (I+II+III+IV+V)	7480.67	7698.91

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	112.20	270.53
II. उपचित ब्याज	3443.72	2999.69
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	5280.66	6440.81
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	10.93	27.14
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	51.38	51.38
VI. स्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	4445.41	3885.69
VII. अन्य*	4631.97	7066.38
कुल	17976.27	20741.62
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	848.25	1062.15

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2091.81	2159.16
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	388.96	462.77
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	328152.70	306197.71
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
ए) भारत में	28971.51	24385.93
बी) भारत के बाहर	193.49	317.79
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व*	9758.18	10837.92
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	11813.56	11658.74
कुल	381370.21	356020.02

*आकस्मिक देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	31941.15	26927.55
II. निवेशों पर आय	11690.08	10997.62
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज	877.74	851.52
IV. अन्य	476.19	111.75
कुल	44985.16	38888.44

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1564.27	1181.89
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	1.99	7.40
घटाव: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि*	1.82	4.35
निवल	0.17	3.05
III. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	1008.61	689.99
IV. निवेशों के विक्रय पर लाभ	554.32	1757.16
घटाव: निवेश की बिक्री पर हानि	171.24	122.36
निवल	383.08	1634.80
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0.00	0.01
घटाव: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	86.99	343.25
निवल	-86.99	-343.24
VI. पट्टा-वित्त/किराया खरीद से आय	0.02	0.02
VII. विविध आय	4935.34	4213.20
कुल	7804.50	7379.71

*यह राशि सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	23182.27	20933.43
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	616.17	248.46
III. अन्य	918.85	947.36
कुल	24717.29	22129.25

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	7578.88	6738.44
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	625.93	615.43
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	100.61	85.85
IV. विज्ञापन और प्रचार	94.35	30.20
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	532.37 0.02	600.68 0.18
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1.53	1.17
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	52.58	47.64
VIII. विधि प्रभार	22.78	20.26
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	97.72	111.29
X. मरम्मत और रखरखाव	195.34	246.33
XI. बीमा	813.56	742.31
XII. अन्य व्यय	2609.09	2113.76
कुल	12724.76	11353.54

अनुसूची - 17 मुख्य लेखांकन नीतियाँ (समेकित)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रही प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि हेतु आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. समेकन की प्रक्रिया:

ए. बैंक (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां, इसके संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणियाँ, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, इसके संयुक्त उद्यमों यथा (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस को. लि. (2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर तैयार की गई जोकि अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके जहां भी अन्यथा उल्लिखित न हो आईसीएआई द्वारा जारी लेख मानक 27 'फाइनेंशियल रेपोर्टिंग ऑफ इंटररेस्ट इन जाइंट वेंचर' के अनुरूप है। अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियाँ भी मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख पर बनाई गई हैं।

बी. अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी के हिस्से को वित्तीय विवरण में पूंजी रिजर्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिजर्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प

संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेट्स में निवेश का हिसाब, एसोसियेट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23 (एएस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

4.1 मूल संस्था

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

4.3 गैर- समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

- आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विनिमय उतार-चढ़ाव निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

5.1 मूल संस्था

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचटीएम प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचएफटी प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, एफएस प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

5.1.2. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

ए) एचटीएम प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थायी प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनितों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) एफएस प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) एचएफटी प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एफएस एवं एचएफटी प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत किया गया है:

- प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिस्ट्रिब्यूटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए)/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
- राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई / एफआईएमडीए/एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।
- कोट होने पर इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पून्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्य की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।
- अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनितों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आरक्षित मूल्य (एनएवी) दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनः खरीदी मूल्य/बाजार कोट

उपलब्ध नहीं हो तो, यूनियों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की यूनियों में 23.08.2006 के बाद किये गये निवेश, 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.1.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में की गयी है:

ए) प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीआई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) अन्य इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, के मामले में शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/- होता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीआई माना जाएगा जब गारंटी लागू किए जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि 'माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेन, तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जबकि लाभ, यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखों में की जाती है।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम/ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत का निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण:

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेन-देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो ध्रिर्वर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती हैं। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक में निहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में निहित नकद और शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष' की मद (ii) 'अन्य खातों में' की उप-मद (ii) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में निहित शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (ii) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

i. ए(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण;

- ii. बी(ii) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित;
- iii. सी(i) बैंक (iv) अन्य (जैसा भी मामला हो)

अनुषंगी कंपनियाँ:

5.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को हास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाजार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में हास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ

मूल संस्था :

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है :

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी की गई प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- i. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्तित्व मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- ii. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

6.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

7.1 मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

ए) अवमानक :

- i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं।

(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- i. सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
- ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- i. सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
- ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग - 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

7.1.3 पुनर्गठित/पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्तित्व वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्तित्व को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय गैर- निष्पादित आस्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित/बाधित आस्तित्वों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समयए उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि

उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशसित होगा।

7.1.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां/ मूल्यहास

8.1 मूल संस्था:

8.1.1 अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वस्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में इमारतों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय-सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/उपयोग की समय-सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय-सीमा निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां/लॉकर/दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष

8.1.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से/संपत्ति के उपयोग की गयी समय-सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

8.1.5 रुपए 5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

8.1.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

8.1.8 पड़ेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

8.1.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

8.1.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियां :

8.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड:

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, स्ट्रेट लाइन मैथड (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है। सॉफ्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर:

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार)। सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक

पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची (II) में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर-निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/ गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्युरेन्स उत्पादों पर आय उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

अनुषंगी कंपनियाँ:

9.2. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

- ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।
- बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हमीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।
- सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।
- डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूँकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।
- इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

- ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के ज़रिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध-वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

11. निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेख में दर्शाया गया परिणाम:

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को/से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा/और अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेख में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

- ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

12.2 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ लि.

अल्प कालिक कर्मचारी हितों/बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई: इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड:

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रुप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता की जाती है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और इसका वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पड़े हेतु लेखांकन

परिचालनगत पड़ों पर ली गई आस्तियों हेतु पड़ा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पड़ा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:

14.1 आकस्मिक देयताएं: संभावित या वर्तमान बाध्यताओं की ओर ले जाने वाली पिछली घटनाओं को निम्नलिखित उदाहरणों में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी जाती है:

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(i) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 'आस्तियों का अनर्जक होना' के अनुरूप पहचाना जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

- 16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।
- 16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों/विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।
- 16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर

दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक यह 'वर्चुअल निश्चितता' न मिल जाए कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही के सापेक्ष है पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध है।

17. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण (2022-23)

1. अनुषंगियां:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.	भारत	11/08/1989	64.84%	ब्रह्मय्या एण्ड कं	26/08/2022
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28/01/1991	51.00%	मैसर्स एनसी राजगोपाल एण्ड कं	30/08/2022

2. सहयोगी:

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

(राशि करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

- ए) कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2023 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी आई है।
- बी) 31.03.2023 तक अंतर शाखा लेखों में 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने अंतर शाखा खाते में 228.01 करोड़ रुपये की राशि पर 5.35 करोड़ रुपये के नए प्रावधान सहित 100% प्रावधान बनाए हुए है।
- सी) देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।
- डी) कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।
- ई) रुपये 8.60 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश यानी प्रदत्त पूंजी का 86% वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित है।

5. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

- 5.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। 31.03.2023 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व का समापन शेष (राजस्व रिजर्व में हस्तांतरित राशि का शुद्ध) 6106.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6211.02 करोड़ रुपये) है।

एएस-10 के अनुसार आस्ति के मामले में, जिसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' में समायोजित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के लिए व्यय के तहत ₹110.87 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹147.27 करोड़) मूल्यहास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹104.12 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹143.42 करोड़) के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में अंतरण किया गया।

5.2 निम्नलिखित संपत्तियों के लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं:

परिसर में 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल/पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 65.98 करोड़ रुपये (विगत वर्ष - 66.74 करोड़ रुपये), निवल मूल्यहास 0.76 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1.46 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

*हैदराबाद में रुपये 1.61 करोड़ लागत की संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में रुपये 2.32 करोड़ रुपये लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

5.3 आरक्षितियों में कमी:

(राशि करोड़ में)

आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
	2022-23	2021-22	
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	104.12	143.42	परिसर के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एएस-10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिजर्व खाते में जमा किया गया।

6. कोविड-19 उपाय

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उनका चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह अनिश्चितता जारी है तथा बैंक इस स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के अत्यधिक अनिश्चित घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। प्रदत्त कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां होंगी। बैंक की पूंजी और नकदी की स्थिति मजबूत है तथा इस अवधि के दौरान भी यह बैंक का मुख्य क्षेत्र बना रहेगा।

7. कराधान

7.1 मूल संस्था:

ए. वर्ष के दौरान आयकर हेतु प्रावधान:

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
कराधान के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित आयकर)	632.71	-740.59

31.03.2023 को भुगतान की गई विवादित आयकर मांग राशि ₹3953.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3953.36 करोड़) थी। इसे आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2023 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹8846.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9187.03 करोड़) है। पहले की अवधि के लिए विदेशी शाखाओं से संबंधित आय के मामले में 8.34 करोड़ रुपये की राशि, जिसके लिए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान प्रावधान किया है, को छोड़कर न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर किसी भी बैंक द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

बी) **आस्थगित कर:** बैंक के पास 'अन्य संपत्ति' के तहत रुपये 4434.56 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए 3872.91 करोड़ रुपये) का निवल डीटीए है। डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं।

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलीकरण पर स्वीकार्य देनदारियों का प्रावधान	275.43	219.35
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व)	122.57	99.08
3	ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान	0.04	0.06
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3856.25
5	पुनर्गठित आस्तियों, एक्ज्यूआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1094.72	588.06
6	अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	102.79	87.26
	कुल डीटीए	5459.96	4850.06
	आस्थगित कर उत्तरदायित्व		
1	अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	44.40	44.40
2	बट्टे खाते में डाले गए खातों के लिए प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ वेल्फेयर रिट्रीवल	4.11	4.11
4	धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	613.74	565.49
	कुल डीटीएल	1025.40	977.15
	निवल डीटीए/(डीटीएल)	4434.56	3872.91

7.2 अनुषंगी कंपनियां:

7.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

- ए. इस वर्ष में कर के लिए ₹91.22 लाख का प्रावधान किया गया है।
- बी. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
- सी. वर्ष के लिए स्थगित कर (निवल) हेतु ₹67.08 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष- ₹15.55 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखों में प्रभावित किया गया है।
- डी. पूर्व अवधि के कर: शून्य

7.2.2 इंडबैंक हाऊसिंग लिमिटेड

- ए. भावी कर योग्य आय के सापेक्ष समंजन के लिए पात्र मूल्यहास और अग्रणीत हानियों को वर्चुअल अनिश्चितताओं के आधार पर स्थगित कर आस्तियों के रूप में नहीं माना गया है।
- बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड़ के लिए एक मांग नोटिस भेजा है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता था। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की है और दिनांक 29.11.2021 को कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है।

8. लेखा मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2023	31.03.2022
अल्पसंख्यक ब्याज से पहले लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	5573.52	4144.19
निम्नलिखित हेतु समायोजन:		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	6516.22	8446.60
निवेश के लिए प्रावधान	492.15	453.75
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2294.68	961.57
कर के लिए प्रावधान	659.47	(731.02)
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	141.60	3.81
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	532.39	600.86
पूँजी लिखत पर ब्याज	733.88	749.59
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.16)	(3.05)
आयकर का भुगतान	(13.60)	(12.18)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व लाभ	16930.15	14614.12
परिचालनगत आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(12356.81)	1337.08
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(66714.84)	(34967.37)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	2778.95	4947.50
	(76292.70)	(28682.79)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि/(कमी)		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	27552.35	55541.08
उधार में वृद्धि/(कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	4874.89	(6945.25)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(958.68)	(5776.83)
	31468.56	42819.00
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	(27893.99)	28750.33
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(334.36)	(323.09)
अचल आस्तियों की बिक्री	20.38	18.40
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(313.98)	(304.69)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(809.54)	(249.09)
टियर 2 बांडों का मोचन	0.00	(600.00)

(रु करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2023	31.03.2022
पूंजी लिखत पर ब्याज	(733.88)	(782.48)
अवधि के दौरान जारी की गई इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	0.00	1650.00
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(1543.42)	18.43
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) (बी) (सी)	(29751.39)	28464.07
अवधि के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1962.45	1658.38
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	22092.01	25886.80
(बी) अन्य जमा खातों में	34500.20	8900.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	30.64	116.03
(बी) अन्य जमा खातों में	1413.81	2065.07
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	0.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	503.98	1577.68
(बी) अन्य जमा खातों में	19453.09	11270.83
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	12.04	29.36
	79968.22	51504.15
अवधि के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1242.58	1962.45
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
(ए) चालू खातों में	26670.15	22092.01
(बी) अन्य जमा खातों में	4780.00	34500.20
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	70.37	30.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1605.55	1413.81
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	5007.04	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	693.49	503.98
(बी) अन्य जमा खातों में	10144.91	19453.09
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	2.74	12.04
	50216.83	79968.22
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	(29751.39)	28464.07

9. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

9.1 मूल संस्था

9.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ₹0.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.14 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने ₹288.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹255.18 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2023	31/03/2022
बट्टे की दर-जी-सेक की दर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.48% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.27% - 15 वर्ष जी-सेक दस्तावेज
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.69% पेंशन के लिए और 7.83% उपदान के लिए	7.62% पेंशन के लिए और 7.67% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइफ्स मॉर्टलिटी (2012-14) अल्टिमेट	

*योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत कारकों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतःशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
व्याज लागत	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
वर्तमान सेवा लागत	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
विगत सेवा लागत - पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - न पहचाने गए/अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1689.97	1741.31	63.18	30.26	187.82	77.35
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75

(राशि करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
अंशदान	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
प्रदत्त लाभ	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00

(राशि करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1240.84	1144.57	135.24	142.83	0.00	0.00

(राशि करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1689.97	-1741.31	-63.18	-30.26	-187.82	-77.35
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35

(राशि करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00
अन्तर. निवल (देयता)/तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75

*फैमिली पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है

(राशि करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्तमान सेवा लागत	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
ब्याज लागत	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1227.56	-1132.00	-134.35	-136.42	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	1676.69	1728.74	62.29	23.85	187.82	77.35
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	1859.91	1894.78	128.87	66.83	458.92	312.19

(राशि करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
निवल देयता का आरंभिक शेष	-653.10	-357.87	19.07	49.04	-1004.75	-977.42
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1859.91	-1894.78	-128.87	-66.83	-458.92	-312.19
प्रदत्त अंशदान	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
निवल देयता का अंत शेष	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2018-23 पेंशन	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66
योजना आस्तियां	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26
अधिशेष (घाटा)	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	10.93	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2018-23 - उपदान	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90
योजना आस्तियां	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29
अधिशेष (घाटा)	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	22.12	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2018-23 छुट्टी भुनाई	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2022-23		2021-22	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	29.29%	23.35%	32.38%	23.42%
उच्च गुणवत्तावाले कापरेट बांड/पीएसयू बांड	15.64%	12.88%	13.42%	12.21%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	54.48%	63.53%	53.98%	64.11%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.53%	0.20%	0.16%	0.22%
पूंजी बाजार	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

i. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹73.65 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹48.43 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2023	31/03/2022
1.	बीमारी छुट्टी	2.54	1.84
2.	आकस्मिक छुट्टी	-0.03	0.09
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	71.14	46.50
कुल		73.65	48.43

9.2 अनुषंगी कंपनियां

9.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्न प्रकार प्रस्तुत है:

(राशि ₹ में)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	5664782	4763140	4503279

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	18226005	15294514	12466073	9559705
वर्तमान सेवा लागत	1428967	1336060	520230	453039
ब्याज लागत	1255129	1014041	844869	632013
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1382131	1476701	1021357	2433748
प्रदत्त लाभ	(539866)	(895281)	-758504	(612432)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	21752366	18226005	14094025	12466073

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचितमूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2022-23	2021-22
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	18885757	15598048
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	1363214	(1139501)
अंशदान	(345246)	3066712
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1773034	(23223)
प्रदत्त लाभ	(539866)	(895281)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	21136893	16606755
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1727377	1499924

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
योजना आस्तियों का उचितमूल्य	21136893	16606755	-	-
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	21752366	18226005	14094025	12466073
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	(615473)	(1619250)	(14094025)	(12466073)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

विवरण	उपदान (निधिक)		छुटी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्तमान सेवा लागत	1428967	1336030	520230	453039
ब्याज लागत	1255129	1014041	844869	632013
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1363214	(1139501)	-	-
बीमांकक(लाभ) /हानि	1727377	1499924	1021357	2433748
निवल लागत	5774687	2710494	2386456	3518801

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुटी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)
बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	6.99%	6.99%	7.37%	6.99%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	6.99%	6.99%	-	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2022-23 में उपदान देयता में ₹25.01 लाख (पिछले वर्ष 29.54 लाख) का अंशदान दिया है।

9.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि के प्रति कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे:

(राशि ₹ में)		
1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	शून्य
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य
8	वेतन में वृद्धि का अनुमानित बढ़ा दर पूर्वानुमान	अप्रयोज्य

10. सेगमेंट रिपोर्टिंग (समेकित) (एएस 17)

10.1 सेगमेंट की पहचान

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

- राजकोष
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

*आरबीआई के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी विनिमय संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

- डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू किया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के संचालन से संबंधित है।
- अन्य रिटेल बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

- (i) देशी परिचालन - भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय
- (ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयाँ

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या जो सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

10.2 समेकित खंड जानकारी

(रु. करोड़ में)

भाग ए बिजनेस सेगमेंट	राजकोष		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	13781.49	13767.26	18223.54	16082.40	19474.98	15415.12	0.00	अप्रयोज्य	19474.98	15415.12	1309.65	1003.37	52789.66	46268.15
परिणाम	5673.24	6355.67	4468.80	3079.29	4702.20	2938.78	-0.25	अप्रयोज्य	4702.45	2938.78	503.37	411.62	15347.61	12785.36
अनाबंटित व्यय													9357.66	9522.49
परिचालनगत लाभ													5989.95	3262.87
अल्पसंख्यक हित													1.21	2.38
अन्य अनाबंटनीय आय													243.04	150.30
आय कर													659.47	-731.02
अपवाद स्वरूप मद्दे													0.00	0.00
निवल लाभ													5572.31	4141.81
अन्य जानकारी														
खण्डीय आस्तियां	218813.92	240001.83	232908.23	215377.81	249089.62	206008.16	0.93	अप्रयोज्य	249088.69	206008.16	2796.14	2382.36	703607.91	663770.16
अनाबंटित आस्तियां													9726.09	10326.27
कुल आस्तियां													713334.00	674096.43
खण्डीय देयताएं	204039.68	224383.64	217182.35	201362.03	232271.18	192602.11	1.18	अप्रयोज्य	232270.00	192602.11	1299.20	1185.25	654792.41	619533.03
अनाबंटित देयताएं													9034.77	9611.47
आरक्षित पूंजी व अधिषेध													49506.82	44951.93
कुल देयताएं													713334.00	674096.43

भाग बी भौगोलिक खण्ड	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	51747.97	45960.46	1041.69	307.69	52789.66	46268.15
आस्तियां	681713.03	652421.69	31620.97	21674.74	713334.00	674096.43

जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।
जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया है।

11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

11.1 मूलसंस्था

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध

ए) सहायक कंपनियां:

- i) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
- ii) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

- i) तमिलनाडु ग्राम बैंक
- ii) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
- iii) पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक

सी) संयुक्त उद्यम:

- i) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- ii) एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
श्री एस एल जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021	
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	
श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	

ई) गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम	पदनाम	धारित शेयर की संख्या
1	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	300
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नानुसार हैं:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 135.84 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रुपए 172.37 लाख)

विवरण	2022-23	2021-2022
सुश्री पद्मजा चुन्डूरु, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.08.2021)	--	₹40.30 लाख
श्री शांति लाल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2022 से 31.03.2023)	₹40.74 लाख	₹20.27 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	--	₹32.76 लाख
श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 30.06.2021)	--	₹30.19 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2022 से 31.03.2023)	₹36.53 लाख	₹30.00 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2022 से 31.03.2023)	₹47.23 लाख*	₹18.85 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (21.11.2022 से 31.03.2023)	₹11.34 लाख	--

* 12.32 लाख आवास भत्ता सहित

सम्बद्ध पार्टी से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

मद/सम्बद्ध पार्टी	मूल संस्था (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	कुल
सेवाओं का प्रतिपादन	15.28	2.17	15.28
सेवाओं की प्राप्ति	2.17	15.28	2.17

11.2 अनुषंगी कंपनी:

11.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

बंधकीय पारिश्रमिक

(राशि लाख में)

नाम	पदनाम		2022-23
श्री वी हरीबाबू	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक	वेतन	22.70
		भविष्य निधि को अंशदान	1.25
श्री ए राजारामन	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (30.11.2021 तक)	वेतन	0.00
		भविष्य निधि को अंशदान	0.00
श्री तौसिफ़ इनामदार	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ (22.07.2022 से)	वेतन	11.18
		भविष्य निधि को अंशदान	0.90
श्री यू राजकुमार	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ (02.09.2021 तक)	वेतन	0.00
		भविष्य निधि को अंशदान	0.00
सुश्री चित्रा एम ए	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	वेतन	12.19
		भविष्य निधि को अंशदान	1.31
श्री वी बालामुरुगन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (28.01.2022 तक)	वेतन	0.00
		भविष्य निधि को अंशदान	0.00
गैर-पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क			5.67

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा "पूर्णकालिक निदेशक" के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

11.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड से प्राप्त करते हैं। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियुक्ति उद्यम हैं और इस कारण एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस-18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

12. पट्टा (एएस 19)

12.1 मूल संस्था

ए) पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।

बी) बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 399.08 करोड़ है। (विगत वर्ष - 417.00 करोड़ रुपए)।

डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में **यंत्र और उपकरण** भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

12.2 सहायक कंपनियां

12.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

पट्टे पर ली गई आस्ति के मामले में

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर मूल संस्था सहित कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे हैं। वर्ष के अंत में गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं:

(राशि लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के लिए लीज भुगतान	24.40	21.71
न्यूनतम लीज भुगतान: 1 वर्ष के पूर्व देय	0.00	0.00
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0.00	0.00
5 वर्षों के बाद देय	0.00	0.00

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2022-23	2021-22
ईक्यूटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	5572.31	4141.81
ईक्यूटी शेयरों की संख्या	1245441139	1245441139
ईक्यूटी शेयरों की भारित संख्या	1245441139	1218410075
प्रति शेयर मूल अर्जन ₹	44.74	33.99
प्रति शेयर कम की गई आय ₹	44.74	33.99
प्रति ईक्यूटी शेयर अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00

14. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण को लेखा मानक (एएस 21), भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरणों" और "समेकित वित्तीय विवरण" को तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप तैयार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूलसंस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित हैं।

31.03.2023 को समेकित आंकड़ों में 3 सहयोगियों यथा मेसर्स पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक के 243.04 करोड़ रुपये का लेखापरीक्षित लाभ शामिल है और ₹58.23 करोड़, दो संयुक्त उद्यमों अर्थात (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड और (2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित लाभ में हिस्सा है।

15. आय पर करों के लिए लेखांकन (एस 22)

15.1 मूल संस्था

ए. **वर्तमान कर** – चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि 1178.64 करोड़ रुपये है इसमें विदेशी शाखाओं पर पिछले वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए रुपये 8.34 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किए गए प्रावधान 15.74 करोड़ रुपये हैं। वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी. **स्थगित कर** – बैंक के पास ₹4434.56 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹3872.91 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति), जो "अन्य आस्तियां" के तहत शामिल है। स्थगित कर आस्तियों (डीटीए) और स्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के प्रमुख घटक निम्न हैं:

(राशि करोड़ में)			
क्र. सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	स्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	275.43	219.35
2	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व (एफसीटीआर)	122.57	99.08
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.06
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3856.25
5	पुनर्चित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1094.72	588.06
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	102.79	87.26
	कुल-डीटीए	5459.96	4850.06
	स्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.40	44.40
2	बड़े खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	613.74	565.49
	कुल - डीटीएल	1025.40	977.15
	निवल डीटीए/(डीटीएल)	4434.56	3872.91

15.2 अनुषंगी कंपनियां:

15.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

स्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न हैं।

(राशि ₹ में)

	स्थगित कर			
	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यहास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		9112839		9355398
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	29001415		36142094	
iii) अन्य	3851703		3661463	
कुल	32853118	9112839	39803557	9355398
निवल डीटीए / (डीटीएल)	23740279		30448159	

16. एस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं- परिचालन बंद

16.1 अनुषंगी कंपनियां:

16.1.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम -निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। अतः प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को करने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं का आईपीएफ को अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है।

17. अनुषंगी कंपनियां:

17.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

इंडियन बैंक, मूल संस्था, ने ₹897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआवज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही ₹75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित किया था। तदनुसार, कंपनी ने पूरी राशि इंडियन बैंक को चुका दी है और 31.03.2023 तक भुगतान करने के लिए कोई राशि लंबित नहीं है।

18. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश / निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत		38.26%	37.50

एस 27 के आवश्यकतानुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय, आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(राशि करोड़ में)		
विशिष्ट	31.03.2023	31.03.2022
देयताएं		
पूँजी आरक्षितियाँ	437.90	391.69
जमा	0.00	0.00
उधारी	19.38	8.54
अन्य देयताएं और प्रावधान	1271.32	1174.50
कुल	1728.60	1574.73
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष	0.10	0.05
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	54.81	30.40
निवेश	1337.92	1146.12
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	18.07	11.37
अन्य आस्तियां	317.70	386.79
कुल	1728.60	1574.73

पूंजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	46.76	48.05
आय		
अर्जित ब्याज	5.99	6.04
अन्य आय	695.48	478.41
कुल	701.47	484.45
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.81	2.36
परिचालन व्यय	620.43	420.65
प्रावधान और आकस्मिकताएं	25.46	17.63
कुल	645.90	440.64
लाभ	53.77	43.81

19. आस्तियों की हानि (एएस-28)

मूल संस्था

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार, वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू होता है।

20. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29):

(राशि करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2022 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान वापसी / समायोजित	दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष
बैंक के विरुद्ध दावे के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	215.91	4.22	2.45	217.68

21. बैंक एश्युरेंस कारोबार

21.1 मूल संस्था

बैंक द्वारा विभिन्न बैंक एश्युरेंस/म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष 85.01 करोड़ रुपये के सापेक्ष में वर्तमान वर्ष में अनर्जित कमीशन आय 136.35 करोड़ रुपये है।

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2022-23	2021-22
1.	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	100.37	56.22
2.	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	29.42	26.42
3.	अन्य-म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	6.56	2.37
	कुल	136.35	85.01

21.2 अनुषंगी कंपनियां:

21.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और उनके द्वारा किए गए बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित फीस/दलाली का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2022.23	2021.22
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
3	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की बिक्री से	शून्य	शून्य
4	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
5	अन्य - बैंक के आवास ऋण उत्पादों के लिए लीड हेतु	0.09	शून्य
	कुल	0.09	शून्य

22. विधि

मूल संस्था

आकस्मिक देनदारियों में मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड का खाता शामिल है, संघीय बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में 1602.44 करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने संघीय बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंक के खिलाफ कुल 406.47 करोड़ रुपये का दावा किया गया था। बाद में, बचाव के लिए सशर्त रियायत 400 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। हमारे बैंक के 100 करोड़ रुपये के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के पास किया गया था। मुकदमे का निष्कर्ष बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के खिलाफ इस दावे के लिए, बैंक के पास 31.03.2023 को प्रतिभूति-मार्जिन धन के रूप में रखे गए 84.06 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए 'अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान' के तहत प्रावधान के रूप में 15.94 करोड़ रुपये और 'आकस्मिक निधि-बैंक के खिलाफ किए गए दावे' के तहत प्रावधान के रूप में 15.32 करोड़ रुपये की राशि है। 31.26 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान है।

23. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

- समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव अपेक्षित नहीं है।
- वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया देय नहीं है, जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित है तथा वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान के संबंध में स्वीकृत देयता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

अभिमत

- हमने इंडियन बैंक (मूल संस्था/बैंक के रूप में संदर्भित) एवं 31 मार्च, 2023 के समेकित तुलन-पत्र में समाहित इसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगियों, इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

ए) हमारे द्वारा समीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित विवरण

बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2 अनुषंगियों और 3 सहयोगियों के लेखापरीक्षित विवरण एवं

सी) 2 संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित विवरण ;

मूल संस्था एवं अनुषंगी संस्थाओं को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हमारी राय में एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम और सहयोगियों की अलेखापरीक्षित पृथक वित्तीय विवरणों जैसा कि प्रबंधन द्वारा संयुक्त उद्यम एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी प्रस्तुत किया गया है, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण:

ए) समेकित बैलेंस शीट के मामले में 31 मार्च, 2023 तक बैंक के मामलों की स्थिति के वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

बी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष और

सी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाओं जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

- प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	बैंक के संबंध में	
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (नोट नं. 4 देखें) बैंक एवं इसके एसोसिएट्स का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 63.24% है, जो समेकित वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के (आरबीआई) दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ('एनपीए') की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा सूचना प्रबंधन (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की:
	अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन-देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	- आय की पहचान और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार चिह्नित एनपीए की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। - एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। - अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान - निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। - निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.18 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। - पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि ये निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने हैं। - हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; - उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हम ने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

4. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

5. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और सामूहिक संस्थाओं व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतिकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवाश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामूहिक संस्थाओं व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा सामूहिक संस्था के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

सामूहिक संस्थाओं व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

6. हमारा लक्ष्य, वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों, से पूर्णतः मुक्त हैं पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो सामूहिक संस्था व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ सामूहिक संस्था व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती हैं।
- समूह व इनके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तथ्यों पर विचार करते हैं।

हमने बैंक अभिशासकों को तथा समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित उन संस्थाओं को जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1,775 शाखाओं (जिनमें से 178 प्रसंस्करण केंद्र हैं) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक 2,45,986.51 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, 14,994.16 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं और प्रसंस्करण केंद्र 31 मार्च 2023 को 41.46% अग्रिम, 46.57% जमा और 57.25% गैर-निष्पादित आस्तियां और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.79% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
 8. हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 को रु. 70.10 करोड़ की कुल संपत्ति, रु. 17.64 करोड़ का कुल राजस्व जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का मामला है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
 9. हमने उन तीन (3) सहयोगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 243.04 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का मामला है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
 10. हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 को समूह के रु. 1727.51 करोड़ की कुल संपत्ति, रु. 700.85 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 58.23 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहां समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह से उक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- उपरोक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों एवं निम्नोक्त अन्य विधिक और विनियामक रिपोर्ट पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
11. 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

12. समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।
13. उपरोक्त 5 से 11 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - (बी) बैंक के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और
 - (सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
14. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - (बी) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। अनुषंगियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक किसी भी अनुषंगियों के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - (सी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - (डी) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की गई।

15. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,

- (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
- (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखापरीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है; और
- (डी) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते पी के एफ श्रीधर एण्ड संधानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 003990S/S200018
पी देवी
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 223137)
यूडीआईएन सं.: 33223137BGYLQB8489

कृते जी नटेशन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 002424S
वी मार्गसहायम
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 020555)
यूडीआईएन सं.: 23020555BGWSZQ9764

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 23114196BGUMBB7927

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318W
संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)
यूडीआईएन सं.: 23110713BGYQGT1624

कृते एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526C
मुकेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 074661)
यूडीआईएन सं.: 23074661BGXKJG3193

रिपोर्ट की तिथि: 8 मई, 2023
हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

बेसल III पूंजी विनियमों के तहत प्रकटीकरण

बेसल III पूंजी विनियमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 1 अप्रैल 2022 के अनुसार, बैंकों को बेसल III पूंजी आवश्यकताओं के तहत पिछर 3 के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है:

<https://indianbank.in/HI/departments/regulatory-disclosures-section/#!>



Left intentionally blank

DIRECTORS' REPORT 2022-23

To
The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2023.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY23 are as follows:

A. Resource mobilization & Advances:

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.22	31.03.23	YoY (%)
Domestic Deposits	584661	608027	4.00
Of which Current	35969	35366	-1.68
Savings	211120	224873	6.51
CASA	247089	260239	5.32
CASA Mix (%)	42.26	42.80	54 bps
Overseas Deposits	8957	13139	46.68
Global Deposits	593618	621166	4.64
Domestic Advances (Gross)	395698	443921	12.19
Overseas Advances (Gross)	19927	29665	48.87
Total Advances (Gross)	415625	473586	13.95
Total Business	1009242	1094752	8.47
Total Assets	671668	710501	5.78

- Global Deposits grew by 4.64% YoY and stood at ₹ 6,21,166 Cr in March 2023.
- Domestic CASA increased to ₹2,60,239 Cr registering a growth of 5.32% YoY. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilised 38,98,084 new CASA accounts (excluding BSBD Savings account) during FY23.
- Gross Advances of the Bank (Global) grew by 13.95% YoY and stood at ₹4,73,586 Cr as on March 31, 2023 from ₹4,15,625 Cr as March 31, 2022.
- Priority Sector Advances were at ₹1,52,992 Cr as on March 31, 2023. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY23 stood at 44.26% as against the mandatory target of 40%.

- Agriculture Credit (Priority Sector) was at ₹66,607 Cr and as a percentage to ANBC the same stood at 19.27% as against the mandatory target of 18%.
- All mandatory targets stipulated by RBI have been surpassed during FY23.
- Gross NPA and Net NPA reduced to ₹28,180 Cr (5.95%) and ₹4,043 Cr (0.90%) respectively as on March 31, 2023 as against ₹35,214 Cr (8.47%) and ₹8,849 Cr (2.27%) respectively in March 31, 2022.
- Total recovery of NPAs (including recovery in AUC accounts and Mol) during FY23 amounted to ₹7,358 Cr as against ₹5,542 Cr in the previous year.
- Recovery in bad debts amounted to ₹2,177 Cr during FY23 as against ₹1,612 Cr in during FY22.
- Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank improved by 644 bps to 93.82% in FY23 as against 87.38% in FY22.
- As on 31st March 2023, Bank has a network of 5,787 domestic branches, 3 overseas branches and 1 IFSC Banking unit (GIFT City), taking the total branch network to 5,791.
- Total number of Bank's ATMs and BNAs stood at 4929 which include 591 offsite ATMs/BNAs and 2 mobile ATMs.
- 2914 Passbook Kiosks have been installed by Bank as on 31st March 2023.

B. INCOME AND EXPENDITURE

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.22	31.03.23	YoY (%)
Interest Earned	38856	44942	15.66
Interest Expended	22128	24717	11.70
Net Interest Income (NII)	16728	20225	20.91
Other Income	6915	7143	3.30
Of which - Fee Income	2555	2969	16.20
Profit on sale of Investments	1626	381	-76.57
Recovery of bad debts	1612	2177	35.05

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.22	31.03.23	YoY (%)
Operating Revenue (NII + Other income)	23643	27369	15.75
Operating Expenses	10926	12098	10.72
Of which - Employee Expenses	6695	7527	12.41
Other operating Expenses	4231	4571	8.01
Operating Profit	12717	15271	20.08
Provisions	8772	9989	13.87
Of which - Provisions for NPA (inclusive of NPI)	8557	6921	-19.11
Provision for Standard advances	962	2295	139
Provision for Tax	(741)	633	-
Net profit	3945	5282	33.89

As on March 31, 2023,

- Total income of the Bank increased by 13.79% and stood at ₹52,085 Cr, with Interest Income at ₹44,942 Cr and other Income at ₹7,143 Cr.
- Bank's total expenditure increased by 11.37% and stood at ₹36,185 Cr with Interest Expenditure at ₹24,717 Cr and Operating expenses at ₹12,098 Cr.
- Bank's Operating Profit and Net Profit witnessed an increase of 20% and 34% respectively and stood at ₹15,271 Cr and ₹5,282 Cr respectively. (For FY22 the same were at ₹12,717 Cr and ₹3,945 Cr respectively).

C. Key Ratios for Mar'23 are as under: (in %)

Parameters	31.03.22	31.03.23
Yield on Advances	7.21	7.76
Cost of Deposits	3.97	4.09
Return on Assets	0.63	0.77
Return on Equity	12.13	14.73
Net Interest Margin	2.93	3.37
Cost Income ratio	46.21	44.20
Average Business per employee (₹ in lakh)	2252	2355
Profit per employee (₹ in lakh)	9.91	12.95

D. NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank stood at ₹37,431 Cr as on March 31, 2023 as against ₹33,625 Cr in March 31, 2022.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 16.49% as on March 31, 2023, compared to 16.53% in March 31, 2022 and as against the regulatory requirement of 11.50%. The CET- I ratio was at 12.89% as against 12.53% in March 31, 2022 and the minimum requirement of 8.00%. The CRAR of Tier I capital was at 13.48% as of March 31, 2023.

(in %)

BASEL III	As on	
	31.03.2022	31.03.2023
CET- I	12.53	12.89
Tier- I Capital	13.17	13.48
Tier-II Capital	3.36	3.01
Total	16.53	16.49

E. RECRUITMENT / TRAINING

As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

F. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

- Shri Sanjeev Kaushik was GOI Nominee Director of the Bank upto 13.09.2022. Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, vide notification dated 14.09.2022 nominated Dr. M P Tangirala as GOI Nominee Director of the Bank in place of Shri Sanjeev Kaushik.
- Shri Mahesh Kumar Bajaj was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification dated 21.11.2022.

G. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2023: –

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2023.
4. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

H. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri. Sanjeev Kaushik who ceased to be member during the year.

The Board also places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

(S L Jain)

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY

- In the recent years, the global economy faced a lot of hurdles, most notably, the COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine, manifesting in unforeseen ways. In most of the major economies, inflation touched record high due to unprecedented increase in commodity prices and supply disruptions. Due to the stubbornness in inflation, major central banks continued to tighten their monetary policy, but now at a slower pace.
- The rapid rise in interest rates, to put inflation on a downward path and anticipated to slow the economic activity, have contributed to stress in parts of the financial system, raising financial stability concerns. The unexpected failures of two banks in the United States in Mar'23 and the collapse of confidence in Credit Suisse, a globally significant bank, have roiled financial markets, with bank depositors and investors re-evaluating the safety of their holdings and shifting away from institutions and investments perceived as vulnerable.
- Base effects from the rise in energy prices following the Russia-Ukraine conflict are now coming off, putting further downward pressure on inflation. The prices of other commodities including global food prices have also eased. Re-opening of Chinese economy and normalisation of inflation in most of the countries has bode well for global growth.
- Considering these developments, IMF in its "World Economic Outlook" released in Apr'23 projected global growth at 2.8% for 2023 and 3% for 2024.

2. INDIAN ECONOMY

- Despite the sluggish growth in the previous quarters, India is still expected as one of the major beacons of growth in 2023, driven by robust domestic demand and government expenditure.
- The government's thrust on capital expenditure, increased capacity utilisation in manufacturing, double digit credit growth and the moderation in commodity prices are expected to bolster manufacturing and investment activity.

- Most of the domestic high frequency indicators have posted a healthy growth in FY23. Purchasing Managers' Indices (PMIs) pointed towards sustained expansion in both manufacturing and services during the financial year. A high unemployment rate, however, remains a concern for India, standing at 8.11% in Apr'23.
- Government initiatives are expected to help India remain as one of the fastest growing major economies globally. However, external challenges, such as a slowdown in the global economy and monetary tightening in advanced economies, are factors that could affect the country's growth.
- The Indian Rupee has moved in an orderly manner in the calendar year 2022 and continues to be so in 2023 as well. This reflects the strength of domestic macroeconomic fundamentals and the resilience of Indian economy to global spill-overs.
- Although cumulative retail inflation (CPI) for FY23 stood at 6.65%, just above the RBI's upper tolerance band of 6%, it eased to a 18-month low of 4.7% YoY in Apr'23 with core inflation easing to multi-month low.
- The effects of slowdown in global economic growth resulting from high inflation and the continuing conflict between Russia and Ukraine have been affecting India's economic performance. Real GDP growth in FY23 is estimated at 6.8% and projected at 6.5% for FY24 by RBI.

Union Budget FY24

- The outstanding internal and external debt and other liabilities of Government of India at the end of FY24 is estimated to increase by 11% YoY at ₹169.47 lakh crore, as against ₹152.61 lakh crore at the end of FY23. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of GDP.
- The total receipts other than borrowings is estimated at ₹27.2 lakh crore and the total expenditure is estimated at ₹45 lakh crore. The net tax receipts are estimated at ₹23.3 lakh crore.
- To finance the fiscal deficit in FY24, the net market borrowings from dated securities are estimated at ₹11.8 lakh crore. The gross market borrowings are estimated at ₹15.4 lakh crore.

- The efforts of the Union Budget FY24 to improve the disposable income of taxpayers in the country is expected to boost consumption via an increase in discretionary spending. In addition, the strong capital expenditure push provided by the Union Budget, with an increased outlay is expected to drive growth, investments and job creation.
- The government's reduction of over 39,000 compliances and decriminalization of over 3,400 legal provisions will also foster the ease of doing business in the country. Strong credit growth and resilience in financial markets are further expected to create an environment that supports investments.
- Maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) has been enhanced from ₹15 lakh to ₹30 lakh. The maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme has also been enhanced from ₹4.5 lakh to ₹9 lakh for single account and from ₹9 lakh to ₹15 lakh for joint account. Increase in deposit limits for senior citizens indicates a focus on supporting and improving the standard of living for elderly sections of the society.
- A one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Certificate, has been made available for a two-year period up to Mar'25. This proposal will ultimately help the country in improving the savings rate.
- Union Budget shows that Capital investment outlay will be 3.3% of GDP in FY24. It is up by 33% at ₹10 lakh crore. Higher allocation for capital outlay and planned expenditure on infrastructure development may increase demand for capital equipment and construction machinery.
- Outlay for PM-Awas scheme raised by 66% to ₹79,000 crore and it may increase the number of affordable houses and give impetus to housing loans.
- The credit guarantee scheme for MSMEs has been revamped with infusion of ₹9,000 crore in the corpus. This move of the Government may boost creditor's confidence, leading to higher loan disbursements, additional collateral-free guaranteed credit and reduced cost of funds.
- From now, new income tax regime to be made default tax regime. Government gave a rebate of

income earned up to ₹7 lakh, up from ₹5 lakh earlier under new tax regime. The basic exemption limit in the regime has been raised to ₹3 lakh, up from ₹2.5 lakh earlier. Changes in the tax regime will provide additional disposable income at the hands of the public which will improve the consumption and economic growth.

- The budget has ensured that the fiscal impulse is maximized to improve potential growth, while signaling adherence to medium-term fiscal sustainability. The expenditure focus has been on rural, welfare, infrastructure, PLIs (production-linked incentive schemes) and energy transition.

RBI Monetary Policy

- The Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting in Apr'23 decided to keep the policy rates unchanged after a series of hikes in FY23. It may be expected that Interest rates are likely to soften considerably from current levels and bonds will perform well this year generating capital gains over and above the coupon rates.
- The macro-and micro-prudential measures taken by RBI to prevent build-up of financial vulnerabilities are now more on identifying the root cause rather than dealing with the symptoms alone.

Recent Initiatives by the RBI

- The RBI has decided that any penalty for delay/default in servicing of the loan or any other non-compliance of material terms and conditions of loan contract by the borrower shall be in the form of 'penal charges' in a reasonable and transparent manner. It shall not be levied in the form of 'penal interest' that is added to the rate of interest being charged on the advances. It will bring more uniformity in aligning of charges, reduction of customer grievances and will bring better credit discipline.
- UPI payment has become universal payment instrument for retail electronic payments in India. The RBI proposed to permit all inbound travellers to India to access UPI for their merchant payments (P2M) while they are in the country. To begin with, this facility has been extended to travellers from the G20 countries, arriving at select international airports. This step will further strengthen the

payment system in India and showcase the potential of this interface to the world.

- To provide further flexibility to banks in managing their investment portfolios, the RBI decided to extend the dispensation of enhanced HTM limit of 23% up to 31st Mar'24. Banks are now allowed to include securities acquired between 1st Sep'20 and 31st Mar'24 in the enhanced HTM limit. This will facilitate the banking system to absorb the huge supply of bonds without affecting the mark-to-market risk.
- The RBI has taken an initiative to expand the scope of UPI by enabling transfer to / from pre-sanctioned credit lines at banks, in addition to deposit accounts. In other words, UPI network will facilitate payments backed by credit from banks. This may reduce the cost of such offerings and encourage innovations of unique products for Indian markets.

3. BANKING SECTOR:

- Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew by 9.6% YoY to ₹180.43 lakh crore as on 24th Mar'23.
- SCBs Credit experienced significant growth in the recent period, reflecting a positive trend in lending activities. This surge may be attributed to several factors, including an improving economic environment, higher consumer demand for loans etc.
- Non-food bank credit registered a growth of 15.4% YoY in Mar'23 as compared to 9.7% a year ago. Credit to agriculture and allied activities rose by 15.4% YoY in Mar'23 as against 9.9% a year ago. This growth in Bank credit signifies a healthy financial system that supported economic growth.
- Credit to industry registered a growth of 5.7% YoY in Mar'23 as compared to 7.5% YoY in Mar'22. Size-wise, credit to large industry rose by 3% as against 2% a year ago. Credit growth of medium industries was 19.6% vs 54.4% last year. Credit to micro and small industries registered a growth of 12.3% YoY in Mar'23.

- Credit growth to services sector accelerated to 19.8% YoY in Mar'23 from 8.7% a year ago, due to the improved credit offtake to 'Non-Banking Financial Companies (NBFCs)' and 'Trade'.
- Personal loans registered a growth of 20.6% YoY in Mar'23 as compared to 12.6% YoY a year ago, primarily driven by 'housing loans'.
- Ever since the RBI undertook emergency measures to shield the economy from the COVID-19 crisis in 2020, liquidity in the banking system has broadly remained at a surplus, although the degree of excess cash shrunk considerably in 2022 and 2023.
- Banking liquidity in India plays a crucial role in maintaining the stability and smooth functioning of the financial system. The RBI is closely monitoring the liquidity system and has taken appropriate measures to address the imbalances, to promote stability, confidence and resilience in the Banking sector.

Year Ahead

- Despite facing formidable challenges, India stands tall and steadfast, emerging as a leader of resilience in the global economy. The International Monetary Fund (IMF) anticipates India's continued success with its growth projections serving as a testament to the country's unwavering strength and resilience.
- IMF has projected that India would be the fastest-growing economy in the world, despite confronting considerable challenges such as inflationary pressures, effects of the Russia-Ukraine war and the persistent impact of the COVID-19 pandemic over the past three years.
- It looks like the world has come out of the shadow of the pandemic and has in fact, learned to live with it. However, geopolitical crises, supply chain reorientations, global inflation, and tight monetary policy conditions may weigh on the growth outlook.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business recorded a YoY growth of 8% reaching a level of ₹10,94,752 Cr in Mar'23 as against ₹10,09,243 Cr in Mar'22. Domestic Business recorded a growth of 7% and

reached ₹10,51,948 Cr as against ₹9,80,359 Cr in Mar'22.

- Global Deposits grew by 5% YoY to ₹621166 Cr in Mar'23 as compared to ₹593618 Cr in the previous year.
- CASA Deposits stood at ₹260809 Cr as against ₹247926 Cr as on Mar'22 registering a growth of 5% YoY.
- Advances grew by 14% to ₹473586 Cr in Mar'23 over ₹415625 Cr a year ago. Domestic Credit grew by 12% YoY and stood at ₹443921 Cr. (₹395698 Cr as on March 31, 2022)
- Global Credit-Deposit Ratio stood at 76.24%.

4(a) DEPOSITS:

Performance under Domestic Deposits in FY23:

(₹ in Cr)

Deposits	Mar'22	Mar'23	YoY (%)
Current Account	35969	35366	-1.68
Savings Bank	211120	224873	6.51
CASA	247089	260239	5.32
CASA% to Total Deposits	42.26	42.80	+54 bps
Term Deposit	337571	347788	3.03
Domestic Deposits	584661	608027	4.00

Highlights of Performance as on Mar'23:

- Savings Bank Deposits exhibited a growing trend and stood at ₹224873 Cr as on Mar'23 as against ₹211120 Cr in Mar'22 with YoY growth of 6.5%.
- CASA deposits have grown by 5.32% (YoY) and stood at ₹260239 Cr as on Mar'23 as against ₹247089 Cr in Mar'22.
- Term Deposit grew by 3.03% (YoY) to ₹347788 Cr as on Mar'23 as against ₹337571 Cr in Mar'22.
- During FY23, Bank has opened 37.44 lakh Non-BSBD Saving Bank Accounts and 1.54 lakh new Current Accounts.
- Bank launched new products for salaried class viz., IND Sampoorana, IND GURUDEV, IND Salary Suraksha with free Group Personal Accident policy and additional features.
- During FY23, Bank has launched new current account products "IND SAHAKARI" and "IB RERA".

- Bank has also opened Government Business Cells at various potential centers.
- Overseas Deposit grew by 47% (YoY) to ₹13138 Cr as on Mar'23 as against ₹8957 Cr in Mar'22.

4(b) RETAIL CREDIT:

- Retail Assets of the Bank grew by 13% YoY and stood at ₹91086 Cr.
- During FY23, a total amount of ₹36221 Cr has been sanctioned in 833606 accounts of which ₹30952 Cr has been disbursed.
- An amount of ₹898 Cr has been disbursed under Co-lending.

Product-wise exposure of Bank under Retail

Segment (₹ in Cr)

Parameters	31.03.2022	31.03.2023	YoY Growth %
Home Including Mortgage Loan	53852	59840	11.12%
Vehicle Loan	4198	5377	28.08%
Personal Loan	5306	7769	46.42%
Education Loan	4626	4623	-0.06%
Jewel Loan (Non Priority)	4787	5206	8.75%
LAD & Others	7665	8271	7.91%
Total Retail Credit	80433	91086	13.24%

Initiatives undertaken:

- Entered into tie-up with Honda Motors and Toyota -Kiruskar Motors Pvt. Ltd. for financing vehicle Loans.
- Launched IB Professional – A personal loan scheme for professionals and Gold Backed Co-Branded Credit Card with Rupeek.

- Linkage of UPI with Rupay Credit Card has been put in place.

4(c) AGRICULTURE

- Agriculture credit of the Bank grew at 15.71 % YoY from ₹88100 Cr to ₹101937 Cr as on March 31, 2023, as detailed below:

(₹ in Cr)

Agriculture	31.03.2022	31.03.2023	YoY Growth %
Crop Loans	69051	77894	12.80%
Investment credit	9241	11980	29.63%
Agri allied	3192	3610	13.09%
Infrastructure & Ancillary	6616	8453	27.76%
Total Agriculture	88100	101937	15.71%

Agricultural Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹78845 Cr during FY23.
- During FY23, Bank disbursed a sum of ₹40378 Cr to 40.49 lakh Small/Marginal Farmers.

Performance under RBI mandatory target under Priority Sector Advances in FY23

- Priority Sector Advances was at ₹152992 Cr as on 31.03.2023. As a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY23, it stood at 46.26% as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit under priority sector was at ₹66607 Cr as on 31.03.2023 and the percentage to quarterly average ANBC for FY23 stood at 19.71% as against the mandatory target of 18%.
- Lending to SF/MF stood at ₹36567 Cr as on 31.03.2023 and constituted 10.82% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for FY23 as against the mandatory target of 9.50%.

- Lending to Weaker Sections stood at ₹54998 Cr as on 31.03.2023 and constituted 16.27% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for FY23 as against the mandatory target of 11.50%.
- Lending to MSE:** Micro Enterprises stood at ₹34109 Cr as on 31.03.2023 and constituted 10.09% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for FY23 as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹54955 Cr as on 31.03.2023 and constituted 16.26% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for FY23 as against the mandatory target of 13.78%.

CREDIT FLOW TO SELF HELP GROUPS:

- Self Help Group is one of the most important approaches for women empowerment in India. Lending to Self Help Groups/Joint Liability Groups present an excellent opportunity to promote micro enterprises in rural areas leading to increased employment generation and in turn income to the rural mass.
- The advent of Self Help Group (SHGs) concept has ensured seamless delivery of credit to the poor and has boosted the rural economy. Bank has actively promoted SHG Bank Linkages.
- The outstanding credit to SHGs stood at ₹13719 Cr covering 4.57 lakh SHGs as on Mar'23. During FY23, the Bank has disbursed ₹1744 Cr to 2.42 lakh SHGs.
- Bank has surpassed the Target set by National Rural Livelihood Mission under both Disbursement ₹9956 Cr and Outstanding ₹12867 Cr for FY23 as against targets of ₹8945 Cr and ₹10167 Cr respectively.
- Emphasis is given to increase SHG lending in emerging areas like Bihar, Rajasthan, West Bengal, Odisha and Assam. Bank had conducted 9 special SHG outreach campaigns during FY23 at various locations and disbursed ₹2735 Cr.
- Bank has done extremely well in SHG lending during FY23 and is now planning to expand the portfolio in the States of Bihar, Odisha, Jharkhand, Rajasthan and West Bengal.

Microsate Branches:

- Bank has opened 6 new Microsate Branches during FY23. As on 31.03.2023, the outstanding in 50 Microsate branches, specialized branches available for lending under SHG, constitute 20% of total SHG portfolio of the Bank.
- These branches serve as 'One Stop Shop' - providing credit as well as credit plus services like training, maintaining accounts/books etc. During FY23, credit amounting to ₹2544 Cr has been extended to 31767 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹2717 Cr covering 48156 SHGs as on Mar'23.

SHG Intensive Branches:

- To give focused lending under SHGs in FY24, Bank has identified 57 SHG Intensive Branches where the SHG business is above ₹25 Cr.
- Joint Liability Groups:** Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to the category of farmers that does not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹506 Cr covering 26955 JLGs as on 31.03.2023.

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹54998 Cr as at the end of March 2023, which works out to 16.27% of Quarterly Average ANBC as against stipulated norm of 11.50%.
- Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns:** Special campaigns were conducted on a quarterly basis for extending credit to Minorities and SC/ST beneficiaries.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹6496 Cr as on 31.03.2023.
- Outstanding position of advances to Minorities stood at ₹23374 Cr (15.28% of total Priority Sector Advances) as on March 2023.

4(d) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- MSME Credit of the Bank has registered a growth of 7.40% YoY from ₹74167 Cr to ₹79656 Cr as on 31st Mar, 2023.
- Lending to Micro Enterprises constitutes 9.88% of ANBC against mandatory target of 7.50%.
- Bank has registered a growth of 17% in number of Micro Enterprises against target of 10%.
- Bank has launched 4 new products to meet the specific requirements of MSMEs, viz., MSME Loan Against Property, Pharma Strengthening, Sakhi and Commercial Vehicle Financing.
- Green Financing initiative – an exclusive product for financing Manufacturers / Suppliers of biomass pellets to NTPC.
- To overcome liquidity challenges faced by MSMEs in the State of Kerala, Bank has launched Kerala Bill discounting system. Under the scheme, Contractors/ Suppliers to accredited agencies of Kerala state can avail the benefit.
- Bank has embarked on digital lending journey for MSMEs covering various segments.
- Mudra Loans (Shishu) can be availed and Digital Renewal of MSME Loans can be done by customers online.
- 77 MSME processing centres have been setup by the Bank for improving TAT (Turn Around time) and ensuring quality lending.
- During FY23, various campaigns have been organized for canvassing fresh MSME business. Sanctions to the tune of ₹14078 Cr were accorded and ₹9225 Cr disbursed.

MSME CLUSTERS:

- 31 new clusters have been added during FY23. Total 90 clusters, as on 31.03.23 are functioning across 48 zones with MSME business of ₹3925 Cr and registered a growth of 19.48% on YoY basis.

PMSVANIDHI Scheme – Loans to Street Vendors

- Under the PMSVANIDHI scheme, ₹362 Cr have been sanctioned to 2.99 lakh street vendors.

MUDRA SCHEME

- Bank has surpassed the target of ₹6570 Cr under Mudra loans and sanctioned ₹7172 Cr in FY23 and achieved 109% of target allocated.

Stand Up India scheme

- The Bank has sanctioned 10084 loans (Achieved 89% as against the target of 11384 loans) amounting to ₹2303 Cr by providing credit assistance to SC/ST/Women borrowers for setting up green field activities.

MSME PRERANA

- 'MSME Prerana', a business mentoring programme for MSMEs, has expanded its outreach in 11 states/ Union Territories in 7 languages.
- During FY23, this programme was launched in the state of Rajasthan. 41 programs were conducted covering 1513 entrepreneurs of which 560 were women.

Start Up Financing

- Under 'Ind Spring Board', a unique loan product for extending credit assistance to specific needs of Startup companies, Bank has entered MOUs with 3 Premier Educational Institutions (SRM University- Amaravathi, IIT-Kanpur & IIT-Bhubaneswar) in FY23.
- Till date, 11 MOUs entered with various Start-Up Incubators of Premier/Renowned Institutes (IITs, IIMs etc.)

4(e) CORPORATE CREDIT

Corporate credit of the Bank stood at ₹171242 Cr (Mar'23) constituting 39% of the overall domestic credit of the Bank. During FY23, the same has grown by 12% YOY.

Corporate Credit has two Verticals viz., Large Corporate and Mid Corporate. 9 Large Corporate Verticals and 25 Mid Corporate Verticals located at centers with high business potential are catering to the needs of corporate customers.

4(f) OVERSEAS CREDIT

- Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo, Jaffna and IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City, Gandhi Nagar, Gujarat. Total outstanding Gross advances of the foreign branches (including IBU) as on March 31, 2023 was at ₹29665 Cr as against ₹19927 Cr a year ago registering a YoY growth of 48%.

4(g) FOREX BUSINESS

- Turnover in Merchant Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹94995 Cr during FY23 as against ₹60667 Cr in FY22.
- During FY23, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹4153468 Cr as against ₹2602961 Cr in FY22.
- Bank has identified 247 Branches covering all the major places/Business centers of the country for catering to the Foreign exchange needs of the customers. These Branches are directly connected to one of the two FXCPC located in Chennai and Mumbai. FXCPCs are the centralized processing centers of the Bank for processing all types of Foreign Exchange transactions. The Bank has correspondent arrangements across the globe.

Remittances

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances.
- Other inward remittance facilities offered by the Bank include Western Union Money Transfer and Ria Money Transfer under the MTSS scheme of RBI, besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.
- Electronic Funds Transfer arrangement is in place with Exchange Houses viz., UAE Exchange Centre WLL- Kuwait, Al Zaman Exchange WLL-Qatar, GCC Exchange-Dubai, Al Dar For Exchange-Qatar and with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia under the Rupee Drawing Arrangement Scheme of RBI.

4(h) FINANCIAL INCLUSION

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY):

Progress in opening of PMJDY Accounts under BSBD:

Branches, BC channel and TAB Banking Mode contribute to opening of PMJDY Accounts under Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) category.

- Bank has opened 204.77 lakh PMJDY accounts on a standalone basis with balance outstanding at ₹9342.26 Cr as on 31.03.2023 (10.65% YoY).
- Balance per PMJDY account stands at ₹4557 which is more than industry average of ₹4087 as on 31.03.2023.

- Operative PMJDY accounts stands at 84% of total PMJDY accounts which is higher than industry average of 81%.
- The number of fresh accounts under PMJDY was 3.39 times more than previous financial year. As on 31.03.2023, Bank's market share in number of PMJDY accounts has increased by 10 basis points (bps) and stands at 4.21%, while in terms of balance outstanding, the same is at 4.70% (Increase of 13 bps YOY).
- 10750 Business Correspondent (BC) outlets cover approximately 54% of the total Banking delivery outlets (Branch+ BC+ATM) of Bank. It has coverage in 24 states and 5 union Territories.

Micro Insurance Scheme:

YOY growth in JBY and SBY:

Name of the Scheme	Mar'22	Mar'23	YoY
PMJJBY (in lakhs)	30.24	43.74	44.64%
PMSBY (in lakhs)	80.14	101.71	26.92%

- In micro insurance schemes of JBY and SBY, fresh accretions increased 3.70 times (13.36 lakhs) and 3 times (21.63 lakhs) respectively as against the previous financial year.
- Bank's market share in number of PMJJBY enrolments increased by 35 bps and stands at 2.74%, while in PMSBY enrolments it increased by 17 bps and stands at 3.01% as on 31.03.2023.

Micro Pension Scheme:

YOY growth in APY:

Name of the Scheme	Mar'22	Mar'23
APY (in lakhs)	24.96	31.83

- In micro pension scheme APY during FY23, Bank has added 6.86 lakhs fresh enrolments with highest ever Average Account Per Branch (AAPB) of 117 as compared to 96 in the previous year.

4(i) BANCASSURANCE & MUTUAL FUND

- Bank has earned income of ₹136 Cr through Bancassurance business in FY23 as against ₹85 Cr in FY22.
- Under Corporate Agency Arrangement, Bank has partnered with 7 Insurance companies, (3 each under Life and Non-life and 1 under Health) as detailed below.

VERTICAL	PARTNER
Life Insurance	LIC of India
	SBI Life Insurance Co. Ltd
	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
Non-Life Insurance	United India Insurance Co. Ltd. (UIIC)
	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.*
	Universal Sampo General insurance Co. Ltd.*
Health Insurance*	NivaBupa Health insurance Co. Ltd.

(*In addition to NivaBupa, bank also distributes Health Insurance products of M/s United India, M/s Universal Sampo and M/s Cholamandalam)

Credit Life Insurance & Loan Cover

PARTNER	PORTFOLIO
Kotak Mahindra Life	Home Loan & Education Loan
TATA AIA (Since discontinued) Only claim settlement for previous loans	Home Loan
PNB Metlife	Education Loan
Aditya Birla Sun Life	Home loan & Clean loan
LIC Griha Jeevan & Jeevan Vidhya (Since discontinued) Only claim settlement for previous coverage	Home Loan & Education Loan

Mutual Fund Distribution

Bank has tied up with M/s FISDOM for Mutual Fund distribution through its digital platforms.

Initiatives during FY23

- Insurance Digital journey launched for 2 wheeler, 4 wheeler and Health Insurance in IndOASIS.
- Dedicated Login days for Life, General, Health & Wealth products observed on weekly basis to reach ₹136.35 Cr of Income during FY23, a YoY growth of 60.39%.
- Digital Demat & Trading services launched in Mobile Banking app **IndOASIS**.
- Exclusive campaigns floated by Bank were supported by booster campaigns from channel partners.
- Bank is continuously increasing the number of specified persons licensed to undertake Insurance business.
- Leveraging Data Analytics models** for Leads with greater propensity of conversion to business- Database of NACH mandates, ECS mandates, Clearing Dumps for Insurance, Mutual Fund, Broking business.

4(j) Government Deposit Schemes

SUKANYA SAMRIDHI SCHEME

45365 new accounts were opened during FY23, taking the total number of accounts to 137763. The amount collected during FY23 was ₹190.51 Cr and the cumulative amount collected was ₹863.37 Cr.

PUBLIC PROVIDENT FUND

The total collection made under PPF accounts for FY23 was ₹1024.50 Cr from 269843 new accounts and the cumulative balance in PPF accounts stood at ₹8090.52 Cr from 539586 accounts.

SENIOR CITIZEN SAVINGS SCHEME (SCSS)

The total collection made under SCSS accounts for FY23 was ₹1581.47 Cr from 29324 new accounts and the cumulative balance as on 31.03.2023 stood at ₹7612.13 Cr in 151680 accounts.

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

Branch network of the Bank stood at 5787 branches as on 31.03.2023, comprising of 1964 Rural, 1517 Semi Urban, 1165 Urban and 1141 Metropolitan branches. In addition, the Bank has 3 overseas branches viz., at Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City Gandhi Nagar, Gujarat.

During FY23, the Bank has expanded its branch network by 87 customer interface branches which includes 3 Digital Banking units, 7 Microsatellite branches for SHG and 3 Pool Asset branches. Of the 87 branches opened during the year, 20 were in Unbanked Rural Centres, 3 in Left Wing Extremist districts and 1 in North-Eastern State of Assam. Further, towards consolidation of banking outlets, 32 branches were rationalized during the year.

6. DIGITAL TRANSFORMATION

To cater to the expectations of the customers in the form of fast, seamless and personalized digital journeys, Bank has rolled out its first digital product Pre Approved Personal Loan (PAPL) in April 2022 under Project WAVE (**World of Advanced Virtual Experience**).



During FY23, Bank has launched 25 digital journeys – Straight Through Processing as well as branch assisted. Bank has garnered more than ₹5600 Cr of Digital Business in FY23 with ₹2060 Cr on the Assets side and ₹3570 Cr on the liability side. Bank plans to cover more digital journeys in RAM sector during the current financial year.



- Bank is focused on building digital experiences for its customers to bank through digital channels. Digital banking Omni Channel platform is under development to provide seamless and similar user experience across all channels (Mobile Banking/Tab Banking/Kiosks/Internet Banking etc.)
- Bank is driving customer outreach for adoption of new digital offerings through various channels besides conducting internal outreach through employee engagement sessions. The customer base on digital platforms has witnessed a 69% YoY growth during the last fiscal.

7. CREDIT MONITORING

- Bank's asset quality improved during FY23, with reduction in fresh slippages at ₹6642 Cr as against ₹9807 Cr in FY22.

- The slippage ratio contracted by 103 bps from 2.78% in FY22 to 1.75%.
- Reduction in restructuring books to the extent of ₹6500 Cr. 15% of the restructuring portfolio has come out of restructuring ambit due to satisfactory performance.
- Awarded by Transunion CIBIL for highest improvement in data quality.
- Bank has implemented Document e-Verification and Archival (DeVA) in all branches for online scrutiny of documents.
- Obtaining SI/NACH mandates are made mandatory at Document Asset Management Centres (DAMC).
- Call Centre capacity increased from 50 to 75 for effective follow up which is based on real time monitoring.
- Bank has enhanced coverage of EWS modules including exposure of ₹10 lakhs and above.
- Bank has integrated the Staff app, Overdue Monitoring System portal, Call Centre and EWS portal for enhanced monitoring.

8. ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Asset quality of Bank has improved as reflected through GNPA of 5.95% as on Mar'23 as against 8.47% as on Mar'22 and Net NPA ratio of 0.90% as on Mar'23 improved from 2.27% as of Mar'22.
- The Provision coverage ratio of the Bank as on Mar'23 was at 93.82% and the same has improved from 87.38% as of 31st Mar'22.
- Bank has made recovery of ₹1029 Cr during FY23 from NCLT admitted accounts.
- Recovery of ₹740 Cr was made under the SARFAESI Act through sale of 1019 properties.
- Bank actively participated in all National LokAdalat and also organized various LokAdalats at Mandal Level. 33411 accounts were settled with settlement amount of ₹339 Cr.
- From Bad Debts Written off accounts (AUC), an amount of ₹2156 Cr was recovered during the year.

9. RISK MANAGEMENT

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and measure the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures. This is done through credit risk management framework that allows credit risk to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Credit risk framework includes the Credit Risk Management policy and Credit policy.

Credit Review Framework

Bank has adopted the Credit Review Framework, which involves credit risk assessment and risk categorization of the credit proposals into Low, Medium, High risk and No-Go based upon quantified risk scoring matrices embedded in seven broad parameters namely Borrower, Promoter and Group entities, Activity/ Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and Compliance position along with subjective risk parameters.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet.

Asset Liability committee (ALCO) of the Bank periodically takes a review of the assets and liabilities of the Bank.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss on account of changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) to ensure effective governance, risk capture, assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems

in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions, if required, are initiated.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls.

Risk and Control Self-Assessment (RCSA) establishes a process whereby the operational risks events associated with business objectives are identified for assessment of operational risk exposure. Effectiveness of existing control mechanisms over inherent risks prevalent in the existing systems are also evaluated for identification of control gaps. Based on the RCSA findings, suitable risk mitigation strategies are devised to plug in the control gaps to ensure operational risk profile within tolerance limits.

Key Risk Indicators are early warning signals to monitor and mitigate operational risks that are reaching beyond acceptable levels in terms of number of irregularities, amount involved and the tolerance level.

Risk officers have been designated in each zone and Field General Managers' Office to act as a Nodal officer for coordinating with Risk Management Department to support and manage various types of risk emanating from business units.

Basel III Capital Regulations:

The Basel III Capital Regulations became effective in India since 1st April, 2013 and fully implemented since 1st October, 2021. Common Equity Tier 1 Capital of the Bank is 12.89%, Additional Tier 1 at 0.59% and Total Capital Adequacy Ratio stands at 16.49%

Bank has adequate headroom to raise capital in all forms in case of need.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

A holistic capital conservation module is developed by the Bank for monitoring and taking corrective action towards capital conservation.

10. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

1. Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2023 is as follows:

Category	Total	OBC	SC	ST	Male	Female
Officers	25069	7210	4912	2021	18015	7054
Clerks	12779	3954	2705	681	8132	4647
Sub Staff	2584	601	1210	153	2246	338
Full Time Sweepers*	280	31	214	14	215	65
Total*	40712	11796	9041	2869	28608	12104

(*Domestic excluding Part Time Sweeper)

2. Recruitment Drive

- Bank has inducted 3160 employees (POs – 376, Specialized officers – 433, Clerks – 2142, Sub-staff – 209) during FY23.

3. Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Persons with Benchmark Disability (PwBDs) and Ex-Servicemen (EXS) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines.
- The Bank has a Chief Liaison Officer for SC/ST/PwBD/EXS and a Chief Liaison Officer for OBC in the rank of General Manager to redress the grievances (if any) of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees. A separate dedicated Cell is functioning at Corporate Office, HRM Dept. to look after the grievances of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees.
- Reservation for PwBD candidates has been extended in promotions from clerical cadre to officer in JMG Sc-1.

4. HR Initiatives during the year:

- Creation of CGM Position in Bank:** In view of business of Bank exceeding ₹10 lakh crore in last FY, new CGM (Scale VIII) position has been created in Bank.

- **Launch of Phase 2 of HRMS Portal (HR Connect):**
New HRMS portal, Phase II launched in January 2023 as an initiative towards a completely paperless and automated solution.
- **New Age Performance Management System (PMS):** As part of promoting performance driven culture, Bank has launched 10 tools focused at Transparent & system driven Performance Management and robust employee experience.
- **Health Care** – Tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members: 41130 enrolled.

11. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Internal Training:

Details of internal trainings conducted during the period April 2022 to March 2023:

S. No.	Type of training		No of Programme	No. of participants
1.	Digital Training	Training imparted through e-Pathshala	63	15302
2.	Internal Training	Online training from home	217	12814
3.		Online training from workplace	291	9860
4.		Online training through Webinars	451	16827
5.		Physical Training	570	17616
Total			1592	57117

External Training:

During the period FY23, 2166 Executives/Officers have participated in training / webinar conducted by external institutes like CAB, IDRBT, CAFRAL, NIBM, FEDAI, ISACA, O&A, ASCI.

Highlights of Training:

Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence (**IMAGE**) has been awarded with "Golden Peacock National Training Award 2023". IMAGE was adjudged for this award for its various innovative training initiatives viz. smart learning, hybrid model trainings, new age Learning Management System, best training evaluation and impact analysis initiatives of the bank.

- Program on Digital Products & Digital Transformation and Change Management has been conducted covering 6209 employees.
- Mid-career training program (classroom training) has been conducted at IMAGE based on uniform framework for PSBs in line with CVC guidelines. 251 Officers in Scale IV & V, who have completed 14-21 years of service in the Bank were imparted the Mid-career training for a period of three weeks.
- 2254 employees were trained in the advance program on MSME Finance (including ODOP/Clusters).
- Workshop on Leadership and Teams was conducted for 122 Officers in Scale V & VI Executives during March 2023 through Organisations and Alternatives Ltd.
- Eight Executives have attended Directors Development Program through M/s Egon Zehnder.
- 96 Officers have attended webinar on Infra Project Lending/Retail Infra Lending during March 2023 through BoB Academy.
- Eight executives (GMs and DGMs) have undergone the leadership development programme conducted by IIM Bangalore in collaboration with Banks Board Bureau.
- Capsule program on Industry Outlook in collaboration with CRISIL was conducted for 431 Officers covering Road & Construction, Ethanol Projects, NBFC, Metal and Metal products and Engineering, Procurement & Construction sectors.

12. CUSTOMER SERVICE

To meet the needs of customer and to improve the level of customer satisfaction, Bank is launching various products & services from time to time.

MODES OF GRIEVANCE REDRESSAL:

- National Helpline available 24X7 with Toll free number **180042500000**.
- Customers can lodge complaint through e-mail viz., **customercomplaints@indianbank.co.in**.
- All unresolved complaints of customers received through Branches/Zones/CO are registered in the Customer Grievance Redress System (CGRS).

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005:

- RTI Cell under Customer Service Department at Corporate Office is handling the applications (first and second appeals) and replied within the stipulated timelines.

13. DIGITAL JOURNEY

- Bank has a digital network of 3160 ATMs, 1769 BNAs and 2914 Passbook Kiosks across the country as on 31.03.2023.
- Transactions through Digital channels have increased by 13% YoY.

E- Banking

- For enhanced safety and security of customer transactions and prevention of cyber frauds, EFRMS (Enterprise Fraud Risk Management Solution) has been rolled out in Internet/Mobile Banking and UPI.
- EVC (Electronic Verification Code) of accounts for Income Tax refund in Internet Banking has been implemented. Customers not having Internet Banking and Customers with Non personal PAN can verify and validate their account at Income tax website.
- Shopping experience with real time price comparison introduced via Net and Mobile Banking.
- The following facilities are enabled in mobile banking app '**IndoOASIS**' and net banking.

IndoOASIS	Internet banking
Submission of Form 15G/H, Renewal of KCC	Renewal of KCC accounts
Pre-Approved Personal Loan (PAPL)	Option to download statement of account for a period of one year
View and manage Debit Card details (to carry out online transactions and UPI registration) and Credit Card details.	Facility to avail Overdraft (OD) against Term deposits
Facility to avail Overdraft (OD) against Term deposits	Pre-Approved Personal Loan (PAPL)
IMPS facility for Regional Rural Banks	Name verification for accounts in EPFO
OTP through e-mail	Facility to grant Shishu Mudra loan
Purchase of Motor/ Health Insurance from Universal Sompo Insurance Companies	Opening of Electronic Term Deposit account (E-TDA) in joint names
FASTag recharge facility	Opening of Term deposits on 24/7 basis
Mobile number based registration option	Funds remittance (for amount upto ₹25000) without the need to create beneficiary for Corporate Net banking customers
Carrying out eKYC	Green PIN for registration

Other digital facilities:

- One of the banks in the elite list to launch UPI Lite - Users will be able to make small value transactions in a near offline mode.
- One of the elite banks to facilitate linkage of Rupay Credit Card on UPI. Customers provided with additional avenues to use their Credit cards.
- BBPS BOU (Biller Operating Unit) made live.
- Facility for instant registration of request for Internet/Mobile Banking and ATM/Debit card at the time of account opening enabled through TAB Banking.
- Cross border remittance in UPI platform-PayNow (Singapore fast payment system) linkage with UPI enables transfer of funds between India and Singapore through UPI.
- SMS for confirmation for credit transaction through UPI enabled.

- WhatsApp Banking with information relation services launched.
- Introduced UPI International QR facility enabling QR based payments in International merchant locations.

ATMs & BNAs

- Card on File tokenization and SI recurring Mandates made live for VISA.
- Three Digital Banking Units commissioned at Delhi, Lucknow and Karaikal – Digitally launched by Hon'ble Prime Minister.
- IB Rupee Key (Smart Payment Keychain) – Contactless payment device (like a debit card) linked to customer's bank account.
- Repayment of Term Loans through BNA enabled – Customer can deposit Cash in Term loan account through BNAs of the Bank 24x7 without visiting Branch.
- Cardless Cash Withdrawal in ATM/BNAs through IndOasis mobile App–Customer can withdraw cash upto ₹5000 per day without using debit card – Safeguards against Phishing attack and Cloning of cards.
- Implementation of TLS 1.2 completed in all ATMs/BNAs to enhance the security of ATM transactions as per RBI guidelines.
- Issuance of Co-Branded Rupay Debit Cards under “**Government of Tamil Nadu's Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Puthumai Pen Thittam**” Scholarship scheme for providing ₹1000 per month to eligible girl students.

Merchant Acquisition

- IB Collect services provided to 12 HNI customers and V Collect Services provided to 3 HNI customers.
- UPI switch integration with PG aggregator (Mswipe/Cashfree) completed.
- Introduced UPI payment as additional option for MUP challan collection.
- E-Rupi voucher extended for enabling purchase of mobile handset to all the lambardars through Haryana State Govt. Issuance and redemption of e-Rupi voucher enabled.
- Launched Sound Box for Merchants –Instant audio alert for payments received through UPI QR.
- Supply of 880 PoS terminals to Tamil Nadu Agriculture Department proposed.

- UPI switch integration with PG aggregator (CESCOM/ ONEPAY/ KSRTC).
- Integration with UPI to New to Bank (NTB) customers for opening term deposit accounts.
- Onboarding of request for PoS terminals by Branches facilitated through In-house portal
- E-Rupi voucher extended for providing scooty to all specially abled persons through Rajasthan State Govt. and Agricultural equipments to all the farmers through Karnataka State Govt. (BRADCO). Issuance and redemption of e-Rupi voucher enabled.
- 1000 Point of sales (PoS) terminals supplied to Tamil Nadu Village Panchayat Offices duly integrated with their Software.
- Dynamic UPI QR integration enabled for Chamundeswari Electricity Supply Corporation Ltd (CESCOM) billing system – Electricity bill generated with QR code for payment by consumers.

FASTag

- FASTag recharge facility enabled through BBPS and UPI.

Awards & Achievements



Launch of Mukhya Mantri Divyang Scooty Yojna through e-Rupi vouchers in Hanumangarh District, Rajasthan



Hindu Religious & Charitable Endowments Department exchanging MOU with Indian Bank for Online Collections.



Launch of 3 Digital Banking Units (DBUs) of Indian Bank in Delhi, Lucknow and Karaikal



Issuance of Co-Branded Rupay Debit Cards under "Government of Tamil Nadu's Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Puthumai Pen Thittam" Scholarship scheme for providing ₹1000 per month to eligible girl students.



Launch of RuPay ON-THE-GO IB RUPEE KEY

14. INFORMATION SYSTEM SECURITY

- Bank is certified with Information Security Management System Certification (ISMS ISO27001:2013 Standard) for its information Security practice.
- Bank has a round the clock Security Monitoring to monitor and safeguard the Information of the Bank against Cyber Security threats.
- Bank has a full time Chief Information Security Officer (CISO), whose primary function is to analyse security systems put in place, monitor and govern them to safeguard the information assets.
- Bank has IT Infra Security, Application Security and Information Security practices, which are handled by dedicated teams and their functions are scrutinized by audits.
- Bank conducts periodic Cyber Security training to its employees to ensure that they are completely aware of Cyber threats and act proactively, in a situation to safeguard the information assets they handle.
- Bank's Customers are periodically alerted to safeguard their banking account by alerting them by means of SMSs on latest cyber threats and by publishing awareness messages on Social Media platforms.
- Bank has engaged incident management experts to handle and mitigate any cyber threats.
- Bank adheres and takes measures to comply with regulatory guidelines/advisories issued by various regulatory and monitoring agencies of Indian financial services and Information technology.

15. PREMISES

- As part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channel, viz., direct credit/NEFT/RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made).
- Corporate Office of the Bank at Chennai is under Green Building (Gold Rating Status).
- Bank has implemented 93 KWP Solar Power Plant for IMAGE Auditorium, 106 KWP Solar Power Plant for Head Office/ Krest Building / Corporate Office and 115 KWP Solar Power Plant for 11 branches across Chennai city.
- New branches have been illuminated by installing LED lamps. The lamps in the existing Branches are being replaced in a phased manner.
- Energy Audit is being conducted periodically for branches and offices.

16. INTERNAL CONTROLS

INSPECTION

- Risk Based Internal Audit encompasses all branches and business units.
- 1000 branches have been covered under concurrent audit covering 71.67% of domestic advances, in addition to all Specialized Verticals and select Departments of Corporate Office.
- Revenue Audit was carried out in all branches on a half yearly basis to identify leakage of income.
- Management Audit was conducted in 78 Zonal Offices, 14 FGMOs & 34 Corporate Office Departments during FY23.
- Information System Audit, Vulnerability Assessment and Penetration Testing of post amalgamation IT infrastructure including Hardware, Operating System, Database, Application(s), Network, Security Devices and Process & People were carried out by an external audit firm during the period of review.
- Offsite monitoring software has been implemented to raise 31 types of alerts to branches.
- Regular training programmes are conducted for inspecting officials for upskilling.

FRAUD RISK MANAGEMENT:

- Customer Awareness has been created for reporting of Unauthorized Electronic Banking Transactions through various channels as well as DOs & DON'Ts have been shared for preventing them from falling prey to cyber frauds.
- Cyber Fraud Reporting and Monitoring Portal has been introduced to monitor all Unauthorized Electronic Banking Transactions (UEBTs).
- EFRMS (Enterprise Fraud Risk Management Solution) has been implemented to detect and prevent frauds and has been linked with all channels of transactions in the Bank.
- Various e-Training programs on Fraud Risk Management have been uploaded on e-Pathshala portal for creating awareness on Fraud Risk Management among the staff members.

Implementation of Know Your Customer (KYC) / Anti-Money Laundering (AML) guidelines:

Bank has put in place a well defined KYC-AML-CFT (Combating the Financing of Terrorism) Policy, which is the foundation of the Bank's implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and its obligation under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

- Bank has adopted an AML application capable of monitoring customers' transactions from Money Laundering (ML)/Terrorist Financing (TF) perspective under the purview of 94 Red Flag Indicators (RFIs) suggested by FIU-IND. Additionally, the application enables customer name screening against the major sanctioned lists published by the Regulators world-wide and facilitates generation of automated AML alerts for scrutiny of transactions of suspicious nature.
- Bank has enhanced its Customer Due Diligence (CDD) process by incorporating World Compliance data feed with the AML application as well as with CBS for automated customer name screening while Onboarding/ Re-KYC process with major Sanctioned Lists (OFAC, UAPA, UNSCR, AI- Qaida).
- Customer Risk Categorization process has been transformed from its static nature to hybrid nature as per the expectations of FIU-IND/RBI.

- Facilities are built in CBS, TAB Banking, Internet Banking, IndOasis and Bank's Website through which Re-KYC request can be captured on only declaration basis specifically for those individual customers who are not having any change in KYC information.

17. COMPLIANCE

Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by General Manager & Chief Compliance Officer has been set up in the Bank which monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning.

18. VIGILANCE

Vigilance department is responsible for the vigilance administration in the Bank. The department is the single point of contact for consultations with CVC on vigilance matters. Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO). CVO is the Nodal Officer to liaise with CVC, GOI, RBI, external investigating Agencies like CBI, in respect of vigilance related matters of the Bank. The Department is functioning in a proactive manner, with main focus on-

- Preventive vigilance initiatives
- Suggesting systemic improvements to the Bank's administration
- Close monitoring to ensure conduct and completion of vigilance-related disciplinary cases by the respective Disciplinary Authorities in line with the CVC guidelines
- Conduct of Vigilance Inspection of branches identified for the Financial Year and
- Conduct of investigation of complaints having vigilance overtone and frauds, through Field Vigilance Units / Zonal Offices.

Preventive Vigilance initiatives during the year:

- Intensive Vigilance Orientation Training programme for Vigilance Officers of Field Vigilance Units was conducted on 9th and 10th of January 2023.

Vigilance Awareness Week 2022:

Vigilance Awareness Week (VAW) for the year 2022-

23 was observed from 31.10.2022 (Monday) to 06.11.2022 (Sunday), on the theme.

“भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत”
 “Corruption free India for a developed Nation”.

Keeping with this year's theme of “Corruption free India for a developed Nation” bank has organised a series of awareness activities during the week.

- Webinars conducted, with online streaming over YouTube channels on 04th November 2022.
- To create mass awareness against corruption among the public, Bank has formed “Human Chain” on 05th November 2022, with placards and banners carrying slogans on the theme of VAW-2022 formed as part of countrywide celebration.
- Online Quiz Competition conducted for all the staff members of Bank pan India for 6 days (31.10.2022 to 05.11.2022) on the topic covering preventive vigilance tools.
- In association with “The Hindu Tamil Thisai” a leading Tamil Daily, theme-focused “Online Quiz & Painting” were conducted.

19. SECURITY

- All the branches are equipped with state-of-the-art Electronic Burglar and Fire Alarm systems, High Definition DVR / NVR based CCTV solutions.
- Vital installations like Server Rooms, DR Sites are provided with Automatic (Modular) Clean Agent based Fire Extinguishers / Gas based Fire Suppression Systems and Branches / ATMs are equipped with sufficient Fire Extinguishers to mitigate fire hazards.
- GPS based Tracking devices are installed in Cash Vans.
- 24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralized monitoring is implemented in Banks owned ATMs across the country.
- Remote monitoring of Branches through CCTV connected via Bank's Intranet implemented in 1000 Branches as an enhanced security measure.

20. MARKETING:

Brand Building Activities on Social Media

Bank's Official Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and LinkedIn channels were managed, and product promotion and information dissemination were carried out on these Social Media channels. Specific contents, related to field activities, commemorative days, occasions and Bank's achievements, etc., were developed and promoted on the Social Media channels. Interactive GIFs and Video Posts were also released. During FY23, Facebook followers count crossed 1 million.

Digital Signage

Bank has installed and configured 1949 digital signage units in select branches / offices across the country to provide information on Bank's Products, safety tips and various customer-centric developments. The units display highlights of internal communication and releases as well to benefit the Bank staff at these branches. The advantage of the digital signage is its ability to broadcast updated information on a near real-time basis.

AI-Chatbot

ADYA is a web based Chatbot integrated with the Bank's website and available in IndOASIS Mobile Banking App as an additional mobile-friendly customer interface for answering customer queries on the contents available on the Bank's website round the clock. The Chatbot is built on advanced Natural Language Processing algorithms, to understand banking queries in normal conversational language (currently English) by the customer. Facility to view account balance, apply loan, get information on Bank's products and services through Guided Menus functionality have also been introduced.

Event Management

Sardar Patel National Divyang T20 Cup

Indian Bank has joined hands with Differently Abled Cricket Council of India (DCCI) for the 2nd season of Sardar Patel National Divyang T20 Cup – a national-level cricket tournament for the differently-abled, held at Lucknow. The week-long tournament was organized to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel which is also observed as National Unity Day. Twenty teams of Divyang Cricketers across the country took part in the event.

Educational Tour of Delhi

Under Bank's CSR activities, an education tour to Delhi was arranged for 68 Meritorious SC /ST students of Government Schools from 5 aspirational districts – 2 districts (Virudhunagar and Ramanathapuram) from Tamil Nadu and 3 districts (Visakhapatnam, YSR Kadappa and Vizhianagaram) from Andhra Pradesh.

As part of the tour programme, the students had an interactive session on Financial Literacy organized by the officials of the Bank at Delhi.

21. Corporate Social Responsibility (CSR):

External Communication

- Various advertisement and publicity initiatives were undertaken by the Bank to reach out to customers with product ads, information about Government schemes and customer centric awareness on cyber security and digital safety, achievements of Bank and activities for the betterment of the society during FY23.
- Bank has organised press conferences, several meets and special interviews of Top Management through physical and virtual mode on various occasions including launch of digital journeys, release of financial results, credit outreach campaigns, Expos and other important events such as launch of dedicated Digital Banking Units in Delhi, Lucknow and Karaikal, Vigilance Awareness Week, Swachhata Pakhwada etc.
- Bank's various activities and Azadi Ka Amrit Mahotasav (AKAM) Anchor Month Activities were widely covered by various print media viz., ET Now, CNBC TV 18 group, News 7, The Hindu, The Times of India, Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Dinamani, etc., during various occasions.
- During AKAM Anchor Month, Bank AKAM Theme based advertisement were released in South Indian Language Leading Newspapers, Television Channels and FM Radio.

Internal Communication

- Information on various events of the Bank viz. CSR programmes, visit by Parliamentary Committee

etc. were disseminated to employees through internal communication channels.

- Creative Collaterals were also displayed to make the employees aware about various National and International Days like Women's Day, May Day, International Day of Yoga etc.

Corporate Social Responsibility (CSR):

- CSR initiatives of the Bank were extended beyond banking and lead it to work towards nurturing communities, fostering health and cleanliness, supporting education and literacy beside protecting environment and natural habitats.

- As a strong responsible Corporate, Bank has also taken up various initiatives for the benefit of the society with commitment to serve the people of India and worked to reach out to the needy and marginalized population through its pillars of CSR as detailed below:

- **Gender Equality and Women Empowerment**
- **Inclusive Growth**
- **Green Initiative and Environmental sustainability**
- **Financial Literacy & Enhancing vocational skills**
- **Health and Wellness**

CSR Highlights:

Bank has undertaken various CSR initiatives to reach out to the underprivileged sections of the society across the length and breadth of the country.



Education Tour Programme to Delhi for SC/ST students from 5 aspirational districts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh



In the presence of Smt. Nirmla Sitharaman, Union Finance Minister, bespoke furniture was handed over to Anandam Learning Center for Special Children, Chennai



1000 cataract surgeries were sponsored through Sankara Eye Foundation India in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana



190 Trolley Stretches donated to Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna



Pink Toilets were set up during Magh Mela in January-February 2023 at Prayagraj, Uttar Pradesh



Sponsoring of desks and benches, besides construction of Toilets for girl students in Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya (NSCBV), Valliyoor



Battery operated vehicles donated to Corporation for garbage collection at Kancheepuram



3000 rain coats distributed to the sanitary workers of Municipal Corporation, Trichy



Cycles and School Bags were provided to SC/ST/Minority and needy girl students of Bhagirathi Arya Kanya Inter College, Meerut



Handing over of key of E-Rickshaw to Shradhanand Anathalya Trust, Karnal



Sponsored Mahindra Bolero Vehicle to Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore



Sanitary Equipments were provided to workers of Salem Municipal Corporation



Contribution to Chief Minister's Relief Fund, Assam for Flood Relief



Health ATMs were sponsored to Shravasti, Balrampur, Sonbhadra, Chitrakoot, Bahraich, Varanasi and Sitapur districts in Uttar Pradesh



Multi-purpose vehicle donated to Udayam Charitable Society, Kozhikode



Anna Sewa Abhiyaan (Food distribution activity) to poor and needy sections of society at Chennai



Sapling plantation as a part of Bank's green initiatives at Bhubaneswar



Distribution of Artificial Limbs through Jeevan Asha Hospital, Noida

22. SPORTS

Performance of Bank's sportspersons in the recently concluded 36th National Games held at Gujarat.



- Bank's athletes Ms Nisha and Ms Giridharini finished silver medallist in the 4 X 400 mts relay for Haryana State and 4 X 100 mts relay for Tamil Nadu State respectively.



- Bank's Basketball Players Messrs. P Baladhaeshwar, Muin Bek Hafeez, (Current International) R. Arvind Kumar (Recently recruited/ Current International), A Surya, R Hariharan and Gineeb Benny were instrumental in Tamil Nadu (Men) winning the Gold Medal in the 5 X 5 (5 by 5) Regular competition.
- Bank's Basketball Player Mr Mukund Chari won the Silver Medal in the first edition of 3X3 (3 by 3) competition.

- Mr Prashanth Singh Rawat represented Uttarakhand in the National Games (Recently recruited/Current International).
- Messrs Akshay Kumar and Vinodhan represented Tamil Nadu Hockey Team in the National Games.
- Three of Bank's Volleyball team members, Messrs. Yoganathan, Mohan Kumar and Muthu Srinivas represented Tamil Nadu Volleyball team and won Silver Medal.



The above sportspersons/ medal winners, those who represented Tamil Nadu in the 36th National Games held at Gujarat, have been honoured by Tamil Nadu Government on 25th November 2022 in a grand function arranged here in Chennai to felicitate the



sportspersons, by awarding cash prize of ₹2.50 lakhs for Gold medal Winner, ₹1.50 lakhs for Silver medal winner (Team event) and ₹2 lakhs for Athletes winning Silver Medal individually.

Athletics

In the 2nd U-23 National Athletic meet, Ms Giridharini won the 200 mts event clocking 24.80 secs and in



the 100 mts event She finished second clocking 11.89 secs. 26 secs behind the winner of the event. Overall she performed excellently well in the events, she participated.

Cricket



Aditya Garwal



Karan Shinde

Mr K Karan Shinde and Mr Aditya Garwal, recently recruited, represented Andhra State and Rajasthan State, respectively in the Vijay Hazare Cricket Tournament Inter State competitions, held between 12th November and 2nd December 2022. They are representing Andhra State and Rajasthan State,

respectively in the Ranji Trophy competitions for the season 2022-23.

Parashooting Ms Pooja Agarwal won the Bronze medal in the Mixed 25 m pistol SH-1 Category held in Changwon, South Korea 2022 World Shooting Para



sport World Cup held between 15th and 26th August 2022.

23. OFFICIAL LANGUAGE CELL

- Hindi Fortnight was celebrated in Bank from 14.09.2022 to 29.09.2022.
- All India Hindi Essay Writing Competition on "Risk management in Banks through Digital Literacy" was conducted by the Bank.
- Bank's Zonal Offices and Branches received several awards from Govt. of India for Official Language Implementation.



71st Half Yearly Meeting of TOLIC was conducted on 10.05.2022 and chaired by Honorable Minister of Home Affairs for State Shri Ajay Kumar Mishra along with Shri SL Jain, MD & CEO



Release of Hindi Magazine "Ind Chhavi" by Shri SL Jain, MD & CEO during valedictory function of Hindi Fortnight on 29.09.2022.

- To commemorate the "Azadi ka Amrit Mahotsav", a Book, "Rashtriya Chetana ke Deep Stambh" was published by the Bank.

24. AWARDS & ACCOLADES

Self Help Groups:

- Bank was honoured for the 19th time in a row as best bank in SHG lending by Government of Tamil Nadu.
- Bank secured the Best Performing Bank award in Tamil Nadu for SHG-Bank Linkage Programme for FY22 from NABARD.



- Bank was awarded during FY23 with Water and Sanitation Financing Award from Sa-dhan and Water.Org for the initiatives taken by the bank in financing Water and Sanitation and Hygiene (WASH) activities to SHG members.
- During FY23, Indian Bank was Honoured as Best Performing Bank in Tamil Nadu by NABARD for SHG-Bank Linkage of FY22.

MSMEs:

- Awarded by CGTMSE – "Bank for Best efforts for Information Dissemination 2022-23".



- Awarded "Best MSME bank – PSB category" in Assocham 9th MSME excellence awards held in New Delhi.
- CIMSME-MSME Banking Excellence Award 2022 held at New Delhi on February 23, 2023 awarded Runner up-under Innovative Bank category.
- FICCI –CMSME has awarded Indian Bank as "Best Bank for Serving the MSMEs."
- Awarded "Co-Winner" under Best Bank for Serving the MSMEs by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI).
- PMEGP TAMIL NADU state level – Best Performing Bank for FY22.

Financial Inclusion:

- Bank secured 2nd Position in ATAL Pension Yojana Enrolments for FY22.



- In LEADERSHIP PINNACLE Campaign for MD & CEO of banks (2nd January to 14th February, 2023) and In CIRCLE OF EXCELLENCE for CAMPAIGN for

EDs of banks (1st October – 14th November 2022) – Bank Ranked No.1 amongst all PSBs and Qualified for EXEMPLARY AWARD OF PAR EXCELLENCE by PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority).

- Bank achieved 146% of the APY target allotted by PFRDA and qualified for “Annual APY Award of Par Excellence” for FY 2022-23, with the highest ever Average Account Per Branch (AAPB) of 117.

Human Resources Development:

- Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence (IMAGE) has been awarded with “Golden Peacock National Training Award 2023”. MD&CEO and GM/HRM received the award at Dubai from Cabinet member & Hon’ble Minister, UAE.



25. REGIONAL RURAL BANKS:

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) headquartered at Salem (Tamil Nadu), Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- In respect of three RRBs, the branch network has increased by 18 from 917 (March 2022) to 935 Branches (March 2023). The total business of the three RRBs was ₹64727Cr as of March 2023 as compared to ₹54121 Cr as of March 2022 (YoY growth of 19.60%).
- All the three are profit making RRBs.**

Business position as on 31.03.2023

(₹ in Cr)

S. No.	Name of the RRB	No. of Branches	Deposits	Advances	Business	Net Profit	Net NPA %	CRAR %
1	Tamil Nadu Grama Bank	655	19938	20479	40417	418	0	13.61
2.	Saptagiri Grameena Bank	234	11937	10122	22059	264	0	15.76
3.	Puduvai Bharathiar Grama Bank	46	1138	1113	2251	15	0	10.55
Total		935	33013	31714	64727	697	--	--

- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 12.98 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 11.49 lakh beneficiaries under PMSBY, 5.58 lakh beneficiaries under PMJJBY and 2.39 lakh under APY Scheme.



Business Responsibility & Sustainability Report 2022-23

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity:

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity:** Not Applicable
2. **Name of the Listed Entity:** Indian Bank
3. **Year of incorporation:** 1907, Date of Nationalisation: 19th July 1969
4. **Registered office address:** 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
5. **Corporate address:** 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014
6. **E-mail:** ibinvestorrelations@indianbank.co.in, investors@indianbank.co.in
7. **Telephone:** 044 – 28134484
8. **Website:** www.indianbank.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** 2022-23
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** BSE Ltd., National Stock Exchange of India Ltd.
11. **Paid-up Capital:** Rs. 1245.44 Crore.
12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report:**
Shri Sujit Kumar Dey,
Chief General Manager – RMD / CRO
Telephone No.: 044 – 28134566
e-mail-id: cro@indianbank.co.in
13. **Reporting boundary – Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).**

On standalone basis including all offices and branches of Indian Bank across India.

II. Products/services

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1	BANKING AND FINANCIAL SERVICES	The Bank provides many Banking products and services like, deposits, loan products, insurance services, derivatives services to corporates, MSME. The Bank also provides foreign exchange products, agricultural and rural Banking products. The Bank is also into retail lending and mutual funds.	100

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1	BANKING SERVICES & PRODUCTS	64191	100

III. Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	6155*	6155
International	NA	3 #	3

* It includes 5788 Branches, 367 Offices and Processing centers situated across India.

Besides the Bank has a IFSC Banking Unit (IBU) at Gandhi Nagar, Gujarat.

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	34 (STATES & UTS)
International (No. of Countries)	2

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Entity is not engaged in exporting

c. A brief on types of customers

Indian Bank provides a diverse range of financial services to a wide array of customers, including retail consumers, small and medium-sized businesses, large corporates, agriculture and rural customers, Public sector undertakings and government organizations.

For retail customers, Indian Bank offers products and services such as savings accounts, current accounts, fixed deposits, personal loans, home loans, car loans, credit cards, and more.

Small and medium enterprises (SMEs) can access financial support from Indian Bank through a variety of schemes such as Mudra Loans, CGTMSE, and Stand-Up India.

Indian Bank caters to the financial needs of large corporates with services that include working capital loans, term loans, project finance etc.

Agriculture and rural customers are also a significant customer segment for Indian Bank. The Bank provides a range of products and services to these customers, including crop loans, tractor loans, Kisan Credit Card etc.

In addition, Indian Bank provides various Banking services to government organizations, including central and state government departments, public sector undertakings etc.

Overall, Indian Bank serves a diverse range of customers and offers customized products and services to meet their specific financial needs.

IV. Employees

18. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	41699	29425	70.56	12274	29.44
2.	Other than Permanent (E)	17	8	47.05	9	52.94
3.	Total employee (D+ E)	41716	29433	70.55	12283	29.45
WORKERS						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Other than Permanent (G)					
6.	Total workers (F + G)					

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	1113	865	77.72	248	22.28
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	1113	865	77.72	248	22.28
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Other than Permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

19. Participation/Inclusion/Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	10	1	10
Key Management Personnel*	4	0	0

*MD & CEO & Executive Director(s) have been considered as Key Managerial Personnel.

20. Turnover rate for permanent employees and workers

	FY 23			FY 22			FY 21		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	1.01%	1.03%	1.02%	0.81%	0.96%	0.85%	0.44%	0.45%	0.45%
Permanent Workers	Not Applicable								

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures: Detail needed

S. No.	Name of the holding Subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1	Ind Bank Merchant Banking Services Ltd.	Subsidiary	64.84	No
2	Ind Bank Housing Ltd.	Subsidiary	51	No
3	Tamilnadu Grama Bank	Associate	35	No
4	Saptagiri Grameena Bank	Associate	35	No
5	Puduvai Bharathiar Grama Bank	Associate	35	No
6	Universal Sampo General Insurance Bank Ltd	Joint Venture	28.52	No
7	ASREC (India) Ltd	Joint venture	38.265	No

VI. CSR Details

22. I. Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No) ? No

However, Bank has spent **Rs. 1831.77 Lakhs** during the financial year. Details are as under:

S. No	CSR Activity	Amount (Rs. In Lakhs)
1	Inclusive Growth	212.81
2	Financial Literacy & Enhancing Vocational Skills	1390.15
3	Green Initiatives and Environment Sustainability reducing carbon foot-prints	49.51
4	Gender Equality and Women Empowerment	6.45
5	Health and Wellness, Specific needs of the senior citizens	172.04
6	COVID-Relief	0.71
	Donation	0.1
Total		1831.77

II. Turnover (in Rs.): Rs. 52085.27 Crore

III. Net worth (in Rs.): Rs. 37431.30 Crore

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 23			FY 22		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	-	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	-	-	-	-	-	-	-
Shareholders	Yes https://indianBank.in/investors-services-ib/#!	146	0	-	77	1	Resolved in FY 22-23
Employees and workers	Yes https://indianBank.in/wp-content/uploads/2022/08/Reserve-Bank-Integrated-Ombudsman-Scheme-2021.pdf	10449	346	-	4387	20	-
Customers	Yes https://indianBank.in/departments/customer-centric-services/#!	99298	838	-	254183	1588	-
Others	-	-	-	-	-	-	-

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

While the Bank will undertake more substantial material assessment of ESG issues in due course of time, the Bank has identified some pertinent material issues which are detailed here.

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Privacy and Data Security	Opportunity & Risk	Risk: The continuous advancement of digitization accompanied by exponential rise in the population of digital users have considerably amplified the vulnerability stemming from the compromise of data privacy and security. Opportunity: Enforcement of a sturdy information security framework is essential to alleviate cyber threats and can effectively shield the confidential data of all stakeholders. By giving utmost priority to data privacy and security, we not only secure our enterprise and clientele but also generate prospects for progression and expansion in the digital realm.	The organization intends to devise a comprehensive risk management and mitigation policy, encompassing cyber security risks, and regularly monitor and evaluate it to safeguard the Bank's data from cyber-attacks, threats, and vulnerabilities.	Positive: Streamlined process automation, improved public relations and credibility of stakeholders, superior data management, and augmented trust. Negative : Breach of Privacy and Data Security
2	Climate change & Governance	Opportunity & Risk	Risk: The phenomenon of climate change has increased the risks to the reputation of businesses. There has been a surge in shareholder activism concerning governance practices. The natural vagaries have started showing its negative effects on society which will impact on Bank's asset (loans & real estate) by way of heightened NPA and loss/ damage to Bank property. Opportunity: Choosing viable sustainable solutions and conducting awareness sessions that shed light on an individual's carbon footprint helps conserve natural resources along with cost savings. extend its support towards critical social issues such as promoting education and providing essential resources like meals and rations.	The monitoring and examining on ESG related factors will be done by the Bank's BRSR committee – We have initiated a broad-based awareness programme for customers and staff on climate risk. We have also started factoring climate risk in our business decisions, capital management and CSR activity. – The Bank has a deep understanding and is responsible for the actions to be taken ramifications of climate change and its impact on the environment to the best of its ability.	Negative: Physical and Regulatory risks. Positive: Enhanced risk management, improves brand image, energy and water saving. We take our contribution in mitigating climate risk as investment, since we firmly believe in long term sustainability of business and actively contributing our bit as a socially responsible institution.

3	Community and Social Impact	Opportunity	The Bank has been firmly committed to upholding its Corporate Social Responsibility (CSR) values since its establishment. One of its key priorities has been identifying and supporting vulnerable, disadvantaged, and marginalized stakeholders. Through its various CSR initiatives, the Bank endeavors to design and implement projects that contribute to the socio-economic upliftment of these underprivileged and marginalized sections of society. To achieve this, the Bank partners with various implementing agencies to extend its support towards critical social issues such as promoting education and providing essential resources like meals and rations.	Not applicable	Positive: We are devoted in making a difference in the lives of the marginalized and vulnerable, and supporting CSR initiatives is a key aspect of this effort. By actively participating in such activities, we aim to create a positive impact and contribute to the betterment of society.
4	Human Capital	Opportunity & Risk	Opportunity: The Bank has been consistent in investment towards upliftment and the alignment of employees in the Bank growth strategy. Human Capital is kept at the top of the priority list as it is the most important aspect the Bank's overall development. Risk: Bank has to invest on its manpower and make them the best available option in the market, as there is rapid growth and development in the industry. To compete with all the other entities in the market, the Bank has to invest on upscaling their workforce.	Our Bank's culture is based on excellence, transparency, and equal opportunities for all. We believe in providing growth and development opportunities to employees who consistently perform at a high level, allowing them to advance in their careers ahead of schedule. The Bank has been providing several trainings for the human resource development such as- e learnings (self-earning platform e-paathshaala), physical trainings, classroom trainings, Capsule programs and webinars etc.	Positive: Retention of key talent through various human resources proposition increases productivity. Negative: High attrition possibilities leads to wage inflation and loss in continuity.

5	Financial Literacy	Opportunity	India is at a point where it has become mandatory for the people to know that the old methods or instruments can be a risk to the upcoming inflation and tax liabilities in the future. Financial Literacy is and will be a very important aspect for the Banks and their customers in the long run.	The Bank gives utmost importance to the need of financial literacy, and has policies in place for the same: The Bank has focused on Financial literacy and enhancing vocational skills under its CSR Policy. -The Bank has incorporated financial services for the social concerns and opportunities, under which it has opened Financial literacy centres (FLCs). Through which the Bank provides Financial literacy and counselling sessions. -The Bank has FLCs at 42 Centres and 59 CFLs pan India, out of which Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi region and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives under financial inclusion.	Positive: - The Bank gets to work for the social cause and learn about the ground reality as it connects to larger audience. -Helping the marginalized sections by providing financial literacy. -Help in better wealth creation for every one
6	FinTech Value partnership	Opportunity	Fintech offers blend of finance and ease of access, to reach the new age tech savvy customer and for deepening of financial services to every citizen in a cost-effective and efficient way.	Though the activity has inherent risk, Bank has put in place adequate and appropriate risk mitigants (operating and legal) to manage it.	It will help Bank to cater to diverse set of customers, spread across geography and having differentiated financial needs in a cost effective, safe and efficient manner.
7	Green & Sustainable Financing	Opportunity	The worldwide impetus on ways to mitigate climate risk has put focus on finding sources of green energy. This in turn has led to many inventions in areas of green automobiles, green manufacturing etc. Transition to green source of energy provides financing opportunity for Banks.	Financing for green energy and allied sectors have their inbuilt risk due to its current stage of development, adoption by market, statutory regulations etc. Bank has put in place adequate and appropriate risk mitigants. Further Bank is continuously monitoring the developments in this sector and is well prepared to adopt to any evolving situation	Financing for green and sustainable sources of energy and allied activities provides a long term business opportunity and has potential to open up undiscovered areas, wherein, we believe as a Bank we can add value on a sustainable basis.

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	They are made available in intranet as they are the internal documents. Hence not posted on the Bank's website.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	----Not Applicable----								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No specific commitments, goals and targets were being set by the entity in relation to the above principles during the Financial year								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	----Not Applicable----								

Principles	Policies
Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is ethical, transparent, and accountable	Compliance Policy, Whistleblower Policy, policy relating to ethics, Whistle Blower Policy, Enterprise Fraud Risk Management Solution, Code of Bank's Commitment to Customers, Policy on Related Party Transactions, RTI, Policy for Determining Material Subsidiaries, Policy for Determining Material Event or Information, Fair Lending Practices Code, Dividend Distribution Policy, Best Practices code of the Bank, Banking Ombudsman Scheme
Principle 2: Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe	Credit Risk Management policy, Dividend Distribution Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Stress Test Policy, Group Gratuity Policy, Derivatives Policy, ALM policy

Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains	Employee friendly HR initiatives, policies covering areas such as growth and development, Equal Opportunities Policy, Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees, policies related to safety & skill up-gradation training, employee benefits, Grievance Redressal Policy, health and safety and prevention of sexual harassment at the workplace, whistleblower policy
Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders	Dividend Distribution Policy, CSR initiatives, Policy on Customer Grievances Redressal and compensation to customers for deficiency in services, Enterprise Fraud Risk Management Solution, ALM policy, "Policy on Deposits/Unclaimed Deposits
Principle 5: The businesses should respect and promote human rights.	CSR initiatives, All HR policies of the Bank, Employee Benefits, Grievance Redressal mechanism, health and safety and prevention of sexual harassment at the workplace, whistleblower policy
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	CSR initiatives, Green Initiatives
Principle 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent	Credit Risk Management policy, Dividend Distribution Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Stress Test Policy, Group Gratuity Policy, Derivatives Policy, Fair Lending Practices Code, Dividend Distribution Policy, Debt Restructuring Mechanism for SMES, Policy on appointment of SBA & SCA
Principle 8: Business should promote inclusive growth and equitable development	CSR initiatives, Schemes related to MSME, credit facilities for the marginalized and vulnerable, policies covering areas such as growth and development, policies related to training of SC/ST employees, Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees, Policies related to safety & skill up-gradation training, Employee Benefits, Grievance Redressal, Health and Safety, Prevention of Sexual Harassment at the workplace, Whistleblower Policy, Equal Opportunity Policy, Policy on Compassionate Appointment, Self Help Groups (SHGs), Financial Literacy Centres (FLCs), Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs)
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner	Digital Personal Data Protection Policy, Policy for Social Media, Rights of Bank's customers, BCSBI, Best Practices code of the Bank, Deposit Policy, Dealing Dishonour of Cheques, Bank's code of conduct, Cyber Security Policy, Banking Ombudsman Scheme

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements

Serving for more than 100 years has taught us that, nothing is more important than growth and development but in a sustainable way. The Bank is dedicated in promoting financial literacy, financial inclusion and adhering to UN Sustainable development goals, which are integrated into its core principles. Employee wellbeing, inclusive growth, ethics & transparency run in our core value and effective governance standards play a pivotal role in fostering sustainable practices and ensuring the creation of long-term value. We recognize that sustainability is a key driver of long-term success, and therefore. Hence, we are committed to implementing practices that reduce our environmental impact, promote social welfare, and maintain high standards of governance. We are implementing various strategies initiatives such as reducing our carbon footprint, promoting financial inclusion, and enhancing the diversity and inclusion of our workforce. We are also engaging with our stakeholders to understand their concerns and to work collaboratively to find solutions to the challenges we face.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Ashwani Kumar, Executive Director Shri Sujit Kumar Dey Chief General Manager - RMD / CRO Telephone No. 044 - 28134566 e-mail-id: cro@indianbank.co.in
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Every committee within the organization focuses on sustainability-related concerns by considering their unique set of goals, objectives, and specific operational requirements. They diligently address these issues in a manner that aligns with their mandates and tailored approaches, ensuring a comprehensive and effective approach to sustainability across the organization.

10. Details of Review of NGRBCs by the Bank

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Performance against above policies and follow up action	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, & rectification of any non-compliances	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Our Bank is conducting quarterly compliance certification & testing, assessment of compliance risk using Non Compliance Risk Index and reports the quarterly compliance risk assessment to ACB while annual review of compliance is being placed to board.								

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.

Advisors/ consultants assess the policies & compliance. M/s Deloitte has carried out the assignment in FY 23.

12. If answer to question (1) above is “No” i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Any other reason (please specify)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURES

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with ethics transparency and accountability

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of Training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and its impact	Total No of people (A)	No. of people covered in training (B)	% of persons in respective category covered by the awareness programs
Board of Directors	3	Director development program conducted by Egon Zehender, Banking Conclave on Climate Risk & Sustainable Finance Conducted by IIBF & IT & cyber Security for Board Members Conducted by IDRBT covered the above topics	10	10	100%
Key Managerial Personnel*	3	Director development program conducted by Egon Zehender, Banking Conclave on Climate Risk & Sustainable Finance Conducted by IIBF & IT & cyber Security for Board Members Conducted by IDRBT covered the above topics	4	4	100%
Employees other than BoD and KMPs	264	Refer Note	25073	24694	98.49%
Workers	Not Applicable				

* MD & CEO and Executive Director(s) have been considered as Key Managerial Personnel.

NOTE:

- Leadership Development Program, Program of Preventive Vigilance, Training on Social Media, Refresher Program on CRO, Seminar for Chief Compliance Officer on advantages of being compliant, Program on Climate Change, Transition Risk & Suitable Finance, Program on IT & Cyber Security, Conference on Digital Banking Heads.
- Mid-Career training program related to ethics & integrity for sustainable business, addressing the ethical challenges, customer as business partner, program on preventive vigilance. Also specific program on compliance culture, discipline & vigilance management, IT & Cyber Security, cyber laws & financial crimes, etc.

2. **Details of fines / penalties / punishment / award / compounding fees / settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators / law enforcement agencies / judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):**

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee imposed on the Bank are not material as per Bank's policy on Determination and Disclosure of Material Events or Information. However the Bank make disclosures(s) to Stock Exchanges NSE & BSE of such events on a qualitative basis.				
Settlement	Nil				
Compounding fee	Nil				
Non Monetary					
Imprisonment	Nil				
Punishment					

3. **Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory / enforcement agencies / judicial institutions
Nil	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide detail in brief and if available, provide a web-link to the policy.**

The Bank has a Whistle Blower policy through which the employees are encouraged to report fraudulent activity in an account, along with the reasons in support of their views, to the appropriate Authority, under the Whistle Blower Policy of the Bank, who may institute a scrutiny through internal investigation. Protection is made available to such employees under the Whistle Blower. The objectives of the policy are as follows: 1. Promoting culture of openness, 2. Setting standards of Public Services, 3. Compliance with Rules and Regulations. The policy can be accessed online through the website of Indian Bank and the link for the same is as follows:

<https://indianBank.in/wp-content/uploads/2020/08/Whistle-Blower-Policy-1.pdf>

Being a Public sector Bank with majority stake held by Government of India, the Bank falls within the purview of Central Vigilance Commission of India. The Bank has also in place the following:

- "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank
- Citizens' Charter together with the code is ensuring high standards of accountability, responsibility, and transparency in the Bank's dealings with customers.

- In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks.
- The BCSBI has published the “Code of Banks’ Commitments to Customers-January 2018” and “Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015” which set out minimum standards of Banking practice and benchmarks in customer service for Banks to follow
- Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers.
- Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. Complete copy of the Code is available at www.indianBank.in

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

Particulars	FY 23	FY 22
Directors	Nil	Nil
KMPs	Nil	Nil
Employees	Nil	Nil

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

Particulars	FY 23	FY 22
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	NIL	
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of interest of the KMPs		

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

----Not Applicable---

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness Topics / principles held covered under the partners covered	% of value chain programmes (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
NIL	

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No). If Yes, provide details of the same.

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianBank.in. Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31 March, 2022 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Other than those in the normal course of Banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Senior Management Personnel, their relatives etc. that may have potential conflict of the interest.

Principle 2: Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

	FY23	FY22	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D			NA
Capex	₹ 26.96 Cr	₹ 26.44 Cr	Improved ATM infrastructure, Increased the customer experience through revamping of mobile App IndOASIS The Bank is also implementing various journey(ies) towards digital lending

The Bank's business nature restricts the relevance of the statement above mainly to IT capital expenditures. As digital platforms are more widely adopted, operational efficiency has increased, and the dependence on paper-based processes has been significantly reduced.

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

No, The Bank's focus is primarily on paper when it comes to operational material purchases due to its presence in the Financial Services sector. However, when purchasing electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, and air conditioning systems, the Bank makes sure to take energy efficiency standards into account. The products for the Bank are sourced through GOI GEM portal.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

In Bank's Procurement Policy for IT Related Goods and Services-2022-25. The process of disposal off IT Assets is included, brief of which is mentioned here under:

"All hardware components which are taken out of use or being taken out of use will be disposed of preferably through a buy-back arrangement. If a buy-back arrangement is not possible or feasible, such items will be sold as scrap to Government authorized E-waste recyclers.

The IT Department at Corporate Office or concerned Zonal Offices may dispose these items by calling appropriate bids from the approved e-waste recyclers approved by the respective State Pollution Control Board and shall dispose off to the highest bidder (H-1) in accordance with prevailing policy of the Bank.”

The Bank has implemented a recycling mechanism for products and waste at its Corporate Office located in Royapettah. Furthermore, a Sewage Treatment Plant has been installed at the Corporate Office in Royapettah, with a capacity to treat 17,000 liters of sewage per day. The paper waste in the Bank is given to the Govt’ authorized vendors which later is sent for recycling.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity’s activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

----Not Applicable----

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

NIC Code	Name of Product / Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/ No) If yes, provide the web-link.
----Not Applicable----					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

Name of product/service	Description of risk/concern	Action taken
----Not Applicable----		

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Indicate input material	Recycled or re used input material	
	FY 23	FY22
----Not Applicable----		

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

	FY 23			FY 22		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	-----Not Applicable-----					
E-waste						
Hazardous waste						
paper						
Other waste						

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
-----Not Applicable-----	

Principle 3: Business should promote the well-being of all employees

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	29425	29425	100	29425	100	0	0	1667*	5.66	0	0
Female	12274	12274	100	12274	100	898*	7.31	0	0	1275*	10.38
Total	41699	41699	100	41699	100	898	7.31	1667	5.66	1275	3.05
Other than permanent employees											
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*No of employees availed the said facility during the year.

As per Bank's policy all the eligible permanent employees can avail the facilities of Maternity/Paternity Benefits, Day Care facilities.

b. Details of measures for the well-being of workers: Not Applicable

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2023 Current Financial Year		FY 2022 Previous Financial Year	
	No. of employees covered as a % of total employees	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	26.50	Y	30.74	Y
Gratuity	100	Y	100	Y
ESI	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Others (NPS)	73.50	Y	69.26	Y

3. Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Bank has taken measures to facilitate the movement of differently-abled individuals in most of branches/offices. Ramps have been installed to ensure easy access, and most offices have elevators and other infrastructure in place. Some of the Bank's locations also provide wheelchair accessible restrooms to cater to the needs of differently-abled individuals.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

- The Bank has implemented an Equal Opportunity Policy, in compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the regulations established under it. The policy serves as a framework that aims to support the empowerment of people with disabilities in the workplace, by offering practical guidance for the management of disability-related issues, in accordance with the act and its regulations.
- Indian Bank believes in providing equal opportunities to all its employees, through an inclusive work culture and a discrimination-free environment. The Bank values diversity and does not differentiate or discriminate against anyone based on factors such as race, gender, religion, disability, age, sexual orientation, gender identity, gender expression, caring responsibilities, marital or civil partnership status, or any other class of person protected under applicable laws.
- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines. The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances/ representations (if any) of SC/ST employees.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	Not Applicable	Not Applicable
Female	100%	100%	Not Applicable	Not Applicable
Total	100%	100%	Not Applicable	Not Applicable

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Not Applicable
Other than Permanent Workers	Not Applicable
Permanent Employees	Yes
Other than Permanent Employees	Not Applicable

- Employees can lodge their complaints through their HRMS login.
- An Internal Ombudsman has been appointed to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism. All complaints where the resolution is either negative or partial are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action.

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Gender	FY 23			FY 22		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees/ Workers in respective category, who are part of association (s)/ Union (B)	% (B / A)	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees/ Workers in respective category, who are part of association (s)/ Union (B)	% (B / A)
Total Permanent employees	41699	38786	93.01	40751	36893	90.53
Female	12274	11726	95.54	11784	11053	93.80
Male	29425	27060	91.96	28967	25840	89.20
Total Permanent Workers	-----Not Applicable-----					
Female						
Male						

8. Details of training given to employees and workers

Category	FY 23					FY 22				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B/ A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Male	18023	994	5.52	17890	99.26	17563	759	4.32	15258	86.88
Female	7054	355	5.03	6772	96.00	6678	145	2.17	5580	83.56
Total	25077	1349	5.38	24662	98.35	24241	904	3.73	20838	85.96
Workers										
Male	----Not Applicable----									
Female										
Total										

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 23			FY 22		
	Total (A)	No. (B)	% (B / A)	Total (C)	No. (D)	% (D / C)
Employees						
Male	18023	18023	100	17563	17563	100
Female	7054	7054	100	6678	6678	100
Total	25077	25077	100	24241	24241	100
Workers						
Male	----Not Applicable----					
Female						
Total						

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

The inherent nature of the Bank's operations does not pose any significant health and safety risks to its employees. However, the Bank recognizes the importance of ensuring the well-being of its employees and has established a health and safety policy that includes periodic communication and alerts, safety awareness sessions, and training programs on fire safety and evacuation procedures. The Bank has a Fire Safety Manual, Security Manual, Facilities and Administration Manual and Workplace Health and Safety Policy in place. Regular drills and trainings in first aid, fire safety and personal safety are conducted together with periodic checks on the wellbeing of employees. Fire safety training and evacuation drills were conducted at Bank branches across all zones.

In addition to physical health, the Bank also prioritizes the mental health and well-being of its employees. The Bank has done a Health Care tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members. All employees are required to undergo mandatory training on workplace safety for women.

During the year, no employee of the Bank suffered any workplace accidents. However, the COVID-19 pandemic posed significant health and safety challenges and the Bank has implemented measures to address these issues. Further details on these measures can be found elsewhere in the report.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Due to the nature of the business, the policy is not directly applicable. However, in light of the COVID-19 pandemic, the Bank took precaution in the office premises. To mitigate these risks, necessary precautions were taken, such as sanitizing all office premises, issuing daily updates on the situation, restricting movements in common areas, and avoiding large gatherings. The Bank also complied with all government directives, issued travel and health advisories to its employees, to ensure the safety of employees and business continuity.

c. Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

----Not Applicable----

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes. The Bank has in place, a Medclaim policy to address the non-occupational medical and healthcare needs of its employees. Employees are educated about these policies. Health Care tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 23	FY 22
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	----Not Applicable----	
	Workers		
Total recordable work-related injuries	Employees		
	Workers		
No. of fatalities	Employees		
	Workers		
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees		
	Workers		

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Due to the nature of the business, the risks associated with occupational health and safety are limited. However, the Bank has a policy in place for employee health and safety. Regular internal communication and training sessions are conducted on safety measures, including fire safety and evacuation procedures. The Bank also works to promote well-being of its employees. All employees receive mandatory training on the safety of women employees at the workplace. In the past year, no employee of the Bank has been involved in any

accidents on duty. During COVID-19 pandemic, the Bank took measures to ensure the safety of its employees and visitors to its premises. This included regular sanitization of office premises, communication updates, restricted movements in common areas, and avoidance of large gatherings. The Bank also complied with government directives, issued travel and health advisories to its employees to ensure safety and business continuity.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 23			FY 22		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	Nil					
Health & Safety						

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	100% done internally. No third party's assessment
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions.

No major security related incident took place during the FY 23. Also, we have E-surveillance of all ATMs in place. In the coming years, we plan to extend this E-surveillance with advanced AI & IOT features. Security arrangements is already smoothly functioning in branches for customers and employees.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).

Yes. In the event of death of employee, compensation is provided as all the permanent employees are covered by Group life insurance policy. The Bank may also offer employment to the deceased employee's spouse or dependent based on eligibility. Additionally, the Bank prioritizes settling benefits such as provident fund, gratuity, superannuation etc., as applicable.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Bank undergoes internal and statutory audits to review the compliance status of these activities. In addition, the Bank expects its partners in the value chain to uphold the principles of business responsibility, as well as the values of accountability and transparency.

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work- related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 23	FY 22	FY 23	FY 22
Employees	Nil			
Workers				

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)

Yes, training in the Bank is a proactive, planned and continuous process and an integral part of Human Resource development. The aim is to create and enhance the competencies of the employees, ensuring optimal performance in the ever-changing business scenario. Further retirement training is imparted to employees before their superannuation.

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Currently Bank has no such assessment done.
Working Conditions	

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners

----Not Applicable----

Principle 4: Business should respect the interest of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Stakeholders are identified by considering the extent of their influence on the business, as well as the effect that the business has on them. The initial recognition was done through focused group discussion of the senior management people. Impact was assessed based on the categories. Significant categories are customers, employees, business associates which includes intermediaries.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder groups	Whether identified as vulnerable & marginalised (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website, others)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ others- please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics raised during such engagements
Government & Regulatory Bodies	No	Email, personal meetings, calls, video calls, Letters	As and when required	Discussions on policy regulations and amendments, inspections, and approvals
Shareholders	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	As and when required	Communication of data for informed decision making. Discuss and provide insights on the financial position of the Bank
Customers	No	SMS, Emails, Pamphlets, Advertisements, Website, Social media, OOH Advertisements, Physical/ Virtual Meets and Webinars	As and when required	- For better branding and wider publicity - To bring in more customers into fold. - To understand the present requirements/needs of the existing customers - To improvise on the Products & Services to capture bigger share in the market. - To provide Information on product launches, Important events, Product promotions undertaken by the Bank.

Employees	No	Direct contact through Events, Social Media, Virtual Meetings, SMS, Emails, Calls, Internal Helpdesk, Employee Engagement Initiatives, Employee Suggestion Portal, Rewards & recognition Programmes	Regular intervals	To inform employees on the developments in the Bank such as launch of new products / process / business & promotional campaigns / milestone achievements etc. via promotional and awareness centric communications. To motivate the Employees for reaching committed deliverables.
Business Partners	No	Meetings, E-mails, Letters, SMS, Calls, Other physical and Digital Channels	Frequent or as and when required	Communication of information enabling smooth collaboration with Bank
Vendors	No	Email, personal, virtual meetings, calls	Need Based	To discuss on Bank's requirements and timely deliverables.

For all procurement of the Goods & Services, Bank is providing benefits and preference to Micro and Small Enterprises (MSEs) including MSEs owned by Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) and women owned MSEs as per the guidelines of public procurement policy issued by Government of India. Same guidelines are also incorporated in our Procurement policy.

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Stakeholders Relationship Committee (SRC) was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time. Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The role of the committee, inter-alia, include the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer, transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new, duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of Dividend Warrants, Annual Reports, Statutory Notices by the shareholders of the Bank.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards. The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2022-23, the quarterly / half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express (English), Business Standard (English), Jansatta (Hindi), Business Standard (Hindi), Dinamani (Tamil) etc. The results are also displayed on the website of the Bank www.indianbank.in.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable / marginalized stakeholder groups.

The Government and the RBI have prescribed certain guidelines and targets in lending for Financial Inclusion, Priority Sector and marginalized sections of the society. Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders, which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups loans, Joint Liability Group loans, Mudra loans etc.

- Indian Bank extends Banking facilities to the financially excluded people with saving Bank account under PMJDY. They are provided with RuPay cards with insurance in-built coverage, free of cost for the PMJDY programme at the time of account opening. Further, eligible customers are covered under PMJJBY (Life insurance) & PMSBY (Accidental Insurance) and APY Pension facility, under the scheme.
- Bank is imparting self - employment training to the unemployed youth in Below Poverty Line (BPL) category through Ind-SETIs (Indian Bank Self Employment Training Institutes). Financial Literacy & Counselling through FLCs (Financial Literacy Centres) & CFLs (Centre for Financial Literacy) are also imparted. The activities are pursued under the aegis of "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD).
- Bank is also extending 15 basic Banking services at the doorsteps of customers through PSB Alliance Doorstep Banking (DSB) under the aegis of Indian Bank Association (IBA). Bank deploys BC Channel for extending Banking services at the doorsteps of customers daily.
- The BC Channel was instrumental to extend customers service at their doorsteps during crisis situations like COVID 19 Pandemic, flood situation etc. across various areas.
- BCs were also given free cost insurance coverage under life and accidental schemes of PMJJBY, PMSBY by the Bank. They have also been provided with sanitization material, face masks and reimbursement cost by the Bank for COVID Vaccination.
- The Bank is disbursing Old Age Pension (OAP) amount to the beneficiaries through BC network in the State of Tamil Nadu.
- Pre-promotion training is being conducted for employees belonging to SC/ST/PWD/OBC category.
- Training on Vishakha guidelines is being imparted on time to time basis.
- Women Leadership Development Program is being conducted for female employees.

Principle 5: Business should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 23			FY 22		
	(A) Total	(B) (Number of employees)	% (B/A)	(C) Total	(D) (Number of employees)	% (D/C)
Employees						
Permanent	25077	24380	97.22	24241	22949	94.67
Other than permanent						
Total	25077	24380	97.22	24241	22949	94.67
Workers						
Permanent	----Not Applicable----					
Other than permanent						
Total						

NOTE: In all the internal training programs, sessions are being conducted on human rights issues and policies.

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

	FY 23					FY 22				
Category	(A) Total	Equal to minimum wage		More than minimum wage		(D) Total	Equal to minimum wage		More than minimum wage	
		(B) (Number of employees)	% (B/A)	(C) (Number of employees)	% (C/A)		(E) (Number of employees)	% (E/D)	(F) (Number of employees)	% (F/D)
Employees										
Female	12274	0	0	12274	100	11784	0	0	11784	100
Male	29425	0	0	29425	100	28967	0	0	28967	100
Total	41699	0	0	41699	100	40751	0	0	40751	100
Workers										
Male	----Not Applicable----									
Female										
Total										

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format

	Female		Male	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD)	0	0	4	Rs.258888.00 per month
Key Managerial Personnel*	0	0	4	Rs.258888.00 per month
Employees other than BoD and KMP	12274	Rs.76087.98	29425	Rs.83995.76 per month

*MD & CEO and Executive Director(s) have been considered as Key Managerial Personnel.

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes, various committees are there to oversee and address issues related to human rights. For instance, the Bank has zero tolerance for sexual harassment as per Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, The Bank has a whistleblower policy, policies related to inclusive growth & equitable development. The Bank has implemented an Equal Opportunity Policy, in compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the regulations established under it. The policy serves as a framework that aims to support the empowerment of people with disabilities in the workplace, by offering practical guidance for the management of disability-related issues, in accordance with the act and its regulations. The Bank also has a policy on compassionate appointment. An Internal Ombudsman has been appointed to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism. All complaints where the resolution is either negative or partial are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

- Respect for human rights is considered as one of the fundamental and core values of the Bank. The Bank strives to support, protect, and promote human rights to ensure fair and ethical business and employment practices are followed. There are committees and policies formed to handle grievances and complaints related to human rights issues and the details are placed on the intranet of the Bank. The Bank has zero tolerance towards and prohibits all forms of child labour, slavery, forced labour, physical, sexual, psychological, or verbal abuse. The Bank's policy prioritizes the creation of a safe and healthy workplace that promotes diversity, equal opportunities, and fair practices throughout the employee life cycle, including compensation, benefits, and redressal mechanisms. This policy is applicable to all employees, business partners, and relevant parties and serves as a supplement to the Bank's Code of Conduct and Ethics, which sets the standard for acceptable employee behavior in various professional and ethical aspects.
- The Bank has also established a Whistleblower policy to ensure the highest standards of ethics, integrity, accountability, and transparency, and to provide safeguards for shareholders, depositors, and employees. This policy enables employees to raise concerns about irregularities, malpractices, and other misdemeanors committed by the Bank's personnel by approaching the Whistleblower Committee of the Bank. This mechanism allows for the confidential reporting of any issue or occurrence without fear of retribution from both internal and external stakeholders.

- To further facilitate effective communication between employees and management, the Bank has set up an employee portal called H-Response, which allows employees to communicate their grievances or concerns in a confidential and secure manner.
- The Bank is also committed in providing a safe and secure working environment for its female employees and has established an Internal Complaints Committee on the Prevention of Sexual Harassment (POSH). The committee continues to deliver on its mandate, working on various aspects related to awareness, training, and redressal. This ensures that the Bank remains a safe and secure environment for all its employees, regardless of their gender.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 23 Current Financial Year			FY 22 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution, the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	1	0	Nil	0	0	Nil
Discrimination at workplace	Nil					
Child Labour						
Forced Labour/ Involuntary Labour						
Wages						
Other human rights related issues						

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

- The Bank is committed to providing a safe and respectful workplace for all employees and has a robust Prevention of Sexual Harassment (POSH) policy in place. To ensure compliance, all employees undergo mandatory annual training on the POSH module and policy. This ensures that everyone associated with the Bank can raise concerns and complaints without fear of retaliation.
- The Bank is committed to protecting employees who make disclosures or raise concerns under the Whistleblower Policy or Grievance Redressal Policy. Employees who disclose their identity and share information in good faith, believing it to be substantially true and without seeking any personal or financial gain, are protected from discrimination.
- Furthermore, the Bank strictly prohibits any form of retaliation against employees who raise concerns under the policy in good faith. Any attempt at retaliation by anyone will be dealt with firmly.
- The Bank recognizes that cases related to the prevention of sexual harassment in the workplace require utmost sensitivity and confidentiality. Therefore, such cases are handled in line with the guidelines of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Bank ensures that all complaints of sexual harassment are taken seriously and dealt with in a timely and effective manner. The Bank also strives to create a safe and supportive work environment that is free from harassment and discrimination.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, Bank's commitment to upholding of human rights is an integral part of its business philosophy and is reflected in all aspects of its operations, including its business agreements and contracts.

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Sexual Harassment	100%
Discrimination at workplace	100%
Child Labour	----Not Applicable----
Forced Labour/ Involuntary Labour	
Wages	
Other human rights related issues	100%

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

----Not Applicable----

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.

The Bank maintains the business process in a way that it adheres to fundamental human rights in all its transactions, as stated in its Human Rights Statement. The Bank conducts various training programs to sensitize its employees about the Code of Conduct.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

Same as in Question 1 above.

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Bank has taken measures to ensure that their office spaces are equipped with facilities to accommodate people with disabilities, such as ramps and wheelchair-friendly elevators. 70% of their offices are easily accessible to people with disabilities. The Bank is committed to upholding human rights, providing an inclusive and safe work environment, and promoting ethical business practices for their employees.

4. Details on assessment of value chain partners

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	The Bank believes that its value chain partners/associates follow the highest standards of ethics and principles for the business activities undertaken by them.
Discrimination at workplace	
Child Labour	
Forced Labour/Involuntary Labour	
Wages	
Others – please specify	

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

----Not Applicable----

Principle 6: Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 23	FY 22
Total electricity consumption (A) (kwh)	158.8 lakh kwh	145.2 lakh kwh
Total fuel consumption (B) (Liters)	1,336,093	928,433
Energy consumption through other sources (C)	Not Applicable	Not Applicable
Total energy consumption (A+B+C) (Kilojoules)	617,144.77	554,409.62
(Kilojoules/Rs.)	1.18	1.21
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity (Gigajoule/FTE)	14.81	13.60

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

----Not Applicable----

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Since, Indian Bank is a financial institution, the water usage is restricted to human consumption only. Diligent measures have been implemented to promote responsible water consumption within the office premises. The Bank is committed to preventing the discharge of domestic waste (sewage) from its offices and branches into water bodies and hence a Sewage Treatment Plant has been installed at the Corporate Office in Royapettah, with a capacity to treat 17,000 liters of sewage per day.

Parameter	FY 23	FY 22
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water		
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water		
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others	22,666	22,305
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)*	22,666	22,305
Total volume of water consumption (in kilolitres)	22666	22,305
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover) lit/rupee		
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity.		

* Water withdrawal by Bank's Corporate Office and Head Office.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

----Not Applicable----

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 23	FY 22
NOx	The Bank's focus is on providing financial services, therefore, any emissions from air that are not related to greenhouse gases are not considered significant by the Bank.		
SOx			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others–please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit, Mt CO ₂ e	FY 23	FY 22
Total Scope 1 emissions	(tonnes CO ₂ e)	3198.20	2261.44
(Break-up of the GHG into CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃, if available)	(in tonnes)	(CO ₂ : 3075.21, CH ₄ equivalent CO ₂ : 3.13, N ₂ O equivalent CO ₂ : 16.19, Fugitive: 103.68*)	(CO ₂ : 2144.53, CH ₄ equivalent CO ₂ : 2.18, N ₂ O equivalent CO ₂ : 11.06, Fugitive: 103.68*)
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃, if available)	(tonnes CO ₂)	125461.83	114701.73
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover	Gm/Rs	0.25	0.26
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	tonnes CO ₂ e/FTE	3.09	2.87

*Fugitive emissions are calculated for corporate & head office only.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

Yes.

Premises:

Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises

As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made)

Green Initiatives:

- Solar Power and LED lighting
- Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India.
- Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent.
- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems
- New branches illuminated with LED lighting only.
- Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 4975 branches and 202 administrative Offices are provided with LED lighting.

Other Green Initiatives:

- Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices.
- Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 23	FY 22
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste (A)	Not Applicable	Not Applicable
E-waste (B)	980 items (As per details given below)	244 items (As per details given below)
Bio-medical waste (C)	Not Applicable	Not Applicable
Construction and demolition waste (D)	Not Applicable	Not Applicable
Battery waste (count of items) (E)	3120 Battery (As per details given below)	1903 Battery (As per details given below)
Radioactive waste (F)	Not Applicable	Not Applicable
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	Not Applicable	Not Applicable
Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any.		
(Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)		
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
i) Recycled	Not Applicable	Not Applicable
ii) Re-used	Not Applicable	Not Applicable
iii) Other recovery operations	Not Applicable	Not Applicable
Total	Not Applicable	Not Applicable
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
i) Incineration	Not Applicable	Not Applicable
ii) Landfilling	Not Applicable	Not Applicable
iii) Other disposal operations	*	*
Total		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

**The Waste generated is mostly computer obsolete hardware Items and Battery Waste. In most of the time it is buy backed by the suppliers. If a buy-back arrangement is not possible or feasible, such items are being sold as scrap to Government authorized E-waste recyclers measure in count. The details of E- waste disposed-off during 01-04-2021 to 31-03-2022 is as under.*

1) Sale Order: CO/ITD/526/SO/2021-22 dated 16.06.2021

Hardware Description	DR Lucknow (eAB)	DR Hyderabad	DC/NDR Chennai	DR Mumbai	Final
Firewall	0	5	0	0	5
HSM	0	1	0	0	1
NTP	0	1	0	0	1
KVM	0	2	0	0	2
Chassic	0	2	0	0	2
NIPS	0	4	0	0	4
Router	0	8	0	0	8
MONITOR	0	12	0	0	12
Server	0	66	0	0	66
Storage	0	29	0	0	29
Switch	0	20	0	0	20
Tape Drive	0	14	0	0	14
Tape Library	0	4	0	0	4
Racks	0	17	0	0	17
Grand Total	0	185	0	0	185

2) Sale Order: CO/ITD/424/RI/2021-22 dated 07.06.2021

Hardware Description	DR Lucknow (eAB)	DR Hyderabad	DC/NDR Chennai	DR Mumbai	Final
Server	0	0	0	4	4
Storage	0	0	0	1	1
Switch	0	0	0	2	2
Tape Drive	0	0	0	2	2
Grand Total	0	0	0	9	9

The details of E- waste disposed-off during 01-04-2022 to 31-03-2023 is as under.

1) Sale Order: CO/ITD/643/SO/2022-23 dated 03.06.2022

Hardware Description	DR Lucknow (eAB)	DR Hyderabad	DC/NDR Chennai	DR Mumbai	Final
Firewall	2	0	0	0	2
HSM	3	0	0	2	5
IPS	4	0	0	3	7
KVM	5	0	1	4	10
Load Balancer	2	0	0	0	2
Modem	2	0	0	0	2
Chassic	0	0	3	0	3
NIPS	0	0	2	0	2
Router	10	0	0	8	18
SAN Switch	4	0	0	0	4
MONITOR	0	0	7	0	7
Server	58	0	93	50	201
Storage	7	0	44	5	56
Switch	16	0	16	30	62
Tape Drive	4	0	4	1	9
Tape Library	2	0	1	4	7
PC	0	0	1	12	13
Others	0	0	4	16	20
DVD Writer	0	0	3	0	3
Racks	28	0	1	13	42
Grand Total	147	0	180	148	475

2) Sale Order: CO/ITD/1699/PO1/2022-23 dated 18.10.2022

Hardware Description	NDR	Service Br-Chennai	Service Br-Delhi	Service Br-Mumbai	DR Mumbai	Final
HSM	0	0	1	0	0	1
KVM	0	0	1	0	15	16
MONITOR	0	1	0	0	2	3
Server	1	8	7	6	28	50
Storage	0	3	1	1	7	12
Switch	0	3	3	3	3	12
Tape Drive	0	0	0	0	9	9
Tape Library	0	1	1	0	2	4
DAT Drive	0	0	0	0	12	12
PC	0	0	0	0	12	12
Others	0	0	0	0	16	16
Racks	0	0	1	1	11	13
Grand Total	1	16	15	11	117	160

Under Zonal Offices Computer Items sold is as below.

Hardware Description	Count of Device (2022-23)	Count of Device (2021-22)
UPS	27	6
ATM	7	4
BNA	9	5
CRT Monitor	137	0
Printer	81	21
Passbook Kiosk	1	0
PC	71	9
Scanner	0	5
Server	0	0
Batteries	345	50
Grand Total	3120	1903

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your Bank to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

The Banks products and services are mainly financial and Banking operations. The resources exhausted in the process mainly comprises of electricity, land use and paper waste. The Bank doesn't indulge in any practices which result in hazardous or toxic waste. The Bank has a lot of policies focused on waste manage and has taken a few green initiatives as well. The paper waste in the Bank is given to the Govt' authorized vendors which later is sent to the paper pulp factory. – In Bank's Procurement Policy for IT Related Goods and Services-2022-25 – The process of Disposing off IT assets is as under and same is adopted.

All hardware components which are taken out of use or being taken out of use will be disposed of preferably through a buy-back arrangement. If a buy-back arrangement is not possible or feasible, such items will be sold as scrap to Government authorized E-waste recyclers. The IT Department at Corporate Office or concerned Zonal Offices may dispose these items by calling appropriate bids from the approved e-waste recyclers approved by the respective State Pollution Control Board and shall dispose off to the highest bidder (H-1) in accordance with prevailing policy of the Bank. Storage media will be destroyed periodically by adhering to e-waste policy after degaussing and a record will be maintained.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

S. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval /clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
The Bank does not have any offices in ecologically sensitive areas, The Bank ensures obtaining all relevant environmental clearances /approvals.			

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Not Applicable.					

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Sl. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
The Bank adheres to relevant environmental regulations, considering the nature of its operations.				

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

Parameter	FY 23	FY 22
From renewable sources		
Total electricity consumption (A) Gigajoules	227.94	230.42
Total fuel consumption (B)	-	-
Energy consumption through other sources (C)	-	-
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	227.94	230.42
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D), Gigajoules	571701.13	522669.79
Total fuel consumption (E) (Gigajoules)	45215.68	31509.39
Energy consumption through other sources (F)	-	-
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	616916.8	554179.19

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No.

If yes, name of the external agency.

2. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 23	FY 22
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i) To Surface water	Since, Indian Bank is a financial institution, the water usage is restricted to human consumption only. Diligent measures have been implemented to promote responsible water consumption within the office premises. The Bank is committed to preventing the discharge of domestic waste (sewage) from its offices and branches into water bodies and hence a Sewage Treatment Plant has been installed at the Corporate Office in Royapettah, with a capacity to treat 17,000 liters of sewage per day.	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
ii) To Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
iii) To Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

- Name of the area
- Nature of operations
- Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:

----Not Applicable----

Parameter	FY 23	FY 22
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) Surface water		
ii) Groundwater		
iii) Third party water		
iv) Seawater / desalinated water		
v) Others		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)		

Total volume of water consumption (in kilolitres)		
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Into Groundwater		
- No treatment		
- With treatment– please specify level of treatment		
(iii) Into Seawater		
- No treatment		
- With treatment– please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment– please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

----Not Applicable----

Parameter	Unit	FY 23	FY 22
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent		
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover			
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No.

If yes, name of the external agency.

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

----Not Applicable----

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sl. No	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along-with summary)	Outcome of the initiative
The Bank consistently uses innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated. Some of the initiatives taken by the Bank in this regard are as under:			
1.	As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels.		
2.	Bank has also focused on green energy initiatives by adopting alternative sources of energies like SOLAR power, etc. As being a public sector Bank Indian Bank has joined hands with government entities to form Green India.		
3.	Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices.		
4.	Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.		
5.	Virtualization & Cloud adoption: Bank made optimum utilization of Hardware resources and adopted virtualization. Further, Bank adopted cloud computing to reduce the hardware resources. Reduction in hardware resources. Hence less E-waste for future.		

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

The Bank has Board approved BCP policy (updated up to 2022-23) for mitigating any case of disaster and to ensure continuity of Business.

The Bank has Data Centre, DR site and also Near DR Site for ensuring Business Continuity.

Purpose: The policy is formed in the backdrop of growing complexity of financial products and the increased leveraging of technology and its heightened sophistication, operational risk has assumed critical importance in recent times. Operational Risks can have a systemic connotation in the event of contagion through channels like payment system and undermine public confidence in the Banking system. Changing business processes and new threat scenarios require maintenance of viable Business Continuity Plan (BCP).

Applicable to: The policy is applicable to whole of the Bank, covering all offices/branches in India and also in Sri Lanka.

The business continuity plan addresses: The BCP addresses to all disasters irrespective of its duration and the required risk management measures as designed in the policy. Business Continuity Plan mainly deals with business disruptions due to natural threats like fire, earth quake, Tsunami, Flood, Cyclone and includes war, riots, pandemic diseases and other man made disruptions to business and the Continuity Plan of action required to overcome such disruptions in a planned and systematic approach to events.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

----Not Applicable----

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners that were assessed for environmental impacts.

----Not Applicable----

Principle 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Bank is member of 4 industry chambers/associations.

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Banks' Association (IBA)	National
2	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
3	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
4	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti- competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
Nil		

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity.

S.No	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web link, if available
Not Applicable					

Principle 8: Business should support inclusive growth and equitable development.

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Name & brief/ details of the project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
NIL					

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

Sl. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
NIL						

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The Grievances related to customers/community are taken up promptly for resolution/ redressal. The Bank has CGRS system for prompt and quick resolution/ redressal of customer grievances. Further there are multiple channels to report grievances such as branch, e-mail, letter, website, mobile application, call center, and social media. Besides above, all complaints received through any other modes and not resolved within 24 hours would be entered online in CGRS for data management and speedy disposal of complaints. These complaints would be attended / resolved by the respective Branches / Zones / Corporate Office within the given time frame viz 21 days. Rejected / partially rejected complaints are placed to Internal Ombudsman for his decision. The customer is informed of the decision by the Bank. If a customer is not satisfied with the resolution, he or she can escalate to Zonal Office /FGM Office/ CO: Customer Service Cell.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	FY 23	FY 22
Directly sourced from MSMEs/ small producers	As per existing IT Procurement policy preferential procurement is 25% from marginalized /vulnerable groups (MSE)	
Sourced directly from within the district and neighboring districts		

Note: The Bank is primarily run on electronic item, which are sourced through GEM portal. The other items like appliances, furniture, papers etc. are sourced from SME.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
NIL	

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

Sl. No.	State	Aspirational District	Amount spent (In INR)
1	Andhra Pradesh	Visakhapatnam District	63770.00
2	Bihar	Muzaffarpur District	65192.00
3	Bihar	Gaya District	47586.00
4	Chhattisgarh	Raipur District	30500.00
5	Jharkhand	Dumka District	3927670.00
6	Jharkhand	Godda District	2538960.00
7	Jharkhand	Hazaribagh District	2881449.00
8	Uttar Pradesh	Balrampur District	2820550.00
9	Uttar Pradesh	Bahraich Districts	3696133.00
10	Uttar Pradesh	Chitrakoot District	5406676.00
11	Uttar Pradesh	Sonebhadra District	4280740.00
12	Uttar Pradesh	Shrawasti District	2589269.00
13	Tamil Nadu	Ramanathapuram and Virudhunagar District	2,500,000.00
14	Andhra Pradesh	Visakhapatnam, Y S R Kadapa and Vizianagaram District	
TOTAL			30848495.00

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

Yes

- (b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

From MSE entrepreneur – with categorization as SC/ST, Women.

- (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

As per existing IT Procurement policy preferential procurement is 25% from marginalized /vulnerable groups (MSE).

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your Bank (in the current financial year), based on traditional knowledge.

----Not Applicable----

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

----Not Applicable----

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

Sl. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
The Bank supports CSR activities under 6 pillars - Inclusive Growth, Financial literacy & Enhancing Vocational Skills, Green Initiative and Environmental Sustainability reducing carbon foot-prints, Gender Equality and Women Empowerment, Health and wellness and COVID-19 Relief. The beneficiaries are multiple across these activities.			

Principle 9: Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

The policy on customer experience includes a redressal framework to ensure prompt and effective resolution of grievances. We offer multiple channels to report grievances such as branch, e-mail, letter, website, mobile application, call center, and social media. Besides above, all complaints received through any other modes and not resolved within 24 hours would be entered online in CGRS for data management and speedy disposal of complaints. On registration of a complaint, an acknowledgement is sent to the customer informing that the complaint is being investigated and assuring that a response shall be provided within the stipulated turnaround time. These complaints would be attended / resolved by the respective Branches / Zones / Corporate Office within the given time frame viz 21 days. Rejected / partially rejected complaints are placed to Internal Ombudsman for his decision. The customer is informed of the decision by the Bank. If a customer is not satisfied with the resolution, he or she can escalate to Zonal Office /FGM Office/ CO: Customer Service Cell).

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not applicable to our products and services
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 23		Remarks	FY 22		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	6	0	-	-	-	-
Advertising	2	0	-	-	-	-
Cyber-security	0	0	-	-	-	-
Delivery of essential services	0	0	-	-	-	-
Restrictive Trade Practices	0	0	-	-	-	-
Unfair Trade Practices	0	0	-	-	-	-
Other	0	0	-	-	-	-

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary Recalls	NIL	No such case
Forced Recalls	NIL	No such case

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, the Bank is having Cyber Security Policy 2022-23 & Standard operating procedure for mitigating risks including related to data privacy which is available in the intranet being an internal document. Cyber SOC setup is available in the Bank. The overall objective of the "Cyber Security Policy" is to provide guidance and direction to Indian Bank in combating cyber threats and to detect, respond, recover and contain the number, frequency and impact of cyber incidents/attacks

- The Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard. The Bank has already put in place a Cyber Security
- Operation Centre (C-SOC) which consists of various leading security solutions and the C-SOC is monitored 24*7. The Bank has a dedicated team under Chief Information Security Officer (CISO) to monitor the security operations 24/7.
- A dedicated team is also formed under IT Dept which look after the implementation of various cyber security solutions. The solutions are designed to protect the data, network and servers in a proactive way. -Employees are also provided with training on Cyber Security to make them aware of the recent cyberattack strategies and mitigating such incidents
- Customer awareness has been strengthened by sending SMS's to customers on latest cyber threats. Awareness messages are published on Social Media too.
- The Bank has also empaneled "Forensic experts", to conduct forensic investigation, if any, is triggered due to any cyber security incidents.
- The Bank is giving high priority for the guidelines/advisories issued by RBI and adhering compliance on the
- observations made on regulatory audits conducted by RBI.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services

NIL

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

The information about the products and services of the entity can be accessed through the Banks website- **www.indianbank.in**.

List of social media platforms are given below:

Social Media Platforms	
Facebook	www.facebook.com/MyIndianBank
Twitter	www.twitter.com/MyIndianBank
Instagram	www.instagram.com/MyIndianBank
LinkedIn	www.linkedin.com/indianBank
YouTube	www.youtube.com/@IndianBankOfficial

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

The following steps are taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

- Regular update of information on website
- Emails, SMS and notifications are sent to the customer on regular basis
- Regular Communication such as Safe Banking Tips and its related communications from the regulators and Government bodies are issued to customers periodically via creative collaterals for the safe and responsible usage of products and services through our various customer communication channels.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Information about the mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services is provided by the following ways:

- Notifications on IndOasis,
- Internet Banking channels.
- Email and notifications through SMS
- Bank's Website

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

Yes, the entity displays product information on its website as mandated under local laws.

5. Provide the following information relating to data breaches:

NIL

- a. Number of instances of data breaches along-with impact

----Not Applicable----

- b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

----Not Applicable----

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and Executive Directors are the Whole Time Directors appointed

by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director (in our case two) are nominated /appointed by the Govt. of India.

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank:

- Management Committee of the Board (MCB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- IT Strategy Committee (IT Com)
- Customer Service Committee (CSC)
- Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) (SCMLVF)
- Share Transfer Committee (STC)
- Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- H R Committee (HR Com)
- Committee for monitoring of Recovery (CMR)
- Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (BACDC)
- Review Committee for Willful Defaulters (RCWD)
- Review Committee for Non Co-operative Borrowers (RCNCB)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and

planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2023 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment / Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
1	Shri Shanti Lal Jain	MD & CEO	01.09.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Wilful Defaulters 10. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 11. Credit Approval Committee	Nominee Director / Non-executive Chairman in Universal Sompo General Insurance Company Limited.	695
2	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee	1. Indbank Housing Ltd. 2. Indbank Merchant Banking Services Ltd. 3. Universal Sompo General Insurance Company Ltd. 4. National Payments Corporation of India	695

3	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee	Nil	Nil
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Share Transfer Committee 9. HR Committee 10. Committee for Monitoring of Recovery 11. Credit Approval Committee	Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	1290
5	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Govt. Nominee Director	14.09.2022	1. Risk Management Committee 2. Committee of Directors (Vigilance) 3. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 4. IT Strategy Committee. 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Board Committee for Performance Evaluation	1. General Insurance Corporation of India 2. NABARD	Nil

6	Dr.Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	08.03.2022	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance)	Nil	Nil
7	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	21.12.2021	1. Customer Service Committee 2. Risk Management Committee 3. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 4. Stakeholders Relationship Committee (Chairman) 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases (Chairman) 8. Audit Committee of the Board 9. Nomination and Remuneration Committee	Nil	Nil
8	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non-Official Director	21.12.2021	1. Audit Committee of the Board 2. Risk Management Committee 3. IT Strategy Committee (Chairman) 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases 6. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 7. Nomination and Remuneration Committee (Chairman)	V G Corporate Management Pvt. Ltd.	Nil

9	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2021	1. Audit Committee of the Board (Chairman) 2. HR Committee 3. IT Strategy Committee 4. Share Transfer Committee 5. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases 6. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman) 7. Nomination and Remuneration Committee 8. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 9. Review Committee for Wilful Defaulters	1. TVS Automobile Solutions Private Ltd. 2. Aparajitha Total Solutions Pvt. Ltd. 3. Edsix Brainlab Pvt. Ltd. 4. Dasa Consulting Pvt. Ltd. 5. Aparajitha Corporate Services Private Limited 6. Aparajitha Partnering Progrez Pvt Ltd. 7. Aurowell Health Systems Private Ltd. 8. Magical Lifeskills Pvt. Ltd. 9. Punarjeevan Foundation for Elderly Care & Neuro Rehabilitation	300
10	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2021	1. Management Committee 2. Risk Management Committee (Chairperson) 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases 6. Review Committee for Wilful Defaulters 7. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 8. Nomination and Remuneration Committee 9. Board Committee for Performance Evaluation	1. The Investment Trust of India 2. Andhra Paper Ltd.	200

Note:

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) There is no inter-se relationship between Directors.
- (iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2022-23 and that the reporting structures of the listed entity, formal and informal are consistent with the same.
- (iv) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.
- (v) During FY 2022-23, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.
- (vi) Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (vii) Shri Ashwani Kumar, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (viii) Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director attended meeting of Audit Committee of Board as invitee.

2.6 The profiles of the directors who were appointed/ nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2022-23 are furnished hereunder:

2.6.1 Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director:

Dr. Maruthi Prasad Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian P&T Account and Finance Service. He joined the Civil Service after obtaining a bachelor's degree in civil engineering from College of Engineering, Guindy, and a PGDM from Indian Institute of Management, Kolkata. He has worked in the areas of revenue assurance, financial advice, vigilance, training and licensing finance in the Department of Telecommunications, Government

of India, and in financial and economic analysis in the telecom sector regulator, TRAI, in two stints, first as Director and then as Advisor. He also worked as Executive Director, Insurance and Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad. He has been Government Nominee Director in BSNL, and was on the Boards of Insurance Information Bureau and Institute of Insurance and Risk Management during his stint at IRDAI. He also worked in the Union Public Service Commission, again in two stints. He holds a degree in law from Osmania university, Hyderabad, an M.Phil from Punjab University, Chandigarh and a PhD from the Centre for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where his thesis was on the Institutional aspects of regulatory governance in the Indian telecom services sector. He is at present Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services.

2.6.2 Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director:

Shri Mahesh Kumar Bajaj is a Postgraduate (M.Sc.) in Applied Mathematics from Kurukshetra University and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

He started his banking career as Probationary Officer with Indian Bank in June 1993 and has over 29 years of experience working in diversified areas both in India and Singapore. During his tenure, he worked in all key banking functions in various capacities viz., Corporate, Transaction, Retail, Rural, Treasury & FX, NPA Management, Human Resources & Internal Audit. He led the International Division, Integrated Treasury and headed Large Credit Branches of the Bank. As the CEO of Indian Bank, Singapore, he has brought various new initiatives viz., setting up of BPR Committee to review the process and procedures, strengthening the compliance aspects, introducing new HR and IT Initiatives in line with the best in Industry. As General Manager – Integration Management Office, he successfully steered amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank.

In his role as General Manager, he was heading the Transformation Management Office, Business Process Reengineering, Digitisation, Analytics Center of Excellence, Marketing and Corporate

Communication Departments of the Bank. He was also leading the digital and operating model transformation projects of the Bank – Project WAVE (World of Advanced Virtual Experience) and Project LEAP (Leadership through efficiency, agility and process Transformation). As a vivid learner, he has attended various training programs and workshops in premier institutes in Singapore and India including Monetary Authority of Singapore (MAS), IIM (Ahmedabad and Bangalore), IIFT (Indian Institute of Foreign Trade) Delhi, and CAFRAL. He has also completed Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau (now FSIB) besides completing the Corporate Governance Programme conducted by Indian Institute of Corporate Affairs.

Shri Mahesh Kumar Bajaj has also served as Non-Executive Director on the Board of Experian Credit Information Company of India Private Limited and Reliance ARC Limited. Presently, he is on the Board and various committees of the Board of Universal Sompo General Insurance Company Limited as a Non-Executive Director.

2.7 The details of cessation of directorship during FY 2022-23 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri V V Shenoy	Executive Director	01.04.2022	Superannuation
2.	Shri Sanjeev Kaushik	GOI Nominee Director	14.09.2022	GOI Notification No. eF.No.6/2/2022-BO.I dated 14.09.2022

3. Credentials of members of Board of Directors:

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
1	Shri Shanti Lal Jain	MD & CEO	Executive	M Com, CA, CS and CAIIB	CA, CS and Banking
2	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	Executive	B.Sc, B. Tech, CAIIB	Banking
3	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	Executive	M.Com CA	Chartered Accountant, Banking
4	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	Executive	B.Sc, M.Sc in applied Mathematics, B.Ed., CAIIB, Leadership Programme from IIM, Bangalore, Program on Corporate Affairs from Indian Institute of Corporate Affairs.	Banking
5	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Govt. Nominee Director	Non Executive-GoI Nominee Director	B.E, P.G.D.M., LLB, M.Phil, PhD	Public Administration
6	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	Non Executive-RBI Nominee Director	BE (Electrical and Electronics) M.Sc (Physics) LLB M. Sc. (Investment Management), CAIIB, PhD (Economics)	Economics, Banking Regulation and supervision
7	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	Non Executive-Independent Director	B.com, M.com, Ph.D in commerce, FCA, ACMA	Business Management, Chartered Accountant, Finance and HR & Training

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
8	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	Non Executive-Independent Director	B Sc, CAIIB, CFA	CFA, Banking
9	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	Non Executive-Independent Director	B Com CA	Chartered Accountant, Assurance, Taxation and Finance
10	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	Non Executive-Independent Director	M Com	Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries

3.1 Details of the Board / Committee meeting held during financial year 2022-23:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2022-31.03.2023):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	IT Com	SCM LVF	CSC	HR Com	STC	CAC	CF MR	BAC DC	RC NCB	NRC	RC WD	BC PE
1	Shri Shanti Lal Jain	16	28	-	7	4	-	7	4	4	5	-	28	5	-	1	-	4	-
2	Shri Imran Amin Siddiqui	16	27	14	7	4	1	7	4	4	5	1	28	5	-	-	-	-	-
3	Shri Ashwani Kumar	15	28	14	7	4	1	6	4	4	5	1	28	5	-	-	-	-	-
4	Shri Mahesh Kumar Bajaj *	7	11	6	3	2	-	4	2	2	2	1	12	3	-	-	-	-	-
5	Shri Sanjeev Kaushik **	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dr Maruthi Prasad Tangirala ***	7	-	-	2	2	-	4	2	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2
7	Dr. Aditya Gaiha	13	24	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dr. Bharath Krishna Sankar	16	-	15	-	-	-	7	4	-	5	1	-	-	-	-	1	4	2
9	Ms. Papia Sengupta	16	26	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	1	4	2
10	Shri Vishvesh Kumar Goel	16	-	15	7	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-
11	Shri Balmukund Sahay	16	-	15	7	-	1	-	4	4	5	1	-	-	-	-	1	-	-

*Executive Director from 21.11.2022.

**Gol Nominee Director upto 13.09.2022.

***Gol Nominee Director from 14.09.2022.

During the financial year 2022-23, fifteen (15) Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	11.05.2022	9	8
2.	26.05.2022	9	8
3.	27.06.2022	9	8
4.	18.07.2022	9	7
5.	30.07.2022	9	7
6.	21.09.2022	9	9
7.	03.11.2022	9	9
8.	18.11.2022	9	8
9.	19.11.2022	9	8
10.	20.12.2022	10	10
11.	12.01.2023	10	9
12.	18.01.2023	10	9
13.	25.01.2023	10	10
14.	24.02.2023	10	9
15.	23.03.2023	10	10

4. Committees of the Board:

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is re-constituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise, write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member
6.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.1.2 Details of meetings:

The committee met twenty eight (28) times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	21.04.2022	5	5
2.	07.05.2022	5	4
3.	21.05.2022	5	4
4.	27.05.2022	5	5
5.	07.06.2022	5	5
6.	13.06.2022	5	5
7.	24.06.2022	5	5
8.	12.07.2022	5	4
9.	21.07.2022	5	5
10.	01.08.2022	5	5
11.	17.08.2022	5	5
12.	01.09.2022	5	5
13.	09.09.2022	5	5
14.	20.09.2022	5	5
15.	28.09.2022	5	5
16.	20.10.2022	5	5
17.	04.11.2022	5	5
18.	25.11.2022	5	5
19.	08.12.2022	5	5
20.	22.12.2022	6	6
21.	27.12.2022	6	6
22.	10.01.2023	6	6
23.	24.01.2023	6	6
24.	06.02.2023	6	6
25.	20.02.2023	6	6
26.	03.03.2023	6	5
27.	13.03.2023	6	6
28.	24.03.2023	6	5

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is re-constituted from time to time. Its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports and all the issues/concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The composition of Audit Committee of the Board as on 31.03.2023 was as under:-

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member
3.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director	Member
4.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director	Member

Invitees:

1. Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director
2. Shri Ashwani Kumar, Executive Director
3. Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2022 to 31.03.2023, Fifteen (15) meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	11.05.2022	4	4
2.	26.05.2022	4	4
3.	22.06.2022	4	3
4.	18.07.2022	4	4
5.	30.07.2022	4	3
6.	26.08.2022	4	4
7.	21.09.2022	4	4
8.	03.11.2022	4	4
9.	29.11.2022	4	4
10.	13.12.2022	4	4
11.	25.01.2023	4	4
12.	17.02.2023	4	4
13.	24.02.2023	4	4
14.	23.03.2023	4	4
15.	28.03.2023	4	4

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was re-constituted from time to time. The functions/ responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The composition of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2023 was as under:

1.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Member
3.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
4.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director	Member
6.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director	Member

Invitees:

- (i) Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Directors
- (ii) Shri Ashwani Kumar, Executive Directors
- (iii) Shri Himadri Bhattacharya, domain expert (Special Invitee)

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met seven (7) times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Risk Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.05.2022	6	5
2.	27.06.2022	6	5
3.	13.09.2022	6	5
4.	20.12.2022	6	5
5.	16.02.2023	6	5
6.	20.03.2023	6	6
7.	23.03.2023	6	6

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee is re-constituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Member
6.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held four (4) meetings during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	26.05.2022	5	3
2	21.09.2022	5	4
3	12.12.2022	6	6
4	23.03.2023	6	6

4.5 Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2023 stands as under:

1.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3..	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member

4.5.2 Function of Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The role of the committee, inter-alia, include the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

4.5.3 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	14.09.2022	3	3

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (ITSC):

The members of the IT Strategy Committee (ITSC) as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
6.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Member
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar Shareholder Director	Member
8.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

Representative of IDRBT, domain expert and IT consultant are Special Invitees to Committee meetings.

4.6.2 Details of meetings:

The Committee held seven (7) meetings during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.05.2022	7	6
2.	18.07.2022	7	5
3.	20.09.2022	7	6
4.	29.11.2022	8	7
5.	13.12.2022	8	8
6.	12.01.2023	8	7
7.	20.03.2023	8	8

4.7 Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of Rs.1 crore and above. The Committee is reconstituted from time to time.

4.7.1 Composition of Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The members of the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Member
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) held four (4) meetings during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.05.2022	6	5
2.	20.09.2022	6	5
3.	13.12.2022	7	7
4.	09.03.2023	7	7

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and was reconstituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held four (4) meetings during the period 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	22.06.2022	4	4
2.	14.09.2022	4	4
3.	29.11.2022	5	5
4.	16.02.2023	5	5

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee is reconstituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
4.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.9.2 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the NRC	Number of Directors Attended the meeting
1	23.06.2022	4	4

4.10 Board Committee for Performance Evaluation

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs and EDs and to set up KRAs of MD & CEO for recommending to Board. The Committee is reconstituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The members of the Board Committee for Performance Evaluation as on 31.03.2023 were as under:

1.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held two (2) meetings during the period 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1.	13.12.2022	3	3
2.	17.02.2023	3	3

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee is reconstituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Chairman
2.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
3.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	09.03.2023	5	5

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by the Government of India. The Committee is reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:

- Managing Director & Chief Executive Officer
- Executive Directors
- The General Manager (Corporate Credit)
- The General Manager (Midcorp/MSME)
- General Manager (Finance / Accounts)
- General Manager (submitting the Credit & Expenditure proposals)
- General Manager (CRO) and CCO are attendees

As different General Managers / Department Heads deals with Credit & Expenditure Proposals, the General Manager / Department Head concerned become member of the Committee for the respective proposal.

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held twenty eight (28) meetings during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of members on the Credit approval Committee of Board	Number of Members Attended the meeting
1.	16.04.2022	3	3
2.	28.04.2022	3	3
3.	19.05.2022	3	3
4.	04.06.2022	3	3
5.	15.06.2022	3	3
6.	28.06.2022	3	3
7.	14.07.2022	3	3
8.	29.07.2022	3	3
9.	16.08.2022	3	3
10.	01.09.2022	3	3
11.	10.09.2022	3	3
12.	19.09.2022	3	3

Sl. No.	Date of meeting	Number of members on the Credit approval Committee of Board	Number of Members Attended the meeting
13.	26.09.2022	3	3
14.	28.09.2022	3	3
15.	14.10.2022	3	3
16.	10.11.2022	3	3
17.	25.11.2022	4	4
18.	09.12.2022	4	4
19.	28.12.2022	4	4
20.	29.12.2022	4	4
21.	10.01.2023	4	4
22.	21.01.2023	4	4
23.	13.02.2023	4	4
24.	21.02.2023	4	4
25.	03.03.2023	4	4
26.	09.03.2023	4	4
27.	28.03.2023	4	4
28.	31.03.2023	4	4

4.13 Review Committee for Non Co-operative Borrowers:

The Review Committee for Non Co-operative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non Cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines and is re-constituted from time to time.

4.13.1 Composition of the Review Committee for Non Cooperative Borrowers:

The members of the Review Committee for Non Co-operative Borrowers as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.13.2 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the RCNCB	Number of Directors Attended the meeting
1.	23.06.2022	3	3

4.14 Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. The Committee is re-constituted from time to time.

4.14.1 Composition of Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The members of the Board Level Appellate Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non- Official Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
4.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non- Official Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023.

4.15 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is reconstituted from time to time.

4.15.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Member
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

Shri Kamlesh R Patel, HR expert is special invitee to HR Committee meetings.

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met five (5) times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on HR Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	27.06.2022	6	6
2.	20.09.2022	6	5
3.	03.11.2022	6	6
4.	23.01.2023	7	7
5.	16.02.2023	7	7

4.16 Review Committee for Wilful Defaulters:

Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 30.03.2015. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee is reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee met four (4) times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.05.2022	3	3
2.	23.06.2022	3	3
3.	20.09.2022	3	3
4.	09.03.2023	3	3

4.17 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as Sale of Assets Committee (SAC) and other field level functionaries in the Bank. The Committee is re-constituted from time to time.

4.17.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The members of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2023 were as under:

1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
5.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala, GOI Nominee Director	Member
6.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
7.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.17.2 Details of meetings:

The Committee held five (5) meetings during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1.	26.05.2022	6	5
2.	13.09.2022	6	5
3.	12.12.2022	7	7
4.	17.02.2023	7	7
5.	23.03.2023	7	7

5. Remuneration to Directors:

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are as under:

Sl. No	Name	Basic Pay	Dearness Allowance	Arrear	Personal Pay	HRA	Bank Contribution on PF	Incentives/ Other allowances	Total
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1	Shanti Lal Jain	2520600.00	951666.00	0.00	0.00	0.00	252060.00	350000.00	4074326.00
2	Ashwani Kumar	2227366.13	843204.13	0.00	32550.00	1232507.30	220260.00	167000.00	4722887.56
3	Imran Amin Siddiqui	2201700.00	831183.00	0.00	0.00	0.00	220170.00	400000.00	3653053.00
4	Mahesh Kumar Bajaj	766133.33	291130.67	0.00	0.00	0.00	76613.33	0.00	1133877.33

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its Directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of Rs.40,000/- for attending Board Meetings and Rs.20,000/- for Committee Meetings, Rs.10,000/- extra for chairing Board Meetings and Rs.5,000/- for chairing Committee Meetings with effect from 18.01.2019 (Subject to Rs.15 lakh per annum). Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed / nominated under Section 9(3) (b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

6. Familiarization Programmes:

Details of familiarization programmes imparted to independent Directors are available on Bank's website under the link, <https://indianbank.in/investors-services-ib/>

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Fourteenth Annual General Meeting	Friday, the 07 th August 2020 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Fifteenth Annual General Meeting	Friday, the 16 th July, 2021 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. - To declare dividend on Equity Shares
Sixteenth Annual General Meeting	Wednesday, the 22 nd June, 2022	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. - To declare dividend on Equity Shares of the Bank. - To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof (passed through special resolution)

7.2 No special Resolution was passed at the 14th Annual General Meeting and 15th Annual General Meeting. In the 16th Annual General Meeting held on 22nd June 2022, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed.

7.3 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2022-23.

7.4 The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 22.06.2022:

Shri Shanti Lal Jain	MD & CEO
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director
Shri Ashwani Kumar	Executive Director
Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director
Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director
Shri Balmukund Sahay	Part Time Non Official Director
Shri Vishvesh Kumar Goel	Part Time Non Official Director

8. Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees, officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely '**Whistle Blower Policy**' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website, www.indianbank.in

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

9. Other Disclosures:

- (a) Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- (b) The Bank has complied with the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.
- (c) The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.
- (d) The Bank has formulated a 'Policy for determining Material Subsidiary' and the same is available on Bank's website, www.indianbank.in.
- (e) The Bank is having two listed subsidiaries namely, Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited. None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides two subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely, Universal Sompo General Insurance Company Ltd. and Asrec (India) Ltd.
- (f) In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. During the financial year 2022-23, one complaint was received.
- (g) A Certificate from a Company Secretary in practice certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the report.
- (h) The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report.
- (i) Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Central Auditors for the Financial Year 2021-22 is Rs.446.47 Lakhs.
- (j) A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.
- (k) Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

(l) Discretionary requirements:

The details regarding adoption of discretionary requirements specified in Part E of Schedule II of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, is as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not Applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results are published in the newspapers, uploaded in Bank's website and are available on the websites of Stock Exchanges, NSE & BSE.

Requirement	Compliance
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2022-23 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer.	Appointment of Chairman is to be made by Government of India.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee.	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.

10. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2022-23, the quarterly/ half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Dinamani (Tamil) etc and Hindu Tamil Thisai (Tamil). The results are also displayed on the web site of the Bank www.indianbank.in.

The presentation made to the analysts / institutional investors if any, is also hosted on the Bank's website, www.indianbank.in.

11. General Shareholders Information:

11.1 Particulars of 17th Annual General Meeting:

Day and Date	Monday, 19 th June, 2023
Time	11:00 AM
Venue	AGM will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), as such, the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

11.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March.

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2023 - July - August, 2023

September 30, 2023 - October - November, 2023

December 31, 2023 - January - February, 2024

March 31, 2024 - Audited Annual Accounts: April - May, 2024

11.3 Record Date for Dividend Payment and Dividend payment date:

Record Date - 12.06.2023

Dividend payment date - 14.07.2023

11.4 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM and Dividend Payment:

Book Closure – 13.06.2023 to 19.06.2023 (Both days inclusive).

11.5 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.8.60 per equity share i.e. 86% of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2022-23.

11.6 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under:

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C.1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2023-24 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

11.7 Compliance Officer:

Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank.

11.8 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2022 -23 were as under:

Month	NSE			BSE			Total Volume (Nos. in lakh)
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	
Apr-22	175.50	153.45	341.12	175.40	153.55	27.67	368.79
May-22	173.00	137.05	381.74	172.80	137.20	28.32	410.06
Jun-22	171.55	140.00	229.24	171.50	140.00	17.64	246.88
Jul-22	182.00	146.65	386.54	181.70	146.70	20.79	407.33
Aug-22	196.90	166.00	398.53	196.80	171.40	19.34	417.87
Sep-22	207.45	183.70	372.88	211.00	183.75	29.44	402.32
Oct-22	256.40	188.35	459.13	256.00	188.55	30.35	489.48
Nov-22	280.85	241.00	524.69	280.60	240.90	24.74	549.43
Dec-22	306.00	255.50	784.04	306.00	255.45	46.49	830.53
Jan-23	305.95	277.50	342.51	306.20	276.75	19.40	361.91
Feb-23	310.00	252.20	208.38	310.00	253.35	14.39	222.77
Mar-23	294.50	254.00	348.84	296.15	254.30	18.54	367.38

11.9 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty- 50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (Rs.)	Nifty-50 (Closing)	S&P BSE Sensex (Closing)
Apr-22	163.50	17102.55	57060.87
May-22	169.45	16584.55	55566.41
Jun-22	149.85	15780.25	53018.94
Jul-22	176.50	17158.25	57570.25
Aug-22	194.25	17759.30	59537.07
Sep-22	196.85	17094.35	57426.92
Oct-22	253.90	18102.20	60746.59
Nov-22	266.90	18758.35	63099.65
Dec-22	285.35	18105.30	60840.74
Jan-23	304.75	17662.15	59549.90
Feb-23	257.10	17303.95	58962.12
Mar-23	288.55	17359.75	58991.52

11.10 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

11.11 Share Transfer System:

- In terms of Regulation 40(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer, transmission or transposition of Shares/Securities shall not be processed by the Bank's RTA / Bank unless the Shares/Securities are held in dematerialized form.
- Shareholders who are holding shares in physical form and desirous of transferring the same can do so only after the shares are dematerialized.

11.12 Distribution of shareholding as on 31.03.2023:

Shareholding Shares (%)	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	No. of Shares	Percentage of Total
1 - 500	303702	94.7437	21604454	1.7347
501 - 1000	9996	3.1183	7592222	0.6096
1001 - 2000	4154	1.2958	5962566	0.4788
2001 - 3000	994	0.3100	2498099	0.2006
3001 - 4000	430	0.1341	1523088	0.1230
4001 - 5000	324	0.1010	1516372	0.1218
5001 - 10000	399	0.1244	2841838	0.2282
10001 & above	552	0.1722	1201902500	96.5042
Total	320551	100.00	1245441139	100.00

11.13 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is INE562A01011.

As on 31.03.2023, 1243974142 equity shares constituting 99.88% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2023 are as under:

Shares held in		Number of shareholders	% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form		42225	13.17	1466997	0.12
Dematerialized form	NSDL	156953	48.96	22,31,66,202	17.92
	CDSL	121373	37.86	1,02,08,07,940	81.96
Total		320551	100.00	1245441139	100.00

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2023 is 994549600 equity shares of Rs.10/- each, which constitutes 79.86% of the paid up capital of the Bank.

11.14 There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible instruments as on date.

11.15 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of Rs.15.10 crore up to 31 March, 2023 (previous year 3.88 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI direction RBI/2022-23/131: DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated 11 October 2022. The entire estimated amount has been fully provided for.

11.16 Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website, under the link <https://indianbank.in/investors-services-ib/>

12. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer / transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.) for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests / complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer

Agent (RTA) or with the Bank at the following address:

Cameo Corporate Services Limited (Unit: Indian Bank) P Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai – 600 002. Telephone: 044-28460718 Email: investor@cameoindia.com	The Company Secretary Investor Services Cell Indian Bank, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai – 600 014. Tele: 044-28134484/4698 Email: investors@indianbank.co.in

12.1 Number of Investor complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests / complaints received and resolved during the financial year 2022-23 and pending as on 31.03.2023 are as follows:-

	Pending as on 01.04.2022	Received during FY 2022-23	Resolved during FY 2022-23	Pending as on 31.03.2023
Number of Complaints / requests	1	146	147	0

13. Disclosure with respect to Demat Suspense Account / Unclaimed Suspense Account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2022	Shareholders – 33 Shares – 3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying at the end of the year i.e. 31.03.2023	Shareholders – 33 Shares – 3862

The voting rights in respect of the unclaimed / outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

14. Shareholding Pattern (as on 31.03.2023):

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	Shareholding %
Government of India (President of India) – Promoter	1	994549600	79.86
Mutual Funds*	18	99409742	7.98
Foreign Portfolio Investor (FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)*	186	51906759	4.17
Alternate Investment Funds	7	3168219	0.25
Insurance Companies*	9	41290345	3.32
Financial Institutions / Banks	2	248	0.00
Resident Individual	281016	40707670	3.27
Body Corporate	955	2962722	0.24
Directors and their relatives	5	3180	0.00
Employees	24975	8546586	0.68

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	Shareholding %
Clearing Members	25	23295	0.00
Hindu Undivided Family (HUF)	3070	1130903	0.09
NRI	3157	1641892	0.13
Foreign Nationals	1	1700	0.00
Trust	18	90395	0.01
Central Government / State Government(s)/ President of India- Non Promoter	1	4021	0.00
Unclaimed shares demat suspense Account	2	3862	0.00
Total	313448	1245441139	100.00

* Consolidated on common PAN basis

15. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House (NACH) is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his / her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

16. Unclaimed Dividend, if Any:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C /125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives / guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amounts of the Bank upto the Financial Year 2014-15 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank for Financial Year 2015-16 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with his/her Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/ Direct Credit.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

17. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2022-23. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.in.

18. Details of Bonds / Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2023:

Details of Bonds issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2023 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2023	Name of Credit Rating Agency (ies)	Name & Address of Bond Trustee
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series II	INE562A08057	1048	CARE AA+ / Stable CRISIL AA+ / Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028.
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series III	INE562A08065	560			
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series IV	INE562A08073	392			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche A	INE562A08024	290	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable		
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche B	INE562A08032	110			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche C	INE562A08040	600			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series I	INE428A08028	500	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable CARE AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. & CARE Ratings Ltd.	IDBI Trusteeship Services Limited , Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable CARE AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. & CARE Ratings Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028.
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CARE Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series IV	INE428A08101	1500	CRISIL AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CRISIL Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series V	INE562A08081	2000	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	
Total		9000			

Other Credit Ratings:

In addition to the above, the Bank has also obtained Credit Rating for its Certificate of Deposits programme and rating from S&P Global Ratings. The details are as under:

Sl. No.	Name of Credit Rating Agency (ies)	Type of Instrument / Type of Rating	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2023
1.	CRISIL Ratings Ltd.	Certificate of Deposits	35000	CRISIL A1+
2.	S & P Global Ratings	Issuer Credit Rating	-	BBB- / Stable / A-3

19. Code of Conduct:

The Bank has framed the “Code of Conduct” applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank’s website viz. www.indianbank.in.

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

20. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 08.05.2023
Place: Chennai

(S L Jain)
Managing Director & CEO

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. Chief General Managers/ General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2023 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.co.in

Date: 08.05.2023

Place: Chennai

(S L Jain)
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the Financial year ended on March 31st, 2023, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

For PKF Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

For G. Natesan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002424S

For SARC & Associates
Chartered Accountants
FRN: 006085N

P. DEVI
Partner
(M. No. 223137)
UDIN: 23223137BGYLQC3694

V. MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)
UDIN: 23020555BGWSZR2976

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 23114196BGUMBE4121

For Kailash Chand Jain & Co,
Chartered Accountants
FRN: 112318W

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 23110713BGYQGU6528

Mukesh Kumar Khandelwal
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 23074661BGXKJH9518

Date: 08.05.2023

Place: Chennai

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To,

**The Board of Directors
Indian Bank**

This is to certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the Financial Year 2022-23 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
 - (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Jain)
Chief Financial Officer

(S L Jain)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 8th May 2023

SECRETARIAL AUDIT REPORT For the Financial Year 2022-23

To,
The Members,
Indian Bank
Chennai - 600 014.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank (hereinafter called the Bank)**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Indian Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2023, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance- mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Indian Bank** ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; (to the extent applicable)
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Bank during the audit period).**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non- Convertible Securities) Regulations, 2021 **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable)**
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

- (vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
(vii) The Banking Regulations Act, 1949

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not Applicable)**
(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and not incorporated under Companies Act.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures/ Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations

Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following Observation:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under section 9(3)(e) (f) & (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of Board of Directors as on 31st March, 2023 is not in line with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
Date: 05.05.2023

**V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No.: 667/2020
UDIN: F002969E000261183**

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Indian Bank
Chennai - 600 014.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
Date: 05.05.2023

**V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No.: 667/2020
UDIN: F002969E000261183**

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN BANK having registered office at 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers. We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	Date of appointment in Bank
1	Mr. S. L. Jain	01.09.2021
2	Mr. Imran Amin Siddiqui	10.03.2021
3	Mr. Ashwani Kumar	21.10.2021
4	Mr. Mahesh Kumar Bajaj	21.11.2022
5	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	14.09.2022
6	Dr. Aditya Gaiha	08.03.2022
7	Dr. Bharath Krishna Sankar	07.02.2021
8	Ms. Papia Senguta	29.10.2021
9	Mr. Balmukund Sahay	21.12.2021
10	Mr. Vishvesh Kumar Goel	21.12.2021

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries**

**V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No.: 667/2020
UDIN: F002969E000261183**

Place: Chennai
Date: 05.05.2023



STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2023

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2023 (Audited)	As on 31.03.2022 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1245 44 11	1245 44 11
Reserves and Surplus	2	46727 31 46	42463 36 31
Deposits	3	621165 75 65	593617 81 37
Borrowings	4	22073 03 09	17208 97 47
Other Liabilities & Provisions	5	19289 18 81	17132 46 25
TOTAL		710500 73 12	671668 05 51
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	32692 63 01	58554 60 97
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	17439 94 87	21361 44 19
Investments	8	185988 25 25	174558 58 80
Advances	9	449296 73 37	389186 06 32
Fixed Assets	10	7459 04 04	7683 71 16
Other Assets	11	17624 12 58	20323 64 07
TOTAL		710500 73 12	671668 05 51
Contingent Liabilities	12	381303 03 27	355947 25 18
Bills for Collection	-	16082 16 20	14144 89 14

S L JAIN

Managing Director & CEO

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

ASHWANI KUMAR
Executive Director

IMRAN AMIN SIDDIQUI
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

ADITYA GAIHA
RBI Nominee Director

BHARATH KRISHNA SANKAR
Shareholder Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)
UDIN: 23223137BGYPY1043

For G. NATESAN & CO
Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)
UDIN: 23020555BGWSZN3645

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 23114196BGUMBD4391

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 23110713BGYQGG1225

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 23074661BGXKJD3312

Date: 08.05.2023
Place: Chennai

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2023 (Audited)	Y. E. 31.03.2022 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	44942 21 29	38856 22 07
Other Income	14	7143 06 26	6915 44 97
TOTAL		52085 27 55	45771 67 04
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	24716 75 04	22128 27 05
Operating expenses	16	12097 90 28	10926 50 28
Provisions & Contingencies	-	9988 92 02	8772 07 65
TOTAL		46803 57 34	41826 84 98
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit / Loss (-) for the year		5281 70 21	3944 82 06
Profit / Loss (-) Brought forward		129 77 18	100 16 28
Less: Other Adjustments		0	-23 21 49
TOTAL		5411 47 39	4021 76 85
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		1320 43 00	986 21 00
Capital Reserves		0	147 90 00
Special Reserves u/s 36(1)(viii) of IT Act		191 73 00	108 35 00
Revenue Reserves		2655 00 00	1800 00 00
Staff Welfare Fund		40 00 00	40 00 00
Equity Dividend		1071 07 94	809 53 67
Bal. carried over to Balance Sheet		133 23 45	129 77 18
TOTAL		5411 47 39	4021 76 85
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		42.41	32.38

S L JAIN

Managing Director & CEO

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

ASHWANI KUMAR
Executive Director

IMRAN AMIN SIDDIQUI
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

ADITYA GAIHA
RBI Nominee Director

BHARATH KRISHNA SANKAR
Shareholder Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)
UDIN: 23223137BGYPY1043

For G. NATESAN & CO
Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)
UDIN: 23020555BGWSZN3645

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 23114196BGUMB4391

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 23110713BGYQGQ1225

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)

UDIN: 23074661BGXKJD3312

Date: 08.05.2023
Place: Chennai

SCHEDULE 1 – CAPITAL

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.- 99,45,49,600 Equity shares of Rs. 10/- each)	994 54 96	994 54 96
b) 25,08,91,539 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 25,08,91,539 Equity shares of Rs.10/- each)	250 89 15	250 89 15
TOTAL	1245 44 11	1245 44 11

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	9635 96 51	8649 75 51
b) Additions during the period	1320 43 00	986 21 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL I	10956 39 51	9635 96 51
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	6211 02 26	5754 96 63
b) Additions during the period	0	599 48 14
c) Deductions during the period	104 12 40	143 42 51
TOTAL (A)	6106 89 86	6211 02 26
B) Others		
a) Opening Balance	1060 90 74	913 00 74
b) Additions during the period	0	147 90 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	1060 90 74	1060 90 74
TOTAL II (A + B)	7167 80 60	7271 93 00
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	2391 54 44	857 61 90
b) Additions during the period	0	1533 92 54
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL III	2391 54 44	2391 54 44
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	15067 74 45	13124 31 94
b) Additions during the period	2655 00 00	1800 00 00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	104 12 40	143 42 51
d) Deductions during the period	0	0
TOTAL (A)	17826 86 85	15067 74 45
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2283 87 00	2175 52 00
b) Additions during the period	191 73 00	108 35 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	2475 60 00	2283 87 00
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58 20 00	58 20 00
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (C)	58 20 00	58 20 00

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1031 90 00	1031 90 00
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (D)	1031 90 00	1031 90 00
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	186 37 77	186 37 77
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (E)	186 37 77	186 37 77
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	397 23 78	421 92 88
b) Additions during the period	93 32 88	0
c) Deductions during the period	0	24 69 10
TOTAL (F)	490 56 66	397 23 78
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1 90 63	1 90 63
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (G)	1 90 63	1 90 63
TOTAL IV (A + B + C + D + E + F + G)	22071 41 91	19027 23 63
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006 91 55	4006 91 55
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL V	4006 91 55	4006 91 55
VI. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	129 77 18	100 16 28
b) Additions during the period	5281 70 21	3944 82 06
c) Deductions during the period	5278 23 94	3915 21 16
TOTAL VI	133 23 45	129 77 18
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	46727 31 46	42463 36 31

SCHEDULE 3 – DEPOSITS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	138 92 81	125 59 56
ii) From Others	35718 10 13	36592 97 46
TOTAL	35857 02 94	36718 57 02
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	224952 40 93	211207 62 07
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	9516 08 89	6067 87 21
ii) From Others	350840 22 89	339623 75 07
TOTAL	360356 31 78	345691 62 28
TOTAL A (I+II+III)	621165 75 65	593617 81 37
B. i) Deposits of branches in India	608027 42 90	584660 65 57
ii) Deposits of branches outside India	13138 32 75	8957 15 80
TOTAL B (I+II)	621165 75 65	593617 81 37

SCHEDULE 4 – BORROWINGS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0	0
ii) Other Banks	2 04	5 12
iii) Other Institutions and Agencies*	20147 58 04	15349 67 62
TOTAL	20147 60 08	15349 72 74
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	1925 43 01	1859 24 73
TOTAL (I+II)	22073 03 09	17208 97 47
Secured Borrowings included above	0	0

*includes AT-1 Capital –Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 00 00 (P.Y. Rs. 2000 00 00) and Tier II Capital – Subordinated Debt of Rs. 7000 00 00 (P.Y. Rs. 7000 00 00).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Bills Payable	1841 95 09	1585 16 73
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1479 65 56	994 13 70
IV. Others (including Provisions)*	15967 58 16	14553 15 82
TOTAL (I+II+III+IV)	19289 18 81	17132 46 25

*includes Contingent Provisions against Standard Assets of Rs. 608 94 827 (P.Y. – Rs. 378 88 304)

SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1242 48 09	1962 39 75
II. Balances with Reserve Bank of India:	31450 14 92	56592 21 22
(i) in Current Accounts	26670 14 92	22092 01 16
(ii) in Other Deposit Accounts	4780 00 00	34500 20 06
TOTAL (I+II)	32692 63 01	58554 60 97

SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	18 12 72	6 17 63
b) in Other Deposit Accounts	1573 64 58	1386 15 22
TOTAL (i)	1591 77 30	1392 32 85
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	5007 03 77	0
TOTAL (ii)	5007 03 77	0
TOTAL I (i + ii)	6598 81 07	1392 32 85
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	693 48 58	503 97 97
ii) in Other Deposit Accounts	10144 91 36	19453 09 25
iii) Money at Call and Short Notice	2 73 86	12 04 12
TOTAL II (i + ii + iii)	10841 13 80	19969 11 34
GRAND TOTAL (I + II)	17439 94 87	21361 44 19

SCHEDULE 8 – INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	187882 07 93	178434 87 83
Less: Provision for Depreciation & NPI	3805 10 31	3656 54 63
Less: Provision on Security Receipts	0	1922 31 20
Net Investments	184076 97 62	172856 02 00
i) Government Securities	166464 65 49	158313 99 79
ii) Other approved Securities	0	0
iii) Shares	874 56 64	1198 42 29
iv) Debentures and Bonds	14451 10 95	12515 35 19
v) Subsidiaries and/or Joint Ventures (including Associates)	221 00 21	216 16 81
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds)	2065 64 33	612 07 92
TOTAL	184076 97 62	172856 02 00

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2041 97 09	1800 52 30
Less: Provsion for Depreciation & NPI	130 69 46	97 95 50
Net Investments	1911 27 63	1702 56 80
i) Government Securities (including local authorities)	1911 05 40	1702 00 91
ii) Other investments		
a) Shares	22 23	55 89
b) Debt Securities	0	0
TOTAL	1911 27 63	1702 56 80
NET GRAND TOTAL (I+II)	185988 25 25	174558 58 80

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
A. i) Bills purchased and discounted	2434 93 18	3430 05 82
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	210191 80 73	207613 07 81
iii) Term Loans	236669 99 46	178142 92 69
TOTAL (A)	449296 73 37	389186 06 32
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	373959 11 14	322961 60 18
ii) Covered by bank/Government guarantee	39004 97 03	39614 40 28
iii) Unsecured	36332 65 20	26610 05 86
TOTAL (B)	449296 73 37	389186 06 32
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	170017 91 83	163407 15 71
ii) Public Sector	68741 14 14	67147 92 02
iii) Banks	0	0
iv) Others	181258 29 13	139011 84 53
TOTAL (C.I)	420017 35 10	369566 92 26
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	19922 99 21	11105 63 45
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	1046 79 87	2541 53 44
b) Syndicated loans	5113 58 79	4650 75 16
c) Others	3196 00 40	1321 22 01
TOTAL (C.II)	29279 38 27	19619 14 06
GRAND TOTAL (C.I + C.II)	449296 73 37	389186 06 32

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7453 87 98	6857 35 52
Additions/Adjustments during the period	6 74 45	601 20 96
Sub-Total	7460 62 43	7458 56 48
Deductions during the period	0	4 68 50
Sub-Total	7460 62 43	7453 87 98
Depreciation to date	1490 17 86	1412 80 63
TOTAL	5970 44 57	6041 07 35
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	530 52 79	530 52 79
Additions/Adjustments during the period	0	0
Sub-Total	530 52 79	530 52 79
Deductions during the period	0	0
Sub-Total	530 52 79	530 52 79
Depreciation to date	60 84 44	22 17 67
TOTAL	469 68 35	508 35 12
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	1 21 00	96 80
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost as per last Balance Sheet	4865 53 29	4628 15 73
Additions/Adjustments during the period	317 60 42	314 04 79
Sub-Total	5183 13 71	4942 20 52
Deductions during the period	95 19 86	76 67 23
Sub-Total	5087 93 85	4865 53 29
Depreciation to date	4072 82 66	3734 94 36
TOTAL	1015 11 19	1130 58 93
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2 58 93	2 72 96
TOTAL (I+II+III+IV+V)	7459 04 04	7683 71 16

SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Inter Office Adjustment (net)	112 20 27	270 52 77
II. Interest Accrued	3414 28 57	2968 68 66
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	5254 40 17	6407 56 89
IV. Stationery and Stamps	10 87 76	27 06 55
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51 38 26	51 38 26
VI. Others*	8780 97 55	10598 40 94
TOTAL	17624 12 58	20323 64 07
*includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	848 24 89	1062 15 12

SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	2091 81 01	2159 16 36
II. Liability for partly paid investments	388 96 17	462 77 26
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	328152 69 50	306197 71 07
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	28971 51 28	24385 92 92
b) Outside India	193 48 98	317 79 31
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	9758 18 18	10837 91 70
VI. Other items for which the bank is contingently liable	11746 38 15	11585 96 56
TOTAL	381303 03 27	355947 25 18

*Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Interest/Discount on Advances/Bills	31941 15 06	26927 56 15
II. Income on Investments	11647 16 82	10964 82 37
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	877 53 68	851 34 00
IV. Others	476 35 73	112 49 55
TOTAL	44942 21 29	38856 22 07

SCHEDULE 14 – OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Commission, Exchange and Brokerage	958 45 65	806 11 09
II. Profit on Sale of Investments	552 10 16	1748 06 22
Less: Loss on Sale of Investments	171 17 92	122 30 84
Net	380 92 24	1625 75 38
III. Profit on revaluation of Investments	0	89
Less: Loss on revaluation of Investments	86 98 98	343 24 98
Net	-86 98 98	-343 24 09
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets*	1 95 64	7 40 31
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets*	1 82 19	2 18 28
Net	13 45	5 22 03
V. Profit on exchange transactions (Net)	1008 60 47	689 98 73
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	44 79 76	28 15 18
VII. Miscellaneous Income	4837 13 67	4103 46 65
TOTAL	7143 06 26	6915 44 97

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Interest on deposits	23184 25 68	20935 55 65
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	616 17 43	248 46 35
III. Others	916 31 93	944 25 05
TOTAL	24716 75 04	22128 27 05

SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Payments to and provisions for employees	7527 22 77	6695 70 68
II. Rent, Taxes and Lighting	620 98 45	613 74 14
III. Printing and Stationery	98 74 82	84 60 78
IV. Advertisement and Publicity	27 72 03	21 71 34
V. Depreciation on Bank's property	528 81 10	597 49 99
VI. Directors' fees allowance and expenses	110 69	44 31
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	52 16 17	47 37 52
VIII. Law charges	19 29 48	17 38 61
IX. Postage, Telegrams and Telephones	95 83 34	109 86 46
X. Repairs and Maintenance	192 49 78	243 87 09
XI. Insurance	813 51 24	742 35 00
XII. Other Expenditure	2120 00 41	1751 94 36
TOTAL	12097 90 28	10926 50 28

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (STANDALONE)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

- 4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.
- Held To Maturity (HTM)
 - Available For Sale (AFS)
 - Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "**HTM**" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "**HFT**". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "**AFS**" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.
- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks(RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).
- c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does

not undergo any change after marking to market.

- d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- e) Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:
 - i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices/YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Private Ltd. (FBIL).
 - ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI/ FIMMDA/ FBIL periodically.
 - iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
 - iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
 - v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
 - vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

- vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
 - viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.
 - ix. In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.
- 4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.
- Securities / Non-cumulative Preference shares where interest / fixed dividend/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
 - Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
 - Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
 - Equity investment classified as NPI should be valued at market value, if quoted, and in case where equity is not quoted, it should be valued at Re.1
- 4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.
- 4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.
- 4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.
- **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:**
 All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also

Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (ii) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 – 'Advances' under the following heads:
 - i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

- 5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:
 - (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the

Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

- (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
 - (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

- 5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6. ADVANCES

- 6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:
 - a) Sub Standard:
 - i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)
 - b) Doubtful category-1
 - i) 25 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.

- c) Doubtful Category – 2
- 40% for Secured portion.
 - 100% for Unsecured portion.
- d) Doubtful category-3 and Loss advances –100%.
- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
 - In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 7.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.
- 7.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

- 7.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.
- 7.5 Assets costing upto 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

7.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relating to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

7.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

7.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable

outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS (2022-23)

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	42984.44	38725.15
ii)	Additional Tier 1 capital	1980.00	1980.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	44964.44	40705.15
iv)	Tier 2 capital	10027.45	10394.93
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	54991.89	51100.08
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	333582.35	308937.61
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.89%	12.53%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.48%	13.17%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.01%	3.36%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.49%	16.53%
xi)	Leverage Ratio	5.86%	5.64%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	79.86%	79.86%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	116.07
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	-	-
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	-	-

b) Draw down from Reserves

(Amount ₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2022-23	2021-22	
Revaluation Reserve	104.12	143.42	Depreciation on revalued portion on Premises

For the year 2022-23, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standard -10.

2. Asset liability management

a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount ₹ in Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	5090.71	19284.00	15425.73	17509.97	20559.77	31590.48	26470.38	54290.15	85289.61	58942.93	286712.02	621165.76
Advances	3564.38	7744.04	6801.47	13098.89	21752.13	14476.72	28868.56	51263.41	165377.84	65002.38	71346.92	449296.73
Investments*	27120.47	15097.45	11187.68	14865.67	4560.47	6805.07	11003.99	17610.43	27437.53	12169.66	37801.56	185659.98
Borrowings	282.05	0.00	665.89	0.72	674.19	693.06	2120.21	4815.20	10992.68	1829.03	0.00	22073.03
Foreign Currency assets	76.07	3096.87	5341.93	4616.08	4362.47	6439.10	2523.43	421.66	3805.41	747.06	124.63	31554.71
Foreign Currency liabilities	311.50	2015.99	1002.27	2660.78	1555.25	1867.19	1429.61	952.88	2688.21	1599.05	699.84	16782.57

*Excludes 50% of listed equities of Rs. 328.27 crore.

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(Amount ₹ in Crore)

SL. No.	Parameter	Q1:2022-23		Q2:2022-23		Q3:2022-23		Q4:2022-23	
		Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		156047.51		146020.36		138226.55		146614.58
Cash-Outflows									
2	Retail deposits and deposits from Small business customers of which:	269059.30	19978.95	269191.18	20057.33	266891.05	19947.90	268706.57	20054.12
(i)	Stable Deposits	138539.66	6926.98	137235.67	6861.78	134824.16	6741.21	136330.71	6816.54
(ii)	Less Stable deposits	130519.63	13051.96	131955.50	13195.55	132066.89	13206.69	132375.86	13237.59
3	Unsecured wholesale funding, of which:	186434.69	87221.74	171370.97	86264.28	175714.10	91351.64	186268.78	95326.80
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	185471.90	86258.95	169927.21	84820.53	174279.42	89916.96	186268.78	95326.80
(iii)	Unsecured debt	962.79	962.79	1443.75	1443.75	1434.68	1434.68	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which	64458.37	39041.25	60477.04	39473.03	63981.03	40907.92	58961.65	37897.80
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	36234.11	36234.11	36912.03	36912.03	37918.41	37918.41	35508.43	35508.43
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SL. No.	Parameter	Q1:2022-23		Q2:2022-23		Q3:2022-23		Q4:2022-23	
		Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un- Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
(iii)	Credit and liquidity facilities	28224.27	2807.14	23565.01	2561.00	26062.62	2989.51	23453.22	2389.37
6	Other contractual funding obligations	1721.40	1721.40	2318.04	2318.04	3659.77	3659.77	3147.73	3147.73
7	Other contingent funding obligations	41440.03	1243.24	41132.70	1234.08	42865.26	1286.06	114606.09	4831.50
8	Total Cash Outflows		149206.57		149346.76		157153.28		161257.94
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	16051.75	0.00	8292.03	0.00	817.68	0.00	692.37	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	29835.42	17004.72	28993.10	17107.66	30773.24	18448.49	28899.95	17455.23
11	Other cash inflows	51658.10	48003.51	53470.42	49314.56	58207.55	52635.00	48085.60	44435.10
12	Total Cash Inflows	97545.28	65008.23	90755.55	66422.22	89798.47	71083.49	77677.92	61890.33
			Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value
13	Total HQLA		156047.51		146020.30		138226.55		146614.58
14	Total Net Cash Outflows		84198.34		82924.72		86069.96		99368.21
15	Liquidity Coverage Ratio		185.33%		176.09%		160.60%		147.55%

Note: - The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking simple average based on daily observations for the respective quarter.

Un-weighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the circular and LCR template.

Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows)

Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2022-23 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines updated on time to time.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits viz Retail, Small Business customers (deposits upto Rs. 7.50 crore), unsecured and secured wholesale borrowings) as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2023 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 146614.58 crore. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2023 was 147.55%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 59.11% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 12.44% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has no significant counterparty (Deposit / Borrowing) as on 31.03.2023. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2023 is 6.83% of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposit which are 36.21%, 5.77% and 58.01% of bank's total deposits respectively, the funding from which are widely spread and there is no major concentration risk under Liquidity front for bank.

C. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Amount ₹ in Crore)

	30.06.2022				30.09.2022					
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr		≥ 1 yr
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	43983.03	0.00	0.00	8080.00	52063.03	44012.63	0.00	8080.00	52092.63
2	Regulatory capital	43983.03	0.00	0.00	8080.00	52063.03	44012.63	0.00	8080.00	52092.63
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	182229.54	71643.05	67501.89	57135.85	355309.85	185560.16	67253.01	130890.59	355463.35
5	Stable deposits	117994.87	27128.45	33615.90	22321.99	192124.25	119026.59	25474.51	58098.31	192469.44
6	Less stable deposits	64234.68	44514.60	33885.99	34813.86	163185.60	66533.57	41778.50	72792.28	162993.91
7	Wholesale funding: (8+9)	55737.85	102053.22	33057.93	14848.91	110273.41	55517.71	101146.47	48449.36	88831.70
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	55737.85	102053.22	33057.93	14848.91	110273.41	55517.71	101146.47	48449.36	88831.70
10	Other liabilities: (11+12)	2050.66	9992.66	3513.37	13765.85	14599.24	3319.80	12438.24	345015	15588.60
11	NSFR derivative liabilities		441.55	6.60	0.00			505.34	7.62	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2050.66	9551.10	3506.78	13765.85	14599.24	3319.80	11932.90	14787.34	15588.60
13	Total ASF (1+4+7+10)					532245.53				511976.30
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					7767.59				7715.82
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1981.05	154325.47	59292.68	236082.16	298853.93	1547.49	160465.19	248676.64	309002.75
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	47197.36	7792.69	40715.02	51690.97	0.00	53174.95	46473.01	56546.38

	30.06.2022					30.09.2022				
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
19										
	0.00	104743.87	49791.39	140249.19	198707.72	0.00	106564.08	48374.07	145328.97	202575.56
20										
	0.00	5002.77	507.77	12608.67	9059.60	0.00	3100.10	731.41	13773.20	8802.36
21										
	0.00	12.92	19.34	31426.99	22787.96	0.00	6.29	21.25	31428.07	23224.11
22										
	0.00	6.57	8.89	25783.91	14528.40	0.00	3.66	9.78	25851.30	14528.01
23										
	1981.05	2371.31	1689.27	23690.96	25667.28	1547.49	719.88	2879.14	25446.58	26656.70
24										
	7610.29	111.52	57.90	22275.11	29926.72	7535.79	195.50	95.44	25766.32	33219.01
25										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26										
	0.00	0.00	0.00	853.97	725.87	0.00	0.00	0.00	2493.59	2119.55
27										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28										
	0.00	111.52	57.90	0.08	169.51	0.00	195.50	95.44	0.22	291.15
29										
	7610.29	0.00	0.00	21421.06	29031.34	7535.79	0.00	0.00	23272.51	30808.30
30										
					2261.50					2202.34
31										
					338809.74					352139.92
32										
					157.09%					145.39%

(Amount ₹ in Crore)

	31.12.2022				31.03.2023					
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		≥ 1yr
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	44180.21	0.00	400.00	7380.00	51960.21	0.00	900.00	7480.00	56399.10
2	Regulatory capital	44180.21	0.00	400.00	7380.00	51960.21	0.00	900.00	7480.00	56399.10
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	185654.83	65134.17	133978.36	0.00	356465.84	61456.17	140697.34	0.00	363318.70
5	Stable deposits	120088.57	24701.68	58714.25	0.00	193329.28	24327.88	60083.78	0.00	197673.28
6	Less stable deposits	65566.26	40432.49	75264.11	0.00	163136.57	37128.29	80613.56	0.00	165645.42
7	Wholesale funding: (8+9)	55557.87	109347.76	47399.72	0.00	88464.05	100706.51	57454.86	0.00	98098.97
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	55557.87	109347.76	47399.72	0.00	88464.05	100706.51	57454.86	0.00	98098.97
10	Other liabilities: (11+12)	4659.59	8830.56	3667.93	16076.41	16690.37	1221.61	6090.77	18351.37	20826.75
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	4659.59	8830.56	3667.93	16076.41	16690.37	1221.61	6090.77	18351.37	20826.75
13	Total ASF (1+4+7+10)					513580.47				538643.53
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					8129.00				8206.86
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	0.00	763.36	0.00	0.00	381.68	0.00	0.00	0.00	353.01
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1477.13	146121.52	59211.40	260577.57	319284.26	1448.05	65901.63	272054.50	336784.25
17	Performing loans to financial institutions secured by Level1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	36814.29	4125.17	53128.53	60713.26	0.00	8294.28	55604.06	65445.44
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	107355.65	53425.26	148364.98	207203.64	0.00	56379.20	154606.25	215233.89

		31.12.2022					31.03.2023				
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	3840.29	290.90	16225.42	10178.31	0.00	4995.43	531.16	17015.25	11270.92
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	12.50	13.53	33057.25	24266.35	0.00	15.42	13.87	34619.82	25177.35
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	3.65	9.79	27228.35	15165.57	0.00	3.68	9.48	28654.02	15766.74
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	147713	1939.08	1647.43	26026.82	27101.02	1448.05	5199.61	1214.28	27224.38	30927.57
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	7484.28	3528.43	738.64	24583.63	36046.32	7462.59	151.78	21.20	19593.10	26941.70
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1924.38	1635.72	0.00	0.00	0.00	1913.17	1626.19
27	NSFR derivative assets		3526.76	738.64	28.25	4293.65	0.00	82.54	1.89	20.89	105.32
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	69.24	19.31	0.15	88.70
29	All other assets not included in the above categories	7484.28	0.00	0.00	22631.00	30115.28	7462.59	0.00	0.00	17658.89	25121.48
30	Off-balance sheet items					2428.23					2555.74
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					366269.49					374841.55
32	Net Stable Funding Ratio (%)					140.22%					143.70%
* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.											

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a significant component of the Basel III reforms. The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. As per the latest RBI Guidelines, NSFR is effective from October 01, 2021.

NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF)

ASF is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered (viz. up to 1 year) by the NSFR. The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding

Required Stable Funding (RSF)

RSF is the amount of stable funding required based on the liquidity characteristics and residual maturities of various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. RSF is computed by multiplying the outstanding amount of the specified component with the prescribed and associated RSF Factor.

The objective of NSFR is to ensure that banks maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. The NSFR limits over-reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

Bank's NSFR stands at 140.22% as on 31.12.2022 and 143.70% as on 31.03.2023. NSFR is above the minimum regulatory requirement of 100%. As on 31.03.2023, the Available Stable Funding (ASF) was Rs. 538643.53 crore and the Required Stable Funding (RSF) was Rs. 374841.55 crore.

Bank also computes Liquidity Coverage Ratio and prepares Structural Liquidity Statements on a daily basis to assess the liquidity needs of the Bank.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio (As on 31.03.2023)

(Amount ₹ in Crore)

	Investments in India								Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India		
Held to Maturity													
Gross	140573.58	0.00	0.00	1271.77	252.10	235.31	142332.76	276.64	0.00	0.07	276.71	142609.47	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
Net	140573.58	0.00	0.00	1271.77	221.00	235.31	142301.66	276.64	0.00	0.07	276.71	142578.37	
Available for Sale													
Gross	25989.93	0.00	2031.44	14665.34	0.00	2770.64	45457.34	1634.41	0.00	130.84	1765.25	47222.59	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
Net	25901.05	0.00	872.49	13179.34	0.00	1730.47	41683.34	1634.41	0.00	0.15	1634.56	43317.90	
Held for Trading													
Gross	-9.98*	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Net	-9.98	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97	
Total Investments	166553.53	0.00	2033.52	15937.11	252.10	3105.82	187882.08	1911.05	0.00	130.91	2041.96	189924.04	
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
Net	166464.65	0.00	874.57	14451.11	221.00	2065.64	184076.98	1911.05	0.00	0.22	1911.27	185988.25	

* Includes Short Sale

(Amount ₹ in Crore)

	Investments in India								Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India		
Held to Maturity													
Gross	134412.04	0.00	0.00	1645.95	252.10	152.72	136462.81	550.59	0.00	0.08	550.67	137013.48	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	
Net	134412.04	0.00	0.00	1645.95	216.17	152.72	136426.88	550.59	0.00	0.08	550.67	136977.55	
Available for Sale													
Gross	24018.10	0.00	2306.13	11867.77	0.00	3738.79	41930.79	1151.42	0.00	98.44	1249.86	43180.65	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43**	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89	
Net	23867.47	0.00	1191.63	10869.41	0.00	459.36	36387.86	1151.42	0.00	0.48	1151.90	37539.76	
Held for Trading													
Gross	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Net	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	
Total Investments	158464.63	0.00	2312.92	13513.72	252.10	3891.51	178434.88	1702.01	0.00	98.52	1800.53	180235.41	
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	
Less: Provision for Depreciation and NPI	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43**	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89	
Net	158314.00	0.00	1198.42	12515.35	216.17	612.08	172856.02	1702.01	0.00	0.56	1702.57	174558.59	

Note: Value of SRs shown under 'Others' in place of 'Debentures and Bonds' and hived off provision shown under provision for Depreciation and NPI to have congruence with reporting of current year. **Includes hived off provision of Rs 192231 Crore

b. Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	5676.82	5454.38
b) Add: Provisions made during the year	1473.84	792.51
c) Less: Write off/write back of excess provisions during the year	3214.87	570.06
d) Closing balance	3935.79	5676.82
ii) Movement of Investment Fluctuation reserve		
a) Opening balance	1031.90	1031.90
b) Add: Amount transferred during the year	-	-
c) Less: Drawdown	-	-
d) Closing balance	1031.90	1031.90
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category	2.47%	2.83%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the Balance sheet

c. Sale and transfers to/from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Loss on account of sale of securities from HTM category amounting to Rs 37.35 crores (previous year Rs 263.51 crores) has been debited from Profit and Loss Account.
- Shifting of securities:
 - (i) In the beginning of the year, the Bank shifted:
 - SLR securities for Book Value of Rs. 26342.47 crores was shifted from HTM to AFS which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF securities for Book Value of Rs.2.05 crores from HTM category to AFS category and
 - SLR securities for Book Value of Rs. 9851.93 crores from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation to reduce the book value to the market value.
 - In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2022-23, a sum of Rs. 143.25 crores (previous year Rs. 184.00 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

d. Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
a)	Opening balance	1979.98	1793.21
b)	Additions during the year since 1 st April	1023.98	513.53
c)	Reductions during the above period	182.04	326.77
d)	Closing balance	2821.92	1979.98
e)	Total provisions held	1810.18	907.65

ii. Issuer composition of non-SLR investments

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
a)	PSUs	22873.36	22460.95	20196.01	20645.70	0.00	175.00	394.99	0.36	18321.99	18068.71
b)	FIs	7118.71	5537.00	2845.59	3110.26	134.99	149.99	20.00	0.00	20.00	57.03
c)	Banks	2981.48	1806.55	1413.87	1358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
d)	Private Corporates	5247.29	5714.71	5044.58	7414.80	164.35	260.64	329.77	258.51	414.65	432.06
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63	132.63
f)	Others	2865.18	2044.76	495.91	256.31	0.00	0.00	474.98	0.00	0.00	260.43
g)	Less: Provision held towards depreciation	3846.92	3603.87	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Total	37450.60	34171.60	30207.46	32997.44	299.34	585.63	1219.74	258.87	18889.27	18967.79

e. Repo transactions (in face value terms)

(Amount ₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	0.00	32715.73	9749.74	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	0.00	55014.83	6035.82	5007.04
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Asset quality

C. Classification of advances and provisions held

(Amount ₹ in Crore)

	2022-23						2021-22					
	Standard	Non-Performing				Total	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances		Total Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs												
Opening Balance	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75	351861.61	7369.96	24657.89	6427.50	38455.35	390316.96
Add: Additions during the year					7042.73	7042.73					10164.66	10164.66
Less: Reductions during the year					14077.46	14077.46					13405.76	13405.76
Closing balance	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.52	473586.50	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75
Reductions in Gross NPAs due to:												
i) Upgradation					1145.72	1145.72					1574.23	1574.23
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts & incl others as exchange diff)					4547.31	4547.31					3484.96	3484.96
iii) Technical/ Prudential Write-offs					7188.98	7188.98					7057.06	7057.06
iv) Write-offs other than those under (iii) above					1052.37	1052.37					1289.51	1289.51
V) COVID moratorium Int reversal					143.07	143.07					0.00	
Provisions (excluding Floating Provisions)												
Opening balance of provisions held	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.50	28399.82
Add: Fresh provisions made during the year					6342.14	6342.14					8142.52	8142.52
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					8528.82	8528.82					8024.43	8024.43
Closing balance of provisions held	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42
Net NPAs												
Opening Balance		3539.47	5178.62	130.56	8848.64			5539.85	6731.28	0.00	12271.13	
Add: Fresh additions during the year					700.59						2022.14	
Less: Reductions during the year					5506.16						5444.63	

	2022-23					2021-22				
	Standard	Non-Performing			Total	Standard	Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances
Closing Balance		2723.44	1319.64	0.00	4043.07		3539.47	5178.62	130.56	8848.64
Floating Provisions										
Opening Balance						70.76				70.76
Add: Additional provisions made during the year						0.00				0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00				0.00
Closing balance of floating provisions						70.76				70.76
Technical write-offs and the recoveries made thereon										
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					34919.68					30170.05
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					7346.91					7061.85
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					5048.92					2312.22
Closing balance					37217.67					34919.68

Ratios (in per cent)	31.03.2023	31.03.2022
Gross NPA to Gross Advances	5.95	8.47
Net NPA to Net Advances	0.90	2.27
Provision coverage ratio With AUC	93.82	87.38
Provision coverage ratio Without AUC	85.65	74.87

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2023			31.03.2022		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	101000.43	8654.40	8.57%	87065.57	8759.40	10.06%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	28673.35	4313.43	15.04%	26752.74	4694.10	17.55%
c)	Services	50982.45	6468.38	12.69%	47795.22	5974.44	12.50%
d)	Personal loans	10162.22	1145.25	11.27%	22022.67	1972.32	8.96%
	Subtotal (i)	190818.45	20581.47	10.79%	183636.20	21400.26	11.65%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	936.14	271.50	29.00%	1068.53	150.64	14.10%
b)	Industry	108343.12	4457.57	4.11%	84098.33	7999.90	9.51%
c)	Services	92520.00	846.26	0.91%	88801.51	4082.68	4.60%
d)	Personal loans	80967.79	2022.72	2.50%	58020.18	1580.77	2.72%
	Sub-total (ii)	282767.05	7598.05	2.69%	231988.55	13813.99	5.95%
	Total (i + ii)	473586.50	28179.52	5.95%	415624.75	35214.25	8.47%

c. Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total Assets	31620.97	21674.74
Total NPAs	1267.06	1271.24
Total Revenue	1041.69	307.69

d. Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets – Revised framework is as follows:

(Amount ₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2023, out of (b) classified as NPA (c)	Addl. provision required for loans covered under RBI circular (d)	Provision out of (d) already made by 31.03.2023 (e)
15003.10	13625.38	13625.38	1095.29	1095.29*

* including provision of Rs.590.02 Crore on Non Fund outstanding of the NPA account as on 31.03.2023.

During the quarter ended March 31, 2023, the Bank has made additional provision of Rs. 363.61 Crores in certain stressed standard accounts in terms of RBI guidelines on 'Prudential Framework for resolution of stressed assets'.

e. Divergence in asset classification and provisioning

In our Bank, divergence are within threshold limit specified in RBI circular no DOR.ACC.REC.No. 45/21/4/018/2021-22 dated 30.08.2021, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPA is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2022.

f. Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI Circular No DOR.STR.REC.51/21.04.048/2022-23 dated September 24, 2021 the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2023 are given below:

i. Details of loans not in default acquired:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Mode of Acquisition	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	1322.84	3826.71	2900.86
Weighted Average Residual Maturity (in years)	1.75	4.75	3.47
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.32	0.36
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	5%-10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	Not Applicable	150.80%	61%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	AAA: 0.00 AA: Rs.38.02 Cr A:Rs.1284.82 Cr	AAA: Rs.466.78 Cr AA: Rs.3142.94 Cr A:Rs.216.99 Cr	AAA(+/-): Rs 60.35 Cr AA(+/-): Rs 2073.31 Cr A(+/-): Rs 767.20 Cr

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2022 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Mode of Acquisition	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	414.86	2230.60	1566.25
Weighted Average Residual Maturity (in years)	1.75	11.47	4.50
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.51	0.49
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	5%-10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	Nil	110%	114%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	AAA: 0.00 AA: Rs.111.00 Cr A: Rs. 303.86 Cr	AA Rs. 399.27 Cr. AA- Rs. 1721.30 Cr. A+ Rs. 110.03 Cr.	AA(+/-): Rs 1327.10 Cr. A(+/-): Rs 239.15 Cr.

ii. Details of loans not in default transferred: NIL

iii. Details of stressed loan transferred:

(Amount ₹ in Crore except number of accounts)

Details of Stress loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2022 to 31.03.2023			
Particular	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of Accounts	10	3	NIL
Aggregate principal outstanding loans transferred	837.48	11.68	
Weighted average residual tenor of the loans transferred	0.00	0.00	
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	38.13	0.00	
Aggregate Consideration	439.42	5.70	
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	---	---	

The Bank has reversed the amount of Rs. 391.95 Crores of excess provision to the profit and loss account on account of sale of stressed loans.

iv. Details of loans acquired during the year: NIL

- v. The distribution of Security Receipts (SRs) held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the Credit Rating Agencies as on 31.03.2023 is given as under:

(Amount ₹ in Crore)

Recovery Rating	Book Value
RR1+(Above 150%)	0.00
RR1 (Above 100% up to 150%)	49.90
RR2 (Above 75% up to 100%)	137.40
RR3 (Above 50% up to 75%)	42.20
RR4 (Above 25% up to 50%)	66.49
RR5 (up to 25%)	112.79
SRs with unrated (0%)	562.92
TOTAL	971.70*

* The bank is holding 100% provision

g. Book Value of Security Receipts (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	971.70	3210.97*
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	971.70	3210.97

*Includes hived off provision of Rs. 1922.31 Crore

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs Issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	45.22	476.45	450.03
	Provision held against (i)	45.22	476.45	450.03
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	45.22	476.45	450.03

h. Fraud accounts

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Number of frauds reported	429	211
Amount involved in fraud (₹ crore)	493.31	2036.71
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	442.76	1780.77
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.	0	0

*Bank carries the provisions of Rs 442.76 Crore against fraud cases after taking in to consideration recoveries made.

i. MSME DISCLOSURE

In accordance with the RBI Circulars DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, DOR.No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances', the details of MSME restructured accounts under the Scheme are as under:

No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2023 (Amount ₹ in Crore)
72229	4886.74

j. Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

A special window under the Prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2021-22 dated August 6, 2020 and RBI/2022-23/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2022-23 dated May 5, 2021 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Details of resolution plan implemented under the resolution framework for covid-19 related stress as given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – as on 30.09.2022 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – as on 31.03.2023
1	Personal Loans	7122	316	0	742	6064
2	Corporate persons*	4086	515	0	968	2603
	Of which MSMEs	3045	475	0	923	1647
3	Others	4852	285	0	1957	2610
	Total (1+2+3)	16060	1116	0	3667	11277

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

K. Covid Measures:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

5. Exposures

a. Exposure to real estate sector

(Amount ₹ in Crore)

Category	31.03.2023	31.03.2022
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector**	56613.08 7788.72	42042.63 19141.34
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)**	15753.98	8351.70
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i) Residential	NIL	NIL
ii) Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	28188.11	24353.80
Total Exposure to Real Estate Sector	100555.17	74748.13

**Exposure also include non-fund based (NFB) limits;

b. Exposure to capital market

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1929.42	2140.16
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	11.68	29.17
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL

v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	490.01	317.75
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	249.50	171.03
Total exposure to capital market	2680.61	2658.11

c. Risk category-wise country exposure

(Amount ₹ in Crore)

Risk Rating	Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2023	Provision held as at 31.03.2023	Exposure (Net) as at 31.03.2022	Provision held as at 31.03.2022
A1	Insignificant	17062.00	6.82	16,236.81	7.51
A2	Low	6176.81	--	7,738.52	--
B1	Moderately Low	96.93	--	19.73	--
B2	Moderate	100.76	--	117.11	--
C1	Moderately High	19.08	--	995.18	--
C2	High	482.94	--	0.63	--
D	Very High	0.00	--	--	--
	Total	23938.51	6.82	25,107.98	7.51

** As per the updated country risk classification by the ECGC as of 31.03.2023

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2023 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank.

In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category (A1) by ECGC Ltd, a provision of Rs.6.82 Crores (Previous year Rs.7.51 Crores for 'Insignificant' risk category) is available.

d. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL), if any, exceeded by the Bank

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of total exposure
-	-	NIL	-	-

e. Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2023 branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2023 is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU.

During the year ended 31.03.2023, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and Outstanding as on 31.03.2023 is NIL.

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 353.33 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

We have issued LOU for Sri Lankan branches favouring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. We do not anticipate any financial impact in immediate near future on account of LOU issued.

Bank has issued LOC for our IBU/ FBU in IFSC, SEZ Gift City, Gujarat Favouring International Financial Service Centres Authority (IFSCA) as per the mandatory requirement of IFSCA. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on Account of LOC issued. This has been issued in the month of February 2022.

f. Unsecured advances

(₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total unsecured advances of the bank	36332.65	26610.06
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

g. Factoring exposures: NIL

h. Intra-group exposures

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
1	Total Amount of intra group exposures	904.64	901.85
2	Total Amount of top 20 intra group exposures	904.64	901.85
3	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.14%	0.16%
4	Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

i. Unhedged foreign currency exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of Unhedged Foreign Currency Exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, Bank is ensuring that all the exposures (fund based and non-fund based including Letter of comfort/ Letter of undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts, unhedged exposure are captured and impact is analysed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ₹ 15.10 Crore and Capital of ₹ 19.47 Crores for the year ended 31st March 2023 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular dated January 15, 2014

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	42446.97	39721.71
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	6.83%	6.69%

b) Concentration of advances

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total advances to the twenty largest borrowers	55946.01	51586.08
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	11.81%	12.41%

c) Concentration of exposures

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	75085.66	68900.08
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	11.26%	11.86%

d) Concentration of NPAs

Particulars	2022-23	2021-22
Total Exposures to the Top Twenty Accounts	3558.02	6587.36
Percentage of exposures to the Twenty largest NPA exposures to the total Gross NPAs	12.63%	18.71%

7. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2022-2023.

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
i) The notional principal of swap agreements	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swap	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of the swap book	0.00	0.00

Note: Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed.

b) Exchange traded interest rate derivatives

The Bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	800.00	Nil
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2023 (instrument wise)	800.00	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination

of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

ii) Quantitative disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:

- Currency Futures

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2023 is ₹ NIL and previous year was ₹ Nil.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particular	31.03.2023		31.03.2022	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) For trading	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Credit Exposure	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	0.00	0.00	0.00	0.00

d) Credit default swaps: NIL

8. Disclosures relating to securitisation

(Number/ Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
1	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL

3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	NIL	NIL
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Opening balance of amounts transferred to DEAF as on 01.04.2022	2221.49	1973.27
Add : Amounts transferred to DEAF during the year 2022-23	344.72	265.92
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year 2022-23	55.55	17.70
Closing balance of amounts transferred to DEAF up to 31.03.2023 (1+2-3)	2510.66	2221.49

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
Complaints received by the Bank from its Customers			
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	1588	11834
2	Number of complaints received during the year	99298	254183
3	Number of complaints disposed during the year	100048	264429
3.1	of which, number of complaints rejected by the Bank	2131	531
4	Number of complaints pending at the end of the year	838	1588
Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman			
5	Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	6752	7204
5.1	of 5, Number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	6598	6254
5.2	of 5, Number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	238	460
5.3	of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	0	3
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

* Previously Offices of Banking Ombudsman

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of which complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of (5), Number of complaints pending beyond 30 days
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022-23					
ATM Debit card	884	51055	-62.77%	411	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	291	11342	-75.86%	71	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	21	3623	3.36%	35	0
Loans and Advances	18	2484	-23.75%	23	0
Pension and facilities for Senior Citizens / differently abled	8	1123	-1.14%	2	0
Others	366	29671	-52.10%	296	0
Total	1588	99298	-60.93%	838	0
2021-22					
ATM Debit card	4815	137138	- 2 %	884	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	6150	46991	- 62 %	291	0
Loans and Advances	113	3505	+ 118 %	21	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	63	3258	- 20 %	18	0
Credit Cards	0	1340	+ 224 %	8	0
Others	693	61951	+ 22 %	366	0
Total	11834	254183	- 21 %	1588	0

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

12.1 Disclosure of penalties imposed by the RBI:

During the year RBI has imposed a penalty of Rs.0.73 Cr (257 instances), of which Rs.0.20 Cr (118 instances) is related to discrepancies in soiled notes remittances, Rs. 0.33 Cr (69 instances) is due to delayed reporting in eKuber and Rs.0.20 Cr (70 instances) is due to irregularities observed in RBI inspection.

12.2 Disclosure of penalties imposed by the GOI / State Govt.:

During the year, Govt. has imposed penalty of 0.11 Cr (11 instances) related to delay in remittances to Govt accounts.

13. Cash Flow Statement (AS 3):

Standalone Cash Flow statement for the Year ended Mar 31, 2023

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2023	31.03.2022
Net Profit as per Profit and Loss Account	5282	3945
Adjustments for :		
Provision for NPA	6516	8447
Provision for Investment	492	454
Provision for Standard Assets	2295	962
Provision for Tax	633	(741)
Other Provisions and Contingencies	140	(6)
Depreciation on Fixed Assets	529	598
Interest on Capital Instrument	734	750
Loss/(profit) on sale of land and buildings	0	(5)
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	(7)	(1)
Income taxes paid	0	0
Profit before working Capital Changes	16613	14401
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(11922)	1525
(Increase) / Decrease in Advances	(66718)	(34967)
(Increase) / Decrease in Other assets	2700	5056
	(75940)	(28387)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	27548	55547
Increase / (Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	4864	(6925)
Increase / (Decrease) in Other liabilities	(1028)	(5903)
	31384	42718
Net cash generated from operations (A)	(27943)	28732
Cash flow from investing activities		
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	7	1
Purchase of fixed assets	(324)	(318)
Sale of fixed assets	20	18
Net cash generated from Investing Activities (B)	(297)	(299)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(810)	(249)
Redemption of Tier 2 Bonds	0	(600)

Particulars	Year ended	
	31.03.2023	31.03.2022
Interest on Capital Instrument	(734)	(782)
Equity Capital Issued during the period (incl. Share premium)	0	1650
Net cash generated from financing activities (C)	(1543)	18
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	(29783)	28452
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1962	1658
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	22092	25887
b) in other deposit accounts	34500	8900
Balances with Banks		
a) in current accounts	6	95
b) in other deposit accounts	1386	2046
Money at Call and short notice with Banks	0	0
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	504	1578
b) in other deposit accounts	19453	11271
Money at call and short notice	12	29
	79916	51464
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1242	1962
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	26670	22092
b) in other deposit accounts	4780	34500
Balances with Banks		
a) in current accounts	18	6
b) in other deposit accounts	1574	1386
Money at Call and short notice with Banks	5007	0
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	693	504
b) in other deposit accounts	10145	19453
Money at call and short notice	3	12
	50133	79916
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	(29783)	28452

14. Employee Benefits (AS 15)

i. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2022-23, the Bank has contributed ₹ 0.91 crores

(previous year ₹ 1.14 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2022-23, the Bank has contributed ₹ 288.87 crores (previous year ₹ 255.18 crores)

ii. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2023	31/03/2022
Discount Rate -G-Sec Rate	7.48% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.27% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets*	7.69% for Pension and 7.83% for Gratuity	7.62% for Pension and 7.67% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) – RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
PVO as at the beginning of the year	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
Interest Cost	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
Current service cost	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Benefits paid	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
Actuarial loss/ (gain) on obligation	1689.97	1741.31	63.18	30.26	187.82	77.35
PVO as at the end of the year	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75

(Amount ₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
Contributions	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
Benefits paid	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
Actuarial gain/(loss) on plan assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Expected return on plan assets	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1240.84	1144.57	135.24	142.83	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1689.97	-1741.31	-63.18	-30.26	-187.82	-77.35
Actuarial gain / (loss) for the year - due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35

(Amount ₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Present value of the obligation	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
Fair value of plan assets	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75

*Provision on account of change in family pension rules is included

(Amount ₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Current service cost	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
Interest Cost	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
Expected return on plan assets	-1227.56	-1132.00	-134.35	-136.42	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1676.69	1728.74	62.29	23.85	187.82	77.35
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1859.91	1894.78	128.87	66.83	458.92	312.19

(Amount ₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Opening net liability	-653.10	-357.87	19.07	49.04	-1004.75	-977.42
Expense as above	-1859.91	-1894.78	-128.87	-66.83	-458.92	-312.19
Contribution paid	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
Closing net liability	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2018-23 - Pension	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66
Plan Assets	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26
Surplus/ (Deficit)	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.93	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2018-23 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90
Plan Assets	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29
Surplus/ (Deficit)	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	22.12	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2018-23 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2022-23		2021-22	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	29.29%	23.35%	32.38%	23.42%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.64%	12.88%	13.42%	12.21%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%
Funds managed by Insurer	54.48%	63.53%	53.98%	64.11%
Equity and Mutual Funds	0.53%	0.20%	0.16%	0.22%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹73.65 crore (previous year ₹48.43 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year
(Amount ₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2023	31/03/2022
1.	Sick Leave	2.54	1.84
2.	Casual Leave	-0.03	0.09
3.	Leave Travel Concession	71.14	46.50
Total		73.65	48.43

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

15. Property, Plant and Equipment (AS-10)

15.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. In Financial Year 2021-22, bank has revalued immovable properties based on the reports obtained from the external independent valuer. The closing balance of revaluation reserve as on 31.03.2023 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs 6106.90 crore (Previous year Rs 6211.02 crore).

As per AS-10 in the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve.

For the year 2022-23, depreciation amounting to Rs.110.87 crores (Previous Year Rs.147.27 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 104.12 Crore (previous year Rs. 143.42 crore) is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

15.2 Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores having revalued book value of Rs. 65.98 crores (Previous year Rs. 66.74 Crore), net of depreciation of Rs.0.76 Crore (Previous year Rs.1.46 crore) for which registration formalities are pending

**Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRAT.*

16. Lease (AS 19)

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 399.08 Crore. (Previous year Rs. 417.00 Cr).
- Finance lease
An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance leases are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2022	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2022
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

17. Indian Bank Trust for Rural Development

IBTRD has been set up by the Bank in 22.09.2008 to pay focused attention on Rural Development initiatives. As per GoI notification, erstwhile Allahabad Bank has been amalgamated with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020, and the process of amalgamation of IBTRD and Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) is under progress and all the assets and liabilities of ABRDT will be transferred to IBTRD. The focus area of the Trust has been self-employment training and imparting Financial Literacy at both district and block level.

As per the direction of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, our Bank has established Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs) in the name of Indian Bank Self-Employment Training Institutes (INDSETIs) through the Trust to impart self-employment training to rural youth.

The present number of INDSETIs, Financial Literacy Centres (FLCs) and Centres of Financial Literacy (CFLs) sponsored by the Trust pan-India are as under:

Particulars	In Lead districts	In Non-lead districts	Total
INDSETIs	30	5	35
FLCs	36	6	42
CFLs	76	15	91

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Board of Trustees of IBTRD

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023*

(Amount ₹ in Crore)

Expenditure		Income	
Operating Expenses for INDSETIs	14.94	Reimbursement of Expenses by Bank towards CSR	12.00
Expenses for FLCs	0.73	Training Cost Reimbursement by various agencies	5.51
Expenses for CFLs	0.60	Credit back of FLC balances due to account closure	0.01
AMC	0.02		
Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.06		
Excess of Income over Expenditure	1.17		
TOTAL	17.52		17.52

PROVISIONAL RECEIPT AND PAYMENT A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023*

Receipt		Payment	
Opening Balance	0.71	Capital Expenses for INDSETIs	1.36
CSR Contribution from Bank	12.00	Reimbursements to INDSETIs, FLCs & CFLs	16.27
Direct Income	5.51	AMC	0.02
Interest Received	0.08	Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.06
		Closing Balance	0.59
TOTAL	18.30		18.30

* Figures are subject to change on final audit of Trust

Note: As on 31.03.2023, the Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) account holds a credit balance of Rs.2.45 Crore.

18. Legal

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communication Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claimed aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of Rs.15.94 Crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of Rs.84.06 Crore held as security-margin money as on 31.03.2023 and a sum of Rs.15.32 Crores as provision under the head 'Contingent Fund-Claim made against the bank'. Total provision aggregating to Rs. 31.26 Crore.

19. Accounting standard-17 "Segment Reporting"

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:

- Treasury

- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

** Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.*

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury –

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business –

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. Domestic Operations – Branches/Offices having operations in India
- ii. Foreign Operations – Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

Part A Business Segment	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	13781.49	13767.26	18 223.54	16082.40	19474.98	15415.12	0.00	NA	19474.98	15415.12	605.26	506.89	52085.27	45771.67
Result	5673.24	6355.67	4468.80	3079.29	4702.20	2938.78	(0.25)		4702.45	2938.78	426.38	343.16	15270.62	12716.90
Unallocated expenses													9356.21	9512.67
Operating profit													5914.41	3204.23
Other unallocable income													0.00	0.00
Income Taxes													632.71	(740.59)
Exceptional item													0.00	0.00
Net Profit													5281.70	3944.82
Other information													0.00	0.00
Segment Assets	218813.92	240001.83	232908.23	215377.81	249089.62	206008.16	0.93	NA	249088.69	206008.16	0.00	0.00	700811.77	618347.78
Unallocated assets													9688.96	10280.25
Total assets													710500.73	671668.05
Segment Liabilities	204039.68	224383.64	217182.35	201362.03	232271.18	192602.11	1.18	NA	232270.00	192602.11	0.00	0.00	653493.21	618347.78
Unallocated liabilities													9034.77	9611.47
Capital reserves & Surplus													47972.75	43708.80
Total liabilities													710500.73	671668.05

Part B Geographic Segments

	Domestic		International		Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	51 043.58	45 463.98	1 041.69	307.69	52 085.27	45 771.67
Assets	6 78 879.76	6 49 993.31	31 620.97	21 674.74	7 10 500.73	6 71 668.05

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary

20. Related Party Disclosures (AS 18):

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank

1. SUBSIDIARIES:

SI No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a)	Indbank Merchant Banking Services Ltd.	India	11/08/1989	64.84%	Brahmayya & Co, Chartered Accountants	26/08/2022
b)	Ind Bank Housing Ltd.	India	28/01/1991	51.00%	M/s. N C Rajagopal & Co.	30/08/2022

2. ASSOCIATES:

SI. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a)	Tamilnadu Grama Bank	35%
b)	Saptagiri Grameena Bank	35%
c)	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52%	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26%	37.50

4. Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment.	Date of cessation
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021	
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	
Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022	

5. Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	300
2	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200

Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹135.84 lakhs (Previous-Year ₹172.37 lakhs)

Details	2022-23	2021-22
Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.08.2021)	--	₹40.30 lakhs
Shri Shanti Lal Jain MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹40.74 lakhs	₹20.27 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V., Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	--	₹32.76 lakhs
Shri K. Ramachandran, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 30.06.2021)	--	₹30.19 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹36.53 lakhs	₹30.00 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹47.23 lakhs*	₹18.85 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (21.11.2022 to 31.03.2023)	₹11.34 lakhs	--

*Including House Rent Allowance of Rs. 12.32 lakh.

Other disclosures pertaining to related parties are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Joint ventures	Total
Rendering of services	15.28	2.17	15.28
Receiving of services	2.17	15.28	2.17

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

21. Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2022-23	2021-22
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	5281.70	3944.82
Number of Equity Shares	1245441139	1245441139
Weighted Number of equity shares	1245441139	1218410075
Basic Earnings Per Share	42.41	32.38
Diluted earnings per share	42.41	32.38
Nominal value per Equity Share	10.00	10.00

22. Accounting for taxes on income (AS 22):

- a) Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 1178.64 Crore including provision for tax on foreign branches relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 8.34 Crore. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 15.74 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b) Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 4434.56 Crore (Previous year net DTA of Rs. 3872.91 Crore), included under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	275.43	219.35
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	122.57	99.08
3	Provision for Gratuity	0.04	0.06
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3856.25
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	1094.72	588.06
6	Depreciation on Fixed Assets	102.79	87.26
	Total DTA	5459.96	4850.06
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.40	44.40
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	613.74	565.49
	Total DTL	1025.40	977.15
	Net DTA/(DTL)	4434.56	3872.91

c) Provision for Income Tax for the year:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for Taxation (Income tax including Deferred Tax)	632.71	-740.59

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2023 was Rs. 3953.36 Crore (previous year 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs. 8846.59 Crore (previous year Rs. 9187.03 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2023. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case except in case of income relating to foreign branches for the earlier periods amounting to Rs. 8.34 Crores for which Bank has provided during the current year.

23. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs. in Crore)
Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particular	31.03.2023	31.03.2022
Liabilities		
Capital & Reserves	437.90	391.69
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	19.38	8.54
Other Liabilities & Provisions	1271.32	1174.50
TOTAL	1728.60	1574.73
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.10	0.05
Balances with Banks and money at call and short notice	54.81	30.40
Investments	1337.92	1146.12
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	18.07	11.37
Other Assets	317.70	386.79
TOTAL	1728.60	1574.73
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	46.76	48.05
Income		
Interest earned	5.99	6.04
Other Income	695.48	478.41
TOTAL	701.47	484.45
Expenditure		
Interest expended	1.81	2.36
Operating expenses	620.43	420.65
Provisions & Contingencies	25.46	17.63
TOTAL	645.90	440.64
Profit	53.77	43.81

24. Impairment of Assets (AS-28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28—"Impairment of Assets" applies.

25. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2022	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2023
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	215.91	4.22	2.45	217.68

26. Other Disclosures

a) Business ratios

	Particular	Current Year	Previous Year
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	6.52	6.21
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds ²	1.04	1.11
iii)	Cost of Deposits	4.09	3.97
iv)	Net Interest Margin	3.37	2.93
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.22	2.03
vi)	Return on Assets ³	0.77	0.63
vii)	Business (deposits plus advances) per employee ⁴ (in ₹ crore)	26.61	25.20
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.13	0.10

¹Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs., during the 12 months of the financial year.

²Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

³Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

⁴For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded

b) Bancassurance Business

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.136.35 Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.85.01 Crore).

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2022-23	2021-22
1	For Selling Life Insurance Policies	100.37	56.22
2	For selling Non-life insurance policies	29.42	26.42
3	Others – For selling Mutual Fund Products	6.56	2.37
	Total	136.35	85.01

c) Marketing and distribution

The Bank does not undertake marketing and/or distribution of any product of other entities (other than products under Bancassurance Business). Therefore, the Bank has not earned any fees/remuneration from the stated activities.

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year shall be disclosed.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	PSLC Category	Purchase position		Sale position	
		No. of Units	Amount	No. of Units	Amount
1	PSLC AGRICULTURE	0	0.00	28404	7101.00
2	PSLC SMALL AND MARGINAL FARMER	0	0.00	111612	27903.00
3	PSLC GENERAL	0	0.00	14684	3671.00
4	PSLC MICRO	0	0.00	0	0.00
	Total	0	0	154700	38675.00

e) Provisions and contingencies

(Amount ₹ in Crore)

Provision debited to Profit and Loss Account		2022-23	2021-22
i)	Provisions for NPI	405.16	110.51
ii)	Provision towards NPA	6516.22	8446.60
iii)	Provision made towards Income tax	632.71	-740.59
iv)	Other Provisions and Contingencies (with details)		
1.	Standard Advances	2294.78	961.57
2.	Restructured Advances	90.75	3.78
3.	Others	49.30	-9.79
TOTAL		9988.92	8772.08

- f)** Pending settlement of the Bipartite agreement on wage revision (due from November 01, 2022), an ad hoc amount of Rs. 251.80 Crores has been provided during the year ended March 31, 2023 towards wage revision.

g) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- I. As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018
- II. RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- III. Subsequently, RBI advised that Banks shall submit Ind AS proforma financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been duly complied with.
- IV. From F. Y. 2021-22 onwards, RBI advised to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. The same has been complied with. The Audit Committee of the Board and Board of Directors have been periodically apprised the progress in this regard.
- V. As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

h) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	732.47	683.68
ii)	Arrears in payment of DICGC Premium	0.00	0.00

i) Items includes in Miscellaneous income which exceeds 1% of total income

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Processing Charges	693.04	574.42
Recovery from bad debts	2177.18	1611.69
PSLC Income	@@	570.63

@@PSLC Income exceeded 1% of total income during FY 2021-22 .

Note:

- i) None of the item under the subhead "Other expenditure" under the head "Schedule 16-Operating Expenses" exceeds one per cent of total income.
- ii) None of the item under the Schedule 5(IV)-Other Liabilities and Provisions-"Others (including provisions)" or Schedule 11(VI)-Other Assets-"Others" exceeds one per cent of the total assets.

j) Reconciliation and Adjustments

- I. Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2023. except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.

- II. In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2023, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 228.01 Crore including fresh provision of Rs. 5.35 Crore made during the year 2022-23)
- III. Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- IV. Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.
- V. Dividend of Rs. 8.60 per equity share i.e. 86% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2022-23.
- VI. As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank of MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

Previous year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm to current year's classification.

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:
 - i) The Central Office and its Departments, Treasury Branch and 20 Indian Branches audited by us;
 - ii) 1,772 Indian Branches (incl. GIFT City Branch) audited by respective Statutory Branch Auditors and
 - iii) 3 Foreign Branches audited by respective local auditors;

The Indian branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, incorporated in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 4,362 Indian branches which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 21.99% of Advances, 52.03% of Deposits, 15.40% of Interest income and 44.79% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a:
 - a. true and fair view in case of the Balance Sheet read with the notes thereon, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023;
 - b. true balance of Profit in case of the Statement of Profit and Loss Account read with the notes thereon, for the year ended on that date and
 - c. true and fair view of the cash flows in case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How the Key Audit Matter was addressed in our Audit
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Note 4) The net advances of the Bank constitute 63.24% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests. A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,

	- Investments constitute 26.18% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. - Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	- We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; - For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; - We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; - We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of

the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 1,775 branches (of which 178 are Processing Centers) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,45,986.51 crores as at 31st March 2023 and total revenue of Rs.14,994.16 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and Processing centers cover 41.46% of advances, 46.57% of deposits and 57.25% of Non-performing assets as at 31st March 2023 and 28.79% of revenue for the year ended 31st March 2023. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

9. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2022 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements vide report dated 11.05.2022

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in **paragraphs 7 to 9** above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

12. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020(as amended), we report that:
- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2023.
13. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
 - the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
 - the reports on the accounts of the 1772 branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP

Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)

UDIN: 23223137BGYLQA7492

For G. NATESAN & CO

Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)

UDIN: 23020555BGWSZP9058

For S A R C & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 23114196BGUMBA4340

For KAILASH CHAND JAIN & CO

Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 23110713BGYQGS4467

For S SINGHAL & CO

Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)

UDIN: 23074661BGXKJF3602

Date of Report : 08.05.2023

Place of Signature: Chennai

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 12(e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Bank as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1,772 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain matters were noticed by us. Bank needs to further strengthen the process including alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM) and designing a few more RCMs.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP

Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)

UDIN: 23223137BGYLQA7492

For G. NATESAN & CO

Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)

UDIN: 23020555BGWSZP9058

For S A R C & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 23114196BGUMBA4340

For KAILASH CHAND JAIN & CO

Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 23110713BGYQGS4467

For S SINGHAL & CO

Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)

UDIN: 23074661BGXKJF3602

Date of Report : 08.05.2023

Place of Signature: Chennai

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2023

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2023 (Audited)	As on 31.03.2022 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1245.44	1245.44
Reserves and Surplus	2	48261.38	43706.49
Minority Interest	2A	26.19	24.98
Deposits	3	621123.23	593570.88
Borrowings	4	22092.42	17217.52
Other Liabilities & Provisions	5	20585.34	18331.12
TOTAL		713334.00	674096.43
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	32692.73	58554.66
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	17524.10	21413.56
Investments	8	188366.28	176501.61
Advances	9	449293.95	389186.07
Fixed Assets	10	7480.67	7698.91
Other Assets	11	17976.27	20741.62
TOTAL		713334.00	674096.43
Contingent Liabilities	12	381370.21	356020.02
Bills for Collection	-	16082.16	14144.89

S L JAIN

Managing Director & CEO

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

ASHWANI KUMAR
Executive Director

IMRAN AMIN SIDDIQUI
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

ADITYA GAIHA
RBI Nominee Director

BHARATH KRISHNA SANKAR
Shareholder Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)

UDIN: 23223137BGYPZ9651

For G. NATESAN & CO
Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)

UDIN: 23020555BGWSZO2165

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 23114196BGUMAZ2710

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 23110713BGYQGR5630

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)

UDIN: 23074661BGXKJE6824

Date: 08.05.2023

Place: Chennai

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2023 (Audited)	Y. E. 31.03.2022 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	44985.16	38888.44
Other Income	14	7804.50	7379.71
TOTAL		52789.66	46268.15
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	24717.29	22129.25
Operating Expenses	16	12724.76	11353.54
Provisions & Contingencies	-	10017.13	8791.47
TOTAL		47459.18	42274.26
Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to group		5330.48	3993.89
Share of earnings in Associates		243.04	150.30
Consolidated Profit/ (loss) for the period before deducting minorities' interest		5573.52	4144.19
Less: Minority Interest		1.21	2.38
Consolidated Profit/(loss) for the period attributable to the group		5572.31	4141.81
Profit / (Loss) Brought forward		1071.77	845.15
Less: Other Adjustments		0.00	-23.19
TOTAL		6644.08	4963.77
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to:			
Statutory Reserves		1320.43	986.21
Capital Reserves		0.00	147.90
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		191.73	108.35
Revenue Reserves		2655.00	1800.00
Staff Welfare Fund		40.00	40.00
Equity Dividend		1071.08	809.54
Bal. carried over to Consolidated Balance Sheet		1365.84	1071.77
TOTAL		6644.08	4963.77
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		44.74	33.99

S L JAIN

Managing Director & CEO

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

ASHWANI KUMAR
Executive Director

IMRAN AMIN SIDDIQUI
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

ADITYA GAIHA
RBI Nominee Director

BHARATH KRISHNA SANKAR
Shareholder Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)
UDIN: 23223137BGYPZ9651

For G. NATESAN & CO
Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)
UDIN: 23020555BGWSZO2165

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 23114196BGUMAZ2710

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 23110713BGYQGR5630

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 23074661BGXKJE6824

Date: 08.05.2023
Place: Chennai

SCHEDULE 1 – CAPITAL

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. 99,45,49,600 Equity Shares of Rs.10 each)	994.55	994.55
b) 25,08,91,539 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 25,08,91,539 Equity Shares of Rs. 10 each)	250.89	250.89
TOTAL	1245.44	1245.44

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	9635.96	8649.75
b) Additions during the period	1320.43	986.21
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL I	10956.39	9635.96
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	6211.02	5754.97
b) Additions during the period	0.00	599.47
c) Deductions during the period	104.12	143.42
TOTAL (A)	6106.90	6211.02
B) Others		
a) Opening Balance	1110.69	962.79
b) Additions during the period	0.33	147.90
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	1111.02	1110.69
TOTAL II (A + B)	7217.92	7321.71
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	2391.55	857.62
b) Additions during the period	0.00	1533.93
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL III	2391.55	2391.55
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	15313.26	13369.84
b) Additions during the period	2655.00	1800.00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	104.12	143.42
d) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (A)	18072.38	15313.26
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2289.70	2181.35
b) Additions during the period	191.73	108.35
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	2481.43	2289.70
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58.20	58.20
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (C)	58.20	58.20

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1031.90	1031.90
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (D)	1031.90	1031.90
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	186.38	186.38
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (E)	186.38	186.38
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	397.24	421.93
b) Additions during the period	93.33	0.00
c) Deductions during the period	0.00	24.69
TOTAL (F)	490.57	397.24
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1.91	1.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (G)	1.91	1.91
TOTAL IV (A + B + C + D + E + F + G)	22322.77	19278.59
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006.91	4006.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL V	4006.91	4006.91
VI. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	1071.77	845.15
b) Additions during the period	5572.31	4141.81
c) Deductions during the period	5278.24	3915.19
TOTAL VI	1365.84	1071.77
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	48261.38	43706.49

SCHEDULE 2A – MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/(decrease)	22.92	21.71
Minority interest on the date of balance sheet	26.19	24.98

SCHEDULE 3 – DEPOSITS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	138.93	125.60
ii) From others	35713.22	36587.17
TOTAL	35852.15	36712.77
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	224952.41	211207.62

III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	9478.44	6067.87
ii) From others	350840.23	339582.62
TOTAL	360318.67	345650.49
TOTAL A (I+II+III)	621123.23	593570.88
B. (I) Deposits of branches in India	607984.90	584613.72
(II) Deposits of branches outside India	13138.33	8957.16
TOTAL B (I+II)	621123.23	593570.88

SCHEDULE 4 – BORROWINGS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0.00	0.00
ii) Other Banks	3.83	7.07
iii) Other Institutions and Agencies*	20155.81	15351.20
TOTAL	20159.64	15358.27
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	1932.78	1859.25
TOTAL (I+II)	22092.42	17217.52
Secured Borrowing included above	0.00	0.00

* Includes AT-1 Capital - Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 Cr (PY Rs. 2000 Cr) and Tier II Capital - Subordinated Debt of Rs. 7000 Cr (PY Rs. 7000 Cr).

** Includes pipeline and un adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Bills Payable	1841.95	1585.17
II. Inter-Office adjustments (Net)	0.00	0.00
III. Interest Accrued	1479.71	994.22
IV. Others (including Provisions)*	17263.68	15751.73
TOTAL	20585.34	18331.12

*Includes Contingent Provisions against Standard Assets of Rs. 6089.48 Cr (PY Rs. 3788.83 Cr).

SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1242.58	1962.45
II. Balances with Reserve Bank of India:	31450.15	56592.21
(i) in Current Accounts	26670.15	22092.01
(ii) in Other Deposit Accounts	4780.00	34500.20
TOTAL (I+II)	32692.73	58554.66

SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	70.37	30.64
b) in Other Deposit Accounts	1605.55	1413.81
TOTAL (i)	1675.92	1444.45
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	5007.04	0.00
TOTAL (ii)	5007.04	0.00
TOTAL I (i+ii)	6682.96	1444.45
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	693.49	503.98
ii) in Other Deposit Accounts	10144.91	19453.09
iii) Money at Call and Short Notice	2.74	12.04
TOTAL II (i+ii+iii)	10841.14	19969.11
GRAND TOTAL (I+II)	17524.10	21413.56

SCHEDULE 8 – INVESTMENTS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	190251.41	180407.76
Less : Provision for Depreciation & NPI	3796.41	5608.72
Net Investments	186455.00	174799.04
i) Government securities	166948.40	158781.58
ii) Other approved securities	99.62	7.25
iii) Shares	896.72	1214.57
iv) Debentures and Bonds	14839.78	12812.72
v) Investment in Associates	1259.73	1011.85
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	2410.75	971.07
TOTAL	186455.00	174799.04

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2041.97	1800.52
Less : Provision for Depreciation & NPI	130.69	97.95
Net Investments	1911.28	1702.57
i) Government securities (including local authorities)	1911.06	1702.01
ii) Investments in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments		
a) Shares	0.22	0.56
b) Debt Securities	0.00	0.00
TOTAL	1911.28	1702.57
NET GRAND TOTAL (I+II)	188366.28	176501.61

SCHEDULE 9 – ADVANCES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
A. i) Bills purchased and discounted	2434.93	3430.06
ii) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	210189.03	207613.08
iii) Term Loans	236669.99	178142.93
TOTAL (A)	449293.95	389186.07
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	373959.11	322961.60
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	39004.97	39614.40
iii) Unsecured	36329.87	26610.07
TOTAL (B)	449293.95	389186.07
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	170017.92	163407.16
ii) Public Sector	68741.14	67147.92
iii) Banks	0.00	0.00
iv) Others	181255.51	139011.85
TOTAL (C.I)	420014.57	369566.93
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Due from Banks	19922.99	11105.63
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & discounted	1046.80	2541.53
b) Syndicated Loans	5113.59	4650.75
c) Others	3196.00	1321.23
TOTAL (C.II)	29279.38	19619.14
GRAND TOTAL (C.I+C.II)	449293.95	389186.07

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7463.14	6866.57
Additions/Adjustments during the period	7.55	601.26
Deductions during the period	0.00	4.69
Depreciation to date	1493.33	1415.80
TOTAL	5977.36	6047.34
II. PREMISES UNDER CONSTRUCTION	1.21	0.97
III. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	4894.59	4666.96
Additions/Adjustments during the period	322.82	316.70
Deductions during the period	96.91	89.07
Depreciation to date	4097.15	3757.47
TOTAL	1023.35	1137.12
IV. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	549.38	552.10
Additions/Adjustments during the period	0.00	0.00
Deductions during the period	0.00	2.53
Depreciation to date	79.70	41.22
TOTAL	469.68	508.35
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	9.07	5.13
TOTAL (I+II+III+IV+V)	7480.67	7698.91

SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Inter Office Adjustment (net)	112.20	270.53
II. Interest accrued	3443.72	2999.69
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net)	5280.66	6440.81
IV. Stationery and Stamps	10.93	27.14
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51.38	51.38
VI. Deferred Tax assets (Net)	4445.41	3885.69
VII. Others*	4631.97	7066.38
TOTAL	17976.27	20741.62
*Includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	848.25	1062.15

SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2091.81	2159.16
II. Liability for partly paid Investments	388.96	462.77
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	328152.70	306197.71
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	28971.51	24385.93
b) Outside India	193.49	317.79
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	9758.18	10837.92
VI. Other items for which the bank is contingently liable	11813.56	11658.74
TOTAL	381370.21	356020.02

*Contingent Liability has been considered net of margin.

SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Interest/Discount on Advances/Bills	31941.15	26927.55
II. Income on Investments	11690.08	10997.62
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	877.74	851.52
IV. Others	476.19	111.75
TOTAL	44985.16	38888.44

SCHEDULE 14 – OTHER INCOME

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Commission, Exchange and Brokerage	1564.27	1181.89
II. Profit on sale of land, buildings and other assets*	1.99	7.40
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets*	1.82	4.35
Net	0.17	3.05
III. Profit on exchange transactions (Net)	1008.61	689.99
IV. Profit on sale of Investments	554.32	1757.16
Less: Loss on sale of Investments	171.24	122.36
Net	383.08	1634.80
V. Profit on Revaluation of Investments	0.00	0.01
Less: Loss on Revaluation of Investments	86.99	343.25
Net	-86.99	-343.24
VI. Lease finance/ Hire Purchase income	0.02	0.02
VII. Miscellaneous Income	4935.34	4213.20
TOTAL	7804.50	7379.71

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Interest on deposits	23182.27	20933.43
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	616.17	248.46
III. Others	918.85	947.36
TOTAL	24717.29	22129.25

SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2023	Y. E. 31.03.2022
I. Payments to and provisions for employees	7578.88	6738.44
II. Rent, Taxes and Lighting	625.93	615.43
III. Printing and Stationery	100.61	85.85
IV. Advertisement and Publicity	94.35	30.20
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	532.37	600.68
(b) Depreciation on Leased Assets	0.02	0.18
VI. Directors' fees, allowances and expenses	1.53	1.17
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	52.58	47.64
VIII. Law charges	22.78	20.26
IX. Postage, Telegrams and Telephones	97.72	111.29
X. Repairs and Maintenance	195.34	246.33
XI. Insurance	813.56	742.31
XII. Other Expenditure	2609.09	2113.76
TOTAL	12724.76	11353.54

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

- a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sompoo General Insurance Co. Ltd, (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the institute of Chartered accountants of India.. The financial statements of the subsidiaries and Joint Ventures are drawn up to the same reporting date of the parent.

- b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/ losses is adjusted against the Revenue Reserve.
- d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

PARENT:

- 4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

- a) Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

- b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- c) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- d) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- e) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

5.1 PARENT:

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"**

category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as **"HFT"**. All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS"** category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.
- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

- c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:

- i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).
- ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.
- iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

- vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
- vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

- c) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.
- d) Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- e) Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored

5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 – 'Advances' under the following heads:
 - i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution,

other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd.

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT:

- 6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:
- (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
 - (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01, 2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
 - (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank
- 6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.
- 6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing

Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7. ADVANCES

7.1 PARENT:

- 7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:
- a) Sub Standard:
 - i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)
 - b) Doubtful category-1
 - i) 25 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
 - c) Doubtful Category - 2
 - i) 40 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
 - e) Doubtful category-3 and Loss advances - 100 %.
- 7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
- 7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.15 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ECGC/CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT:

8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year

4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

8.1.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

8.1.5 Assets costing upto Rs. 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

8.1.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

8.1.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

8.1.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.3 Indbank Housing Ltd. :

Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

- Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.
- Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.
- Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.
- Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.
- Dividend income is recognized when the right to receive is established.
- Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 Indbank Housing Ltd:

- a) The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.
- b) Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

- a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

12.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees

at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.3 Ind Bank Housing Ltd.:

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

- 16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.
- 16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.
- 16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that

have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2022-23)

1. SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd.	India	11/08/1989	64.84%	Brahmayya & Co	26/08/2022
b	Ind Bank Housing Ltd.	India	28/01/1991	51.00%	M/s. N C Rajagopal & Co	30/08/2022

2. ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. Accounting for Investment in Joint Ventures (As 27)

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26%	37.50

4. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2023. except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2023, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 228.01 Crore including fresh provision of Rs. 5.35 Crore made during the year 2022-23)
- Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.
- Dividend of Rs. 8.60 per equity share i.e. 86% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2022-23.

5. FIXED ASSETS

PARENT:

- 5.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. In Financial Year 2021-22, bank has revalued immovable properties based on the reports obtained from the external independent valuer. The closing balance of revaluation reserve as on 31.03.2023 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs 6106.90 crore (Previous year Rs 6211.02 crore).

As per AS-10 in the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve.

For the year 2022-23, depreciation amounting to Rs.110.87 crores (Previous Year Rs.147.27 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 104.12 Crore (previous year Rs. 143.42 crore) is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 5.2 Registration formalities are yet to be completed for the following properties: -

Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores having revalued book value of Rs. 65.98 crores (Previous year Rs. 66.74 Crore), net of depreciation of Rs.0.76 Crore (Previous year Rs.1.46 crore) for which registration formalities are pending

*Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai Costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRAT.

5.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2022-23	2021-22	
Revaluation Reserve	Rs. 104.12	Rs. 143.42	Depreciation on revalued portion on Premises

For the year 2022-23, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standards 10.

6. COVID 19 Measures

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

7. TAXATION

7.1 PARENT:

a) Provision for Income Tax for the year:

(Amount in Crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for Taxation (Income tax including Deferred Tax)	632.71	-740.59

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2023 was Rs. 3953.36 Crore (previous year 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs. 8846.59 Crore (previous year Rs. 9187.03 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2023. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case except in case of income relating to foreign branches for the earlier periods amounting to Rs. 8.34 Crores for which Bank has provided during the current year.

b) Deferred Tax: The Bank has a net DTA of Rs. 4434.56 Crore (Previous year net DTA of Rs. 3872.91 Crore), included under under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	275.43	219.35
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	122.57	99.08
3	Provision for Gratuity	0.04	0.06
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3856.25
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	1094.72	588.06
6	Depreciation on Fixed Assets	102.79	87.26
	Total DTA	5459.96	4850.06
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.40	44.40
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(i)(viii)	613.74	565.49
	Total DTL	1025.40	977.15
	Net DTA/(DTL)	4434.56	3872.91

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD.

- A net provision of Rs.91.22 lakhs for tax has been made in the year.
- No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.67.08 lakhs (Previous year- Rs.15.55 lakhs) which has been charged to profit & loss account.
- Prior period taxes : Nil

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- The Income Tax Department has sent a demand notice for 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand before the Hon'ble Madras High Court and the judgment is issued in favour of the company on 29.11.2021

8. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

Consolidated Cash Flow statement for the Year ended Mar 31, 2023

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2023	31.03.2022
Net Profit as per Profit and Loss Account before minority Interest	5573.52	4144.19
Adjustments for :		
Provision for NPA	6516.22	8446.60
Provision for Investment	492.15	453.75
Provision for Standard Assets	2294.68	961.57
Provision for Tax	659.47	(731.02)
Other Provisions and Contingencies	141.60	3.81
Depreciation on Fixed Assets	532.39	600.86
Interest on Capital Instrument	733.88	749.59
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(0.16)	(3.05)
Income taxes paid	(13.60)	(12.18)
Profit before working Capital Changes	16930.15	14614.12
(Increase)/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(12356.81)	1337.08
(Increase) / Decrease in Advances	(66714.84)	(34967.37)
(Increase) / Decrease in Other Assets	2778.95	4947.50
	(76292.70)	(28682.79)
Increase/(Decrease) in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	27552.35	55541.08
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	4874.89	(6945.25)
Increase/(Decrease) in Other liabilities	(958.68)	(5776.83)
	31468.56	42819.00
Net cash generated from Operations (A)	(27893.99)	28750.33
Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	(334.36)	(323.09)
Sale of fixed assets	20.38	18.40
Net cash generated from Investing Activities (B)	(313.98)	(304.69)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(809.54)	(249.09)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2023	31.03.2022
Redemption of Tier-2 Bonds	0.00	(600.00)
Interest on Capital Instrument	(733.88)	(782.48)
Equity Capital issued during the period (incl. Share premium)	0.00	1650.00
Net cash generated from financing activities (C)	(1543.42)	18.43
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	(29751.39)	28464.07
Cash and cash equivalents at the beginning of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1962.45	1658.38
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	22092.01	25886.80
(b) in other deposit accounts	34500.20	8900.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	30.64	116.03
(b) in other deposit accounts	1413.81	2065.07
Money at Call and short notice with Banks	0.00	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	503.98	1577.68
(b) in other deposit accounts	19453.09	11270.83
Money at call and short notice	12.04	29.36
	79968.22	51504.15
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1242.58	1962.45
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	26670.15	22092.01
(b) in other deposit accounts	4780.00	34500.20
Balances with Banks		
(a) in current accounts	70.37	30.64
(b) in other deposit accounts	1605.55	1413.81
Money at Call and short notice with Banks	5007.04	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	693.49	503.98
(b) in other deposit accounts	10144.91	19453.09
Money at call and short notice	2.74	12.04
	50216.83	79968.22
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	(29751.39)	28464.07

9. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.1 PARENT:

9.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2022-23, the Bank has contributed ₹ 0.91 crores (previous year ₹1.14 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2022-23, the Bank has contributed ₹288.87 crores (previous year ₹255.18 crores).

9.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2023	31/03/2022
Discount Rate-G-Sec Rate	7.48% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.27% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	7.69% for Pension and 7.83% for Gratuity	7.62% for Pension and 7.67% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
PVO as at the beginning of the year	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
Interest Cost	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
Current service cost	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
Actuarial loss / (gain) on obligation	1689.97	1741.31	63.18	30.26	187.82	77.35
PVO as at the end of the year	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75

(Amount ₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
Contributions	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
Benefits paid	-1733.82	-1812.10	-250.89	-274.20	-274.21	-284.86
Actuarial gain/(loss) on plan assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Expected return on plan assets	1227.56	1132.00	134.35	136.42	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1240.84	1144.57	135.24	142.83	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1689.97	-1741.31	-63.18	-30.26	-187.82	-77.35
Actuarial gain / (loss) for the year - due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.28	12.57	0.89	6.41	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1676.69	-1728.74	-62.29	-23.85	-187.82	-77.35

(Amount ₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Present value of the obligation	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
Fair value of plan assets	17273.26	15893.63	1764.29	1802.75	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-640.40	-653.10*	-32.61	19.07	1189.46	1004.75

*Provision on account of change in family pension rules is included

(Amount ₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Current service cost	270.86	250.19	80.38	69.21	208.02	175.72
Interest Cost	1139.92	1047.85	120.55	110.19	63.08	59.12
Expected return on plan assets	-1227.56	-1132.00	-134.35	-136.42	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1676.69	1728.74	62.29	23.85	187.82	77.35
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1859.91	1894.78	128.87	66.83	458.92	312.19

(Amount ₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Opening net liability	-653.10	-357.87	19.07	49.04	-1004.75	-977.42
Expense as above	-1859.91	-1894.78	-128.87	-66.83	-458.92	-312.19
Contribution paid	1872.61	1599.55	77.19	36.86	274.21	284.86
Closing net liability	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2018-23 - Pension	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66
Plan Assets	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26
Surplus/ (Deficit)	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.93	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2018-23 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90
Plan Assets	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29
Surplus/ (Deficit)	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	22.12	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2018-23 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Present Value of obligation	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2022-23		2021-22	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	29.29%	23.35%	32.38%	23.42%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.64%	12.88%	13.42%	12.21%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%
Funds managed by Insurer	54.48%	63.53%	53.98%	64.11%
Equity and Mutual Funds	0.53%	0.20%	0.16%	0.22%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

9.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹73.65 crore (previous year ₹48.43 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account. Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year.

(Amount ₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2023	31/03/2022
1.	Sick Leave	2.54	1.84
2.	Casual Leave	-0.03	0.09
3.	Leave Travel Concession	71.14	46.50
Total		73.65	48.43

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2022-23	2021-22	2020-21
Employer's contribution to Provident Fund	5664782	4763140	4503279

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Defined benefit obligation at the beginning of the year	18226005	15294514	12466073	9559705
Current service cost	1428967	1336060	520230	453039
Interest cost	1255129	1014041	844869	632013
Actuarial (gain)/ loss	1382131	1476701	1021357	2433748
Benefits paid	(539866)	(895281)	-758504	(612432)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	21752366	18226005	14094025	12466073

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets at the beginning of the year	18885757	15598048
Expected return on plan assets	1363214	(1139501)
Contributions	(345246)	3066712
Actuarial (gain)/ loss	1773034	(23223)
Benefits paid	(539866)	(895281)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	21136893	16606755
Actual return on plan assets	1727377	1499924

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets	21136893	16606755	-	-
Present value of obligation	21752366	18226005	14094025	12466073
Amount recognized in Balance Sheet	(615473)	(1619250)	(14094025)	(12466073)

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Current Service Cost	1428967	1336030	520230	453039
Interest Cost	1255129	1014041	844869	632013
Expected return on plan assets	1363214	(1139501)	-	-
Actuarial (gain) / loss	1727377	1499924	1021357	2433748
Net Cost	5774687	2710494	2386456	3518801

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Mortality Table (LIC)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	6.99%	6.99%	7.37%	6.99%
Expected rate of return (per annum)	6.99%	6.99%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.25.01Lakhs (previous year- Rs.29.54 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2022-23.

9.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

(Amount in ₹)

1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL
3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NA

10 SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

10.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

* Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking -

- (i) Digital Banking - In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking - This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business -

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

10.2 Consolidated Segment Information

(Amount ₹ in Crore)

Part A Business Segment	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations			Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
Revenue	13781.49	13767.26	18223.54	16082.40	19474.98	15415.12	0.00	NA	19474.98	15415.12	1309.65	1003.37	52789.66	46268.15	
Result	5673.24	6355.67	4468.80	3079.29	4702.20	2938.78	-0.25	NA	4702.45	2938.78	503.37	411.62	15347.61	12785.36	
Unallocated expenses													9357.66	9522.49	
Operating profit													5989.95	3262.87	
Minority interest													1.21	2.38	
Other unallocable income													243.04	150.30	
Income Taxes													659.47	-731.02	
Exceptional item													0.00	0.00	
Net Profit													5572.31	4141.81	
Other information															
Segment Assets	218813.92	240001.83	232908.23	215377.81	249089.62	206008.16	0.93	NA	249088.69	206008.16	2796.14	2382.36	703607.91	663770.16	
Unallocated assets													9726.09	10326.27	
Total assets													713334.00	674096.43	
Segment Liabilities	204039.68	224383.64	217182.35	201362.03	232271.18	192602.11	1.18	NA	232270.00	192602.11	1299.20	1185.25	654792.41	619533.03	
Unallocated liabilities													9034.77	9611.47	
Capital reserves & surplus													49506.82	44951.93	
Total liabilities													713334.00	674096.43	

Part B Geographic Segment	Domestic		International		Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	51747.97	45960.46	104169	307169	52789.66	46268.15
Assets	681713.03	652421.69	31620.97	21674.74	713334.00	674096.43

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

11.1 PARENT:

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank

a) Subsidiaries:

- i) Ind Bank Housing Ltd.
- ii) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates: (Regional Rural Banks)

- i) Tamilnadu Grama Bank
- ii) Saptagiri Grameena Bank
- iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Joint Ventures:

- i) Universal Sampo General Insurance Company Ltd.
- ii) ASREC (India) Ltd.

d) Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment	Date of cessation
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021	
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	
Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022	

e) Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	300
2	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200

Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹135.84 lakhs (Previous- Year ₹172.37 lakhs)

Details	2022-23	2021-22
Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.08.2021)	--	₹40.30 lakhs
Shri Shanti Lal Jain MD& CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹40.74 lakhs	₹20.27 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V., Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	--	₹32.76 lakhs
Shri K. Ramachandran, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 30.06.2021)	--	₹30.19 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹36.53 lakhs	₹30.00 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2022 to 31.03.2023)	₹47.23 lakhs*	₹18.85 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (21.11.2022 to 31.03.2023)	₹11.34 lakhs	--

*Including House Rent Allowance of Rs. 12.32 lakh.

Other disclosures pertaining to related parties are as under

(Amount ₹ in Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Associates/ Joint ventures	Total
Rendering of services	15.28	2.17	15.28
Receiving of services	2.17	15.28	2.17

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2022-23
Mr. V Haribabu	President & Whole Time Director	Salary	22.70
		Contribution to PF	1.25
Mr. A Rajaraman	President & Whole Time Director (Upto 30.11.2021)	Salary	0.00
		Contribution to PF	0.00
Mr. Tausif Inamdar	Vice President & CFO (From 22.07.2022)	Salary	11.18
		Contribution to PF	0.90
Mr. U Rajkumar	Vice President & CFO (Upto 02.09.2021)	Salary	0.00
		Contribution to PF	0.00
Mrs. Chitra M A	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	12.19
		Contribution to PF	1.31
Mr. V Balamurugan	Company Secretary & Compliance Officer (Upto 28.01.2022)	Salary	0.00
		Contribution to PF	0.00
Sitting Fees paid to Non – Whole Time Independent Directors			5.67

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

11.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

12. LEASE (AS 19)

12.1 PARENT

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs.399.08 Crore. (Previous year Rs.417.00 Cr).
- Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

12.2 SUBSIDIARY COMPANIES

12.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(Amount ₹ in Lakhs)

Details	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Lease payments for the year	24.40	21.71
Minimum Lease payments: Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

13 EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2022-23	2021-22
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	5572.31	4141.81
Number of Equity Shares	1245441139	1245441139
Weighted Number of equity shares	1245441139	1218410075
Basic Earning Per Share (in ₹)	44.74	33.99
Diluted Earning Per Share (in ₹)	44.74	33.99
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

14. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2023 includes ₹243.04 crores being share of the audited profit of 3 Associates viz, M/s Pudukkottai Bharathiar Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and M/s Tamilnadu Grama Bank, and ₹58.23 Crores being the share in unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd.

15. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

15.1 PARENT

- Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 1178.64 Crore including provision for tax on foreign branches relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 8.34 Crore. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 15.74 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 4434.56 Crore (Previous year net DTA of Rs. 3872.91 Crore), included under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	275.43	219.35
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	122.57	99.08
3	Provision for Gratuity	0.04	0.06
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3856.25
5	Provision for restructured Assets, AQR, S4A, stressed Assets	1094.72	588.06
6	Depreciation on Fixed Assets	102.79	87.26
	Total DTA	5459.96	4850.06

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.40	44.40
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	613.74	565.49
	Total DTL	1025.40	977.15
	Net DTA/(DTL)	4434.56	3872.91

15.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

15.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The major components of deferred tax asset/liability are as below:

(Amount in ₹)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2023		As on 31.03.2022	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		9112839		9355398
ii) Provision for Bad debts and NPAs	29001415		36142094	
iii) Others	3851703		3661463	
Total	32853118	9112839	39803557	9355398
NET DTA / (DTL)	23740279		30448159	

16. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24-DISCONTINUED OPERATIONS

16.1. SUBSIDIARY COMPANIES:

16.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF.

17. SUBSIDIARY COMPANIES:

17.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of Rs. 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of Rs. 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly, the company has repaid the entire amount to Indian Bank and there no amount pending to be paid as on 31.03.2023.

18. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Somp General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particular	31.03.2023	31.03.2022
Liabilities		
Capital & Reserves	437.90	391.69
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	19.38	8.54
Other Liabilities & Provisions	1271.32	1174.50
TOTAL	1728.60	1574.73
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.10	0.05
Balances with Banks and money at call and short notice	54.81	30.40
Investments	1337.92	1146.12
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	18.07	11.37
Other Assets	317.70	386.79
TOTAL	1728.60	1574.73
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	46.76	48.05
Income		
Interest earned	5.99	6.04
Other Income	695.48	478.41
TOTAL	701.47	484.45
Expenditure		
Interest expended	1.81	2.36
Operating expenses	620.43	420.65
Provisions & Contingencies	25.46	17.63
TOTAL	645.90	440.64
Profit	53.77	43.81

19. Impairment of Assets (AS-28):

PARENT

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28—"Impairment of Assets" applies.

20. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

PARENT

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2022	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2023
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	215.91	4.22	2.45	217.68

21. BANCASSURANCE BUSINESS

21.1 PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.136.35 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.85.01 Crore).

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2022-23	2021-22
1	For Selling Life Insurance Policies	100.37	56.22
2	For selling Non-life insurance policies	29.42	26.42
3	Others – For selling Mutual Fund Products	6.56	2.37
	Total	136.35	85.01

21.2. SUBSIDIARY COMPANIES:

21.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2022-23	2021-22
1	For Selling Life Insurance Policies	NIL	NIL
2	For selling Non-life insurance policies	NIL	NIL
3	From Selling of Health Insurance policies	NIL	NIL
4	Others – For selling Mutual Fund Products	NIL	NIL
5	Others – For mobilizing leads of Bank's Home Loan Products	0.09	NIL
	Total	0.09	NIL

22. Legal

PARENT

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communication Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claimed aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank. In the suit,

conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crore, wherein our Bank's share is Rs.100 crore. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of Rs.15.94 Crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of Rs.84.06 Crore held as security-margin money as on 31.03.2023 and a sum of Rs.15.32 Crore as provision under the head 'Contingent Fund-Claim made against the bank'. Total provision aggregating to Rs. 31.26 Crore.

23. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

- a) Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.
- b) In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.
- c) As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank of MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

Previous year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm to current year's classification.

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Indian Bank (hereinafter referred to as "Parent/Bank")** which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-
 - a) Audited Statements of the Bank which have been audited by us;
 - b) Audited Statements of 2 Subsidiaries and 3 Associates audited by other Auditors; and
 - c) Un-audited Statements of 2 Joint Ventures.

The Parent and subsidiaries together are referred to as the 'Group'.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements and other financial information of Subsidiaries and Associates and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023;
- b. true balance of profit in case of the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and
- c. true and fair view in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Note 4) The net advances of the Bank constitute 63.24% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,

	- Investments constitute 26.18% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. - Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	- We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; - For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; - We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; - We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its associates and Joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group and its associates and Joint ventures is responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and its associates and Joint ventures or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group and its associates and Joint ventures are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism through out the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and Joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw

attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and Joint ventures to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and Joint ventures and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of Bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 1,775 branches (of which 178 are Processing centers) included in the Consolidated financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,45,986.51 crores as at 31st March 2023 and total revenue of Rs. 14,994.16 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches and processing centers cover 41.46% of advances, 46.57% of deposits and 57.25% of Non-performing assets as at 31st March 2023 and 28.79% of revenue for the year ended 31st March 2023. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
8. We did not audit the financial statements / financial information of Two (02) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 70.10 crores as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 17.64 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to

us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors

9. We did not audit the financial statements / financial information of Three (03) associates whose financial statements / financial information include the Group's share of net profit of Rs. 243.04 crores for the year ended March 31, 2023, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors
10. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect groups share of total assets of Rs. 1727.51 crore as at March 31, 2023, groups share of total revenues of Rs. 700.85 crore for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 58.23 crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint ventures, is based solely on such unaudited Financial statements Certified by the Management. In our opinion, and according to the information given to us by the management, These financial statements are not material to the group

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

11. The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2022 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
13. Subject to the limitations of the audit indicated in **paragraphs 5 to 11** above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
14. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we report that:
 - a) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

- b) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- c) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- d) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2023.

15. We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P DEVI
Partner
(M. No. 223137)
UDIN: 23223137BGYLQB8489

For G. NATESAN & CO
Chartered Accountants
FRN: 002424S

V MARGASAHAYAM
Partner
(M. No. 020555)
UDIN: 23020555BGWSZQ9764

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 23114196BGUMBB7927

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 23110713BGYQGT1624

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

MUKESH KUMAR KHANDELWAL
Partner
(M. No. 074661)
UDIN: 23074661BGXKJG3193

Date of Report : 08.05.2023
Place of Signature: Chennai

Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated April 1, 2022, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website **www.indianbank.in** under the following link:

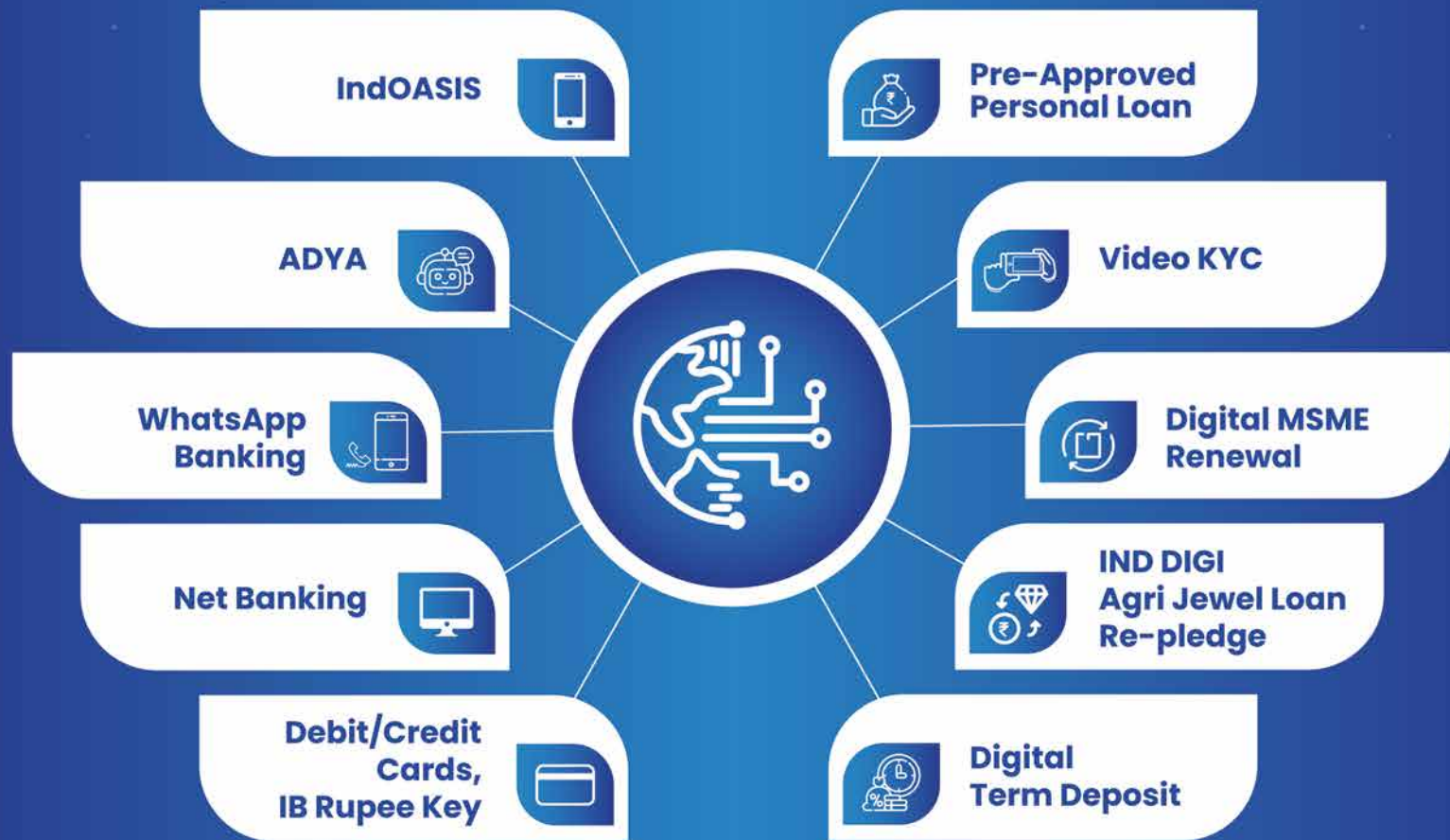
<https://www.indianbank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Do it the Digital Way





हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है। / we are proud to be associated with



इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office:
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.



1800 425 000 00



www.indianbank.in

Follow us on:

